Drishti IAS

करेंट अफेयर्स

(संग्रह)

जनवरी (भाग-1)

2025

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 5

- PMAY-G और भारत में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन 5
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिये थर्ड-पार्टी ऑडिट ... 9
- DRDO का 67वाँ स्थापना दिवस 12
- UJALA और SLNP के 10 वर्ष 15
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधायी समीक्षा का आह्वान 17
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विद्युत अधिनियम, 2022 को रद्द किया 20
- फेक न्यूज़ के खिलाफ सामुदायिक नोट्स कार्यक्रम 22

भारतीय अर्थव्यवस्था 26

- बिज़नेस रेडी (B-रेडी) रिपोर्ट 2024 26
- भारत की बुनियादी ढाँचे के विकास की यात्रा 29
- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का दोहन 32
- भारत-लैटिन अमेरिका व्यापार संबंध 34
- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 40
- छत्तीसगढ़ द्वारा वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ना 42
- फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2025 46
- विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण 48

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 52

- क्वाड सहयोग के 20 वर्ष पूरे 52
- भारत-मालदीव रक्षा सहयोग को मज़बूत करना ... 55
- प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) 57
- भारत के तालिबान के साथ संबंध 60

आंतरिक सुरक्षा 64

- वर्ष 2025 को 'सुधार वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय 64
- CAPF कार्मिकों में आत्महत्या 66
- जैवविविधता और पर्यावरण 71
- IPBES ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट 71
- भूजल प्रदूषण पर CGWB की रिपोर्ट 73
- रिकॉर्ड ग्लोबल वार्मिंग और भारत पर इसका प्रभाव 75

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 79

- थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा उत्पादन 79
- भारत का जीनोमिक डेटा सेट 82

सामाजिक न्याय 86

- खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन 86
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और संबंधित चिंताएँ 88
- वैश्विक पोषण लक्ष्य 91
- मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन 94
- स्विट्ज़रलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध 97
- विमुक्त जनजातियों से संबंधित चुनौतियाँ और विकास 99

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर जनजातीय मंत्रालय के निर्देश 102

भूगोल 105

- राजस्थान में आर्टेसियन कुआँ और टेथिस सागर 105
- ला नीना: प्रभाव, तंत्र और पूर्वानुमान..... 108
- तिब्बत, चीन और नेपाल में भूकंप 112
- भूस्खलन और निवारक उपाय..... 114

कृषि 119

- DILRMP एवं भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण..... 119
- MSP को वैधानिक बनाने की किसानों की मांग 122
- राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का 8वाँ संस्करण..... 125
- भारतीय समाज..... 129
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार की याचिका खारिज..... 129

भारतीय इतिहास 132

- सिंधु घाटी लिपि की समझ 132
- स्वामी विवेकानंद की 162 वीं जयंती..... 135
- ईरान की राजधानी का मकरान में स्थानांतरण और सिकंदर की विरासत 138

प्रिलिम्स फैक्ट्स 141

- H-1B वीज़ा कार्यक्रम..... 141
- वैश्विक पोलियो का पुन:प्रवर्तन..... 142
- भारतीय संसद में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की अस्वीकृति 144
- विक्रम साराभाई की 52वीं पुण्यतिथि 145
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 146
- ब्राज़ीलियन वेलवेट चींटी..... 148
- पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में संस्कृत अभिलेख..... 149
- फसल बीमा योजनाओं का विस्तार..... 152
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 152
- डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क के 3 वर्ष..... 153
- अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1978..... 155
- लीड्स 2024 रिपोर्ट..... 157
- भारत में निर्धनता में कमी-SBI..... 158
- वन्यजीव ट्रैंक्विलाइज़ेशन..... 160
- ऑयल पाम वृक्षारोपण को प्राथमिकता 162
- जलवायु परिवर्तन और अफ्रीकी पूर्वी लहरें..... 163
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का प्रारूप..... 165
- ध्रुवीय भँवर..... 166
- राष्ट्रगान पर बहस 169
- मोधवेथ महोत्सव 170
- रक्षा और परमाणु सहयोग में भारत-अमेरिका पहल..... 171
- सॉवरेन एआई 172
- फसल उत्सव..... 173
- जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिसाइज़र का विघटन 174
- PMKSY का वाटरशेड विकास घटक 2.0..... 177
- क्यूबा को भारत की मानवीय सहायता 178
- बिग डेटा पर UN पैनल में भारत का शामिल होना 179
- गोल्डन लंगूर 181

रैपिड फायर 183

- पैंगोंग झील पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण 183
- वेम्बनाड झील..... 183

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप.....184
- सूर्य किरण सैन्य अभ्यास.....184
- वाणिज्यिक इंटरनेट की उत्पत्ति.....185
- राजनेताओं के लिये स्मारक.....185
- मॉल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया.....186
- आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI).....186
- सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता.....187
- NPCI ने UPI ऐप्स के लिये मार्केट कैप की समयसीमा बढ़ाई.....187
- माउंट कनलाओन.....188
- VSSC में ध्रुवीय सूर्यघड़ी.....190
- भारत-पाक के बीच परमाणु और कैदी सूचियों का आदान-प्रदान.....190
- थांथाई पेरियार स्मारक.....190
- CENJOWS और NDMA के बीच समझौता ज्ञापन.....191
- बाघों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण.....192
- AICTE का 2025 'AI का वर्ष'.....192
- MWPSC अधिनियम, 2007 के तहत संपत्ति की बहाली.....193
- शीतकालीन चारधाम.....194
- कैंसर चिकित्सा के लिये हाइड्रोजेल.....194
- श्री नारायण गुरु.....195
- पंचायत से संसद 2.0.....195
- विश्व ब्रेल दिवस 2025.....196
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग.....196
- HMPV वायरस.....197
- सावित्रीबाई फुले की 193 वीं जयंती.....197
- डायनासोर हाईवे.....198
- भारतीय मानक ब्यूरो का 78वाँ स्थापना दिवस..199
- गुरु गोबिंद सिंह जी की 358वीं जयंती.....200
- भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल.....200
- सिक्किम में भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर.....202
- जम्मू और रायगढ़ रेलवे डिवीज़न.....202
- UDISE+ रिपोर्ट 2023-24.....203
- इसरो के नए अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन.....203
- विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ.....204
- इंडोनेशिया BRICS में शामिल हुआ.....204
- समुद्री कवक.....205
- अंजी खाद ब्रिज़.....206
- किलाऊआ ज्वालामुखी में प्रस्फुटन.....206
- नीति आयोग के 10 वर्ष.....207
- त्रिनिदाद और टोबैगो में आपातकाल घोषित.....209
- गोबरधन योजना.....209
- टाइडल टेल.....210
- क्रायो-बॉर्न बेबी कोरल.....210
- अनाधिकृत रेलवे ई-टिकट अवैध घोषित.....211
- महाकुंभ मेला 2025 में मोबाइल कनेक्टिविटी...212
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025.....212
- Z-मोड़ टनल.....213
- लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि.....213
- चक्रवात डिकेलेडी से मायोट पर प्रभाव.....214
- भारत में हिस्टेरेक्टोमी का प्रचलन.....215
- विश्व हिंदी दिवस 2025.....216
- नीलगिरि, सूरत और वाग्शीर का कमीशन.....217
- आयुष्मान भारत-PMJAY योजना में ओडिशा का शामिल होना.....217
- ब्रिटिश नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हिरासत.....218
- सी. एलिगेंस के अनुप्रयोग द्वारा जीव विज्ञान में खोजें.....218
- चिंपैंज़ी का संरक्षण.....220
- परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन.....220
- 77वाँ भारतीय सेना दिवस.....221

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

शासन व्यवस्था

PMAY-G और भारत में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन

चर्चा में क्यों?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने PMAY-G की प्रगति पर प्रकाश डाला तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के माध्यम से **निर्धनता** मुक्त गाँव बनाने के प्रयासों पर बल दिया।

- ग्रामीण विकास योजनाओं का समय पर एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके मंत्रालय का लक्ष्य निर्धनता मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है।

PMAY-G के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- यह ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिये **वर्ष 2016** में शुरू की गई योजना है। इसमें **लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC) 2011** के आँकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिसे **ग्राम सभा की मंज़ूरी** और **जियो-टैगिंग** के माध्यम से मान्य किया जाता है।
- **PMAY-G के अंतर्गत लाभ:**
  - **वित्तीय सहायता:** मैदानी क्षेत्रों के लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपए तथा 2 पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड), पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपए दिये जाते हैं।
    - लागत साझाकरण के संदर्भ में मैदानी क्षेत्रों में **60:40 (केंद्र और राज्य के बीच)** तथा पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में **90:10 (केंद्र और राज्य के बीच)** का खर्च अनुपात शामिल है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में **100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित** किया जाता है।
  - **शौचालय सहायता:** **स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G)** के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिये 12,000 रुपए देना शामिल है।
  - **खाना पकाने हेतु ईंधन:** **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** के साथ मिलकर, प्रत्येक घर में एक LPG कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
  - **रोज़गार सहायता:** आवास निर्माण के लिये **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)** के अंतर्गत 90/95 दिवस का अकुशल कार्य दिया जाना शामिल है।
- **लक्ष्यों का निर्धारण:** इस योजना में **अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST)** परिवारों के लिये 60% का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 59.58 लाख SC एवं 58.57 लाख ST से संबंधित आवास पूरे हो चुके हैं।
- **योजना का विस्तार:** इस योजना का लक्ष्य प्रारंभ में **वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना था,** जिसे वित्त वर्ष वर्ष 2024-29 के लिये 3,06,137 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ **2 करोड़ और घरों को शामिल करने** के लिये बढ़ा दिया गया है।
- **PMAY-G की उपलब्धियाँ:** नवंबर 2024 तक **3.21 करोड़ घरों को मंज़ूरी दी जा चुकी है** और **2.67 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं।**
  - **जून और दिसंबर 2024** के बीच **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)** के तहत 71,000 सहित 4.19 लाख घर पूरे हो चुके हैं।
  - **मोबाइल एप्लिकेशन:** लाभार्थी पहचान को कारगर बनाने के लिये **आवास प्लस-2024 ऐप** लॉन्च किया गया।
    - पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिये **आवास सखी ऐप** शुरू किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निर्धनता

- **परिचय:** **विश्व बैंक** के अनुसार, निर्धनता बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त आय या संसाधनों की कमी है। यह **आवास, भोजन या स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अभाव के रूप में प्रकट** हो सकती है।
  - ❖ निर्धनता का व्यापक दृष्टिकोण **व्यक्ति की समाज में कार्य करने की क्षमता पर केंद्रित है, जिसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव शामिल** है।
  - ❖ विश्व बैंक ने वर्ष 2017 **क्रय शक्ति समता (PPP)** का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के रूप में **2.15 अमेरिकी डॉलर** को अपनाया, जो वर्ष 2011 PPP का उपयोग करते हुए वर्ष 2015 के अद्यतन में निर्धारित 1.90 अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- **पूर्ण निर्धनता:** ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के पास भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये संसाधनों का अभाव होता है, जिसे आमतौर पर गरीबी रेखा से मापा जाता है।
- **सापेक्ष निर्धनता:** समाज में अन्य लोगों की तुलना में किसी व्यक्ति के जीवन स्तर के आधार पर परिभाषित निर्धनता, जो आर्थिक असमानता को उजागर करती है।
- **भारत में निर्धनता के आँकड़े:** **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21)** के आँकड़ों से पता चलता है कि **भारत की 14.96% आबादी बहुआयामी निर्धन** है, जो **NFHS-4 (2015-16) में 24.85% से कम है, जिसमें 135 मिलियन लोग निर्धनता से बच गए हैं।**
  - ❖ **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)** वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गया है, जो 17.89% अंकों की कमी दर्शाता है।
  - ❖ **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES)** से पता चलता है कि **ग्रामीण निर्धनता वर्ष 2011-12 में 25.7% से घटकर वर्ष 2022-23 में 7.2%** हो गई, जबकि **शहरी निर्धनता इसी अवधि में 13.7% से घटकर 4.6%** हो गई।

Comparative view of the Multidimensional Poverty Index Score (State/UT-wise)

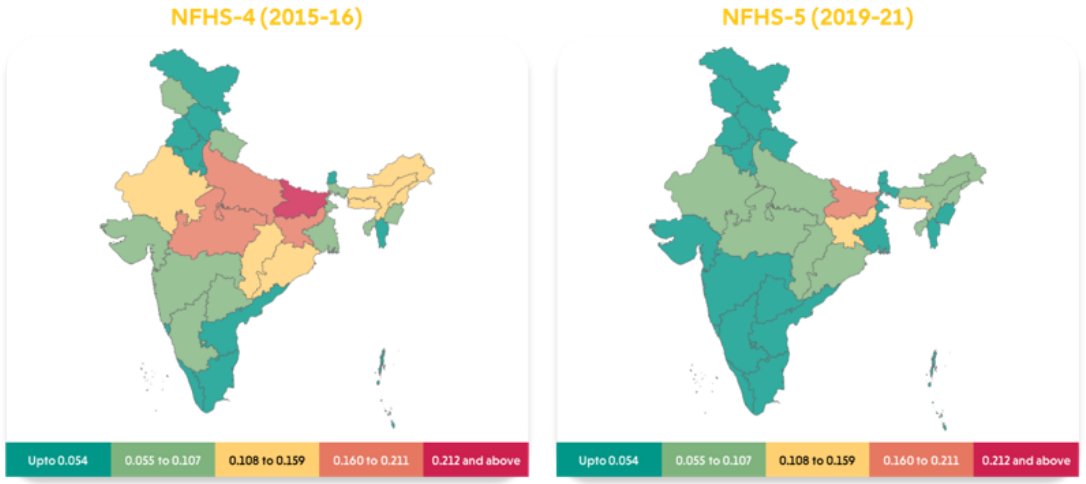

The colour represents the MPI score of a state. The colour moves from green, through yellow, to red as the MPI score increases. Green represents areas with the lowest MPI scores while red represents areas with the highest MPI scores. The legend shows the range of MPI scores in India, based on the values for 2015-16. Both the comparative maps use the same legend to represent the change in MPI scores between 2015-16 to 2019-21.

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

गाँवों में निर्धनता उन्मूलन में योगदान देने वाली अन्य योजनाएँ क्या हैं?

- आधारभूत संरचना:
  - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
  - जल जीवन मिशन
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:
  - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
  - जननी सुरक्षा योजना
  - प्रधानमंत्री जनधन योजना
  - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- आजीविका संवर्द्धन योजनाएँ:
  - मनरेगा योजना
  - NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
  - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
  - लखपति दीदी पहल
- स्वास्थ्य:
  - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)
  - मिशन इंद्रधनुष

ग्रामीण भारत में निर्धनता हटाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **कृषि पर निर्भरता:** ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग **कृषि पर निर्भर है,** जिसे **जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और खराब सिंचाई जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।**
- **न्यूनतम कृषि उत्पादकता** और पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता आय सृजन को और सीमित कर देती है।
  - **बेरोज़गारी और अल्परोज़गार:** कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के सीमित अवसर हैं, जिसके कारण **बेरोज़गारी और अल्परोज़गार की दरें बहुत अधिक हैं। कौशल और शिक्षा की कमी** के कारण यह और भी जटिल हो जाता है।
- **सेवाओं तक सीमित पहुँच:** शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और बुनियादी ढाँचे जैसी बुनियादी सेवाएँ प्राय: अपर्याप्त होती हैं।
- **भूमि स्वामित्व:** कई ग्रामीण परिवारों के पास **भूमि स्वामित्व या सुरक्षित भूमि अधिकार का अभाव है, जिससे आजीविका में निवेश में बाधा आती है।**
  - **सामाजिक असमानता:** महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समेत हाशिये पर पड़े समुदायों को भेदभाव और संसाधनों तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है। इससे निर्धनता का चक्र चलता रहता है।
  - **प्रवासन:** कई युवा, शिक्षित व्यक्ति **बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में "प्रतिभा पलायन" होता है।**
- **शासन संबंधी चुनौतियाँ: ऑपरेशन ग्रीन्स योजना** जैसी नीतियों का कमज़ोर **कार्यान्वयन या भ्रष्टाचार,** अपर्याप्त आँकड़े एवं सीमित सार्वजनिक जागरूकता ग्रामीण भारत में प्रभावी निर्धनता निवारण में बाधा डालते हैं।
- दीर्घकालिक समाधानों के बजाय **अल्पकालिक उपायों** पर ध्यान केंद्रित करने से भी प्रगति में बाधा आती है।

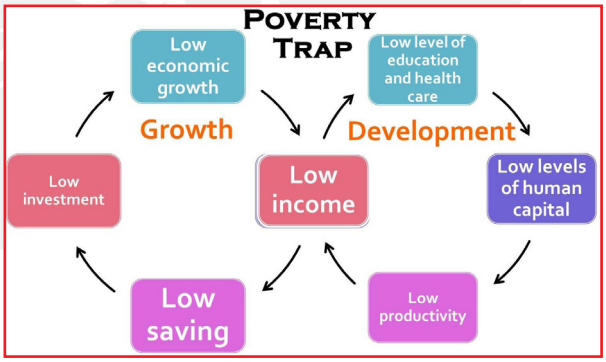

ग्रामीण भारत को निर्धनता मुक्त कैसे बनाया जा सकता है?

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्त करना:
  - निर्धनता उन्मूलन (SDG-1) सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** और कृषि योजनाओं के माध्यम से **शून्य भूख (SDG-2)** खाद्य सुरक्षा।
- ❖ **आयुष्मान भारत के अंतर्गत अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण (SDG-3) के लिये** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़।
- ❖ **असमानताओं में कमी (SDG-10)** वित्तीय समावेशन और संसाधनों तक समान पहुँच में सुधार करती है।
- ❖ **सामाजिक संरक्षण और कल्याण: वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन के अंतर्गत** व्यापक कवरेज़, 100% स्वास्थ्य देखभाल पहुँच और **गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों** के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि निर्धनता को फिर से बढ़ने से रोका जा सके।

- **रोज़गार सृजन और आजीविका:** आवश्यकतानुसार मनरेगा के तहत रोज़गार उपलब्ध कराना, **वार्ड और महिला सभाओं** के माध्यम से **कौशल संवर्द्धन आवश्यकताओं की पहचान करना** तथा **ज़िला कौशल केंद्रों के माध्यम से कौशल मानचित्रण और प्रशिक्षण आयोजित करना।**
- **स्वयं सहायता समूहों और किसान समूहों को जोड़ना: आय स्तर में सुधार के लिये स्वयं सहायता समूहों (SHG)** और **किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को** उद्यम योजनाओं के साथ एकीकृत करना।
  - ❖ किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये **पशु मित्रों और किसान मित्रों को** सशक्त बनाना।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** विकास और सेवाओं तक बेहतर पहुँच को सक्षम करने के लिये सड़कों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों का विकास करना।
- **डिजिटल समावेशन के एक भाग के रूप में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों** (जैसे, **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ENAM)**) **पर किसानों का 100% पंजीकरण** सुनिश्चित करना ताकि उन्हें योजनाओं तक वास्तविक समय पर पहुँच प्रदान की जा सके।
- **व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन:** शोषणकारी शर्तों पर अनौपचारिक ऋण को सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना। समुदाय के भीतर **मादक द्रव्यों के सेवन के दुरुपयोग को संबोधित करना।**
  - ❖ निर्णय लेने और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **आपदा तैयारी और जलवायु कार्रवाई: आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)** के लिये एक **कार्यबल की स्थापना** करना और **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** में गतिविधियों को एकीकृत करना।
  - ❖ **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK)** के माध्यम से सतत् कृषि और जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

ग्रामीण भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिये आवास, वित्तीय सहायता, रोज़गार और बुनियादी ढाँचे के विकास को मिलाकर एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सतत् विकास, कौशल वृद्धि और वित्तीय समावेशन के माध्यम से निर्धनता मुक्त गाँवों को प्राप्त करने के लिये कृषि पर निर्भरता, **बेरोज़गारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों** का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. निर्धनता उन्मूलन में ग्रामीण भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा इन चुनौतियों पर काबू पाने में सरकारी पहल की भूमिका का आकलन करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

स्मार्ट सिटीज़ मिशन के लिये थर्ड-पार्टी ऑडिट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों पर एक **संसदीय स्थायी समिति** ने **स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM)** के तहत परियोजनाओं के **थर्ड-पार्टी असेसमेंट** (तृतीय-पक्ष मूल्यांकन) की मांग की है।

- इसका उद्देश्य विशेष रूप से छोटे शहरों में **कार्यान्वयन में आने वाली कमियों को दूर करना** है।

संसदीय स्थायी समिति:

- **परिचय:**
  - **स्थायी समितियाँ** स्थायी होती हैं (प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर गठित) और निरंतर आधार पर कार्य करती हैं।
- **समितियों के प्रकार:**
  - उनके कार्यों, सदस्यता और कार्यकाल के आधार पर समितियों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: **स्थायी समितियाँ** और **तदर्थ समितियाँ।**
- **स्थायी समितियों को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:**
  - वित्तीय समितियाँ
  - **विभागीय स्थायी समितियाँ**
  - जाँच समितियाँ
  - जाँच और नियंत्रण के लिये समितियाँ
  - सदन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित समितियाँ
  - गृह व्यवस्था समितियाँ या सेवा समितियाँ
- **तदर्थ समितियाँ** अस्थायी प्रकृति की होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य पूरे होने के बाद भंग कर दिया जाता है। इन्हें आगे निम्न भागों में विभाजित किया गया है:
  - जाँच समितियाँ
  - सलाहकार समितियाँ

SCM के लिये थर्ड-पार्टी ऑडिट की क्या आवश्यकता है?

- **मूल्यांकन और पारदर्शिता:** थर्ड-पार्टी असेसमेंट (तृतीय-पक्ष मूल्यांकन) SCM के तहत **परियोजना की प्रगति और प्रभाव का निष्पक्ष विश्लेषण** प्रदान करते हैं, जिससे **कार्यान्वयन अंतराल** तथा **सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद** मिलती है।
  - वे **पारदर्शिता भी बढ़ाते हैं** तथा नागरिकों, सरकारी निकायों और निवेशकों सहित हितधारकों के बीच **विश्वास को बढ़ावा** देते हैं।
- **साक्ष्य-आधारित नीति:** इससे यह पता लगा सकता है कि शहरी विकास में **विशेष प्रयोज्य वाहनों (SPV)** की विशेषज्ञता को **अमृत** और **DAY-NULM** जैसी अन्य पहलों पर कैसे लागू किया जा सकता है, जिससे शहरी परिवर्तन कार्यक्रमों के व्यापक प्रभाव को बढ़ाया जा सके।
- **असमानताओं को दूर करना:** बड़े शहर बेहतर संसाधनों के कारण अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जबकि **छोटे शहरों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, परियोजना निष्पादन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है,** इसलिये **स्वतंत्र ऑडिट इन असमानताओं को उजागर कर सकते हैं और सुधार का सुझाव** दे सकते हैं।
  - इसके अलावा, थर्ड-पार्टी असेसमेंट (तृतीय-पक्ष मूल्यांकन) से **टियर 2 शहरों के लिये रणनीति तैयार की जा सकती है, जिससे संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा और महानगरीय क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम होगी।**
- **शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को मज़बूत करना:** कई **ULB** में SCM के तहत बड़े पैमाने की परियोजनाओं का प्रबंधन करने के लिये तकनीकी और वित्तीय क्षमता का अभाव है।
  - तृतीय-पक्ष मूल्यांकन (तृतीय-पक्ष मूल्यांकन) **शहरी नियोजन और शासन को बढ़ाने के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान** कर सकता है, साथ ही **सूचित नीति निर्माण तथा कुशल संसाधन आवंटन** के लिये **डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि** प्रदान कर सकता है।
- **भावी योजना और स्थिरता: यह SCM के भावी चरणों की योजना बनाने, स्थिरता सुनिश्चित करने और शहरी विकास आवश्यकताओं के साथ संरेखण** के लिये बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
  - वे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर विचार करते हुए **शहरी विकास के लिये अधिक एकीकृत दृष्टिकोण** अपनाने में भी योगदान देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) क्या है?

- **परिचय:** SCM एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है जिसे **जून 2015** में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य **भारत के 100 शहरों को आवश्यक बुनियादी ढाँचा** प्रदान करके उनका रूपांतरण करना है।
  - **इसके अतिरिक्त, "स्मार्ट सॉल्यूशंस"** के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करने के लिये **शहरों में एक स्वच्छ और धारणीय वातावरण प्रदान करना।**
- **उद्देश्य:**
  - **संसाधनों**, हरित स्थानों और पर्यावरणीय स्थिरता के **कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।** स्वच्छ जल, विद्युत्, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - **डिजिटल प्लेटफॉर्म,** ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी के माध्यम से **शासन को बेहतर बनाना।** विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये किफायती आवास समाधान प्रदान करना।
  - स्मार्ट यातायात प्रबंधन के साथ सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सुधार करना और **भीड़भाड़ को कम करना।**
  - निगरानी और आपातकालीन सेवाओं के माध्यम से **नागरिकों, विशेष रूप से कमज़ोर समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।** सेवाओं तथा सूचनाओं तक निर्बाध पहुँच के लिये मज़बूत IT बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
  - अन्य शहरों के लिये अनुकरणीय **सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने हेतु आदर्श शहर विकसित करना।**
- **मुख्य घटक:**
  - **क्षेत्र-आधारित विकास:**
    - **पुनर्विकास:** उन्नत बुनियादी ढाँचे के साथ मौजूदा शहरी क्षेत्रों का उन्नयन (उदाहरणार्थ, भिंडी बाज़ार, मुंबई)।
    - **रेट्रोफिटिंग:** मौजूदा इलाकों में बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण (उदाहरण के लिये, अहमदाबाद का स्थानीय क्षेत्र विकास)।
    - **ग्रीनफील्ड विकास:** नए, धारणीय शहरी स्थानों का निर्माण (जैसे- न्यू टाउन कोलकाता, गिफ्ट सिटी)।
  - **पैन-सिटी सॉल्यूशंस:**
    - **ई-गवर्नेंस, अपशिष्ट और जल प्रबंधन, शहरी गतिशीलता** तथा **ऊर्जा दक्षता** जैसे क्षेत्रों में **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)** समाधानों को अपनाना।
- **शासन संरचना:** नौकरशाहों या उद्योग प्रतिनिधियों के नेतृत्व में **कंपनी अधिनियम, 2013 के** तहत स्थापित **विशेष प्रयोज्य वाहनों (SPV)** के माध्यम से कार्यान्वयन।
  - वित्तपोषण के लिये **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल** पर ज़ोर दिया जाएगा।

नोट: SCM के अंतर्गत प्रमुख विकास

- **पूर्ण की गई परियोजनाएँ:**
  - प्रारंभ में इसे **वर्ष 2020** तक पूरा करने के लिये निर्धारित किया गया था, लेकिन SCM की समय-सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया।
  - 3 जुलाई 2024 तक, **1.6 लाख करोड़ रुपए** की **8,000 से अधिक बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं** में से 1,44,237 करोड़ रुपए की **7,188 परियोजनाएँ (90%) पूरी हो चुकी हैं।**
  - **शेष 830 परियोजनाएँ** जिनकी लागत 19,926 करोड़ रुपए है, **कार्यान्वयन के उन्नत चरण** में हैं।
- **वित्तीय प्रगति:**
  - भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किये, जिनमें से 46,585 करोड़ रुपए **(97%) शहरों को जारी किये जा चुके हैं।**
  - जारी धनराशि का **93%** उपयोग किया जा चुका है।
  - मिशन के अंतर्गत **74 शहरों** को पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

SCM परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **लागत और वित्तपोषण:** स्मार्ट सिटी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये मौजूदा प्रणालियों को उन्नत करने, सेंसर लगाने और

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

नेटवर्क को बनाए रखने में **महत्त्वपूर्ण निवेश** की आवश्यकता होती है।

- जबकि 74 शहरों को उनके केंद्रीय हिस्से का 100% हिस्सा मिल चुका है, परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण **26 शहरों को अभी भी पूर्ण धनराशि प्राप्त नहीं हुई।**

- **विस्थापन और सामाजिक प्रभाव:** विश्व बैंक के अनुसार, भारत के शहरी क्षेत्रों में **49% से अधिक आबादी मलिन बस्तियों** में रहती है।
  - स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के **क्रियान्वयन के कारण गरीब क्षेत्रों के निवासियों, जैसे कि सड़क विक्रेताओं**, को विस्थापित होना पड़ा है, जिससे शहरी समुदायों का ताना-बाना बाधित हुआ है।
- **परियोजना पूर्ण होने में विलंब:** समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, बड़ी संख्या में परियोजनाएँ **(लगभग 10%) अभी भी अपूर्ण हैं**, जो निष्पादन में विलंब को दर्शाता है।
  - इसका कारण **अपर्याप्त योजना, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव,** तथा **भूमि अधिग्रहण एवं मंजूरी में समस्याएँ** हो सकती हैं।
- **गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:** सेंसरों, उपकरणों और नागरिकों से विशाल मात्रा में डेटा का संग्रह और विश्लेषण, **डेटा उल्लंघन, अनधिकृत पहुंच और दुरुपयोग** के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।
  - जनता का विश्वास बनाने के लिये मज़बूत **साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना, गोपनीयता की रक्षा करना और स्पष्ट डेटा शासन नीतियों** को लागू करना आवश्यक है।
- **समन्वय का अभाव: प्राथमिकताओं में अंतर, नौकरशाही बाधाओं** और **भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों में स्पष्टता की कमी** के कारण केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय एक चुनौती रहा है, जिससे मिशन के निर्बाध कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई है।
- **स्थिरता संबंधी चिंताएँ:** स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की **दीर्घकालिक स्थिरता** के बारे में संदेह है, क्योंकि उनमें से कई **शहरी नियोजन और शासन के मूलभूत मुद्दों** पर ध्यान देने के बजाय **प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों** पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
  - SCM ने **स्मार्ट शहर के लिये एक सार्वभौमिक परिभाषा के अभाव को स्वीकार** किया है।

शहरी विकास से संबंधित अन्य सरकारी पहल क्या हैं?

- शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0
- ट्यूलिप- द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम

आगे की राह

- **फंडिंग संबंधी समस्या का समाधान :** PPP मॉडल पर विचार करने तथा **केंद्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने** की आवश्यकता है। कुशल उपयोग और समय पर परियोजना प्रगति के लिये पारदर्शी निधि आवंटन और नियमित निगरानी सुनिश्चित करना।
- **क्षमता निर्माण: क्षमता निर्माण कार्यक्रमों** और पुनर्गठन तथा कौशल विकास के लिये केंद्र सरकार के समर्थन के माध्यम से **शहरी स्थानीय निकायों (ULB)** को मज़बूत करने से विशेष रूप से छोटे शहरों में शासन और परियोजना निष्पादन में वृद्धि होगी।
  - भारत को अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करके तथा क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर स्मार्ट सिटी पहलों में तेज़ी लाने के लिये **ज्ञान-साझाकरण मंच** स्थापित करके **सतत् शहरी विकास** में अपने नेतृत्व का लाभ उठाना चाहिये।
- **समय पर परियोजना पूर्ण करना: विस्तृत नियोजन को प्राथमिकता देने, भूमि अधिग्रहण** जैसी बाधाओं को दूर करने तथा **विशेष परियोजना प्रबंधन दल** तैनात करने की आवश्यकता है। तेज़ी से निष्पादन के लिये समय पर अनुमोदन और मंजूरी सुनिश्चित करने के लिये **नौकरशाही प्रक्रियाओं** को सुव्यवस्थित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना: पारदर्शिता और गोपनीयता** सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत **साइबर सुरक्षा उपायों** और **स्पष्ट शासन ढाँचे** के साथ एक **व्यापक डेटा सुरक्षा नीति** स्थापित करना।
  - इसके अलावा, विश्वास बनाने और डेटा के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिये सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **स्थिरता और दीर्घकालिक योजना:** स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को नियोजन में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विचारों को एकीकृत करके **स्थिरता को प्राथमिकता** देनी चाहिये।
  - स्मार्ट सिटी बुनियादी ढाँचे की दीर्घायु और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करने के लिये दीर्घकालिक **संचालन और रखरखाव (O&M) रणनीतियों** का विकास महत्त्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

छोटे शहरों में थर्ड-पार्टी असेसमेंट और क्षमता निर्माण के लिये सिफारिशें स्मार्ट सिटीज़ मिशन में मज़बूत तंत्र की आवश्यकता को उजागर करती हैं। समय पर हस्तक्षेप, शासन सुधार और प्रभाव आकलन से कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि मौजूदा चुनौतियों का समाधान कर सकती है और भारत में अधिक समावेशी और प्रभावी शहरी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये उपाय सुझाएँ और सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने में मिशन की प्रभावशीलता सुनिश्चित कीजिये।

DRDO का 67वाँ स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** का **67वाँ स्थापना दिवस** मनाया गया और **भारत के मिसाइल मैन,** पूर्व राष्ट्रपति **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

- इस कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षमताओं के वर्द्धन में DRDO द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

DRDO से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: DRDO की स्थापना 1958** में भारतीय सेना के **तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDE), तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (DTDP)** और **रक्षा विज्ञान संगठन (DSO)** का संयोजन करके की गई थी।
  - DRDO भारत सरकार के **रक्षा मंत्रालय** का अनुसंधान एवं विकास विंग है।
  - आरंभ में DRDO के पास 10 प्रयोगशालाएँ थीं, वर्तमान में यह 41 प्रयोगशालाओं और 5 **DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (DYSL)** का संचालन करता है।
- **सिद्धांत:** DRDO का मार्गदर्शक सिद्धांत **"*बलस्य मूलं विज्ञानम्*" (शक्ति विज्ञान में निहित है) है,** जो राष्ट्र को शांति और युद्ध दोनों ही स्थिति में मार्गदर्शित करता है।
- **मिशन:** इसका मिशन तीनों सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करते हुए **महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों में आत्मनिर्भर** होना है।
- **DRDO के प्रौद्योगिकी क्लस्टर:** DRDO की व्यापक समीक्षा करने के लिये वर्ष 2007 में **डॉ. पी. रामा राव** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
  - **इसके परिणामस्वरूप सात प्रौद्योगिकी डोमेन-आधारित क्लस्टरों** का निर्माण हुआ, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता एक महानिदेशक करता है।
  - **एयरोनॉटिक्स सिस्टम (Aero):** यह क्लस्टर अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV), एयरोस्टेट्स और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास पर कार्य करता है।
  - **मिसाइल और सामरिक प्रणालियाँ (MSS):** यह क्लस्टर लंबी और कम दूरी की मिसाइलों सहित मिसाइल प्रणालियों और संबंधित प्रौद्योगिकियों का विकास करता है।
  - **नौसेना प्रणाली और सामग्री (NSM):** यह क्लस्टर नौसेना प्लेटफार्मों, सोनार प्रणालियों और पनडुब्बी प्रौद्योगिकियों सहित जलस्थ प्रणालियों पर कार्य करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (MED) और कम्प्यूटेशनल सिस्टम (CoS):** यह क्लस्टर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सुरक्षा के रक्षा अनुप्रयोगों पर केंद्रित है।
- **आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम (ACE):** इसमें आयुध, गोला-बारूद, विस्फोटक और लड़ाकू वाहनों का विकास शामिल है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली (ECS):** यह क्लस्टर सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, संचार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता रखता है।
- **सैनिक सहायता प्रणाली (SSS):** यह क्लस्टर सशस्त्र बलों को उन्नत हथियार प्रणालियों से सुसज्जित करने के साथ-साथ कार्मिकों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और पोषण संबंधी स्वास्थ्य को भी अनुकूलतम बनाने का कार्य करता है।

- **DRDO की प्रमुख उपलब्धियाँ:**
  - **2024 में DRDO की उपलब्धियाँ:**
    - प्रदत्त प्रणालियाँ: DRDO ने कई उन्नत प्रणालियाँ सौंपीं, जिनमें उल्लेखनीय प्रणालियाँ निम्नवत हैं:
  - **वायु रक्षा प्रणालियाँ:** **वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार (ADTCR), वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार (ADFCR)।**
  - **मिसाइल प्रणालियाँ:** **लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल (LR-LACM), सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल प्रणाली (QRSAM)** और **मध्यम दूरी की एंटी-शिप मिसाइल (MRAshM)।**
  - **उन्नत प्लेटफार्म:** मल्टी-मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट (MMMA), सिग्नल इंटेलिजेंस और कॉमजैम एयरक्राफ्ट (SCA) और **एंटी-टैंक इन्फ्लुएंस माइन PRACHAND।**
  - **ए.आई. टूल:** DRDO ने **'दिव्य दृष्टि'** नामक एआई. टूल विकसित किया है, जो चेहरे की पहचान को **अपरिवर्त्य शारीरिक लक्षणों** जैसे चाल (चलने का तरीका) और अस्थि **के साथ एकीकृत करता है।**
  - **प्रमुख कार्यक्रम:** दो प्रमुख कार्यक्रम- **उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) का फुल-स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट (FSED)** और **आंध्र प्रदेश में एक मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना,** को **सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS)** द्वारा स्वीकृति दी गई।
  - **मिसाइल प्रणालियाँ:**
    - हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल: MICA, अस्त्र मिसाइल
    - सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें: त्रिशूल, आकाश, बराक 8
    - **सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें: अग्नि, पृथ्वी, धनुष, शौर्य**
    - **क्रूज़ मिसाइलें: ब्रह्मोस, निर्भय**
  - **लड़ाकू विमान: स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान (LCA) तेजस।**
  - **रॉकेट प्रणालियाँ:** मल्टी बैरल रॉकेट लांचर पिनाका।
  - **नौसेना प्रणालियाँ: हम्सा,** नागान (सोनार प्रणाली), उशुस (पनडुब्बी सोनार सुइट), मिहिर (हेलीकॉप्टर सोनार प्रणाली)।
  - **मुख्य युद्धक टैंक: अर्जुन**
  - **मानवरहित हवाई प्रणालियाँ (UAS):**
    - **लक्ष्य:** प्रशिक्षण के लिये पुन: प्रयोज्य हवाई लक्ष्य प्रणाली, जिसे भूमि/जहाज से लक्ष्यों के साथ प्रक्षेपित किया जा सकता है।
    - **निशांत:** स्वायत्त उड़ान और पैराशूट रिकवरी के साथ निगरानी एवं तोपखाने के सुधार हेतु बहु-मिशन **UAV।**

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का DRDO में क्या योगदान है?

- **IGMDP में नेतृत्व: डॉ. कलाम ने वर्ष 1983** में शुरू किए गए **एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)** के निर्माण एवं कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - **उनके नेतृत्व में पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग एवं अग्नि मिसाइलों** का सफल विकास हुआ, जिससे भारत **मिसाइल**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निर्माता देशों के विशिष्ट समूह का सदस्य बन गया तथा उन्हें **'भारत के मिसाइल मैन'** की उपाधि मिली।

- डॉ. कलाम के नेतृत्व में, DRDO ने **प्रणोदन, नेविगेशन, नियंत्रण प्रणाली तथा वायुगतिकी जैसी मिसाइल प्रौद्योगिकियों में सफलता** हासिल की, जिससे **स्वदेशी मिसाइल प्रणालियाँ** विकसित हुईं एवं विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हुई।

- **एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम:** IGMDP, वर्ष 1982-1983 में **डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम** के नेतृत्व में **भारतीय रक्षा मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य मिसाइलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर अनुसंधान और विकास करना था।
  - इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य **आयात पर निर्भरता को कम करना तथा** प्रणोदन, नौवहन एवं नियंत्रण प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी विशेषज्ञता को बढ़ावा देना था।
  - **इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग एवं अग्नि** जैसी प्रमुख मिसाइल प्रणालियों का विकास हुआ।
  - IGMDP के तहत कई प्रमुख तकनीकी लाभ मिलने के साथ भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता में मज़बूती आई। इसके साथ **'मेक इन इंडिया' पहल** के समन्वय से **रक्षा-औद्योगिक आधार** के विकास में योगदान मिला।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बारे में मुख्य तथ्य

- **जन्म:** डॉ. अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म **15 अक्टूबर 1931 को** रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ।
- **राष्ट्रपति: वर्ष 2002 से 2007** तक इन्होंने भारत के **11वें राष्ट्रपति** के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- **पुरस्कार: पद्म भूषण (1981), पद्म विभूषण (1990)** और **भारत रत्न** (1997)।
- **साहित्यिक कृतियाँ:** *विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 - ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स*।

- **योगदान:**
  - **इसरो:** वह भारत के **पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV-III)** के परियोजना निदेशक थे।
  - **रोहिणी उपग्रह** को पृथ्वी की निम्न कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित (जुलाई 1980) करने में भूमिका निभाई।
  - इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से **PSLV (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान)** के संदर्भ में।
  - **इसरो में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ फाइबरग्लास प्रौद्योगिकी** के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई।
  - **पोखरण-II: परमाणु ऊर्जा विभाग** के सहयोग से भारत के परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया, जिससे भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना।
  - **पोखरण-II:** डॉ. कलाम ने **वर्ष 1998 में पोखरण-II परमाणु परीक्षण** का नेतृत्व किया, जिसमें **परमाणु ऊर्जा विभाग** का सहयोग प्राप्त था।
  - **विज़न 2020:** भारत को वर्ष 2020 तक विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदलने के लिये एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तावित की।
  - **कलाम-राजू स्टेंट: हृदय रोग विशेषज्ञ बी. सोमा राजू के साथ** मिलकर इन्होंने कोरोनरी हृदय रोग के लिये एक किफायती स्टेंट विकसित करने में भूमिका निभाई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के विशेष संदर्भ के साथ, रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में DRDO की भूमिका पर चर्चा कीजिये

UJALA और SLNP के 10 वर्ष

चर्चा में क्यों?

ऊर्जा दक्षता की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई **UJALA (उन्नत ज्योति बाय एफॉर्डेबल LEDs फॉर ऑल) योजना** के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं।

- यह योजना घरेलू प्रकाश व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने एवं ऊर्जा के उपयोग को दक्ष बनाने के साथ भारत के सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भूमिका निभा रही है।
- **उजाला के साथ शुरू किए गए** स्ट्रीट **लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP)** का उद्देश्य पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा-कुशल **लाइट एमिटिंग डायोड (LED)** से बदलना है।

उजाला योजना के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **उजाला योजना:** इसे **पारंपरिक प्रकाश प्रणालियों (तापदीप्त लैंप (ICL) और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) को ऊर्जा-बचत वाले LED बल्बों** से प्रतिस्थापित करने के साथ ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के क्रम में **जनवरी 2015** में प्रारंभ किया गया था।
  - यह योजना भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, **केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL)** और **DISCOM (वितरण कंपनियों)** के बीच एक संयुक्त परियोजना है।
- **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य 77 करोड़ पारंपरिक बल्बों एवं 3.5 करोड़ स्ट्रीट लाइटों को LED से **बदलकर 85 लाख किलोवाट प्रतिघंटे विद्युत का उपयोग कम करने के साथ** 15,000 टन **कार्बन डाइऑक्साइड (CO2)** को कम करना है।
- **उजाला की आवश्यकता:** भारत में आवासीय विद्युत उपयोग का लगभग 18-27% हिस्सा प्रकाश व्यवस्था पर खर्च होता है।
- वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय घरों में लगभग **एक अरब प्रकाश यूनिट** का उपयोग किया गया, **जिनमें से अधिकांश CFL (46%)** एवं ट्यूब लाइट (41%) की भागीदारी थी। **केवल 0.4% ने LED बल्ब** का उपयोग किया।
  - **LED की दक्षता:** LED, ICL की तुलना में 90% तक और CFL की तुलना में 50% तक **ऊर्जा दक्ष** है।
  - LED बल्ब में **तापदीप्त बल्बों की तुलना में 75% तक कम ऊर्जा** का उपयोग होता है तथा **25 गुना अधिक समय तक** यह चलते हैं लेकिन इनमें उच्च प्रारंभिक लागत एक बड़ी बाधा है।
- **UJALA की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **सब्सिडी वाले LED बल्ब:** उजाला के तहत वितरित LED बल्बों की कीमत वर्ष 2014 में 450 रुपए की तुलना में घटकर 70 रुपए प्रति LED बल्ब कर हो गई।
  - **वितरण तंत्र:** बल्बों का वितरण **मांग एकत्रीकरण-मूल्य क्रैश मॉडल** (कीमतों को कम करने के लिए थोक खरीद) के माध्यम से किया जाता है।
    - वर्ष 2015 में EESL ने बड़े पैमाने पर LED लैंप खरीद के लिए खुली बोलियाँ आमंत्रित कीं एवं वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को शामिल किया।
- **प्रगति एवं उपलब्धियाँ:** देश भर में 36.87 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप:
  - **ऊर्जा बचत:** प्रतिवर्ष 47,883 मिलियन kWh ऊर्जा की बचत हुई है।
  - **लागत बचत:** प्रतिवर्ष 19,153 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
  - **CO2 में कमी:** प्रतिवर्ष 3.88 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है।
  - **अधिकतम मांग से बचाव:** 9,586 मेगावाट की अधिकतम मांग को रोका जा सका है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नोट:

- ग्रामीण परिवारों के लिए **मार्च 2021 में ग्राम उजाला योजना** शुरू की गई थी, जिसमें पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिये गए थे।
- **चरण-I** के अंतर्गत **1.5 करोड़ एलईडी बल्ब** वितरित करने का लक्ष्य था, जिससे 2025 मिलियन kWh/वर्ष ऊर्जा की बचत के साथ प्रतिवर्ष 1.65 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन कमी का लक्ष्य रखा गया।

स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (SLNP) से जुड़े प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **SLNP के बारे में: इसके प्रमुख उद्देश्यों में** सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिये ऊर्जा की खपत और परिचालन लागत को कम करना तथा ऊर्जा-कुशल उपकरणों के प्रति बाज़ार में बदलाव को बढ़ावा देना शामिल है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: EESL को इस कार्यक्रम के लिये** कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया, जो **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)**, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों (GP) और केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ सहयोग करते हुए पूरे भारत में SLNP को कार्यान्वित करने में सबसे आगे रहा है।
- **व्यवसाय मॉडल:** SLNP ने एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें EESL प्रारंभिक लागतों को वहन करता है तथा परियोजना अवधी के दौरान **नगर पालिकाओं द्वारा मासिक या त्रैमासिक भुगतान के माध्यम से निवेश की भरपाई** करता है।
  - EESL, 95% से अधिक अपटाइम प्रदान करते हुए **LED स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव सुनिश्चित करता है,** जो सार्वजनिक सुरक्षा को महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि करता है तथा स्थानीय बजट पर बोझ डाले बिना विश्वसनीय नगरपालिका सेवाएँ सुनिश्चित करता है।
- **उपलब्धियाँ:**

ICLs, CFLs और LEDs के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

विशेषता	तापदीप्त लैंप (ICLs)	कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (CFLs)	प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LEDs)
ऊर्जा दक्षता	निम्न	मध्यम	उच्च
विद्युत की खपत	उच्च	मध्यम	निम्न
बल्ब की कीमत	निम्न (प्रारंभिक लागत)	मध्यम	उच्च (प्रारंभिक लागत)
ऊष्मा उत्सर्जन	उच्च	मध्यम	बहुत कम
पर्यावरणीय प्रभाव	उच्च (ऊर्जा के अपव्यय के कारण अधिक CO2 उत्पन्न होती है)	मध्यम (इसमें थोड़ी मात्रा में पारा/मर्करी होता है)	निम्न (कोई हानिकारक उत्सर्जन नहीं)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

रंग विकल्प	तप्त श्वेत	अतप्त श्वेत, तप्त श्वेत	तप्त श्वेत, अतप्त श्वेत, RGB
स्थानित्व	कमज़ोर	आईसीएल की तुलना में अधिक टिकाऊ	बहुत टिकाऊ, प्रभाव प्रतिरोधी
प्रकाश दिशा	सर्वदिशात्मक	सर्वदिशात्मक	दिशात्मक या सर्वदिशात्मक
रासायनिक संरचना	टंगस्टन फिलामेंट, अक्रिय गैस (आर्गन या नाइट्रोजन)	पारा वाष्प, फास्फोर कोटिंग	गैलियम नाइट्राइड (GaN), इंडियम गैलियम नाइट्राइड (InGaN), फॉस्फोरस (रंग के लिए)

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (EESL)

- EESL, वर्ष 2009 में स्थापित और **विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित** एक **सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (ESCO) है** जो ऊर्जा दक्षता समाधानों पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - ❖ EESL प्रकाश व्यवस्था, भवन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट मीटरिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों में **विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो क्रियान्वित करता है।**
- EESL ने अब तक **प्रतिवर्ष 47 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक ऊर्जा की बचत की है तथा कार्बन उत्सर्जन में 36.5 मिलियन टन की कमी की है।**
  - ❖ EESL, **राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**, REC **लिमिटेड** और **पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के संयुक्त उद्यम के रूप में काम करता है।

ऊर्जा दक्षता से संबंधित भारत की अन्य पहल

- **मानक और लेबलिंग (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो- BEE)**
- **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022**
- **संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता पर मिशन (NMEE)**
- **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP)**
- **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना (PAT)**
- **ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC)**

निष्कर्ष

उजाला योजना और स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (SLNP) ने **भारत के ऊर्जा दक्षता और स्थिरता लक्ष्यों को महत्त्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया** है। इन पहलों के कारण ऊर्जा का उपयोग कम हुआ है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है, साथ ही आर्थिक बचत भी हुई है। ये पहल हरित, ऊर्जा-कुशल भविष्य को बढ़ावा देने में सरकार के नेतृत्व वाले प्रयासों के प्रभाव को दर्शाती हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में ऊर्जा दक्षता चुनौतियों का समाधान करने में उजाला और स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं जैसी सरकार द्वारा संचालित पहलों की भूमिका का परीक्षण कीजिये।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधायी समीक्षा का आह्वान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** द्वारा **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81** के तहत 45 दिन की सीमा के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए **कानूनों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये समय-समय पर विधायी समीक्षा** की आवश्यकता पर बल दिया।

- इसमें **कानूनों का मूल्यांकन करने तथा कमियों या बाधाओं की पहचान करने** के लिये **एक विशेषज्ञ तंत्र की आवश्यकता** पर प्रकाश डाला गया तथा प्रत्येक 20, 25 या 50 वर्ष में समीक्षा का प्रस्ताव रखा गया।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951:

- **RPA, 1951** का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर निर्वाचन प्रणाली को विनियमित करना है ।
- **RPA अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:**
  - ❖ इसमें **लोकसभा, राज्य विधानसभाओं** तथा **राज्य विधान परिषदों** के लिये सीटों के आवंटन की रूपरेखा दी गई है ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह अधिनियम निर्वाचन के प्रयोजनार्थ **निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन** को नियंत्रित करता है।
- यह **मतदाताओं की योग्यता एवं अयोग्यता को निर्दिष्ट** करता है तथा **मतदाता सूची तैयार करने** के लिये रूपरेखा प्रदान करता है ।

- **अधिनियम 1951** की **धारा 81** में प्रावधान है कि परिणाम की घोषणा के **45 दिनों** के भीतर परिणाम को चुनौती देने वाली **निर्वाचन याचिका दायर** की जानी चाहिये।
  - यह **अवैध प्रथाओं, भ्रष्टाचार** या **निर्वाचन विधियों के उल्लंघन** जैसे आधारों पर दायर किया जा सकता है और इसे निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले **उच्च न्यायालय** में दायर किया जाना चाहिये।

विधायिका द्वारा कानूनों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता क्यों है?

- **कमियों की पहचान करना:** चूँकि बदलती परिस्थितियों के कारण समय के साथ कानून प्रासंगिकता खो सकते हैं, इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये नियमित समीक्षा आवश्यक है कि वे अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करते हैं और आवश्यक संशोधन या निरसन की अनुमति देते हैं।
  - **उदाहरण: आईटी अधिनियम, 2000** में उन साइबर अपराधों से निपटने के लिये संशोधन किया गया जो पूर्व में प्रचलित नहीं थे।
- **कानून की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना:** समय-समय पर समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि **कानून प्रासंगिक, प्रभावी और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप** बने रहे। वे कानूनी प्रभावकारिता और सार्वजनिक हित पर ध्यान केंद्रित करने को सुनिश्चित करते हुए, जल्दबाज़ी में या **राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित कानूनों को भी संबोधित** करते हैं।
- **उदाहरण: बिहार** में **शराब विरोधी कानून** लागू होने से जमानत आवेदनों में वृद्धि हुई और राज्य की न्यायपालिका के दबाव में वृद्धि हुई।
- इसी प्रकार, **राजस्थान में** नागरिक समाज संगठनों को **गौहत्या रोकने के लिये** संस्थाओं पर छापे मारने का अधिकार देने वाले कानून से **सत्ता के संभावित दुरुपयोग और संस्थागत अखंडता के उल्लंघन** के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई।
- **अनपेक्षित परिणामों को संबोधित करना:** आवधिक समीक्षा उन क्षेत्रों की पहचान कर सकती है जहाँ कानून अनजाने में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं ।
- उदाहरण के लिये, **जन प्रतिनिधि कानून, 1951** की **धारा 81** जो 45 दिन की सीमा प्रक्रियागत बाधाओं के कारण वैध निर्वाचन संबंधी विवादों को कम कर सकती है।
- **जवाबदेहिता में सुधार:** नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि **कानून अपने मूल उद्देश्यों एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप** बने रहें।
- उदाहरण के लिये, **भारतीय दंड संहिता** की **धारा 498A**, (जिसका मूल उद्देश्य महिलाओं को उनके पतियों या ससुराल वालों द्वारा **क्रूरता एवं उत्पीड़न** से बचाना था) की दुरुपयोग के लिये आलोचना की गई।
- **वैश्विक मानक:** कई लोकतांत्रिक राष्ट्र यह सुनिश्चित करने के लिये **नियमित विधायी समीक्षा** करते हैं, कि कानून अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं एवं मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप हों।
- उदाहरण के लिये, गोपनीयता एवं नागरिक स्वतंत्रता पर चिंताओं को दूर करने के लिये **अमेरिकी पैट्रियट अधिनियम में समय-समय पर संशोधन** किया गया है।

अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानूनों का आवधिक संशोधन

- **यूनाइटेड किंगडम: इंग्लैंड** तथा **वेल्स के विधि आयोग** को मौजूदा कानूनों की नियमित समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
  - इसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण कानूनी सुधार हुए हैं, जैसे कि **जादू-टोना अधिनियम, 1735** को निरस्त करना, जो पुरातन कानूनों के आधुनिकीकरण में इसकी भूमिका को दर्शाता है।
- **ऑस्ट्रेलिया:** ऑस्ट्रेलियाई विधि सुधार आयोग नियमित रूप से **कानूनी ढाँचे की व्यवस्थित समीक्षा** करता है और विधायी संशोधनों के लिये सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

❖ यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि समकालीन मुद्दों के समाधान में कानून प्रासंगिक एवं प्रभावी बने रहें।

कानूनों की आवधिक समीक्षा करने में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** विधायी समीक्षा कभी-कभी **राजनीतिक एजेंडों से प्रभावित** होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण संशोधन होते हैं, जो **सार्वजनिक कल्याण के स्थान पर निर्वाचन संबंधी हितों की पूर्ति** करते हैं, जिससे समीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता में कमी हो जाती है।
- **उदाहरण: कृषि कानूनों (2020)** की आलोचना इस बात के लिये की गई कि इनमें संकट के मूल कारणों को दूर करने के लिये भारत के कृषि बाज़ार में सुधार करने के स्थान पर किसानों की चिंताओं पर कॉर्पोरेट हितों को तरजीह दी गई ।
- **न्यायिक अतिक्रमण:** कभी-कभी, न्यायपालिका पर कानूनों की समीक्षा करते समय अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने तथा समीक्षा प्रक्रिया के सुचारू संचालन को प्रभावित करने का आरोप लगाया जा सकता है।
- **उदाहरण: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)** मामले (वर्ष 2015) में, जहाँ **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NJAC अधिनियम** को रद्द कर दिया, जिसका उद्देश्य कार्यपालिका को शामिल करके न्यायिक नियुक्तियों में सुधार करना था।
- **कानूनी जटिलता:** कई कानून एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, और साथ ही **अलग-अलग संशोधनों से अनपेक्षित परिणाम** हो सकते हैं या मौजूदा कानून के साथ टकराव हो सकता है, जिससे समीक्षा प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
- **उदाहरण: POCSO अधिनियम** तथा **IPC** के तहत **चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कानूनी प्रावधानों में विसंगतियाँ**।
- **सीमित सार्वजनिक भागीदारी:**
  - ❖ विधायी प्रक्रियाओं और विधिक पहलुओं के बारे में लोगों की समझ **सीमित** होने से समीक्षा प्रक्रिया का प्रभाव सीमित हो जाता है।
  - ❖ **उदाहरण: आपराधिक कानूनों में सुधार** के लिये गठित **रणबीर सिंह समिति** की कानूनी सुधारों के लिये परामर्श प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बहुत सीमित थी, जिससे सुधारों की समावेशिता एवं व्यापकता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।

भारत में विधिक सुधार से संबंधित संस्थाएँ

- **प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)**
- **राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC)**
- **डॉ. रणबीर सिंह के नेतृत्व में आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति (2020)।**
- **भारत का विधि आयोग**

आगे की राह

- **भारत के विधि आयोग को मज़बूत बनाना:** चूंकि भारत में आवधिक विधायी समीक्षा के लिये समर्पित निकायों का अभाव है, इसलिये **भारतीय विधि आयोग** जैसी संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता एवं संसाधनों के साथ मज़बूत बनाने से विधिक सुधारों की गुणवत्ता एवं स्थिरता में वृद्धि हो सकती है।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** प्रौद्योगिकी से समीक्षा प्रक्रिया उन्नत हो सकती है।
  - ❖ सार्वजनिक परामर्श के लिये **MyGov** जैसे प्लेटफॉर्म एवं कानून की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु **AI जैसे उपकरण,** विधि निर्माण में दक्षता के साथ नागरिक सहभागिता में सुधार कर सकते हैं।
- **संसाधन आवंटन:** सरकार को कार्यान्वयन में सुधार के क्रम में सिविल सेवकों, न्यायाधीशों और कानून प्रवर्तकों के लिये विधिक सुधारों, समीक्षाओं और **क्षमता निर्माण कार्यक्रमों** हेतु समर्पित बजट आवंटित करना चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना:** भारत को अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना (जैसा कि **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** के मामले में देखा गया है) चाहिये, ताकि पर्यावरण और प्रौद्योगिकी प्रशासन जैसे क्षेत्रों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।

भारत का विधि आयोग

- यह **विधिक सुधारों पर शोध करने एवं सिफारिश करने** के लिये एक **गैर-सांविधिक सलाहकार निकाय** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह एक **निश्चित कार्यकाल** तक कार्य करता है तथा सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है।
- प्रथम विधि आयोग **चार्टर अधिनियम,1833** के तहत **वर्ष 1834 में गठित** हुआ था, जिसकी अध्यक्षता **लॉर्ड मैकाले** ने की थी। इसके द्वारा **भारतीय दंड संहिता (IPC)** और **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)** के संहिताकरण की सिफारिश की गई थी।
- स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग **वर्ष 1955 में गठित** किया गया था, जिसके अध्यक्ष **एम.सी.सीतलवाड़** थे।
- सितंबर 2024 में **23वें विधि आयोग** का गठन तीन वर्ष की अवधि (1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक) के लिये किया गया।
- यह अप्रचलित विधियों को निरस्त करने की **समीक्षा एवं सिफारिश** करने तथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों को लागू करने हेतु नए कानून का प्रस्ताव करने के साथ **न्यायिक प्रशासन के मुद्दों पर** सरकार को सिफारिशें देता है।

निष्कर्ष

समय-समय पर विधायी समीक्षा को संस्थागत रूप देकर, भारत एक गतिशील विधिक ढाँचे को बढ़ावा दे सकता है जिससे सामाजिक आवश्यकताओं, लोकतांत्रिक आदर्शों एवं वैश्विक मानकों को पूरा किया जा सके। न्यायिक घोषणाएँ और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ इस प्रयास में मार्गदर्शक मानदंड के रूप में कार्य करती हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में समय-समय पर विधायी समीक्षा क्यों आवश्यक है तथा कौन सी चुनौतियाँ इसके कार्यान्वयन में बाधक हैं?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विद्युत अधिनियम, 2022 को रद्द किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ***वृंदावन हाइड्रोपॉवर प्राइवेट लिमिटेड मामले 2024*** **में,** कर्नाटक **उच्च न्यायालय ने केंद्र** सरकार द्वारा तैयार किये गए **विद्युत (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 (GEOA नियम, 2022) को** रद्द कर दिया है।

- न्यायालय ने कर्नाटक विनियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिये नियम और शर्तें) विनियम, 2022 को भी रद्द **कर दिया,** जिसे **कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (KERC) ने** अब अमान्य हो चुके **GEOA नियम 2022 के आधार पर तैयार किया था।**

मामले से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **याचिकाकर्त्ताओं की दलीलें:** जलविद्युत कंपनियों ने **GEOA नियम 2022 को चुनौती दी,** जिसमें कहा गया कि यह नियम **विद्युत अधिनियम, 2003** की **धारा 42(2) और 181 के** तहत नियम बनाने के **KERC के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है।**
- **केंद्र का बचाव:** केंद्र सरकार ने **संघ सूची की प्रविष्टि 14 समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38** और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 (1) के तहत अपनी शक्तियों का हवाला देते हुए नियमों का बचाव किया।
  - इसने दावा किया कि **ग्लासगो शिखर सम्मेलन 2021** में **COP26 प्रतिबद्धताओं** के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि के दायित्वों को पूरा करने के लिये ये नियम **आवश्यक थे।**
- **रद्द करने का कारण:** न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार के पास विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ऐसे नियम बनाने का **अधिकार नहीं है, क्योंकि ये शक्तियाँ KERC जैसे राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को सौंपी गई हैं।**
  - न्यायालय ने कहा कि केंद्र विनियामक ढाँचे को दरकिनार करने के लिये **अवशिष्ट शक्ति के रूप में धारा 176(2) का उपयोग नहीं कर सकता।**
  - विद्युत अधिनियम, 2003 यह सुनिश्चित करता है कि **टैरिफ निर्धारण और ओपन एक्सेस प्रावधानों** समेत **विनियामक शक्तियों का** प्रयोग, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त, स्वतंत्र नियामक आयोगों द्वारा किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नोट:

- **विद्युत नीति, 2005 में ओपन एक्सेस को** सुगम बनाने की ज़िम्मेदारी सीधे **राज्य नियामक आयोगों** पर डाली गई है।
- **विद्युत अधिनियम, 2003:**
  - **धारा 42(2):** इस धारा के अंतर्गत **लाइसेंसधारियों के वितरण के लिये ओपन एक्सेस** पर **उपयुक्त आयोग को विशेष अधिकार सौंपा गया।**
  - **धारा 181:** राज्य आयोग **विद्युत अधिनियम, 2003** और उसके प्रावधानों को लागू करने के लिये उसके नियमों के अनुरूप विनियम जारी कर सकते हैं।
  - **धारा 176(1):** केंद्र **सरकार** इस अधिनियम, 2003 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
  - **धारा 176(2): इसमें उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्यों के लिये नियम बनाने** का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्य और कर्त्तव्य।
- **संघ सूची की प्रविष्टि 14:** यह **विदेशी देशों** के साथ **संधियाँ और समझौते करने** तथा विदेशी देशों के साथ **संधियों, समझौतों और अभिसमयों को क्रियान्वित करने से संबंधित है।**
- **समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38:** भारत के संविधान की **सातवीं अनुसूची** की सूची-III की प्रविष्टि 38 में विद्युत एक **समवर्ती विषय है।**
  - **विद्युत मंत्रालय** देश में **विद्युत ऊर्जा** के विकास के लिये मुख्य रूप से ज़िम्मेदार है।

GEOA नियम, 2022 क्या हैं?

- **परिचय:** इसे भारत के महत्त्वाकांक्षी **नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिये अधिसूचित किया गया था,** जिसका उद्देश्य **ओपन एक्सेस** के माध्यम से सभी के लिये **सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है।**
  - ओपन एक्सेस से तात्पर्य **उपभोक्ता** अपने आपूर्ति क्षेत्र के **वितरण लाइसेंसधारी के अतिरिक्त** किसी अन्य व्यक्ति से भी **विद्युत** खरीद सकता है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **ग्रीन एनर्जी:** यह **अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों** से ऊर्जा समेत हरित ऊर्जा के **उत्पादन खरीद और खपत को बढ़ावा देता है।**
  - **निम्न सीमा:** ओपन एक्सेस संव्यवहार की सीमा **1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई,** जिससे **छोटे उपभोक्ताओं को** नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की अनुमति मिल गई।
  - **ग्रीन एनर्जी की मांग करने का अधिकार:** उपभोक्ताओं को **डिस्कॉम** से हरित ऊर्जा **मांगने का अधिकार है,** जिन्हें **इसकी आपूर्ति करनी होगी।**
  - **एक समान RPO:** एक समान **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO)** सभी दायित्वपूर्ण संस्थाओं पर लागू होता है, जिसमें **ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया** भी शामिल है।
    - RPO के अंतर्गत **डिस्कॉम** जैसी बाध्य संस्थाओं को विद्युत का एक **निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा (RE)** स्रोतों से खरीदना **अनिवार्य किया गया है।**
  - **हरित प्रमाणपत्र:** हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को **मान्यता के रूप में हरित प्रमाणपत्र प्राप्त होता है।**
    - **क्रॉस-सब्सिडी पर सीमा लगाना और अतिरिक्त अधिभार** हटाना जैसे प्रोत्साहन ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हैं।

भारत के विद्युत क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- भारत, **तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक और उपभोक्ता** (अप्रैल 2024 तक 442.85 गीगावाट), ने वित्त वर्ष 23 में विद्युत की खपत में 9.5% की वृद्धि देखी।
  - **ऊर्जा परियोजनाएँ 111 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढाँचा पाइपलाइन** का 24% हिस्सा निर्माण करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

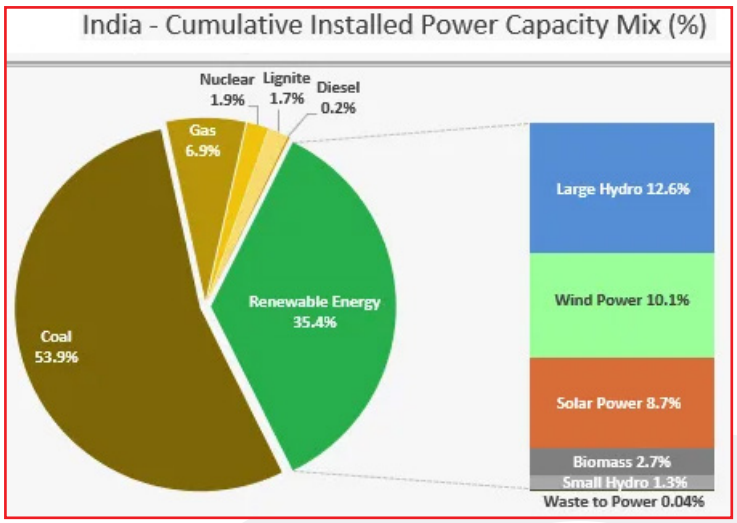

- वित्त वर्ष 2023 में समग्र **तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C)** घाटा **15.4% रहने का अनुमान है।**
  - **पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)** के अंतर्गत भारत का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर AT&C घाटे को **12-15% तक कम करना है।**
- **विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति:**
  - **किरीट पारीख समिति (2022):** विद्युत उत्पादन से संबंधित **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिये मूल्य निर्धारण सुधारों की सिफारिश की गई।**
  - **अशोक चावला समिति (2011):** विद्युत उत्पादन के लिये कोयला एवं प्राकृतिक गैस समेत **संसाधन आवंटन का** अध्ययन किया गया।
  - **दीपक पारेख समिति (2008): विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये उपाय सुझाए गए।**

भारत का अद्यतन NDC लक्ष्य

- **COP26 ग्लासगो शिखर सम्मेलन 2021** में भारत ने पाँच-आयामी **"पंचमित्र"** जलवायु कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए वर्ष **2070 तक उत्सर्जन को शून्य तक** कम करने का संकल्प लिया।
  - **वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट** गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना।
  - वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का **50% नवीकरणीय स्रोतों से** प्राप्त करना।
  - वर्ष 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में **1 बिलियन टन की कमी लाना।**
  - वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की **कार्बन तीव्रता में 45% की** कमी लाना।
  - **वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य** उत्सर्जन तक पहुँचना।

निष्कर्ष

कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय **विद्युत अधिनियम, 2003** के अनुपालन की आवश्यकता को **रेखांकित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ओपन एक्सेस को विनियमित करने** की शक्ति राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के पास बनी रहे। यह निर्णय केंद्रीय नीतियों और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन को उजागर करता है, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र के शासन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. COP26 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं और राष्ट्रीय ऊर्जा नीतियों पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।

फेक न्यूज़ के खिलाफ सामुदायिक नोट्स कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी **मेटा** मेटा द्वारा अपने तृतीय-पक्ष पेशेवर तथ्य-जाँच कार्यक्रम को समाप्त करने के साथ इसे एलन मस्क के X प्लेटफॉर्म के समान सामुदायिक नोट्स कार्यक्रम के साथ रूपांतरित किया गया है।

- मेटा के अनुसार तथ्य-जाँच करने वाले संगठनों द्वारा **पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार** किया गया है और **सामुदायिक नोट्स कार्यक्रम** से पक्षपात की आशंका कम होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तथ्य-जाँचकर्त्ताओं के स्थान पर समुदाय-आधारित नेटवर्क लाने से **भारत में फेक न्यूज़ में वृद्धि** हो सकती है।

सामुदायिक नोट्स कार्यक्रम क्या है?

- **परिचय:** यह **X की एक पहल** है, जिसका उद्देश्य फेक न्यूज़ का मुकाबला करना तथा **उपयोगकर्त्ता-जनित संदर्भ के माध्यम** से सामग्री की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
  - यह केवल केंद्रीकृत मॉडरेशन टीमों पर निर्भर रहने के बजाय **उपयोगकर्त्ताओं को सशक्त** बनाने पर केंद्रित है।
  - कम्युनिटी नोट्स को पहली बार **वर्ष 2021 में ट्विटर द्वारा 'बर्डवॉच'** नामक कार्यक्रम के रूप में **शुरू** किया गया था।
- **कार्य:** उपयोगकर्त्ता उन पोस्ट पर नोट्स प्रदान करते हैं जिनमें **स्पष्टीकरण या अतिरिक्त संदर्भ** की आवश्यकता होती है।
  - नोट्स केवल तभी दिखाई देते हैं जब विविध समूह उनकी सटीकता एवं **उपयोगिता पर सहमत** हो जाते हैं।
- **एल्गोरिदमिक समीक्षा: रेटिंग प्रणाली** से यह सुनिश्चित होता है कि केवल सबसे **संतुलित एवं व्यापक रूप से समर्थित** नोट ही सार्वजनिक रूप से दिखाई दें। इससे **पक्षपात को कम करने तथा निष्पक्षता सुनिश्चित** करने में मदद मिलती है।
- **कोई संपादकीय निरीक्षण नहीं:** पारंपरिक तथ्य-जाँच या मॉडरेशन के विपरीत, नोट्स को प्लेटफॉर्म कर्मचारियों द्वारा **संपादित या क्यूरेट नहीं** किया जाता है **बल्कि यह पूरी तरह से समुदाय** द्वारा संचालित हैं।

पेशेवर तथ्य जाँचकर्त्ता

- पेशेवर तथ्य-जाँचकर्त्ता ऐसे व्यक्ति या संगठन हैं **जो डिजिटल** दौर में **फेक न्यूज़ से निपटने** के लिये **सार्वजनिक दावों** का सत्यापन करते हैं।
  - भारत में मेटा द्वारा **15 भाषाओं में सामग्री को कवर करने वाले 11 स्वतंत्र,** प्रमाणित तथ्य-जाँच संगठनों के साथ सहयोग किया जाता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** पेशेवर तथ्य-जाँचकर्त्ता **प्रशिक्षित, स्वतंत्र तथा गैर-पक्षपाती** होते हैं जो पारदर्शी दावा सत्यापन के लिये **साक्ष्य-आधारित** तरीकों एवं **नैतिक संहिताओं का** उपयोग करते हैं।
- **प्रमुख उदाहरण:** अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में **पोलिटिफैक्ट, FactCheck.org और स्नोप्स शामिल** हैं जबकि भारत-विशिष्ट प्लेटफॉर्म में **ऑल्ट न्यूज़, फैक्टली और बूम लाइव** शामिल हैं।

भारत में सामुदायिक नोट्स कार्यक्रम के संबंध में क्या चिंताएं हैं?

- **फेक न्यूज़ के प्रति संवेदनशीलता:** पेशेवर तथ्य-जाँचकर्त्ताओं के बिना, **अप्रशिक्षित उपयोगकर्त्ताओं** को पूर्वाग्रहों तथा फेक न्यूज़ की पहचान करने में कठिनाई हो सकती है।
  - निगरानी के बगैर **राजनीतिक या पक्षपातपूर्ण सामग्री** प्रभावी हो सकती है, जो जनसंख्या के बड़े भाग को गुमराह कर सकती है।
- **उपयोगकर्त्ताओं पर ज़िम्मेदारी डालना:** उपयोगकर्त्ता द्वारा चिह्नित सामग्री से संबंधित **गलत आसूचना को दूर करने में विलंब हो सकता है,** क्योंकि कंपनियाँ **ज़िम्मेदारी को जनता पर डाल देती हैं,** जिसके परिणामस्वरूप **असंगतताएँ उत्पन्न होती हैं और फेक न्यूज़ के फैलने की** संभावना बढ़ जाती है।
- **वैचारिक पूर्वाग्रह:** तटस्थ तथ्य-जाँच के बिना सामग्री **राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण हो सकती है, जिससे हेरफेर और ध्रुवीकरण** को बढ़ावा मिल सकता है, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से आवेशित वातावरण में जो **बहुसंख्यकवादी विचारों को लागू कर सकता है।**
- **वित्तीय और तकनीकी चुनौतियाँ:** मेटा जैसे प्लेटफॉर्मों से समर्थन खोने से **तथ्य-जाँचकर्त्ताओं का दायरा सीमित हो सकता है, फेक न्यूज़ के विरुद्ध संघर्ष** कमज़ोर हो सकता है और सामग्री सत्यापन में अंतराल रह सकता है।
- **विविधता और संदर्भ:** भारत की **सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता** समुदाय-आधारित तथ्य-जाँच को चुनौतीपूर्ण बनाती है, क्योंकि इसकी व्याख्याएँ भिन्न हो सकती हैं।
  - जटिल मुद्दों की सटीक व्याख्या के लिये **पेशेवर विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है,** जो उपयोगकर्त्ता उपलब्ध नहीं करा सकते।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

तथ्य-जाँच क्यों आवश्यक है?

- **निष्पक्ष पत्रकारिता:** तथ्य-जाँच से **मीडिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है, पारदर्शिता बढ़ती है, तथा** झूठे दावों को सही करके और सटीक समाचार सुनिश्चित करके फेक न्यूज़ का सामना होता है, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर।
- **राजनीतिक अखंडता:** तथ्य-जाँच, फेक न्यूज़ का सामना करके और मतदाताओं को गुमराह करने से रोकने के लिये **राजनीतिक दावों की पुष्टि करके चुनावी अखंडता सुनिश्चित करती है।**
- **तकनीकी नवाचार: डीप फेक, वायरल अफवाहों और हेरफेर किये गए मीडिया** के उदय के कारण पेशेवर पत्रकारों को सामग्री की जाँच और सत्यापन की आवश्यकता होती है।
- **जवाबदेही: तथ्य-जाँचकर्त्ता अतिशयोक्ति या झूठ की** जाँच करके और उसे उज़ागर करके यह सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग सच्चाई के उच्च मानकों पर खरे उतरें।

भारत में फेक न्यूज़ के लोकप्रिय उदाहरण

- **वर्ष 2013 में मुज़फ्फरनगर में हुए दंगों में** फर्जी वीडियो के कारण सांप्रदायिक भावनाएँ भड़क उठीं
- **यूनेस्को ने 'जन गण मन'** को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान घोषित किया है (व्हाट्सएप के अनुसार)
- **2000 रुपए के नोट में GPS ट्रैकिंग नैनो चिप** (नवंबर 2016)
- **एक भारतीय राजनेता ने भारतीय सड़कों के LED-विद्युतीकरण को** दिखाने के लिये रूसी सड़कों की तस्वीर का इस्तेमाल किया
- गृह मंत्रालय (MHA) की वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय सीमा पर फ्लडलाइटिंग दिखाने के लिये **स्पेन-मोरक्को सीमा की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया**

फेक न्यूज़ से निपटने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **विधिक परिभाषा का अभाव:** अधिकांश देशों (भारत समेत), जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिये सुदृढ़ कानून वाले देश भी शामिल हैं, में **फेक न्यूज़ की स्पष्ट विधिक परिभाषा का अभाव है**, जिससे इसे प्रभावी रूप से विनियमित करने के प्रयास जटिल हो जाते हैं।
  - एक अध्ययन में पाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही सूचनाओं की तुलना में **झूठी खबरें 70% अधिक तीव्रता से फैलती हैं।**
- **विनियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन:** फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के प्रयासों को प्राय: **सेंसरशिप के रूप में देखे जाने का खतरा होता है,** जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और **कंटेंट मॉडरेशन संबंधी प्रथाओं पर विवाद उत्पन्न होता है।**
- **पुन: साझाकरण की निष्क्रियता:** उपयोगकर्त्ताओं की एक बड़ी संख्या **अनजाने में गैर-सत्यापित सामग्री साझा करती है,** जिससे दुर्भावनापूर्ण आशय के बगैर फेक न्यूज़ फैलती है, जिसे दंडात्मक उपायों से संबोधित करना कठिन होता है।
- **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही: सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण** के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सीमित है, जिससे उपयोगकर्त्ता-जनित सामग्री के लिये उन्हें उत्तरदायी ठहराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **भाषा और क्षेत्रीय विविधता: 22 से अधिक आधिकारिक भाषाओं** और **सैकड़ों बोलियों वाले** भारत को फेक न्यूज़ से निपटने में अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि **BBC के एक अध्ययन** (2019) से पता चला है कि फेक न्यूज़ प्राय: अंग्रेज़ी या हिंदी की तुलना में **क्षेत्रीय भाषाओं में तेज़ी से फैलती हैं।**
- **डीपफेक का उदय: डीपट्रेस लैब्स (2019)** के अनुसार ऑनलाइन डीपफेक वीडियो की संख्या **प्रत्येक 6 माह में दोगुनी हो गई,** जिसमें **96% फेक न्यूज़ या शोषण** से संबंधित थे।
  - **डीपफेक** टूल्स वर्तमान में **व्यापक रूप से सुलभ हैं,** जिससे दुर्भावनापूर्ण कर्त्ताओं की बाधाएँ कम हो गई हैं।

भारत में फेक न्यूज़ की रोकथाम से संबंधित क्या प्रावधान हैं?

- **भारतीय प्रेस परिषद (PCI): प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978** के अंतर्गत **मीडिया आउटलेट्स** द्वारा पेशेवर कदाचार

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

या फेक न्यूज़ प्रसारित करने की दशा में PCI को इनकी **परिनिंदा करने अथवा चेतावनी देने का अधिकार है।**

- **समाचार प्रसारणकर्ता संघ (NBA):** NBA एक स्व-नियामक निकाय है जो **निजी टेलीविजन समाचार चैनलों** पर प्रसारित सामग्री की गुणवत्ता और सटीकता पर **बेहतर नियंत्रण** सुनिश्चित करता है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC): हिंसा, सांप्रदायिक अशांति भड़काने या धार्मिक भावनाओं के अपमान संबंधी** फेक न्यूज़ से निपटने के लिये **IPC (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 153 और 295 का उपयोग किया जा सकता है।**
- **मानहानि कानून:** वह व्यक्ति जिसकी मानहानि हुई है, IPC की धारा 499 के तहत मामला दर्ज करा सकता है, जबकि **धारा 500** के तहत आपराधिक मानहानि के लिये दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में साइबर अपराधों जैसे **पहचान चोरी (धारा 66C), प्रतिरूपण द्वारा छल (धारा 66D), निजता उल्लंघन (धारा 66E),** अश्लील सामग्री के पारेषण (धारा 67) आदि संबंधी दंडों का प्रावधान है।

आगे की राह

- **बहुभाषी मॉडरेशन: क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में फेक न्यूज़ का** पता लगाने के लिये **ए.आई.-संचालित साधन** विकसित किये जाने चाहिये। क्षेत्रीय सामग्री की निगरानी में सुधार के लिये **भाषाविदों और स्थानीय तथ्य-जाँचकर्त्ताओं** के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।
- **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही: फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को,** विशेष रूप से चुनावों के दौरान, **फेक न्यूज़** के प्रसार को रोकने के लिये **सुदृढ़ मॉडरेशन प्रणाली** में निवेश कर जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिये।
- **नैतिक पत्रकारिता: संपादन संबंधी कड़े दिशा-निर्देशों का क्रियान्वन करना, सामग्री का स्वतंत्र ऑडिट करना** और फेक न्यूज़ प्रसारित करने के लिये पत्रकारों को जवाबदेह ठहराना मीडिया में विश्वास बनाए रखने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- **जन जागरूकता:** सरकारें और गैर सरकारी संगठन जनता को **फेक न्यूज़ के खतरों** और सूचना की पुष्टि करने के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान आयोजित कर सकते हैं, जिससे गलत सूचना के प्रसार को कम करने में मदद मिलेगी।
- **मीडिया साक्षरता कार्यक्रम: नागरिकों द्वारा डिजिटल साधनों का ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने हेतु स्कूल पाठ्यक्रम** के एक भाग के रूप में **मीडिया साक्षरता और समालोचनात्मक चिंतन** को शामिल किया जाना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. तथ्यों के प्रभावी जाँच तंत्र के क्रियान्वन में भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय अर्थव्यवस्था

बिज़नेस रेडी (B-रेडी) रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट के स्थान पर **बिज़नेस रेडी (B-रेडी) रिपोर्ट 2024** को लॉन्च किया है।

- **डेटा हेरफेर** के मुद्दों एवं कुछ रैंकिंग संबंधी **चिंताओं** के कारण वर्ष 2020 में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी।

बिज़नेस रेडी का क्या आशय है?

- **बेंचमार्किंग टूल: B-रेडी, निजी क्षेत्र के समावेशी विकास को** बढ़ावा देने के क्रम में वैश्विक कारोबारी माहौल का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है।
- **दस मुख्य विषय: B-रेडी** के तहत बाज़ार में प्रवेश, संचालन (या विस्तार) और समापन (या पुनर्गठन) सहित फर्म के संचालन चरणों को शामिल किया गया है।
  - इसके दस मुख्य विषयों में **व्यवसाय में प्रवेश, व्यवसाय का स्थान, उपयोगिता सेवाएँ, श्रम, वित्तीय सेवाएँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कराधान, विवाद समाधान, बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा और व्यवसाय दिवालियापन** शामिल हैं।
- **B-रेडी के स्तंभ:** प्रत्येक विषय हेतु B-रेडी के तहत तीन स्तंभों को शामिल किया गया है।
  - **स्तंभ I: नियामक ढाँचा**- इसमें उन **नियमों और विनियमों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है **जिनका फर्मों को अपने संचालन चरणों** के दौरान पालन करना चाहिये।
  - **स्तंभ II: सार्वजनिक सेवाएँ**- इसमें **सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ और बुनियादी ढाँचा** शामिल है जिसके तहत **विनियामक अनुपालन एवं व्यावसायिक गतिविधियों** का समर्थन करने के साथ **डिजिटलीकरण, अंतर-संचालन तथा पारदर्शिता** पर ज़ोर दिया जाता है।
  - **स्तंभ III: परिचालन दक्षता**- इसके तहत यह देखना शामिल है कि **फर्म कितनी आसानी से विनियमों का अनुपालन** करने के साथ अपने परिचालनों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं।
- **संकेतक: B-रेडी के तहत नीतिगत सुधार** के अवसरों की पहचान करने के क्रम में **1,200 संकेतकों का** विश्लेषण करना तथा प्रत्येक विषय के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिये प्राथमिक स्रोतों से डेटा का उपयोग करना शामिल है।
- **तीन विषयवस्तु:** B-रेडी के तहत 10 विषयों में से **तीन प्रमुख विषयों का मूल्यांकन** करना शामिल है।
  - **डिजिटल परिवेश अपनाना:** इसके तहत व्यावसायिक वातावरण में सरकारों और व्यवसायों द्वारा **डिजिटल एकीकरण का मूल्यांकन** करना शामिल है।
  - **पर्यावरणीय स्थिरता:** इसके तहत **स्थिरता** पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यावसायिक परिचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामक प्रावधानों का विश्लेषण करना शामिल है।
  - **लैंगिक दृष्टिकोण:** इसके तहत लिंग-विभाजित आँकड़ों के संग्रह एवं **लिंग-संवेदनशील विनियमों** और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का परीक्षण करना शामिल है।
- **स्कोरिंग:** B-रेडी के तहत प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिये **स्कोर के दो सेट** शामिल किये गए हैं।
  - **विषय स्कोर:** फर्म के लचीलेपन एवं सामाजिक लाभ को दर्शाने वाले संकेतकों के आधार पर, तीन स्तंभों के स्कोर का औसत।
  - **स्तंभ अंक: 10 विषयों के अंकों का औसत, 0** से 100 तक मानकीकृत।
- **डेटा संग्रहण:** B-रेडी के तहत विनियामक एवं सार्वजनिक सेवा पहलुओं के लिये **विशेषज्ञ प्रश्नावली के माध्यम से एवं परिचालन दक्षता के लिये विश्व बैंक उद्यम सर्वेक्षण** के

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

माध्यम से डेटा एकत्र करना शामिल है, जिसके तहत विशेषज्ञ डेटा को प्रतिवर्ष और फर्म-स्तरीय डेटा को प्रत्येक तीन वर्ष में अपडेट करने को महत्त्व दिया गया है।

- **वैश्विक विस्तार:** इसके तहत **वर्ष 2024 में 50 अर्थव्यवस्थाओं को** कवर करने के साथ वर्ष 2026 तक 180 को कवर करने की योजना है।
- **सुधार पर बल:** B-रेडी के तहत व्यावसायिक वातावरण के मूल्यांकन में **समावेशिता, स्थिरता तथा दक्षता पर ध्यान केंद्रित** किया जाना शामिल है।

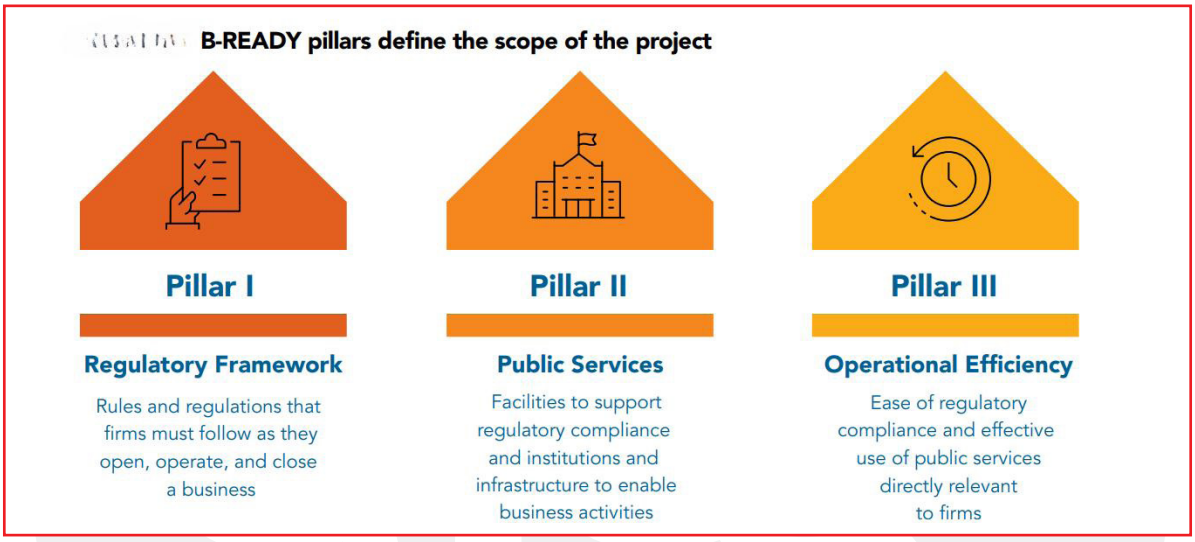

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और B-रेडी इंडेक्स में अंतर

पहलू	ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB)	B-रेडी इंडेक्स
उद्देश्य	इसके तहत **SMEs** के विनियामक वातावरण के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया।	इसके तहत **SMEs, श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं सहित** निजी क्षेत्र के विकास का समग्र मूल्यांकन करना शामिल है।
दायरा	मुख्यत: विनियामक पहलू।	इसमें विनियामक पहलू, **विनियमों की गुणवत्ता तथा सार्वजनिक सेवाएँ** शामिल हैं।
शामिल विषय	यह कुछ प्रमुख विषयों तक सीमित है जैसे व्यवसाय शुरू करना, ऋण प्राप्त करना तथा करों का भुगतान करना।	**व्यापक:** इसमें किसी **फर्म के संचालन चक्र से संबंधित 10 विषयों** को शामिल किया गया है जिसमें व्यवसाय में प्रवेश, उपयोगिता सेवाएँ, श्रम और बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा शामिल हैं।
रूपरेखा	इसके तहत फर्मों के लिये मुख्य रूप से **व्यापार सुगमता** पर ध्यान केंद्रित किया गया।	इसमें फर्म में अनुकूल वातावरण **(व्यापार सुगमता) तथा सामाजिक लाभ (समाज पर प्रभाव)** जैसे पहलू शामिल हैं।
डेटा संग्रहण	विशेषज्ञ परामर्श और केस स्टडी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।	**संतुलित विधिक और वास्तविक परिप्रेक्ष्य** के लिये विशेषज्ञ परामर्श और फर्म-स्तरीय सर्वेक्षणों को संयोजित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

संकेतक	सीमित संख्या में संकेतकों को कवर करने वाली लगभग **11 प्रश्नावलियों** का उपयोग किया गया।	विस्तृत जानकारी के लिये **21 प्रश्नावलियों और लगभग 1,200 संकेतकों** का उपयोग किया गया है।
स्कोरिंग और रैंकिंग	समग्र रैंकिंग और स्कोर तैयार किये गए, जिनकी अक्सर **अतिसरलीकरण के लिये आलोचना** की जाती है।	विषय और स्तंभ के आधार पर अलग-अलग अंक प्रदान करता है, तथा **समग्र रैंकिंग** के बजाय लक्षित सुधारों को प्रोत्साहित करता है।
भौगोलिक कवरेज	**191 अर्थव्यवस्थाओं** में मुख्य व्यापारिक शहर को कवर किया गया है।	राष्ट्रीय और स्थानीय विनियमनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **वर्ष 2026 तक 180 अर्थव्यवस्थाओं** तक विस्तार की योजना है।
सार्वजनिक सेवाएँ	सार्वजनिक सेवाओं पर सीमित ध्यान।	सार्वजनिक सेवाओं और उनकी परिचालन दक्षता का स्पष्ट मूल्यांकन करता है।
क्रॉस-कटिंग थीम्स	इसमें विशिष्ट विषय शामिल नहीं थे।	**डिजिटल अपनाने, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता** पर ध्यान केंद्रित करता है।
परिणामों का उपयोग	मुख्य रूप से विनियामक बेंचमार्किंग और सुधार प्रेरणा के लिये।	सुधार, पारदर्शिता और डेटा पुनरुत्पादन के लिये कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
कार्यप्रणाली अद्यतन	समय के साथ मामूली अद्यतन के साथ स्थैतिक कार्यप्रणाली।	गतिशील कार्यप्रणाली जो रोलआउट से प्राप्त फीडबैक और सबक के आधार पर विकसित होती है।

B-रेडी रिपोर्ट 2024 के वैश्विक निष्कर्ष क्या हैं?

- **सार्वजनिक सेवाओं में अंतर:** अर्थव्यवस्थाएँ अक्सर कड़े नियम बनाती हैं, लेकिन उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहती हैं, जिससे एक महत्त्वपूर्ण **"सार्वजनिक सेवाओं में अंतर"** उत्पन्न होता है।
- **आय स्तरों में समावेशिता: रवांडा, जॉर्जिया और कोलंबिया जैसी उच्च प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्थाएँ** साबित करती हैं कि मज़बूत विनियामक ढाँचे तथा परिचालन दक्षता आय स्तरों में प्राप्त की जा सकती है।
- **डिजिटल और पर्यावरण संबंधी अभ्यास:** डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करने वाली और हरित पहलों को प्राथमिकता देने वाली अर्थव्यवस्थाएँ उच्च स्कोर प्राप्त करती हैं, जो आधुनिक अभ्यासों के महत्त्व को दर्शाता है।
- **संतुलित विकास की आवश्यकता: एस्टोनिया और सिंगापुर** जैसी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ भी कराधान और विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश रखती हैं, साथ ही सुधारों की सार्वभौमिक आवश्यकता पर बल देती हैं।

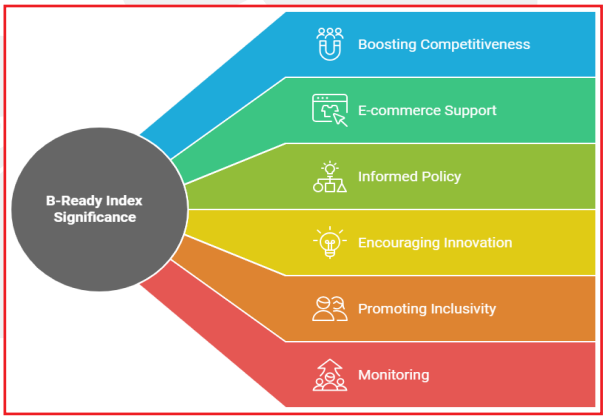

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की भारत-विशिष्ट टिप्पणियां

- **भारत ने वर्ष 2024 B-रेडी रिपोर्ट** में भाग नहीं लिया। हालाँकि, थिंक टैंक GTRI द्वारा भारत-विशिष्ट कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **व्यवसाय प्रविष्टि में मध्यम स्कोर:** भारत की व्यवसाय पंजीकरण प्रणाली **अधिक समय लेने वाली** है तथा इसमें पूर्ण **डिजिटल एकीकरण** का अभाव है।
- **सिंगापुर** जैसे देशों ने न्यूनतम लागत पर एक दिन में ऑनलाइन पंजीकरण कराकर वैश्विक मानक स्थापित किया है।
- **श्रम विनियमन में चुनौतियाँ:** **चार श्रम संहिताओं** को लागू करने के बावजूद, भारत को राज्यों में धीमी और असमान कार्यान्वयन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे **श्रम बाज़ार का लचीलापन** और अनुपालन सहजता प्रभावित हो रही है।
- **व्यापार अकुशलताएँ:** भारत की सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ विलंब, असंगत प्रवर्तन और उच्च रसद लागतों से ग्रस्त हैं, जबकि **जर्मनी और सिंगापुर** व्यापार सुगमता में उत्कृष्ट हैं।
- **व्यावसायिक स्थान में कम स्कोर:** नियामक विसंगतियाँ और अनुमोदन में देरी से व्यावसायिक सुविधाओं की स्थापना में बाधा आती है, जिससे निवेश निर्णय प्रभावित होते हैं।
- **सकारात्मक पहलू:** भारत से **B-रेडी** के तीन प्रमुख स्तंभों में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, जिससे **परिचालन और नियामक क्षेत्रों में इसकी मज़बूती** देखने को मिलेगी।

बिज़नेस रेडी (B-रेडी) रिपोर्ट 2024 में क्या सिफारिशें हैं?

- **व्यावसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित करना:** सिंगापुर की एकल-दिवसीय पंजीकरण प्रणाली जैसे मॉडलों से प्रेरित होकर, विलंब और लागत को कम करने तथा दक्षता बढ़ाने के लिये **व्यावसायिक पंजीकरण, विनियामक अनुमोदन और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं** को सरल और डिजिटल बनाना है।
- **सार्वजनिक सेवाओं और डिजिटल परिवर्तन को मज़बूत करना:** अनुपालन और परिचालन दक्षता में सुधार के लिये **डिजिटल उपकरणों** को बढ़ावा देते हुए कर पोर्टल, उपयोगिता पहुँच और विवाद समाधान तंत्र जैसी **प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं** में निवेश करना।
- **स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा देना:** ऐसी नीतियाँ विकसित करना जो **पर्यावरण की दृष्टि से सतत् व्यावसायिक प्रथाओं को** प्रोत्साहित करना और समावेशिता को बढ़ावा देने तथा वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करने हेतु **लिंग-संवेदनशील विनियमों** को लागू करना।
- **सहकर्मी शिक्षण और सहयोग को सुविधाजनक बनाना:** अर्थव्यवस्थाओं को ज्ञान साझा करने और नियामक एवं परिचालन ढाँचे में नवीन प्रथाओं को अपनाने के लिये **सिंगापुर, रवांडा और एस्टोनिया जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** करने वाले देशों से सीखने हेतु प्रोत्साहित करना।
- **अनुकूलित सुधार अपनाना:** समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास के लिये वैश्विक मानकों का पालन करते हुए विशिष्ट स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने वाले **अनुकूलित नीति ढाँचे** तैयार करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. बिज़नेस रेडी (B-रेडी) रिपोर्ट 2024 का क्या महत्त्व है तथा वैश्विक व्यापार सुगमता आकलन (B-रेडी इंडेक्स) करने में यह पिछली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से किस प्रकार भिन्न है?

भारत की बुनियादी ढाँचे के विकास की यात्रा

चर्चा में क्यों?

पिछले 25 वर्षों में बढ़ती प्रगति और निजी भागीदारी के साथ **भारत का बुनियादी ढाँचा** बदल गया है। हालाँकि **चुनौतियाँ** बनी हुई हैं क्योंकि **वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये **आवश्यक बुनियादी ढाँचे का 90% निर्माण** अभी भी किया जाना है।

वर्ष 2024 तक बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **सड़कें और राजमार्ग: वर्ष 2000 के बाद** से सड़क नेटवर्क लगभग **तीन गुना बढ़कर 146,000 किमी.** हो गया है, जिसमें आधुनिक प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे और **GPS-आधारित टोल प्रणाली** शामिल हैं।
  - वर्ष 2014 के बाद से, सरकार ने **3.74 लाख किमी. ग्रामीण सड़कें** बनाई हैं, जिससे **99% से अधिक ग्रामीण बस्तियों को जोड़ा गया है** और पहुँच में सुधार हुआ है।
  - 25 वर्षों में टोल संग्रह **2.1 ट्रिलियन** रुपए तक पहुँच गया, जो निजी क्षेत्र की मज़बूत भागीदारी को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

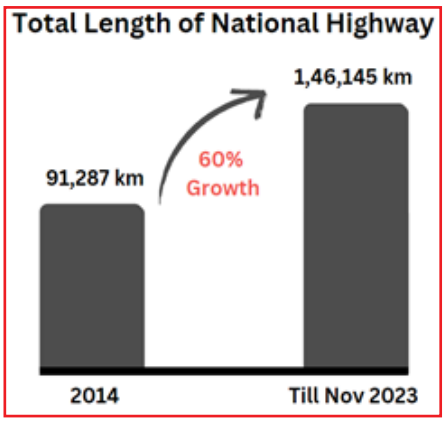

- **रेलवे:** भारत की पहली **बुलेट ट्रेन परियोजना,** जिसमें **280 किमी./घंटा** की गति से चलने की क्षमता होगी, **वर्ष 2026** तक पूरी हो जाएगी।
  - दिसंबर 2023 तक, **93.83% ब्रॉड -गेज ट्रैक (जिसे बड़ी लाइन कहा जाता है और दो पटरियों के बीच की दूरी 5 फीट 6 इंच है)** का विद्युतीकरण हो चुका है, जो वर्ष 2014 में 21,801 किमी. से अधिक था।
  - कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना जैसी कई हाई-प्रोफाइल घटनाओं के बावजूद पिछले दशक में **दुर्घटनाओं में कमी** आई है।
- **समुद्री क्षेत्र:** भारत **वर्ष 2047 तक शीर्ष पाँच जहाज़ निर्माण राष्ट्र** बनने के लिये **54 ट्रिलियन रुपए** का निवेश करने की योजना बना रहा है।
  - व्यापारिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिये **गैलेथिया खाड़ी** और **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे** जैसे बड़े बंदरगाहों का विकास किया जा रहा है।
  - सरकार ने **5.8 लाख करोड़ रुपए** के निवेश से **बंदरगाह आधुनिकीकरण और तटीय संपर्क** सहित **839 सागरमाला परियोजनाएँ** शुरू की हैं।
- **विमानन:** साप्ताहिक घरेलू उड़ानें **वर्ष 2000 में 3,568 से बढ़कर वर्ष 2024 में 22,484** हो गई।
  - **इंडिगो** जैसी कम लागत वाली विमान सेवा कंपनियाँ बाज़ार पर हावी हैं, जिससे लाखों लोगों के लिये हवाई यात्रा सुलभ हो गई है।
  - एयर इंडिया और इंडिगो से **1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर** दीर्घकालिक वृद्धि का संकेत देते हैं।
  - **वर्ष 2014 और वर्ष 2024** के बीच **84 हवाई अड्डों के निर्माण** के साथ **परिचालन हवाई अड्डों की कुल संख्या 158** है।

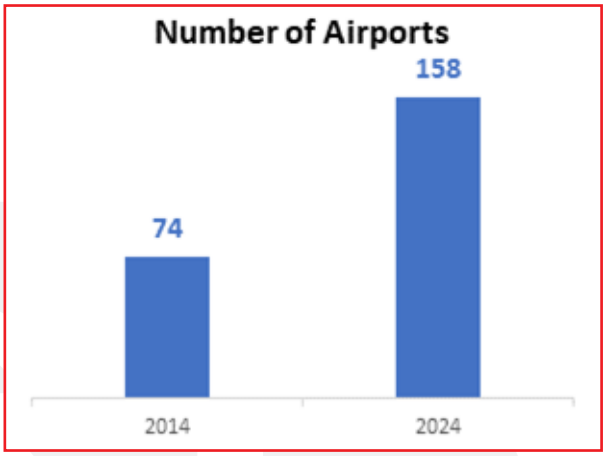

- **शहरी मेट्रो:** मेट्रो नेटवर्क **वर्ष 2014 में 248 किमी. से बढ़कर वर्ष 2024 तक 945 किमी.** हो गया है, जो **21 शहरों** और **1 करोड़ दैनिक यात्रियों** को सेवा प्रदान करता है।
  - **दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर** पर **नमो भारत ट्रेन** क्षेत्रीय संपर्क और शहरी परिवहन को बढ़ाती है।
- **रोपवे विकास: पर्वतमाला कार्यक्रम** के तहत **32 रोपवे परियोजनाएँ** शुरू की गई हैं, जिससे दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ी है और शहरी भीड़भाड़ कम हुई है।

नोट: विश्व बैंक के **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) 2023 में** भारत **38 वें स्थान** पर है

भारत के बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **रुकी हुई और विलंबित परियोजनाएँ: 10 ट्रिलियन रुपए की भारतमाला परियोजना** को लालफीताशाही के कारण स्थगित कर दिया गया, जबकि **20 ट्रिलियन रुपए की विज़न 2047 योजना को** नीतिगत बदलाव के बाद **स्थगित** कर दिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- वित्तीय बाधाएँ और **संसाधनों का कम उपयोग** दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तथा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
- भारत को **वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की अर्थव्यवस्था बनने के लिये महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, **जबकि 90% बुनियादी ढाँचे का निर्माण** अभी भी किया जाना है।

- **धीमी प्रगति:** रेलवे मार्ग का विस्तार धीमा रहा है, वर्ष 2000 से अब तक औसतन **प्रतिवर्ष केवल 231** किमी. नई पटरियाँ जोड़ी गई हैं, जो प्रतिदिन एक किलोमीटर से भी कम है।
  - राजमार्ग परियोजना **अनुबंधों में तीव्र गिरावट आई** है, जो अगस्त 2024 तक 1,152 किमी. के ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर पहुँच गई है।
- **निजी क्षेत्र पर निर्भरता:** यद्यपि निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है, फिर भी परियोजनाओं के लिये **पूंजी का पुनर्चक्रण** एक चुनौती बनी हुई है।
  - टोल संग्रह ने **समानता संबंधी** चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं, क्योंकि वर्ष 2000 से अब तक एकत्रित **2.1 ट्रिलियन रुपए में से निजी निगमों** को 1.4 ट्रिलियन रुपए ही प्राप्त हुआ हैं।
  - **पूंजी का पुनर्चक्रण गैर-प्रमुख या कम प्रदर्शन करने वाली परिसंपत्तियों को बेचने** और अधिक लाभदायक अवसरों में **पुनर्निवेश करने** की रणनीति है।
- **समुद्री व्यवधान:** समुद्री क्षेत्र वर्ष 2047 तक शीर्ष 5 जहाज़ निर्माण राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रहा है, **यूक्रेन और गाज़ा युद्धों तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला** के पतन से इसमें बाधा आ रही है।
- **विमानन क्षेत्र से संबंधित बाधाएँ:** तीव्र प्रतिस्पर्द्धा के कारण **जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस** और **गो फर्स्ट** सहित कई एयरलाइनें **दिवालिया** हो गई हैं।
  - **इंडिगो और निजीकृत एयर इंडिया** के बीच बाज़ार एकीकरण से प्रतिस्पर्द्धा सीमित हो जाती है और एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये सरकार की पहल क्या हैं?

- पीएम गति शक्ति योजना
- भारतमाला योजना
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)
- सागरमाला परियोजना
- उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)

आगे की राह

- **एकीकृत अवसंरचना:** यह सुनिश्चित करके कि अवसंरचना विकास एक-दूसरे के पूरक हैं, **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** देरी और दोहराव को कम करता है, जबकि उच्च गति संचार को बढ़ाता है।
- **एक्सप्रेसवे, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, समर्पित वस्तु ढुलाई कॉरिडोर,** उन्नत हवाई अड्डे और **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क** जैसे उच्च गति परिवहन नेटवर्क व्यापार एवं आपूर्ति शृंखला के प्रदर्शन को बढ़ावा देते हैं।
- **सुरक्षित एवं लचीला बुनियादी ढाँचा: रेलवे के लिये कवच** और **उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली** जैसी सरकार की पहलों का उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना एवं सुरक्षा में सुधार करना है।
- वाहनों में **उन्नत चालक सहायता प्रणाली (ADAS)** जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा **सुरक्षित बुनियादी ढाँचे के निर्माण से** नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी एवं मृत्यु दर में कमी आएगी।
- **हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल करना: सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों** और **वैकल्पिक ईंधनों** की ओर बदलाव से परिवहन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा **FAME-II** एवं **PLI** जैसी योजनाएँ इस बदलाव को गति देंगी।
- हरित भवन, जल संरक्षण, **अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा** पर ध्यान केंद्रित करने से भविष्य की बुनियादी संरचना सतत् एवं जलवायु-अनुकूल बनेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **तकनीकी एकीकरण: सुगम टोल भुगतान के लिये फास्टैग** और हवाईअड्डे पर आसान चेक-इन के लिये **डिजीयात्रा ऐप** जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग सुविधा में वृद्धि कर यात्रा का समय बचाता है।
- **नीति और विनियामक सुधार: भारत** को बुनियादी ढाँचे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये विशेष रूप से बंदरगाहों, रेलवे और विमानन में **निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने** के लिये विनियामक सुधार एवं एक स्पष्ट नीति ढाँचे को आगे बढ़ाना चाहिये।
- सरकार, **निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों** को आवश्यक नीतियों तथा निवेशों सहित **बहु-वर्षीय राष्ट्रीय परिवहन रणनीति** विकसित करने के लिये सहयोग करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत के बुनियादी ढाँचा क्षेत्र की उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा इसके भविष्य के विकास के लिये उपाय सुझाइये।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का दोहन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से **पवन ऊर्जा** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **नवीकरणीय ऊर्जा** परियोजनाओं के लिये भूमि उपलब्धता को सुगम बनाने पर ज़ोर दिया है।

वर्तमान **पवन ऊर्जा क्षमता 47.95 गीगावाट** है, सरकार का लक्ष्य **इसे दोगुना करके 100 गीगावाट करना** तथा भूमि तक पहुँच बढ़ाकर वर्ष 2030 तक **500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य** तक पहुँचने के लिये हमारे देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्या है?

- **नवीकरणीय ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा** प्राकृतिक, पुन:पूर्ति योग्य स्रोतों जैसे **सौर, पवन, जल विद्युत, बायोमास, भू-तापीय** और **ज्वार** से प्राप्त ऊर्जा है।
  - ये **स्रोत सतत् और पर्यावरण** के अनुकूल हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है।
- **प्रकार:**
  - **सौर ऊर्जा: सौर पैनलों** या **सौर तापीय प्रणालियों** का उपयोग करके सूर्य के विकिरण से प्राप्त की जाती है।
  - **पवन ऊर्जा: पवन टर्बाइनों द्वारा पवन की गतिज ऊर्जा** को विद्युत् में परिवर्तित करके उत्पन्न की जाती है।
  - **जलविद्युत:** प्रवाहित जल (नदियों, बाँधों, झरनों) की ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित।
  - **बायोमास ऊर्जा:** हीटिंग, विद्युत् और **जैव ईंधन के लिये पौधों के अवशेषों और पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों** से निर्मित।
  - **भू-तापीय ऊर्जा:** विद्युत उत्पादन और प्रत्यक्ष तापन के लिये **पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा** (गर्म पानी, भाप) से प्राप्त।
  - **ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा:** विद्युत उत्पन्न करने के लिये **समुद्री जल** की गति (गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या सतही तरंगें) का उपयोग करती है।

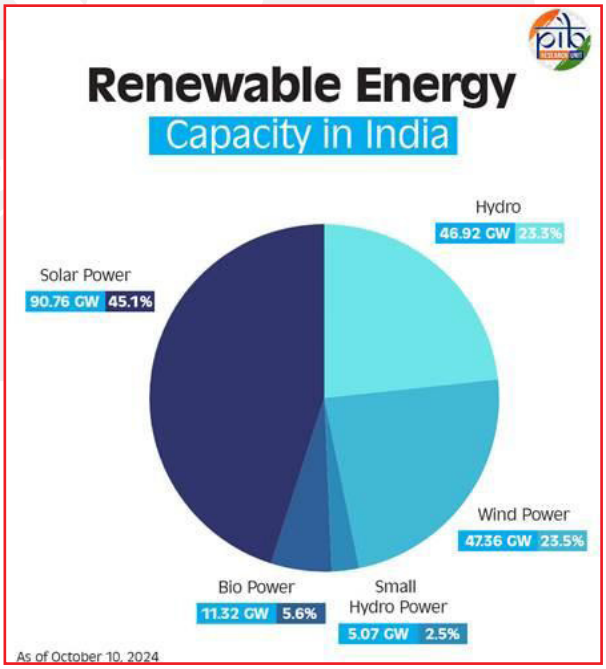

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की क्षमता क्या है?

- **सौर ऊर्जा: राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान** (NISE) के अनुसार, वर्ष में 300 से अधिक ग्रीष्म ऋतू में ऊर्जा की क्षमता **748 गीगावाट** है तथा सौर पीवी मॉड्यूल बंजर भूमि के **3% हिस्से** को कवर करते हैं।
  - ❖ राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य सौर ऊर्जा विकास में अग्रणी हैं, जहाँ विशाल सौर पार्क राष्ट्रीय ग्रिड में योगदान दे रहे हैं।
- **पवन ऊर्जा:** भारत की पवन ऊर्जा क्षमता **300 गीगावाट से अधिक है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश** और **कर्नाटक** में केंद्रित है।
  - ❖ गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य तटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएँ क्षमता में महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि कर सकती हैं।
- **जल विद्युत:** भारत में अनुमानत: **148 गीगावाट** से अधिक जल विद्युत क्षमता है, जिसमें से **46 गीगावाट** का अभी तक दोहन नहीं हुआ है।
  - ❖ लघु जलविद्युत संयंत्र, विशेष रूप से हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में (<25 मेगावाट) **20 गीगावाट** की क्षमता प्रदान करते हैं।
- **भू-तापीय ऊर्जा: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और झारखंड** भारत के उल्लेखनीय राज्य हैं जहाँ **10 गीगावाट भू-तापीय ऊर्जा** उत्पादन की क्षमता है।
  - ❖ **पुगा घाटी (लद्दाख)** में परियोजनाएँ भूतापीय ऊर्जा की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करती हैं।
- **महासागरीय ऊर्जा: समुद्री जल में ज्वार, लहर और महासागरीय तापीय ऊर्जा** संग्रहित होती है। इनमें से, भारत में **40GW तरंग ऊर्जा** का दोहन संभव है।
  - ❖ **कच्छ की खाड़ी** और **सुंदरवन** जैसे तटीय क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएँ प्रदान करते हैं।

भारत में पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **भूमि की कमी और उपयोग संबंधी संघर्ष:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से पवन ऊर्जा क्षेत्र को मुख्यत: सघन आबादी वाले या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि और आदर्श पवन ऊर्जा स्थलों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - ❖ **किसान और स्थानीय समुदाय** पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये भूमि पुन: आबंटित करने के प्रति प्रतिरोधी हैं।
  - ❖ **गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु** जैसे राज्यों में उपयुक्त भूमियों का समेकन करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जहाँ भूमि प्राय: विभिन्न मालिकों के बीच विभाजित होती है।
- **वित्तपोषण और निवेश संबंधी मुद्दे:** पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये पर्याप्त अग्रिम पूंजी की आवश्यकता होती है। लाभ में अनिश्चितता और लंबी पुनर्भुगतान अवधि निजी निवेशकों को हतोत्साहित करती है।
- **ग्रिड एकीकरण और कटौती:** पवन ऊर्जा की अस्थायी प्रकृति और **मौसमी पवन प्रतिरूप** आपूर्ति अस्थिरता का कारण बनते हैं, तथा पीक सीजन के दौरान ग्रिड कटौती से लाभप्रदता कम हो जाती है।
- **उच्च गुणवत्ता वाली साइटों की कमी:** पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से अनुकूलतम स्थान पहले से ही अधिग्रहीत हैं, जिसके कारण नई परियोजनाओं को कम व्यवहार्य क्षेत्रों में स्थापित करने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है।
- **अनुमोदन में विलंब और नीतिगत अंतराल:** पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पर्यावरण, **वन्यजीव और वन संबंधी मंजूरी** प्राप्त करने में लंबे समय तक विलंब का सामना करना पड़ता है।
  - ❖ **लगातार वित्तीय प्रोत्साहन** या दीर्घकालिक नीतियों का अभाव निवेशकों का विश्वास कम करता है।
- **अपतटीय पवन ऊर्जा की चुनौतियाँ:** उच्च स्थापना लागत, उन्नत प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं और सीमित सरकारी समर्थन के कारण **अपतटीय पवन ऊर्जा** की क्षमता का अभी तक दोहन नहीं हो पाया है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये भारत की पहल क्या है?

- **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)**
- **सौर PV मॉड्यूल के लिये PLI योजना**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना
- सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा
- हरित ऊर्जा गलियारा योजना
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम
- नवीकरणीय ऊर्जा में FDI

आगे की राह

- **भूमि तक पहुँच में सुधार: अप्रयुक्त सरकारी भूमि के** अधिग्रहण के लिये पारदर्शी नीतियाँ स्थापित करना तथा **डिजिटल भूमि अभिलेखों** और नामित नवीकरणीय क्षेत्रों के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
  - ❖ **दोहरे उपयोग वाली परियोजनाओं** को बढ़ावा देना, जहाँ भूमि उपयोग को अनुकूलतम बनाने के लिये सौर फार्म कृषि या चरागाह के साथ-साथ मौजूद हों।
- **ट्रांसमिशन अवसंरचना को मज़बूत करना:** नवीकरणीय परियोजनाओं को मांग केंद्रों से जोड़ने के लिये **हरित ऊर्जा गलियारों** के विकास में तेज़ी लाना।
  - ❖ **विद्युत उत्पादन को स्थिर करने** और परिवर्तनशीलता को कम करने के लिये **ट्रांसमिशन लाइनों** की स्थापना में तेज़ी लाना और हाइब्रिड प्रणालियों (सौर+पवन+भंडारण) में निवेश करना।
- **नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना:** राज्य-स्तरीय असंगतियों को दूर करने के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार करना।
  - ❖ निवेश आकर्षित करने के लिये **कर छूट, ब्याज सब्सिडी** और प्रदर्शन-आधारित पुरस्कार जैसे दीर्घकालिक प्रोत्साहन प्रदान करना।
  - ❖ सब्सिडी देकर और आयात पर निर्भरता कम करके **"मेक इन इंडिया"** के तहत सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- **अपतटीय पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना:** अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन करना तथा विकास को बढ़ावा देने के लिये विशेष उपकरणों पर आयात शुल्क कम करते हुए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **वित्तपोषण और अनुसंधान एवं विकास:** किफायती वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिये हरित बैंकों की स्थापना करना तथा कार्यकुशलता में सुधार और लागत कम करने के लिये उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में निवेश करना।
- **पर्यावरणीय स्थिरता और कौशल विकास:** संपूर्ण पर्यावरणीय आकलन सुनिश्चित करना, ऊर्जा घटकों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, तथा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य को पूरा करने के लिये इनका समाधान कैसे किया जा सकता है?

भारत-लैटिन अमेरिका व्यापार संबंध

चर्चा में क्यों?

सभी 33 देशों में निरंतर विकास और विविध संबंधों के साथ, **लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (LAC)** क्षेत्र भारत की विदेश नीति का मुख्य केंद्र बन गया है, भारत चीन से पीछे है, जो अपनी प्रगति के बावजूद इस क्षेत्र में बहुत अधिक मज़बूत उपस्थिति है।

लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंध कैसे हैं?

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
  - ❖ **भारत-लैटिन अमेरिका संबंधों का एक समृद्ध** इतिहास है, जिसमें **पांडुरंग खानखोजे** (एक कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने मैक्सिको में कृषि पद्धतियों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई) और **एम.एन रॉय** (एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता, जिन्होंने भारतीय और मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना की) जैसी हस्तियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
    - ✸ ऑक्टेवियो पाज़, रवींद्रनाथ टैगोर और विक्टोरिया ओकैम्पो जैसे कवि-राजनयिकों और लेखकों के माध्यम से भारत और लैटिन अमेरिका के बीच एक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

समृद्ध साहित्यिक आदान-प्रदान हुआ जिसने दोनों देशों के दृष्टिकोण को आकार प्रदान किया।

- भारत के कवि-राजनयिक **अभय.के ने लैटिन अमेरिकी क्षेत्र पर कविता की पुस्तकें** लिखी जिसमे **द अल्फाबेट्स ऑफ लैटिन अमेरिका** और **द प्रोफेसी ऑफ ब्रासीलिया शामिल हैं**।
- **प्रारंभिक सहभागिता:** उच्च स्तरीय सहभागिता वर्ष 1961 में **प्रधानमंत्री नेहरू की मैक्सिको यात्रा के साथ शुरू हुई**, जिसके बाद वर्ष 1968 में **इंदिरा गांधी ने आठ लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई (LAC)** देशों का दौरा किया।

❖ **हालिया घटनाक्रम:** वर्ष 2014 में ब्राज़ील में आयोजित **ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी** से संबंधों में तेज़ी आई।

❖ **आर्थिक उदारीकरण:** वर्ष 1990 के बाद के **आर्थिक उदारीकरण से व्यापार, निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग** में मज़बूती आई।

- भारत ने सात LAC देशों के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये तथा निर्यात और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने हेतु **वर्ष 1997** में फोकस LAC कार्यक्रम शुरू किया गया।

● **वर्तमान व्यापार परिदृश्य:**

❖ **व्यापार आँकड़ें:** वर्ष 2023 में, लैटिन अमेरिका से भारत का आयात **22.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि निर्यात 20.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा, कुल व्यापार मात्रा **43.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही तथा वर्ष 2028 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का लक्ष्य रखा गया।

❖ **प्रमुख व्यापार साझेदार: ब्राज़ील, मैक्सिको और कोलंबिया देश** इस क्षेत्र में भारत के प्राथमिक व्यापार साझेदार हैं।

❖ **आयात संरचना:** प्रमुख आयातों में **पेट्रोलियम तेल,** सोना (प्लैटिनम चढ़ाया हुआ सोना सहित) और **सोयाबीन तेल** शामिल हैं।

❖ **निर्यात संरचना:** प्रमुख निर्यातों में **पेट्रोलियम तेल** (कच्चे तेल को छोड़कर), **मोटर कारें** तथा परिवहन के लिये डिज़ाइन किये गए अन्य **मोटर वाहन शामिल** हैं।

❖ **आर्थिक स्थिति:** लैटिन अमेरिका को भारत के लिये **"गोल्डीलॉक्स क्षेत्र"** में माना जाता है- **जो अमेरिका और यूरोप जैसे अत्यधिक विनियमित** बाज़ारों और अफ्रीका के कम प्रतिस्पर्द्धा बाज़ारों के बीच संतुलन प्रदान करता है।

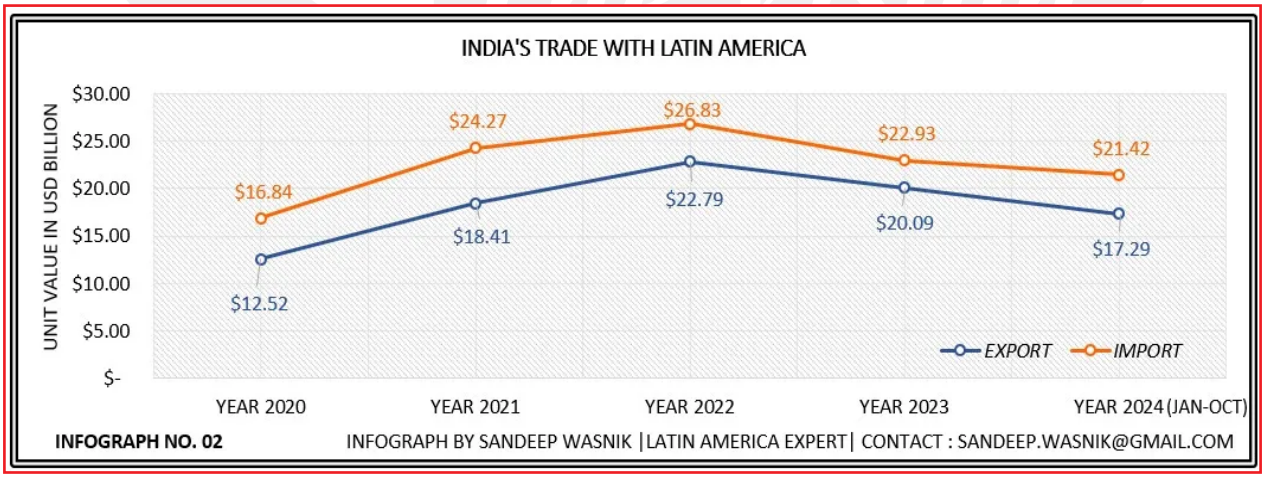

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **राजनीतिक और द्विपक्षीय सहयोग:**
  - **विदेश नीति प्राथमिकता:** ऐतिहासिक रूप से, लैटिन अमेरिका अपने सीमित भू-राजनीतिक प्रभाव के कारण भारत की विदेश नीति में कम प्राथमिकता वाले देश की सूची में रहा है। हालाँकि, हाल के घटनाक्रम इस दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं।
    - विशेष रूप से, **विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अप्रैल, 2023 में गुयाना, पनामा, कोलंबिया** और डोमिनिकन गणराज्य की ऐतिहासिक यात्रा की, यह **पहली बार है जब किसी भारतीय विदेश मंत्री** ने इन देशों का दौरा किया है।
  - **सहभागिता में वृद्धि: वर्ष** 2022 में **G20 सदस्य अर्जेंटीना, ब्राज़ील** और **मैक्सिको को** कनिष्ठ मंत्री के बजाय **भारत के विदेश मंत्री के अधिकार क्षेत्र** में रखा गया।
  - **ब्राज़ील की नेतृत्वकारी भूमिका: ब्राज़ील को ब्रिक्स, IBSA (भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका)** और **G-20** जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी के कारण भारत के साथ सबसे अधिक राजनीतिक संबंध रखने वाला देश माना जाता है।
  - **अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA):** भारत और चिली के साथ-साथ भारत और मर्कोसुर के बीच PTA पर हस्ताक्षर, भारत के साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये लैटिन अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
    - **वर्ष 1991 में स्थापित लैटिन अमेरिकी व्यापार समूह** मर्कोसुर **में** छह सदस्य हैं, अर्थात् **ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे , वेनेज़ुएला** और **बोलीविया**।
    - प्रारंभ में इसका उद्देश्य **वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी** और लोगों के मुक्त आवागमन को सुविधाजनक बनाना था, लेकिन वर्ष **1995 में यह एक सीमा शुल्क संघ बन गया** और अब यह एक साझा बाज़ार की ओर अग्रसर है।
  - **सामरिक स्वायत्तता:** दोनों क्षेत्रों ने एक प्रकार की गुटनिरपेक्षता को अपनाया है, जिसे **भारत द्वारा 'रणनीतिक स्वायत्तता' तथा लैटिन अमेरिकी देशों** द्वारा 'सक्रिय गुटनिरपेक्षता' (ANA) कहा जाता है, जो विशेष रूप से **यूक्रेन में युद्ध** जैसे वैश्विक मुद्दों के संबंध में उनकी साझा स्थिति से स्पष्ट है।
  - **सांस्कृतिक संबंध:**
    - **साहित्यिक प्रभाव: वर्ष 1924 में** टैगोर की अर्जेंटीना यात्रा और उनके साहित्यिक योगदान ने **मैक्सिकन दार्शनिक जोस वास्कोनसेलोस** द्वारा **अनुवाद** के माध्यम से लैटिन अमेरिकी साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
    - **गांधी की विरासत: महात्मा गांधी द्वारा दी गई** अहिंसा संबंधी शिक्षा लैटिन अमेरिका में प्रबल रूप से प्रचलित हैं, जिसका पालन **ब्राज़ील में पलास एथेनास जैसे संगठनों द्वारा किया जाता है।**

LAC क्षेत्र के साथ व्यापार समझौते/समझौता ज्ञापन:

- **भारत - चिली PTA**
- भारत – मर्कोसुर PTA
- भारत और अर्जेंटीना के बीच व्यापार समझौता
- इक्वाडोर के साथ आर्थिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- भारत और क्यूबा के बीच व्यापार समझौता

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत के लिये लैटिन अमेरिका का क्या महत्त्व है?

- **आर्थिक अवसर:** लैटिन अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें ताँबा, लिथियम और लौह अयस्क जैसे खनिज शामिल हैं, जो भारत की बढ़ती औद्योगिक मांगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - इस क्षेत्र का सामूहिक **सकल घरेलू उत्पाद 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है**, जो भारतीय निर्यात और निवेश के लिये पर्याप्त बाज़ार उपलब्ध कराता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ, लैटिन अमेरिका भारत के लिये कच्चे तेल का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता बनकर उभरा है।
  - हाल के वर्षों में वेनेज़ुएला, मैक्सिको और ब्राज़ील से कच्चे तेल का आयात LAC **से भारत के कुल आयात का 30% रहा है।**
  - **सामरिक साझेदारियाँ:** भू-राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित हो गया है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में **चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिये लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की प्रेरणा मिली है।**
- **सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान:** भारत और लैटिन अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संबंधों को शैक्षिक आदान-प्रदान तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से दृढ़ता मिली है।
  - **भारतीय IT कंपनियाँ** इस क्षेत्र में 40,000 से अधिक स्थानीय पेशेवरों को रोज़गार देती हैं, जो रोज़गार सृजन और कौशल विकास में योगदान देती हैं।
- **खाद्य सुरक्षा:** लैटिन अमेरिका का विशाल कृषि परिदृश्य **भारत को खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से दालों और तिलहनों में,** जो खाद्य सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं।

वे कौन-से क्षेत्र हैं, जिनमें भारत लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग कर रहा है?

- **फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर:** भारत को विश्व स्तर पर अपने फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिये जाना जाता है, जो किफायती मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराता है।
  - इन निर्यातों के लिये शीर्ष पाँच गंतव्य अमेरिका, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, यूके और **ब्राजील हैं**।
- **ऊर्जा सहयोग: भारत बोलीविया में लिथियम भंडार की** खोज और निष्कर्षण कर रहा है। वर्ष 2023 में **भारत की अल्टमिन प्राइवेट लिमिटेड ने** बोलीविया की सरकारी स्वामित्व वाली लिथियम कंपनी के साथ **रणनीतिक साझेदारी समझौते** पर हस्ताक्षर किये।
  - **बोलीविया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** में भी शामिल हो गया।
- **कृषि और खाद्य सुरक्षा:** LA क्षेत्र में विशाल कृषि संसाधन हैं जो भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में मदद करते हैं।
  - दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिये **खाद्य प्रसंस्करण और कृषि अनुसंधान में सहयोग की संभावनाएँ** तलाशी जा रही हैं।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** रेलवे, राजमार्ग और ऊर्जा मार्गों सहित एलए राष्ट्रों में आधुनिक बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग।
  - भारत दक्षिण-दक्षिण सहयोग के तहत बोलीविया के साथ अपनी विकास साझेदारी को महत्त्व देता है और बोलीविया की पसंद के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये **100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा** प्रदान की है।

व्यापार समझौतों के प्रकार

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** FTA **दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यापक समझौता है** जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैरिफ और कोटा जैसी **व्यापार बाधाओं को कम करना** है।
  - भारत ने **श्रीलंका** और **आसियान** जैसे विभिन्न व्यापारिक समूहों सहित कई देशों के साथ FTA पर बातचीत की है।
- **अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA):** PTA एक ऐसा समझौता है जिसमें **साझेदार देश** विशिष्ट वस्तुओं पर टैरिफ कम करके **कुछ उत्पादों तक अधिमान्य पहुँच** प्रदान करते हैं। कुछ टैरिफ को तो पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ FTA के विपरीत, **PTA आम तौर पर कम व्यापक** होते हैं और केवल सीमित संख्या में वस्तुओं को ही कवर कर सकते हैं। कुछ उत्पादों के लिये **टैरिफ को शून्य तक भी कम किया जा सकता है।**
- ❖ **भारत ने अफगानिस्तान** के साथ एक PTA पर हस्ताक्षर किये हैं।

- **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):** CEPA, FTA से अधिक व्यापक है, जिसमें सेवाओं में व्यापार, निवेश और व्यापक आर्थिक सहयोग शामिल है। भारत ने दक्षिण **कोरिया और जापान के साथ CEPA** स्थापित किया है।
- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA):** CECA मुख्य रूप से व्यापार शुल्क और **टैरिफ दर कोटा (TRQ)** पर केंद्रित है, लेकिन CEPA की तुलना में कम व्यापक है। भारत ने **मलेशिया के साथ CECA** पर हस्ताक्षर किये हैं।

भारत के प्रमुख व्यापार समझौते

पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- भारत-श्रीलंका FTA
- भारत-नेपाल व्यापार संधि
- व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता

भारत के क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

- **भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता (11):** 10 आसियान देश + भारत
- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (7):** भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव
- **व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली** (41 देश + भारत)

भारत का CECA और CEPA

CECA/CEPA मुक्त व्यापार समझौते से अधिक व्यापक है, जो नियामक, व्यापार एवं आर्थिक पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करता है, CEPA में सेवाओं, निवेश आदि समेत व्यापक क्षेत्र है, जबकि CECA मुख्य रूप से टैरिफ और TQR दरों के समझौते पर केंद्रित है।

- **संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, जापान** के साथ CEPA
- **सिंगापुर, मलेशिया** के साथ CECA

मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच एक व्यापक समझौता है, जो विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को छोड़कर एक नकारात्मक सूची (negative list) के साथ अधिमान्य व्यापार शर्तों और टैरिफ रियायतों की पेशकश करता है।

- **अन्य:**
  - भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)
  - भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS)
  - भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA)

एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS) FTA/CECA/CEPA से पहले होता है, जहाँ समझौता करने वाले देश टैरिफ उदारीकरण के लिये उत्पादों का चयन करते हैं, व्यापक व्यापार समझौतों का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं।

अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA)

PTA में भागीदार सहमत टैरिफ सीमाओं पर शुल्क कम करके, कम या शून्य टैरिफ के लिये पात्र उत्पादों की एक सकारात्मक सूची बनाए रखते हुए विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुँच प्रदान करते हैं।

- **एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (APTA):** बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ PDR, श्रीलंका और मंगोलिया
- **SAARC अधिमान्य व्यापार समझौता (SAPTA):** SAFTA के समान
- **भारत-MERCOSUR PTA:** ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और भारत
- **चिली, अफगानिस्तान** के साथ भारत का PTA

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को गहरा करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **क्षेत्रीय तंत्रों का अभाव:** भारत ने **अभी तक** लैटिन अमेरिका को एक क्षेत्र के रूप में या **मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (SICA), लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्यों के समुदाय (CELAC), मर्कोसुर** और **प्रशांत गठबंधन** जैसे उप-समूहों के साथ संलग्न करने के लिये एक **रूपरेखा विकसित नहीं की** है।
  - ❖ लैटिन अमेरिका के भीतर क्षेत्रीय एकीकरण अभी भी अधूरा है, जिससे अल्पावधि में द्विपक्षीय संबंध अधिक व्यवहार्य हो गए हैं।
- **सीमित व्यापार समझौते: मर्कोसुर** और **चिली** के साथ मौजूदा **अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA)** का दायरा **दक्षिण कोरिया**, जापान या **आसियान के साथ भारत के FTA की तुलना में संकीर्ण** है।
  - ❖ बढ़ते निर्यात के बावजूद, लैटिन अमेरिका को **मुद्रास्फीति, राजनीतिक अस्थिरता** और **बुनियादी ढाँचे में कम निवेश** जैसी **आर्थिक चुनौतियों का सामना** करना पड़ रहा है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है।
- **चीन का प्रभुत्त्व:** भारत को **चीन की महत्त्वपूर्ण व्यापारिक उपस्थिति,** रणनीतिक निवेश और प्रमुख लैटिन अमेरिकी देशों के साथ **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA)** से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- **भौगोलिक बाधाएँ:** व्यापार क्षेत्र और सांस्कृतिक संबंधों में सकारात्मक विकास के बावजूद, **भौगोलिक दूरी** और **भाषा संबंधी बाधाएँ** सामाजिक संपर्कों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं, जिनमें **उच्च यात्रा लागत** और लैटिन अमेरिका की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिये **वीज़ा संबंधी कठिनाइयाँ** शामिल हैं।
  - ❖ बहुत से भारतीय अभी भी लैटिन अमेरिकी देशों को **पुरानी रूढ़ियों** के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि **"बनाना रिपब्लिक"** जो अस्थिरता और नशीली दवाओं की तस्करी की विशेषता रखते हैं। इसके विपरीत, **लैटिन अमेरिकी प्राय: भारत को केवल अध्यात्म और गुरुओं की भूमि के रूप में देखते हैं।**
- **द्विपक्षीय तालमेल:** यह संबंध **जलवायु परिवर्तन, व्यापार** और **सुरक्षा जैसे मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग से प्रेरित** है, हालाँकि **रक्षा और अंतरिक्ष** जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सीमित भागीदारी देखी गई है।

लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिये भारत क्या रणनीति अपना सकता है?

- **"फोकस: LAC कार्यक्रम को पुन: सक्रिय करना:** इस व्यापार संवर्द्धन कार्यक्रम से **बाज़ार पहुँच को मज़बूती** मिलने के साथ संस्थागत तंत्र में सुधार एवं आर्थिक बुनियादी ढाँचे का विकास हो सकता है जिससे **व्यापार के लिये अनुकूल वातावरण** तैयार हो सकेगा।
  - ❖ उन क्षेत्रों में चयनात्मक व्यापार को बढ़ावा देना चाहिये जहाँ भारत को प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्राप्त हों जैसे
- **द्विपक्षीय समझौते एवं निवेश प्रोत्साहन:** भारत को **लैटिन अमेरिकी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** एवं तरजीह व्यापार व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिये जिसमें **प्रौद्योगिकी, कृषि** तथा **स्वच्छ ऊर्जा** जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - ❖ भारत एवं लैटिन अमेरिकी देशों के बीच **पर्सन टू पर्सन (P2P) एवं बिज़नेस टू बिज़नेस (B2B) संबंधों को बढ़ावा देने से सांस्कृतिक आदान-प्रदान** में सुविधा होगी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **राजनयिक समन्वय:** उच्च स्तरीय यात्राओं, **क्षेत्रीय व्यापार शिखर सम्मेलनों में भागीदारी** तथा **सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से राजनयिक संबंधों को मज़बूत** करने के साथ गहन आर्थिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
- **उन्नत निर्यात संवर्द्धन: भारतीय निर्यातकों को लैटिन अमेरिकी बाज़ार** में प्रवेश करने के लिये वित्तीय सहायता तथा लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है।
  - ❖ **निर्यात संवर्द्धन परिषदें** एवं **उद्योग संघ** इस संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **लैटिन अमेरिकी हितों पर बल देना:** भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर **वेनेजुएला, अर्जेंटीना एवं हैती** जैसे लैटिन अमेरिकी देशों के लिये सक्रिय रूप से समर्थन देना चाहिये।
  - ऐसा करके भारत अपने राजनयिक संबंधों को मज़बूत कर सकता है तथा इन देशों के साथ एकजुटता (विशेष रूप से **आर्थिक अस्थिरता** और **राजनीतिक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर ध्यान देने में**) प्रदर्शित कर सकता है।
- **सेवा व्यापार संवर्द्धन:** FTA साझेदारों के साथ संबंधित सेवा क्षेत्रों में गैर-टैरिफ बाधाओं का एक व्यापक डाटाबेस तैयार करना चाहिये।
  - प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक योग्यताओं के क्रम में **पारस्परिक मान्य समझौते** स्थापित करने चाहिये।
  - **सेवा प्रदाताओं के लिये** बाजार पहुँच संबंधी मुद्दों की रिपोर्ट करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, **यूरोपीय संघ की व्यापार बाधा रिपोर्टिंग प्रणाली के समान** एक प्रणाली लागू करनी चाहिये।
  - बाजार-विशिष्ट रणनीतियों के साथ समर्पित सेवा निर्यात संवर्द्धन परिषदों की स्थापना करनी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. लैटिन अमेरिका के साथ भारत के व्यापार संबंधों से जुड़ी चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा कीजिये।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey- HCES) 2023-24** की फैक्टशीट जारी की है, जो भारत में उपभोग पैटर्न और आर्थिक कल्याण के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण क्या है?

- HCES जीवन स्तर, कल्याण और उपभोग व्यवहार का आकलन करने हेतु घरेलू व्यय पैटर्न संबंधी डेटा एकत्र करता है।
- HCES का संचालन **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO)** द्वारा वर्ष 1951 से **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** के अंतर्गत **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey-NSS)** के एक भाग के रूप में किया जाता रहा है।
- **महत्त्व:** यह सर्वेक्षण **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Indices- CPI) की गणना और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों** के लिये आधार वर्ष को संशोधित करने हेतु इनपुट प्रदान करता है।
  - HCES **गरीबी, असमानता** तथा सामाजिक कल्याण को मापने में मदद करता है।

HCES 2023-24 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **खपत में वृद्धि:** ग्रामीण उपभोग व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, औसत **मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (Monthly Per Capita Expenditure- MPCE)** बढ़कर **4,122 रुपए हो गया है (वर्ष 2022-23 के 3,773 रुपए से 9.3% अधिक)।**
  - शहरी क्षेत्रों का MPCE 6,996 रुपए है (वर्ष 2022-23 के 6,459 रुपए से 8.3% अधिक)।
  - ग्रामीण और शहरी खपत के बीच का अंतर वर्ष **2011-12 के 83.9% से घटकर वर्ष 2023-24 में 69.7% हो गया,** जो दर्शाता है कि शहरी खपत की तुलना में ग्रामीण खपत तेज़ी से बढ़ रही है।
  - **कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निशुल्क लाभ** (जैसे, खाद्यान्न, स्कूल यूनिफॉर्म) के लिये निर्धारित मूल्यों ने MPCE अनुमानों में मामूली वृद्धि की।
    - ग्रामीण MPCE 4,247 रुपए (निर्धारण सहित) और शहरी 7,078 रुपए (निर्धारण सहित)।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ: सिक्किम में MPCE सबसे अधिक** रही (ग्रामीण 9,377 रुपए और शहरी 13,927 रुपए), जबकि **छत्तीसगढ़** (ग्रामीण 2,739 रुपए और शहरी 4,927 रुपए) में **सबसे कम** MPCE दर्ज किया गया।
  - **महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना** और **केरल में** प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय औसत से अधिक रहा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश** और **मध्य प्रदेश में** व्यय राष्ट्रीय औसत से कम था।
- ❖ केंद्रशासित प्रदेशों में, MPCE **चंडीगढ़ में सबसे अधिक है** (ग्रामीण 8,857 रुपए और शहरी 13,425 रुपए), जबकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (4,311 रुपए) और जम्मू और कश्मीर (6,327 रुपए) में क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में MPCE सबसे कम है।

- **उपभोग असमानता:** **गिनी गुणांक** द्वारा मापी गई उपभोग **असमानता** ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर कम हुई है।
  - ❖ ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गिनी गुणांक वर्ष 2022-23 के 0.266 से घटकर वर्ष 2023-24 में **0.237 हो गया है** तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 0.314 से घटकर 0.284 हो गया है।
- **खाद्य व्यय:** 2023-24 में खाद्य पर खर्च में वृद्धि **ग्रामीण (47.04%) और शहरी (39.68%),** जिससे दोनों स्तरों पर पिछली गिरावट का रुख पलट गया।
  - ❖ भोजन पर सबसे अधिक व्यय **पेय पदार्थों, जलपान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर हुआ,** इसके बाद दुग्ध, दुग्ध से निर्मित उत्पाद तथा सब्जियों पर अधिक व्यय हुआ।
- **गैर-खाद्य व्यय:** गैर-खाद्य व्यय का हिस्सा भी उच्च रहा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में **52.96% तथा** शहरी क्षेत्रों में **60.32% रहा।**
  - ❖ ग्रामीण परिवारों ने **परिवहन** (7.59%), **चिकित्सा** (6.83%) और **कपड़े तथा बिस्तर (6.63%) पर अधिक खर्च किया, जबकि शहरी परिवारों ने परिवहन** (8.46%), **विविध वस्तुओं** (6.92%) और **किराए** (6.58%) पर अधिक खर्च किया।
- **अस्थिर उपभोग पैटर्न:** 2023-24 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की शीर्ष 5% आबादी के उपभोग व्यय में 2022-23 की तुलना में कमी दर्ज की गई है।
- इसके विपरीत, निचले 5% वर्ग के उपभोग व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जहाँ ग्रामीण व्यय में 22% तथा शहरी व्यय में 19% की वृद्धि हुई।
  - ❖ यह निम्न आय वर्ग के उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो आर्थिक सुधार का संकेत है।

ALL-INDIA CONSUMPTION TREND

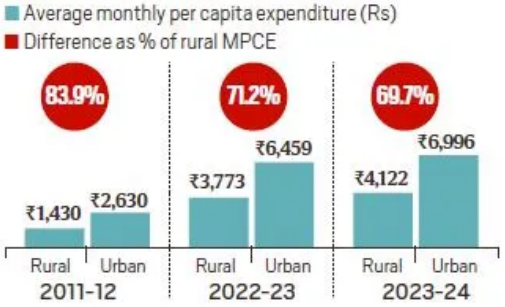

SHARE OF FOOD IN MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURE

(% share of food in MPCE)

Year	Rural India	Urban India
1999-2000	59.46	48.06
2004-05	53.11	40.51
2011-12	52.9	42.62
2022-23	46.38	39.17
2023-24	47.04	39.68

SPENDING ON FOOD ITEMS (% share of MPCE)

	2011-12		2022-23		2023-24	
	RURAL	URBAN	RURAL	URBAN	RURAL	URBAN
Beverages, processed food	7.90	8.98	9.62	10.64	9.84	11.09
Milk & milk products	8.04	7.01	8.33	7.22	8.44	7.19
Vegetables	6.62	4.63	5.38	3.80	6.03	4.12
TOTAL *	52.90	42.62	46.38	39.17	47.04	39.68

SPENDING ON NON-FOOD ITEMS

RURAL INDIA (% share of MPCE)

	2011-12	2022-23	2023-24
Conveyance	4.20	7.55	7.59
Durable goods	4.85	6.89	6.48
Fuel and light	7.98	6.66	6.11
Total *	47.10	53.62	52.96

URBAN INDIA (% share of MPCE)

	2011-12	2022-23	2023-24
Conveyance	6.52	8.59	8.46
Durable goods	5.60	7.17	6.87
Rent	6.24	6.56	6.58
Total *	57.38	60.83	60.32

*Source: Household Consumption Expenditure Survey 2023-24; * Includes other products*

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

महत्त्वपूर्ण शब्दावली

- **मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE):** भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, परिवहन और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय।
- **उपभोग असमानता:** इसका तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों या परिवारों के बीच उपभोग व्यय या वस्तुओं तथा सेवाओं के असमान वितरण से है।
  - ❖ **गिनी गुणांक** उपभोग असमानता को मापता है, जहाँ **0 पूर्ण समानता को जबकि और 100 पूर्ण असमानता को दर्शाता है**। यह परिवारों या व्यक्तियों के बीच उपभोग में असमानता को मापता है।

नीति निर्माण पर HCES निष्कर्षों के क्या निहितार्थ हैं?

- **ग्रामीण विकास:** ग्रामीण-शहरी अंतराल में कमी ग्रामीण आय में सुधार का संकेत देती है, जो संभवत: **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)** और **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)** जैसी योजनाओं से प्रभावित है। इस प्रगति को बनाए रखने के लिये आगे नीतिगत समर्थन आवश्यक है।
  - ❖ **ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन** पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च बेहतर ग्रामीण परिवहन बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि लागत को कम किया जा सके।
  - ❖ ग्रामीण गैर-खाद्य क्षेत्रों, जैसे **परिवहन और टिकाऊ वस्तुओं**, में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **विभिन्न क्षेत्रकों में परिवर्तन: सेवाओं (जैसे, परिवहन, मनोरंजन) पर** बढ़ता व्यय **सेवा-संचालित अर्थव्यवस्था** की ओर विस्थापन का संकेत देता है।
  - ❖ नीतियों निर्माण के दौरान इन **उभरते क्षेत्रों में कौशल और रोज़गार सृजन** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - ❖ ग्रामीण उपभोग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, नीतियों का उद्देश्य **कौशल विकास और ग्रामीण औद्योगिकीकरण के माध्यम से इस प्रगति को स्थिर बनाए रखना** होना चाहिये।
- **शहरी नियोजन और आवास: किराये और परिवहन पर उच्च शहरी व्यय किफायती आवास नीतियों तथा बेहतर सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढाँचे** की आवश्यकता को उजागर करता है।
  - ❖ समान विकास सुनिश्चित करने के लिये शहरी नीतियों को आय वृद्धि में अस्थिरता को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिये।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ: बिहार** जैसे औसत से कम खपत वाले राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोज़गार पर केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण: नीति निर्माताओं को** गुणवत्ता मानकों और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये **प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों को विनियमित करना** चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. HCES 2023-24 के अनुसार ग्रामीण-शहरी उपभोग अंतराल को कम करने में योगदान देने वाले कारकों तथा ग्रामीण विकास नीतियों के लिये इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये।

छत्तीसगढ़ द्वारा वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ना

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को **हरित सकल घरेलू उत्पाद** से जोड़ा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इस दृष्टिकोण से **वनों के आर्थिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों** के साथ जैवविविधता संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन शमन के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है।
- यह पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए **सतत् विकास** प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन GDP) क्या है?

- **पारंपरिक GDP:** यह किसी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित **वस्तुओं एवं सेवाओं के वार्षिक मूल्य** का माप है। GDP वर्ष 1944 से वैश्विक मानक के रूप में स्थापित है।
  - GDP की संकल्पना देने वाले अर्थशास्त्री **साइमन कुज़नेट्स ने कहा कि GDP से किसी देश के वास्तविक कल्याण का संकेत** नहीं मिलता है क्योंकि इसमें पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण जैसे कारकों की अनदेखी होती है।
- **ग्रीन GDP:** यह **पारंपरिक GDP का संशोधित** संस्करण है जिसके तहत **आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय लागतों** को ध्यान में रखा जाना शामिल है।
  - इसके तहत **आर्थिक उत्पादन के क्रम में प्राकृतिक संसाधनों में होने वाली कमी, पर्यावरणीय क्षरण** तथा प्रदूषण जैसे कारकों को शामिल किया जाता है, जिससे किसी देश की वास्तविक संपदा के संदर्भ में अधिक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है।
- **ग्रीन GDP की आवश्यकता:** पारंपरिक GDP में **धारणीयता, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक कल्याण** को नज़रअंदाज किया जाता है। इसमें पर्यावरण पर दीर्घकालिक परिणामों के संदर्भ में विचार किये बिना केवल **आर्थिक उत्पादन** पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - दूसरी ओर, हरित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से यह सुनिश्चित होता है कि **आर्थिक विकास धारणीय प्रथाओं** के अनुरूप हो तथा पर्यावरणीय क्षति एवं प्राकृतिक संसाधनों की कमी की वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित किया जा सके।
- **फॉर्मूला:**
  - विश्व बैंक के अनुसार, **ग्रीन GDP = NDP (शुद्ध घरेलू उत्पाद) - (प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत + पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण की लागत)।**
    - जहाँ एनडीपी = GDP - उत्पादित परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास।
    - **प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत** से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली मूल्य हानि से है।
    - **पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण की लागत** से तात्पर्य प्रदूषण एवं वनों की कटाई जैसे पर्यावरणीय कारकों से होने वाली हानि से है।

नोट: वर्ष 2024 में उत्तराखंड, **सकल पर्यावरण उत्पाद (GEP) सूचकांक** शुरू करने वाला विश्व स्तर पर **पहला राज्य** बन गया। इस सूचकांक में पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से परे पर्यावरण में किये जाने वाले योगदान को भी मापा जाना शामिल है।

- **GEP सूचकांक में वृक्ष प्रजातियों के मूल्य, उत्तरजीविता दर तथा संरक्षण प्रयासों** जैसे कारकों को शामिल किया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन करने के क्रम में एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

छत्तीसगढ़ द्वारा वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने के क्या निहितार्थ हैं?

- **छत्तीसगढ़ में वनों की भूमिका:** **भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 के अनुसार,** छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि (683.62 वर्ग किमी) दर्ज की गई।
  - ❖ राज्य का कुल वन क्षेत्र इसके **भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में 44.2%** है जो **कार्बन डाइऑक्साइड को** अवशोषित करने में प्रमुख भूमिका निभाने के साथ जलवायु परिवर्तन शमन में प्रमुख योगदान देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ❖ छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन **लाखों लोगों की आजीविका** का आधार हैं तथा **तेंदू पत्ता, लाख, शहद एवं औषधीय पौधे** जैसे वन उत्पाद **ग्रामीण अर्थव्यवस्था** के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- ❖ छत्तीसगढ़ के वन स्थानीय जनजातीय परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जहाँ **सरना और मंदार जैसे पवित्र वनों को** दैवीय स्थल के रूप में पूजा जाता है।

- **वनों को हरित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से जोड़ने के निहितार्थ:** इस दृष्टिकोण से **वनों के आर्थिक और पारिस्थितिक मूल्य** पर प्रकाश पड़ता है तथा विकास एवं स्थिरता के बीच संतुलन को बढ़ावा मिलता है।
  - ❖ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देने के साथ राज्य का लक्ष्य भावी पीढ़ियों के लिये पर्यावरण के **दीर्घकालिक स्वास्थ्य** को सुनिश्चित करना है।

ग्रीन GDP से सतत् विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलता है?

- **संसाधनों का सतत् उपयोग:** पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन GDP से अधिक सतत् उत्पादन एवं उपभोग पैटर्न को प्रोत्साहन मिलने के साथ **SDG 12 (ज़िम्मेदार उपभोग और उत्पादन)** को महत्त्व मिलता है।
  - ❖ **हरित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के तहत आर्थिक उत्पादन को अधिकतम** करने के साथ प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण पर बल दिया जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन: हरित GDP** के अंतर्गत **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता** में कमी लाने के साथ **नवीकरणीय ऊर्जा** को अपनाने को महत्त्व दिया जाता है, जो **SDG 13 (जलवायु कार्रवाई)** के अनुरूप है।
- **जैवविविधता संरक्षण:** ग्रीन GDP पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रजातियों की सुरक्षा पर केंद्रित है, जो **SDG 15 (भूमि पर जीवन)** और **SDG 14 (जल के नीचे जीवन)** के अनुरूप है।
  - ❖ इससे नीति निर्माताओं को ऐसे नियम बनाने का प्रोत्साहन मिलता है जिससे आर्थिक विकास को पारिस्थितिकी स्थिरता के साथ संतुलित किया जा सके।
- **हरित निवेश को प्रोत्साहन:** हरित GDP से **धारणीय प्रौद्योगिकियों एवं प्रथाओं** में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ **हरित क्षेत्र से संबंधित रोज़गार और उद्योगों** को बढ़ावा मिलता है।
  - ❖ इसके तहत पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के साथ समावेशी, सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाना शामिल है, जो **SDG 8 (सम्मानजनक रोज़गार और आर्थिक विकास)** के अनुरूप है।

ग्रीन GDP से संबंधित वैश्विक प्रथाएँ

- **संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र** द्वारा विकसित **पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA)** के तहत **आर्थिक एवं पर्यावरणीय आँकड़ों** को एकीकृत किया जाना शामिल है ताकि **अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण** के बीच अंतर्संबंधों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के साथ पर्यावरणीय परिसंपत्तियों और मानवता के लिये उनके लाभों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- **यूरोपीय संघ: यूरोपीय संघ की GDP से परे पहल** के तहत **आर्थिक आकलन में धारणीयता मैट्रिक्स** को एकीकृत किया जाना शामिल है, जिसके तहत ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **विश्व बैंक: संपत्ति लेखांकन एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (WAVES)** एक **विश्व बैंक** के नेतृत्व वाली प्रणाली है जो विकास योजनाओं में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन को एकीकृत करने के साथ सतत् विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **भूटान: भूटान द्वारा सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH)** रूपरेखा के तहत पारिस्थितिक स्थिरता को अपनी विकास नीतियों के मूल में रखा जाना शामिल है।
- **अन्य देश: चीन, नॉर्वे एवं अमेरिका** ने पर्यावरणीय लागतों को अपने राष्ट्रीय लेखांकन में शामिल करने संबंधी प्रयोग किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ग्रीन GDP फ्रेमवर्क के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वनावरण की परिभाषा:** भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) के अंतर्गत "वन" शब्द में **पाम ऑयल और रबर** जैसे बागान शामिल हैं, जो पर्यावरण के लिये **हानिकारक हो सकते हैं** तथा **प्राकृतिक वनों के समान पारिस्थितिक लाभ** प्रदान नहीं कर सकते हैं।
  - ❖ **उदाहरण: पाम ऑयल और रबर बागान** द्वारा अक्सर **प्राकृतिक वनों** का स्थान ले लिया जाता है जिससे **जैवविविधता की हानि एवं** मृदा क्षरण के साथ **पर्यावरणीय व्यवधान** उत्पन्न होते हैं।
  - ❖ ग्रीन GDP गणना में वृक्षारोपण को वन मान लेने से **राज्य के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य की भ्रामक तस्वीर** प्रस्तुत हो सकती है।
  - ❖ **राजनीतिक एजेंडा:** यदि **वन क्षेत्र को वित्तपोषण का मानदंड** बना दिया जाता है तो कम पारिस्थितिकी वन मूल्य वाले राज्य **अनुदान प्राप्त करने के क्रम में आँकड़ों में हेरफेर** कर सकते हैं।
- **स्थानीय निकायों का एकीकरण:** स्थानीय निकायों (जैसे पंचायतों) को **हरित GDP ढाँचे में शामिल करना** चुनौतीपूर्ण है क्योंकि **जमीनी स्तर पर राजनेताओं में जागरूकता और साक्षरता** की कमी है।
- **लाभों के संबंध में स्पष्टता का अभाव:** ग्रीन GDP लेखांकन के वित्तीय लाभों (कि यह स्थानीय समुदायों, जैसे **जनजातियों एवं वनवासियों** किस प्रकार मिलेंगे, जिन्होंने पारंपरिक रूप से **पीढ़ियों से वनों को संरक्षित** किया है) के संबंध में स्पष्टता का अभाव है।
- **पद्धतिगत अंतर: ग्रीन GDP की गणना के लिये कोई एकल, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विधि नहीं** है, जिससे विभिन्न देशों के बीच तुलना करना कठिन हो जाता है।
  - ❖ पर्यावरणीय लागतों एवं सेवाओं का मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है तथा यह स्थानीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है।

आगे की राह

- **एक स्पष्ट मानक ढाँचा:** सरकारों को हरित सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिये एक सुसंगत एवं पारदर्शी पद्धति अपनाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरणीय सेवाओं तथा लागतों में स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।
- **सार्वजनिक निगरानी:** हेरफेर से बचने के लिये, डेटा पारदर्शी होना चाहिये और विश्लेषकों एवं आलोचकों के परीक्षण हेतु उपलब्ध होना चाहिये।
- **मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता को प्राथमिकता देना:** बेहतर कार्बन पृथक्करण और जैवविविधता संरक्षण के लिये स्थानीय वनों तथा पारिस्थितिकी प्रणालियों को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **जन जागरूकता:** ग्रीन GDP के लाभों के बारे में समुदायों को शिक्षित करना चाहिये। वन संरक्षण के लिये **स्थानीय समुदायों** को प्रोत्साहित करने से न्यायसंगत तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. ग्रीन GDP के बारे में बताइये। सतत् विकास को बढ़ावा देने में भारत जैसे देशों के लिये यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2025

चर्चा में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा **'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2025'** को जारी किया गया, जिसमें **वर्ष 2030 तक वैश्विक रोज़गार बाज़ार को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों** एवं परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है।

- **55 अर्थव्यवस्थाओं** से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में **वर्ष 2030 तक 78 मिलियन नौकरियों** की शुद्ध वृद्धि का अनुमान लगाया गया है तथा इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार **प्रौद्योगिकी, आर्थिक बदलाव एवं हरित परिवर्तन** से रोज़गार एवं कौशल पर प्रभाव पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

WEF रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **उभरते क्षेत्र:** सबसे तेजी से उभरते क्षेत्र में फ्रंटलाइन रोज़गार (कृषि श्रमिक, डिलीवरी), देखभाल अर्थव्यवस्था, तकनीकी भूमिकाएँ और ग्रीन ट्रांजिशन से संबंधित रोज़गार शामिल हैं।
- **कम प्रभाव वाले क्षेत्र:** इस रिपोर्ट में पाया गया है कि कैशियर, डाटा एंट्री क्लर्क एवं बैंक टेलर जैसी लिपिकीय भूमिकाओं में काफी गिरावट आने की संभावना है।
- **रोज़गार का विस्थापन और सृजन: स्वचालन, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश** और **वृद्ध होती आबादी** के कारण रोज़गार कम हो रहे हैं लेकिन **नई तकनीक एवं मशीन प्रबंधन सम्बन्धी भूमिकाओं में वृद्धि** हो रही हैं।
  - धीमी आर्थिक संवृद्धि के कारण **वैश्विक स्तर पर 1.6 मिलियन रोज़गार समाप्त** होने की आशंका है।
- **तकनीकी उन्नति: डिजिटल पहुँच** का विस्तार सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति है, **60% नियोक्ताओं को** उम्मीद है कि इससे वर्ष 2030 तक **व्यवसायों का स्वरूप** बदल जाएगा।
  - **उच्च कौशल की मांग वाली** प्रमुख प्रौद्योगिकियों में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सूचना प्रसंस्करण (86%), रोबोटिक्स तथा स्वचालन (58%) और ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ (41%)** शामिल हैं।
- **हरित परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन प्रवृत्तियों से अक्षय ऊर्जा इंजीनियरों, पर्यावरण इंजीनियरों** और इलेक्ट्रिक तथा स्वायत्त वाहनों के विशेषज्ञों जैसी भूमिकाओं की मांग बढ़ रही है।
- **जनसांख्यिकीय बदलाव:** वृद्ध होती आबादी एवं कम होते कार्यबल से श्रम आपूर्ति प्रभावित होती है।
- **उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं** में वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य सेवा की मांग बढ़ जाती है जबकि **निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं** में बढ़ते कार्यबल के कारण शिक्षकों तथा प्रतिभाशाली प्रबंधकों की मांग बढ़ जाती है।
- **भू-आर्थिक विखंडन:** भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार प्रतिबंध **34% संगठनों में व्यापार मॉडल परिवर्तन को प्रेरित कर रहे हैं।**
  - **व्यवसायों द्वारा अपने परिचालन को विदेश में स्थानांतरित करने और पुन: विदेश में हस्तांतरित करने** की अधिक संभावना है।
  - भू-राजनीतिक तनाव **सुरक्षा भूमिकाओं और साइबर सुरक्षा कौशल की मांग को बढ़ा रहे हैं।**
- **भारत से संबंधित निष्कर्ष:** भारत AI कौशल नामांकन में अग्रणी है, तथा कॉर्पोरेट प्रायोजन से **GenAI प्रशिक्षण को काफी बढ़ावा मिल रहा है।**
- भारत में नियोक्ता वैश्विक तकनीक अपनाने में तेजी लाने का लक्ष्य रखते हैं, 35% नियोक्ता **सेमीकंडक्टर** और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों से तथा 21% नियोक्ता **क्वांटम और एन्क्रिप्शन से** परिचालन में परिवर्तन की उम्मीद करते हैं।
- **भारत और उप-सहारा अफ्रीकी देश,** आने वाले वर्षों में लगभग **दो-तिहाई नए कार्यबल की आपूर्ति करेंगे।**

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

- **परिचय: WEF सार्वजनिक-निज़ी सहयोग** के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय **ज़िनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में स्थित है।
  - **यह उद्योगों, क्षेत्रों और वैश्विक स्तर** पर एजेंडा को आकार देने के लिये वैश्विक नेताओं को शामिल करता है।
- **आधार : वर्ष 1971 में क्लॉस श्वाब द्वारा यूरोपीय प्रबंधन फोरम** के रूप में स्थापित, WEF ने **"हितधारक पूंजीवाद"** की शुरुआत की, जो शेयरधारकों के लिये न केवल अल्पकालिक लाभ पर बल्कि सभी हितधारकों के लिये **दीर्घकालिक मूल्य पर ज़ोर देता है।**
- **विकास:** वर्ष **1973 में** WEF ने अपना ध्यान **आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया।** इसने वर्ष 1975 में विश्व की अग्रणी **1,000 कंपनियों के लिये सदस्यता की शुरुआत की।**
  - **वर्ष 1987** में इसे **विश्व आर्थिक मंच का नाम दिया गया,** जिससे संवाद के लिये एक मंच के रूप में इसकी भूमिका व्यापक हो गई। वर्ष 2015 में इसे एक **अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **प्रमुख रिपोर्ट:** WEF प्रमुख रिपोर्टें प्रकाशित करता है, जिसमें **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक, विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक** शामिल हैं।

उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण भारत में रोज़गार के लिये क्या चुनौतियाँ हैं?

- **रोज़गार विस्थापन: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के अनुसार, **विनिर्माण एवं सेवा** जैसे क्षेत्रों में **दोहराव वाले कार्यों** का स्वचालन हो रहा है, जिसके कारण **संभावित रूप से रोज़गार का विस्थापन हो रहा है।**
- **कौशल की कमी: AI, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस** में विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता है। हालाँकि कार्यबल के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से में **विशेष कौशल का अभाव है**, जिससे रोज़गार की आवश्यकताओं और उपलब्ध प्रतिभा के बीच अंतर देखने को मिलता है।
- **असमान प्रौद्योगिकी अपनाना:** शहरी क्षेत्र तीव्रता से **नवीन प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं**, जबकि इस मामले में ग्रामीण क्षेत्र **पीछे हैं,** जिसके कारण रोज़गार के अवसरों और आर्थिक विकास में असमानताएँ उत्पन्न हो रही हैं।
- **अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियाँ:** अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, जो **भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, को प्रशिक्षण और शिक्षा तक पहुँच की कमी** के कारण प्रौद्योगिकी-संचालित नौकरियों में बदलाव करना कठिन हो सकता है।

आगे की राह

- **उन्नत कौशल: सरकारों, व्यवसायों और शैक्षिक संस्थानों को उभरते क्षेत्रों के अनुरूप** विशेष कौशल उन्नयन कार्यक्रम बनाने के लिये सहयोग करना चाहिये।
  - ❖ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को घटती भूमिकाओं से बढ़ती भूमिकाओं में परिवर्तन में मदद करने के लिये **कैरियर प्रगति के मार्ग** बनाने चाहिये।
- **विविधता, समानता और समावेशन (DEI): कंपनियों को विविधता भर्ती कार्यक्रमों** में निवेश करना चाहिये, जिसका लक्ष्य कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों और क्षेत्रों तक पहुँचना है, जिससे प्रतिभा समूह में वृद्धि हो सके।
- **कार्यबल के लिये AI को अपनाना: मानव रचनात्मकता और AI दक्षता** के मिश्रण को अपनाना, जहाँ मनुष्य और मशीनें **प्रतिस्पर्द्धा करने के बजाय सहयोग कर सकें**, जिससे रोज़गार का त्याग किये बगैर उत्पादकता में सुधार हो सके।
- **प्रतिभा को बनाए रखना:** नियमित **वेतन समीक्षा करना, पारिश्रमिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना, तथा** प्रतिधारण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिये **स्टॉक विकल्प, बोनस और लाभ** जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **सार्वजनिक नीति का समर्थन:** सरकारों को **पुन: कौशल प्रदान करने और उच्च कौशल प्रदान करने हेतु पहलों को वित्तपोषित करना चाहिये**, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी से प्रभावित उद्योगों के लिये, साथ ही **विस्थापित श्रमिकों के लिये पुन: प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिये।**

निष्कर्ष

WEF की **'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025' में कौशल वृद्धि, तकनीकी बदलावों के अनुकूल होने और** कार्यबल में विविधता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। सरकारों और व्यवसायों को भविष्य की नौकरी की मांगों को पूरा करने के लिये कौशल, AI और समावेशी विकास रणनीतियों में निवेश करके **लचीले श्रम बाज़ार निर्माण के लिये सहयोग करना चाहिये।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. वर्ष 2030 तक वैश्विक श्रम बाज़ारों पर तकनीकी प्रगति और आर्थिक स्थितियों के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।

विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण

चर्चा में क्यों?

दिसंबर 2024 में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने सरकार द्वारा चंडीगढ़ में **विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM)** का निजीकरण किये जाने की योजना का समर्थन करते हुए **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय** के निर्णय को बरकरार रखा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण की क्या आवश्यकता है?

- **उच्च AT&C घाटा:** किये गए सुधारों के बावजूद भी भारत का **कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) घाटा वित्त वर्ष 2024 में 17.6%** के उच्च स्तर पर बना रहा, जो विद्युत चोरी और बिना बिल की विद्युत आपूर्ति जैसे मुद्दों को दर्शाता है जो लंबे समय से बने हुए हैं।
  - ये घाटे DISCOMs की वित्तीय स्थिति को कमज़ोर करते हैं और बुनियादी ढाँचे में निवेश करने की उनकी क्षमता भी सीमित होती है।
- **प्रणालीगत अक्षमताएँ:** 87% की **बिलिंग दक्षता** और 97.3% की **संग्रहण दक्षता** निरंतर बनी परिचालन अक्षमता को दर्शाता है।
  - इस अंतराल से **राजस्व सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ता है, जिससे DISCOM पर वित्तीय दबाव बढ़ता है।
- **निरंतर बढ़ता वित्तीय दबाव: आपूर्ति की औसत लागत (ACS)** और **औसत प्राप्ति योग्य राजस्व (ARR)** के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2022 में 33 पैसे प्रति यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में **55 पैसे प्रति यूनिट हो गया।**
  - इस अंतराल से कंपनियों का ऋण बढ़ता है जिससे वे राज्य सब्सिडी पर निर्भर हो जाते हैं।
- **राज्यों पर सब्सिडी का बोझ:** भारत के विद्युत वितरण क्षेत्र में वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में **44,000 करोड़ रुपए** से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में लगभग **79,000 करोड़ रुपए** हो गया।
  - यह निर्भरता विद्युत क्षेत्र में **अस्थिर वित्तीय प्रबंधन** को दर्शाती है।
- **विद्युत की बढ़ती मांग और लागत: वित्त वर्ष 23 में विद्युत की मांग में 8%** की तीव्र वृद्धि, **महंगे कोयले के आयात** पर निर्भरता और उच्च विनिमय मूल्यों के कारण **औसत विद्युत खरीद** लागत **71 पैसे/किलोवाट घंटा** बढ़ गई।
  - संरचनात्मक परिवर्तनों के बिना, इन बढ़ती लागतों से सार्वजनिक क्षेत्र की DISCOM के लिये वित्तीय अस्थिरता और बढ़ सकती है।
- **निजी मॉडलों की प्रमाणित सफलता: दिल्ली में**, निजीकरण के कारण AT&C घाटे में उल्लेखनीय कमी आई, जो वर्ष **2002 में 50% से अधिक था और बाद में एकल अंक के स्तर पर आ गया**, जिससे यह उजागर हुआ कि परिचालन में सुधार हो सकता है।
  - निजीकरण के कारण दिल्ली सरकार को **वार्षिक रूप से लगभग 1,200 करोड़ रुपए की बचत हुई**, जो पूर्व में **दिल्ली विद्युत बोर्ड** पर खर्च होता था।
- **वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र सुधारों की अप्रभावीता: UDAY योजना** जैसी सरकारी पहलों से घाटे में कमी लाने या परिचालन दक्षता में सुधार करने में सीमित सफलता प्राप्त हुई है।
  - **पेशेवर प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और जवाबदेही** सुनिश्चित करने के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी को आवश्यक माना जाता है।

DISCOM के निजीकरण से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **निजीकरण के प्रति कर्मचारियों का प्रतिरोध:** सार्वजनिक क्षेत्र की DISCOM कंपनियों के कर्मचारी प्राय: **नौकरी छूटने, प्रतिकूल सेवा शर्तों और छंटनी के डर से निजीकरण का विरोध** करते हैं।
  - **दिल्ली** की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जैसे अनुभव नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय स्थिति को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं को उजागर करते हैं।
- **जटिल विधिक और विनियामक परिवेश: विद्युत अधिनियम, 2003** के अनुपालन, पूर्ण निजीकरण पर अनिश्चितता और अस्पष्ट सुधार विकल्पों के कारण चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - उदाहरण के लिये, चंडीगढ़ में **विधिक चुनौतियों** के कारण यह चिंता उत्पन्न हुई कि क्या निजी बोलीदाता ने सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, जिसके कारण प्रक्रिया में देरी हुई।
- **उपभोक्ताओं के लिये टैरिफ संबंधी चिंताएँ: निजीकरण के बाद**, परिचालन लागत और बुनियादी ढाँचे में निवेश को कवर करने के लिये प्राय: **टैरिफ** बढ़ाना आवश्यक हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं के विरोध की संभावना बढ़ जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- लागत वसूली की आवश्यकता और **सामर्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करना** नियामकों और निजी क्षेत्र के लिये एक गंभीर चुनौती है।

- **संक्रमणकालीन समर्थन का अभाव:** 1990 के दशक में ओडिशा की निजीकरण विफलता एक उदाहरण है, जहाँ पर्याप्त **वित्तीय और परिचालन संक्रमणकालीन समर्थन के अभाव** के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।
  - ओडिशा के विपरीत, दिल्ली की सफलता का श्रेय **3,450 करोड़ रुपए की संक्रमणकालीन निधि** को दिया जा सकता है, जिससे DISCOM को प्रारंभिक परिचालन संबंधी बाधाओं का प्रबंधन करने में सहायता मिली।

राज्य DISCOM की सहायता हेतु सरकार की क्या कार्यनीति है?

- **योजनाएँ:**
  - **उज्ज्वल DISCOM एश्योरेंस योजना (UDAY): वित्तीय रूप से संकटग्रस्त DISCOM को संरक्षण प्रदान करने के लिये वर्ष 2015 में शुरू की गई UDAY योजना से राज्यों को** कम ब्याज़ वाले बॉन्ड के रूप में **75% देनदारियाँ** लेने की अनुमति प्रदान कर उनके ऋण में कमी आई है।
    - इसका लक्ष्य **स्मार्ट मीटरिंग** और **चोरी में कमी** जैसे उपायों के माध्यम से **AT&C घाटे** और **बिलिंग दक्षता में सुधार करना था**।
  - **संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS):** 5 वर्ष की अवधि (**वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26**) के लिये **3,03,758 करोड़ रुपए** के बजट के साथ प्रस्तुत की गई।
    - इस योजना का उद्देश्य समग्र देश में **AT&C घाटे में 12 से 15%** की कमी लाना और **2024-25** तक **ACS** और **ARR** के बीच के अंतर को खत्म करना है।
  - **एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS):** शहरी विद्युत वितरण अवसंरचना को मज़बूत करने के लिये शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य **विश्वसनीयता में सुधार, तकनीकी घाटे को कम करना** और शहरी क्षेत्रों में बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करना है

- **अन्य उपाय:**
  - **एकीकृत रेटिंग: DISCOM की एकीकृत रेटिंग**, जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, से परिचालन और वित्तीय मापदंडों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे अकुशलताओं की पहचान करने और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है।
    - **DISCOM की एकीकृत रेटिंग के 12वें** संस्करण में AT&C घाटे में कमी और बेहतर भुगतान चक्र जैसे सुधारों पर प्रकाश डाला गया।

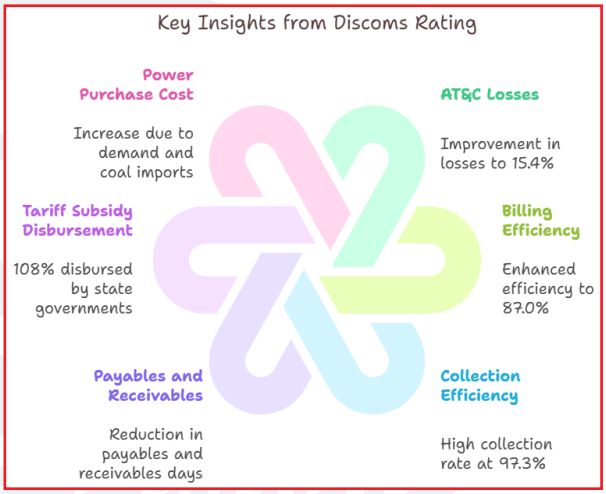

- **वित्तीय सहायता और सब्सिडी:** वित्त वर्ष 2023 के दौरान, राज्य सरकारों ने **बुक की गई टैरिफ सब्सिडी का 108% वितरित किया**, जिससे DISCOM द्वारा घाटे की स्थिति में भी परिचालन जारी रखना सुनिश्चित किया गया।
  - दिल्ली जैसे मामलों में, निजीकरण के बाद परिचालन को स्थिर करने में **3,450 करोड़ रुपए का संक्रमणकालीन वित्तपोषण सहायक रहा।**
- **विनियामक सुधार: विलंबित भुगतान अधिभार नियमों** के अंतर्गत देय दिनों की संख्या घटाकर **126 दिन** और प्राप्य दिनों की संख्या घटाकर **119 दिन कर दिया है, जिससे DISCOM** पर चलनिधि संबंधी दबाव कम हो गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ ये नियम उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों को समय पर भुगतान के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

- **केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में निजीकरण:** केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों की DISCOM के निजीकरण की पहल की, जिसमें **दादरा और नागर हवेली** और **दमन और दीव** 2022 में पहले राज्य रहे।
  - ❖ **चंडीगढ़ और पुदुचेरी** में हुई प्रगति, प्रतिरोध और मुकदमों के बावजूद जारी प्रयासों को दर्शाती है।

आगे की राह

- **सहयोगात्मक हितधारक सहभागिता:** सरकारों को चिंताओं का समाधान करने और आम सहमति बनाने के लिये कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और राजनीतिक समूहों को शामिल करना चाहिये, ताकि सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।
  - ❖ पेंशन देयता साझाकरण जैसे सुरक्षा उपायों के बारे में स्पष्ट संचार से प्रतिरोध को कम किया जा सकता है।
- **नियामक सुदृढ़ीकरण:** राज्य विद्युत नियामक आयोगों को पारदर्शी टैरिफ निर्धारण लागू करने, दक्षता को प्रोत्साहित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- **क्रमिक टैरिफ युक्तिकरण:** टैरिफ समायोजन की विधि चरणबद्ध होनी चाहिये तथा लागत वसूली सुनिश्चित करते हुए सुभेद्य उपभोक्ताओं का सामर्थ्य बनाए रखने के लिये के लिये सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिये।
- **बुनियादी ढाँचे का उन्नयन:** सेवा वितरण में सुधार और घाटे को कम करने के लिये ग्रिडों का आधुनिकीकरण, स्मार्ट मीटरिंग शुरू करना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- **चरणबद्ध विधि से खुदरा प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना:** यद्यपि पूर्ण निजीकरण प्रभावी है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से खुदरा प्रतिस्पर्द्धा की संभावना खोजने से उपभोक्ताओं को विकल्प मिल सकता है और समय के साथ सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेना: सफल (दिल्ली) और असफल (ओडिशा)** दोनों मॉडलों से सीख लेकर सर्वोत्तम प्रथाओं का क्रियान्वन करने से निजीकरण के लिये प्रभावी नीतियाँ और रूपरेखा तैयार करने में मदद मिल सकती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में DISCOM के निजीकरण को आवश्यक बनाने वाले प्रमुख कारक और चुनौतियाँ क्या हैं और प्रणालीगत सुधार से किस प्रकार इनका समाधान किया जा सकता है?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्वाड सहयोग के 20 वर्ष पूरे

चर्चा में क्यों?

क्वाड **विदेश मंत्रियों ने क्वाड (Quad) सहयोग की 20वीं वर्षगाँठ** मनाई और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच **स्वतंत्र, खुले और शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत** के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

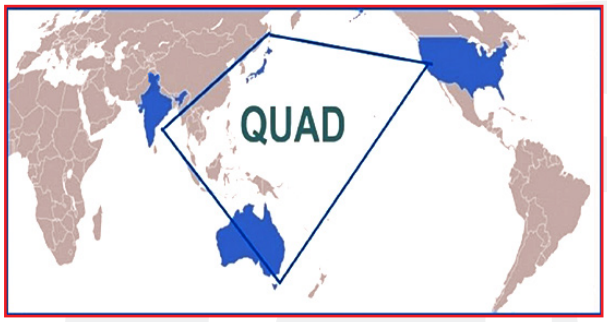

क्वाड के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **क्वाड** या **चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया** का एक रणनीतिक मंच है जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है।
- **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना, **लोकतंत्र, मानवाधिकार और विधि के शासन** का समर्थन करना तथा **खुले और स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र** को आगे बढ़ाना है।
- **क्वाड का गठन:**
  - **वर्ष 2004 की सुनामी:** इस समूह की उत्पत्ति **वर्ष 2004 की सुनामी** के बाद किये गए राहत प्रयासों से जुड़ी हुई है, जिसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया** और भारत ने मिलकर बचाव अभियान चलाया था।
  - **2007 गठन:** जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सुझाव पर वर्ष 2007 में **क्वाड** की औपचारिक स्थापना की गई।
    - चीनी दबाव और क्षेत्रीय तनाव के कारण **वर्ष 2008** में ऑस्ट्रेलिया इस **समझौते** से बाहर निकल गया।
  - **वर्ष 2017 में पुनरुद्धार: अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य संबंधों** में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया की वापसी हुई। पहली आधिकारिक क्वाड वार्ता **2017 में फिलीपींस में आयोजित की गई थी।**
  - **वर्ष 2017 में पुनरुद्धार:** अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहतर सैन्य संबंधों के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया समझौते से बाहर निकल गया। फिलीपींस ने वर्ष 2017 में पहली औपचारिक क्वाड चर्चा की मेज़बानी की।
  - **मालाबार अभ्यास: मालाबार अभ्यास वर्ष 1992** में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। जापान वर्ष 2015 में इसमें शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2020 में शामिल हुआ।
- **क्वाड की प्रकृति:** क्वाड किसी **औपचारिक गठबंधन संरचना, सचिवालय या निर्णय लेने** वाली संस्था के बिना कार्य करता है।
- यह मंच **नियमित बैठकों के माध्यम** से अस्तित्व में रहता है, **जिसमें मंत्रिस्तरीय और नेता स्तरीय शिखर सम्मेलन**, साथ ही सूचना का आदान-प्रदान एवं सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
- **क्वाड की प्रमुख पहल:**
  - **समुद्री क्षेत्र जागरूकता के लिये हिंद भारत-प्रशांत साझेदारी (IPMDA):** अवैध मत्स्य संग्रहण और समुद्री गतिविधियों की वास्तविक समय निगरानी को बढ़ाता है।
    - IPMD **प्रशांत द्वीप समूह फोरम मत्स्य एजेंसी** और **भारत के सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र** जैसे क्षेत्रीय निकायों के साथ सहयोग करता है।
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिये समुद्री पहल (मैत्री):** समुद्री सुरक्षा और कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिये क्षमता निर्माण का समर्थन करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क:** इसका उद्देश्य क्षेत्र में त्वरित **आपदा प्रतिक्रिया** के लिये साझा एयरलिफ्ट और लॉजिस्टिक्स क्षमताओं का लाभ उठाना है।
- **क्वाड कैंसर मूनशॉट:** इसका लक्ष्य **गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर** की रोकथाम और उपचार है, तथा आने वाले दशकों में लाखों लोगों के जीवन को बचाने की योजना है।
- **भविष्य की साझेदारी के क्वाड बंदरगाह:** भारत-प्रशांत क्षेत्र में **सतत् और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढाँचे** का विकास करेगा, जिसमें **भारत वर्ष 2025 में क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन की मेज़बानी** करेगा।
- **ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (ओपन RAN): ओपन RAN** के साथ क्वाड सुरक्षित और लचीले **5G पारिस्थितिकी तंत्र** की सुविधा प्रदान करता है।

- **अगली पीढ़ी के कृषि को सशक्त बनाने के लिये नवाचारों को बढ़ावा देना (AI-ENGAGE):** यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)**, रोबोटिक्स और सेंसिंग का उपयोग करता है।
- **बायोएक्सप्लोर पहल:** जैविक अनुसंधान के लिये AI का लाभ उठाने हेतु **2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना,** जिसमें स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा और धारणीय कृषि में अनुप्रयोग शामिल हैं।
- **सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क: सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं** में जोखिम को कम करने के लिये सहयोग को बढ़ाता है।
- **क्वाड फेलोशिप:** सदस्य देशों में स्नातक **STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित)** शिक्षा को वित्तपोषित करता है और हाल ही में आसियान छात्रों को शामिल करने के लिये इसका विस्तार किया गया है।
  - भारत का क्वाड छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रतिवर्ष हिंद-प्रशांत क्षेत्र के 50 इंजीनियरिंग छात्रों को सहायता प्रदान करता है।
- **आतंकवाद निरोधी कार्य समूह (CTWG) :** यह समूह आतंकवादी उद्देश्यों के लिये **मानव** रहित हवाई प्रणालियों, **रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों (CBRN)** और इंटरनेट के दुरुपयोग का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत के लिये क्वाड का क्या महत्त्व है?

- **समुद्री सुरक्षा:** नौवहन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने तथा **समुद्री डकैती और अवैध मत्स्यन** का मुकाबला करके **भारत के समुद्री हितों** की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
  - संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अंतर-संचालन और समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ाते हैं।
- **सामरिक महत्त्व:** क्वाड विशेष रूप से **"स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स"** जैसी चीन की आक्रामक नीतियों का मुकाबला करने के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - क्वाड पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये **भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के अनुरूप है।
- **आर्थिक अवसर: ब्लू डॉट नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल** जैसी पहलों के माध्यम से आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है ।
  - कोविड के बाद, भारत के पास **चीन से स्थानांतरित होने वाली विनिर्माण इकाइयों** को आकर्षित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने का अवसर है।
- **वैज्ञानिक सहयोग:** क्वाड फेलोशिप **STEM क्षेत्रों** में शैक्षणिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है।
- **लोगों के बीच संबंध:** सांस्कृतिक और अकादमिक आदान-प्रदान को बढ़ाता है, **भारत की सॉफ्ट पॉवर कूटनीति** को बढ़ावा देता है।

समकालीन वैश्विक संदर्भ में क्वाड की प्रासंगिकता क्या है?

- **क्वाड की निरंतर प्रासंगिकता**
  - **सामरिक महत्त्व:** क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, विशेष रूप से **दक्षिण चीन सागर** जैसे विवादित क्षेत्रों में **चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच** बना हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- क्वाड ने **इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक, प्रशांत द्वीप समूह फोरम और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन** के लिये समर्थन का वचन दिया, तथा मौजूदा क्षेत्रीय ढाँचे के साथ सहयोग करने में अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला।

❖ **समुद्री सुरक्षा:** IMPDA जैसी पहल सदस्य देशों की अवैध गतिविधियों पर नजर रखने और उनके **विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZ)** की सुरक्षा करने की क्षमता को बढ़ाती है।

- **विविध एजेंडा: यह** क्वाड सुरक्षा से परे **स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देता है,** जो इसकी अनुकूलनशीलता और बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

❖ **क्वाड कैंसर मूनशॉट, महामारी संबंधी तैयारी पहल** और **जलवायु अनुकूलन उपाय** जैसे कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थिरता में इसके व्यावहारिक योगदान को प्रदर्शित करते हैं।

- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** नियमित शिखर सम्मेलनों, मंत्रिस्तरीय संवादों ने क्वाड को संस्थागत रूप दिया है, जिससे इसकी **स्थिरता और विकास की क्षमता सुनिश्चित हुई है।**

❖ **जन-केंद्रित पहल:** फैलोशिप, छात्रवृत्ति और लोगों के बीच संबंध क्वाड की सॉफ्ट पॉवर को सुदृढ़ करते हैं और क्षेत्र में विश्वास का निर्माण करते हैं।

- **क्वाड की प्रासंगिकता के लिये चुनौतियाँ:**

❖ **औपचारिक संरचना का अभाव:** क्वाड में सचिवालय या स्थायी निर्णय लेने वाली संस्था का अभाव है, जिससे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वित कार्रवाई और आम सहमति सीमित हो जाती है, जिससे वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की इसकी क्षमता बाधित होती है।

❖ **अलग-अलग प्राथमिकताएँ:** क्वाड के सदस्यों के राष्ट्रीय हित भिन्न हैं। उदाहरण के लिये **भारत की गुटनिरपेक्ष नीति** और **औपचारिक सैन्य गठबंधनों में शामिल होने की अनिच्छा** समूह की रणनीतिक एकजुटता को सीमित कर सकती है।

❖ **सुरक्षा बनाम विकास:** अमेरिका और जापान **चीन का मुकाबला करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।**

❖ भारत और ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से **विकासोन्मुख लक्ष्यों पर ज़ोर देते हैं,** जिसके कारण उनके दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं।

- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** क्वाड प्रयासों के बावजूद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और प्रशांत द्वीप देशों में निवेश के माध्यम से।**
- **संसाधन संबंधी बाधाएँ:** विभिन्न क्वाड पहलों के लिये पर्याप्त वित्तपोषण और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है।
- विलंब या अपर्याप्त संसाधन आवंटन इनके कार्यान्वयन और प्रभाव में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- अन्य समूहों के साथ समावेश: क्वाड के उद्देश्य प्राय: अन्य बहुपक्षीय मंचों जैसे आसियान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस (AUKUS), और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के साथ ओवरलैप होते हैं, जिससे इनके दृष्टिकोण में कमी और कमज़ोरियाँ देखने को मिलती हैं।

आगे की राह

- **संस्थागतकरण:** कार्यकुशलता और जवाबदेही में सुधार हेतु निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन के लिये तंत्र को औपचारिक बनाना।
- आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ संबंधों को मज़बूत करना अर्थात् प्रतिस्पर्द्धात्मक तो नहीं लेकिन पूरक प्रयास सुनिश्चित करना।
- **क्वाड प्लस:** दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैंड, वियतनाम, आसियान और अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिये क्वाड का विस्तार करने से समावेशिता बढ़ेगी।

❖ जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा और आपदा लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ संस्थागत तंत्र को मज़बूत करने से क्षेत्रीय समर्थन और प्रभावशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

- **उन्नत संसाधन प्रतिबद्धता:** दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिये **बुनियादी ढाँचे, डिजिटल कनेक्टिविटी और**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसी पहलों के लिये मज़बूत वित्तपोषण सुनिश्चित करना।

भारत-मालदीव रक्षा सहयोग को मज़बूत करना

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ वार्ता के दौरान रक्षा उपकरण और प्लेटफॉर्म प्रदान करके **मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि** की।

- यह कदम भारत की **"नेबरहुड फर्स्ट" पॉलिसी** और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मज़बूत करने को दर्शाता है।

भारत-मालदीव रक्षा सहयोग कैसे है?

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** भारत मालदीव का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है, **जो संकट के समय प्राय: प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में कार्य करता है।** इसे **वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस** द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जहाँ भारत ने मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिये और **वर्ष 2004 की सुनामी** के दौरान हस्तक्षेप किया था।
  - **"नेबरहुड फर्स्ट" पॉलिसी** और **सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास)** दृष्टिकोण, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
- **रक्षा परियोजनाएँ:** भारत ने **मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF)** के लिये **समग्र प्रशिक्षण केंद्र (CTC)** और **उथुरु थिला फाल्हू (UTF) एटोल में सिफावरु में तटरक्षक "एकथा" MNDF बंदरगाह** और मरम्मत सुविधा के निर्माण जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - अक्तूबर 2023 में, भारत ने आपसी विश्वास को दर्शाते हुए **मालदीव के तटरक्षक जहाज हुरावी** की नि:शुल्क मरम्मत की घोषणा की।
  - भारत ने **मालदीव को एक तटीय रडार प्रणाली** सौंपी है, जिसमें 15.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय अनुदान से निर्मित 10 रडार स्टेशन शामिल हैं।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: भारत MNDF की लगभग 70%** प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है, तथा **1,500 से अधिक MNDF कार्मिकों** को विभिन्न भारतीय रक्षा अकादमियों में प्रशिक्षित किया गया है।
  - परिचालन तालमेल और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने के लिये **"एकुवेरिन" और "एकथा"** जैसे प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यासों के साथ-साथ **"दोस्ती" (जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं)** जैसे त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किये जाते हैं।
- **संस्थागत तंत्र:** रक्षा सहयोग पर चर्चा एवं समीक्षा के लिये **रक्षा सचिव स्तर** पर वर्ष 2016 में वार्षिक रक्षा सहयोग वार्ता (DCD) शुरू की गई थी।
  - भारत और मालदीव के बीच **5वीं रक्षा सहयोग वार्ता (DCD) सितंबर 2024 में नई दिल्ली** में आयोजित की गई।

भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध

- **राजनीतिक संबंध:** भारत वर्ष 1965 में स्वतंत्रता के बाद मालदीव को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और **वर्ष 1972 में माले में अपना राजनयिक मिशन** स्थापित किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ये **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC)** के संस्थापक सदस्य हैं और **दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)** के हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।
- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** भारत और मालदीव ने वर्ष 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिला।
- वर्ष 2024 में भारत ने **मालदीव को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता** करने के साथ 3,000 करोड़ रुपए का **द्विपक्षीय मुद्रा विनियमन** किया। इसके अतिरिक्त, **भारतीय स्टेट बैंक** ने मालदीव के लिये **100 मिलियन अमेरिकी डॉलर** के **ट्रेज़री बिल** जारी किये।
- भारत वर्ष 2022 में **मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** रहने के साथ **वर्ष 2023 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** बन गया।
- भारतीय आयात में मुख्य रूप से **स्क्रैप धातुएँ** शामिल हैं जबकि निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट तथा कृषि उत्पाद शामिल हैं।
- **वर्ष 2022 में भारतीय व्यापारिक यात्रियों के लिये वीज़ा-मुक्त प्रवेश** से वाणिज्यिक संबंधों में और वृद्धि हुई।
- वर्ष 2024 में भारत और मालदीव ने सीमापार व्यापार के लिये **स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने** के क्रम में एक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है।
- **पर्यटन: पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था** के लिये महत्त्वपूर्ण है जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक चौथाई तथा **कुल रोज़गार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) में लगभग 70%** हिस्सेदारी है।
- भारत, **मालदीव में पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत** बन गया जिसमें भारतीयों का लगातार तीन वर्षों (2020, 2021 और 2022) तक पर्यटन योगदान में अग्रणी स्थान रहा।
- मार्च 2022 में, भारत और मालदीव ने दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिये **ओपन स्काई अरेंजमेंट पर सहमति** व्यक्त की।

भारत-मालदीव सहयोग का क्या महत्त्व है?

- **भौगोलिक महत्त्व:** मालदीव की हिंद महासागर में रणनीतिक अवस्थिति है, जो पश्चिमी चोकपॉइंट्स (**अदन की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य**) तथा पूर्वी चोकपॉइंट (**मलक्का जलडमरूमध्य**) **के बीच एक "टोल गेट"** के रूप में कार्य करता है।
  - प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से इसकी निकटता, भारत के लिये इसे एक महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाती है क्योंकि **इसका लगभग 50% बाह्य व्यापार तथा 80% ऊर्जा आयात इन्हीं मार्गों** से होता है।
  - भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव **समुद्री यातायात की निगरानी एवं क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।**
- **आर्थिक और सामाजिक लाभ: भारत चावल, दवाइयों एवं बुनियादी ढाँचा सामग्री जैसी** आवश्यक वस्तुओं का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता है।
  - **भारत के ऑपरेशन नीर ने वर्ष 2014 के माले जल संकट** के दौरान **INS दीपक** और **INS शुकन्या** के माध्यम से लगभग 2000 टन जल पहुँचाया था।
  - **सुनामी और कोविड-19** जैसे संकटों के दौरान भारत की सहायता ने एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में इसकी भूमिका को मज़बूत किया है।
- **बाह्य प्रभाव का प्रतिकार:** मालदीव के साथ भारत का सहयोग, क्षेत्र में **बाह्य शक्तियों, विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करता है, तथा क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ करता है।**

भारत-मालदीव रक्षा संबंधों में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** और **'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'** जैसी पहलों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिये चिंता का विषय है।
  - मालदीव के बुनियादी ढाँचे में चीनी निवेश, जैसे **सिनामाले ब्रिज़**, और सैन्य समझौते, इस क्षेत्र में भारत के सामरिक प्रभुत्व को चुनौती देते हैं।
- **आंतरिक राजनीतिक परिवर्तन:** वर्ष 2023 में **"इंडिया आउट" अभियान ने** मालदीव में बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं को उज़ागर किया है, जिसमें **भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

और भारतीय बुनियादी ढाँचे के विकास को रोकने की मांग की गई।

- मालदीव के राजनीतिक नेतृत्व में इन बदलावों ने रक्षा प्राथमिकताओं और भारत के साथ विदेश नीति संरेखण को प्रभावित किया है।

- **सुरक्षा संकट: मालदीव में पाकिस्तान समर्थित जिहादी** गुटों और **ISIS (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया)** समेत कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिये प्रत्यक्ष सुरक्षा संकट उत्पन्न करती है, क्योंकि ये समूह भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाने के लिये मालदीव को आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

आगे की राह

- **बहुपक्षीय सहयोग: हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)** जैसे क्षेत्रीय ढाँचे में मालदीव की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  - समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिये **भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को** सुदृढ़ करना।
- **बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ: भारत को** चीनी निवेश के लिये व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने हेतु **ग्रेट माले कनेक्टिविटी परियोजना** जैसी महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये और उन्हें शीघ्रता से पूरा करना चाहिये।
- **जन-केंद्रित पहल: चिकित्सा सहायता और सामुदायिक अवसंरचना विकास** जैसी **नागरिक-सैन्य परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके सद्भावना को** बढ़ावा देना।
  - सार्वजनिक कूटनीति को मज़बूत करने के लिये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)

चर्चा में क्यों?

प्रत्येक दो साल में 9 जनवरी को मनाया जाने वाला **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)** एक उल्लेखनीय आयोजन है जिसके तहत **भारतीय प्रवासियों** द्वारा अपनी मातृभूमि के लिये दिये गए योगदान पर प्रकाश डाला जाता है।

- 18**वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन ओडिशा** द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 तक किया गया जिसका विषय **'विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान'** है।

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) क्या है?

- **पृष्ठभूमि और इतिहास:** यह द्विवार्षिक उत्सव **वर्ष 1915 के उस दिन** की याद में मनाया जाता है जब **महात्मा गांधी** देश के **स्वतंत्रता संग्राम** का नेतृत्व करने के लिये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
- **PBD के प्राथमिक लक्ष्य:**
  - भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर प्रकाश डालना।
  - विदेश में भारत के बारे में बेहतर समझ विकसित करना।
  - भारत के लक्ष्यों का समर्थन करना तथा विश्व भर में स्थानीय भारतीय समुदायों के कल्याण की दिशा में कार्य करना।
  - प्रवासी भारतीयों को अपनी पैतृक भूमि की सरकार एवं लोगों के साथ जुड़ने के लिये एक मंच प्रदान करना।
- **PBD सम्मेलन:**
  - प्रवासी **भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत पहली बार वर्ष 2003** में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** की सरकार के तहत प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने एवं उनके साथ जुड़ने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी।
- **18वाँ PBD कन्वेंशन, 2025:**
  - इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने **प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस** का उद्घाटन किया, जो भारतीय प्रवासियों के लिये एक विशेष पर्यटक ट्रेन है।
    - प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन **विदेश मंत्रालय** की **प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना** के अंतर्गत किया गया।
  - **इस अवसर पर गुजरात के मांडवी से ओमान के मस्कट में प्रवास करने वाले** लोगों के दुर्लभ दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के क्रम में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया।
  - प्रधानमंत्री ने **गिरमिटिया** (स्वतंत्रता-पूर्व भारत के गिरमिटिया मजदूर) के महत्व पर प्रकाश डाला, जिन्हें **फिजी, मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो** आदि देशों में भेजा गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **गिरमिटियाओं का एक व्यापक डाटाबेस बनाने का** भी सुझाव दिया गया।

- **प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA):**
  - प्रवासी भारतीय कार्यक्रम के तहत दिया जाने वाला यह पुरस्कार किसी **अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO);** अथवा **उनके द्वारा स्थापित एवं संचालित किसी संगठन या संस्था** को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
  - यह पुरस्कार **विदेशों में भारत के बारे में बेहतर समझ पैदा करने,** भारत के उद्देश्यों का समर्थन करने तथा स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण के लिये कार्य करने में प्रवासी भारतीयों के योगदान को याद करने के लिये दिया जाता है।

डायस्पोरा क्या है?

- **पृष्ठभूमि एवं उत्पत्ति:**
  - डायस्पोरा शब्द **की जड़ें ग्रीक शब्द *डायस्पेरो*** से जुड़ी हैं, **जिसका अर्थ है प्रसार। भारतीयों के पहले जत्थे को गिरमिटिया व्यवस्था** के तहत गिरमिटिया मजदूरों के रूप में पूर्वी प्रशांत तथा **कैरिबियाई द्वीपों** में ले जाने के बाद से भारतीय डायस्पोरा में कई गुना वृद्धि हुई है।
- **प्रवासी समुदाय का वर्गीकरण:**
  - **अनिवासी भारतीय (NRI):** NRI ऐसे भारतीय हैं जो **विदेशों के निवासी** हैं। किसी व्यक्ति को NRI माना जाता है यदि:
    - कोई व्यक्ति **गैर-निवासी है, यदि वह एक वर्ष में 182 दिनों से कम** या विगत 4 वर्षों में **365 दिनों से कम तथा चालू वर्ष में 60 दिनों से कम** समय के लिये भारत में निवास कर रहा हो।
  - **भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO): PIO से तात्पर्य ऐसे विदेशी नागरिक (जो पूर्व में भारतीय पासपोर्ट धारक हो) से है,** जिसका या उसके माता-पिता/दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ हो या जो किसी भारतीय नागरिक या PIO का जीवनसाथी हो।
    - पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाँग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नागरिक **PIO श्रेणी में शामिल नहीं हैं।**
    - **वर्ष 2015 में PIO श्रेणी को समाप्त कर दिया गया** और OCI श्रेणी में विलय कर दिया गया।
  - **प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI): वर्ष 2005 में OCI** की एक अलग श्रेणी बनाई गई।
    - ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे (पाकिस्तान और बाँग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर) भी OCI कार्ड के लिये पात्र थे।
  - OCI कार्ड **उस विदेशी नागरिक को दिया जाता है, जो 26 जनवरी 1950** को भारतीय नागरिकता के लिये पात्र था **या किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो** 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना।

प्रवासी भारतीयों का भौगोलिक वितरण

देश	प्रवासी भारतीय
USA	5,409,062
UK	1,864,318
संयुक्त अरब अमीरात	3,568,848
दक्षिण अफ्रीका	1,700,000
सऊदी अरब	2,463,509
म्याँमार	2,002,660
मलेशिया	2,914,127
कुवैत	995,528
ओमान	686,635
कनाडा	2,875,954

प्रवासी भारतीय किस प्रकार विकसित भारत में योगदान दे सकते हैं?

- **आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास:** प्रवासी भारतीय **धन प्रेषण** और **निवेश** के माध्यम से भारत में आर्थिक विकास को गति देते हैं।
  - भारतीय व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़कर और साझेदारियों को बढ़ावा देकर, वे **भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाते हैं,** वंचित क्षेत्रों को सशक्त बनाते हैं, और देश के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य का समर्थन करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ❖ **उदाहरण के लिये: एक** अमेरिकी NRI द्वारा आविष्कृत थोरियम आधारित ईंधन, **ANEEL, को स्वच्छ परमाणु ऊर्जा के लिये भारत में लागू किया जाना है।**

- **वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना: सीमापार साझेदारी, निवेश प्रवाह और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाकर**, प्रवासी भारत के निर्यात आधार का विस्तार करने, व्यापार संबंधों में विविधता लाने और वैश्विक स्तर पर भारत के उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देने में सहायक हैं।
- **नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन:** उभरते बाज़ारों में प्रवासी नेतृत्व वाली व्यापार साझेदारी भी **आपसी विकास के अवसर प्रदान करती है**। साझा संसाधनों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से, ये साझेदारियाँ उच्च विकास वाले वैश्विक बाज़ारों में भारत के प्रवेश को गति प्रदान कर सकती हैं, जिससे इसके विकास की संभावनाएँ और बढ़ेंगी।
- **वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रवासी समुदाय की भूमिका: ज़मीनी स्तर पर पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ावा देने और समर्थन देने तथा जलवायु कार्रवाई की वकालत करने में प्रवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी, सतत् विकास** में भारत के वैश्विक नेतृत्व में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
  - ❖ अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का लाभ उठाकर **प्रवासी समुदाय वैश्विक नीतियों को आकार देने में सहायक हो सकता है तथा** भारत के विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है।
- **सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना:** भारतीय **प्रवासी** (सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करते हैं) अपने मेज़बान देशों में कार्यक्रमों, त्योहारों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारतीय परंपराओं, स्थापत्य और विरासत को बढ़ावा देकर **सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ा सकते हैं।**
  - ❖ अमेरिका के विभिन्न राज्यों में दिवाली पर अवकाश घोषित करना **सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख उदाहरण है।**

प्रवासी भारतीयों से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पहचान और एकीकरण:** प्रवासी भारतीयों के कई सदस्यों को अपनी **सांस्कृतिक पहचान और उन समाजों के साथ एकीकरण के दबाव के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है**, जिनमें वे रहते हैं। इससे अलगाव की भावना या **सांस्कृतिक विरासत** की हानि हो सकती है।
  - ❖ **सांस्कृतिक मूल्यों** में अंतर के कारण प्राय: संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जैसे कि **नॉर्वे और जर्मनी जैसे देशों में बाल हिरासत के मामले,** जहाँ स्थानीय कानून भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं और पारिवारिक मानदंडों के अनुरूप नहीं होते।
- **राजनीतिकरण और धार्मिक भय: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों में** विशेष रूप से **हिंदुओं और सिखों** को निशाना बनाकर राजनीतिकरण और धार्मिक पूर्वाग्रह के बढ़ते मामले, सामाजिक अलगाव में योगदान करते हैं और सामुदायिक एकीकरण में बाधा डालते हैं।
- **कानूनी और नागरिकता संबंधी मुद्दे: वीज़ा स्थिति, नागरिकता अधिकार** और आव्रजन कानूनों की जटिलताओं से संबंधित मुद्दे भारतीय प्रवासियों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से उन देशों में जहाँ प्रतिबंधात्मक **आव्रजन नीतियाँ** हैं।
  - ❖ **H-1B वीज़ा** को लेकर अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ बढ़ते विरोध ने, उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद, भारतीयों में नाराजगी बढ़ा दी है।
- **धन प्रेषण में चुनौतियाँ:** आर्थिक अस्थिरता, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव या बैंकिंग संबंधी समस्याएँ प्रवासी भारतीयों से भारत में आने वाले धन प्रेषण के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे इस सहायता पर निर्भर रहने वाले परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

प्रवासी भारतीयों के कल्याण से संबंधित सरकारी पहल

- **NRI के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना**
- **मतदाताओं के लिये ऑनलाइन सेवाएँ**
- **भारत को जानो कार्यक्रम**
- **ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड योजना**
- **भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)**
- प्रवासी भारतीय केंद्र
- प्रवासी भारतीयों का भारत विकास फाउंडेशन (IDF-OI)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आगे की राह

- **कानूनी संरक्षण और अधिकार:** यह सुनिश्चित करना कि प्रवासी समुदाय के कानूनी अधिकार उनके मेज़बान देशों में सुरक्षित रहें, जिसमें समान अवसरों तक पहुँच, **भेदभाव** से सुरक्षा और आव्रजन कानूनों के तहत निष्पक्ष व्यवहार शामिल है।
- **कांसुलर सहायता को मज़बूत करना:** प्रवासी समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिये कानूनी और वित्तीय मुद्दों पर सहायता सहित सुलभ और कुशल कांसुलर सेवाएँ प्रदान करना। **नियमित आउटरीच कार्यक्रम और सलाहकार सेवाएँ** मातृभूमि के साथ संबंधों को मज़बूत करने में मदद कर सकती हैं।
- **सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने से प्रवासी और मेज़बान समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिये, ऐसी परिस्थितियों में **जहाँ सांस्कृतिक मतभेद प्राय: गलतफहमियों और संघर्षों का कारण** बनते हैं, वहाँ ऐसा **वातावरण विकसित करना आवश्यक है जो स्वीकार्यता को महत्त्व** देता हो और विविधता का सम्मान करता हो।
- **आर्थिक सहभागिता को समर्थन:** कर छूट, **स्टार्टअप्स** के लिये वित्तीय सहायता और सरलीकृत निवेश प्रक्रिया जैसे प्रोत्साहन प्रदान करके भारत में निवेश को प्रोत्साहित करना।
  - **धन-प्रेषण स्वीकृति को बेहतर बनाने** के लिये, **भारत** सिंगापुर की तरह **सीमा-पार भुगतान** के लिये **UPI जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार** कर सकता है।
- **कौशल विकास और ज्ञान हस्तांतरण:** ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो प्रवासी समुदाय और भारत के बीच विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाते हैं।
  - इससे भारत में कौशल विकास और नवाचार में मदद मिलेगी, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, **वर्ष 2047 के लिये साझा दृष्टिकोण** में निरंतर और संरचित प्रवासी भागीदारी शामिल होनी चाहिये। इसमें **विशिष्ट लक्ष्यों के साथ दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करना और युवा प्रवासियों को शामिल करना शामिल है,** जिनके नवीन विचार और वैश्विक अनुभव भारत के विकास लक्ष्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन संबंधों को मज़बूत करने से एक उज्जवल, अधिक जुड़े हुए भविष्य का निर्माण करने में मदद मिलेगी। सहयोग और साझा उद्देश्य के माध्यम से, हम वर्ष 2047 तक एक जीवंत और समृद्ध भारत को प्राप्त करने के लिये अपने वैश्विक समुदाय की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।

भारत के तालिबान के साथ संबंध

चर्चा में क्यों?

वैश्विक **भू-राजनीतिक मंच के बीच** भारत के **विदेश सचिव ने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री** के साथ वार्ता की।

- यह **भारत के राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों को** सुरक्षित करने के लिये अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के साथ **भारत की सर्वोच्च वैचारिक वार्ता है।**

वार्ता के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- **मानवीय सहायता का विस्तार:** भारत ने मानवीय सहायता के साथ-साथ **विकास परामर्श** में भी अपनी भागीदारी **बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।**
  - अब तक भारत ने **50,000 मीट्रिक टन गेहूँ, 300 टन दवाइयाँ, भूकंप सहायता,** कीटनाशक, पोलियो और **कोविड-19 वैक्सीन** की खुराक, स्वच्छता किट, सर्दियों के कपड़े और स्टेशनरी भेजी है।
- **खेल सहयोग:** दोनों पक्षों ने **खेल सहयोग, विशेषकर क्रिकेट** में सहयोग को मज़बूत करने पर चर्चा की, जो अफगानिस्तान के युवाओं के लिये महत्त्व रखता है।
- **चाबहार बंदरगाह:** दोनों पक्षों ने **व्यापार, वाणिज्यिक गतिविधियों** तथा अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुँचाने

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

के लिये **चाबहार बंदरगाह** को एक प्रमुख प्रवेशद्वार के रूप में उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की।

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** अफगान सरकार ने **भारत की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार किया** तथा विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

हाल ही में हुई भारत-अफगानिस्तान वार्ता के लिये ज़िम्मेदार कारक

- **परिवर्तित वैश्विक गतिशीलता:**
  - **तालिबान-पाकिस्तान में बदलाव: पाकिस्तान**, जो कभी तालिबान का सहयोगी था, अब तालिबान के लिये **तनाव का स्रोत बन गया है।**
    - भारत को अफगानिस्तान में अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिये **तालिबान के साथ जुड़ने के लिये प्रेरित किया।**
  - **ईरान की भागीदारी:** ईरान को झटका तब लगा, जब **इज़रायल ने हिज़्बुल्लाह और हमास** पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और ईरान पर **आतंकवादी हमले शुरू कर दिये। ईरान का ध्यान** अफगानिस्तान में तालिबान से निपटने **की बजाय इज़रायल को रोकने पर अधिक है।**
    - **हमास** और **हिज़्बुल्लाह** ईरान के प्रतिनिधि हैं, जो इज़रायल के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।
  - **रूस का नामकरण परिवर्तन: रूस, यूक्रेन में अपने युद्ध** में उलझा हुआ है और **तालिबान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है।**
    - रूस अफगानिस्तान के इस्लामिक **कम्युनिस्ट जैसे रूस एवं अफगानिस्तान के इस्लामिक कम्युनिस्टों** को एक बड़ा **सुरक्षा संकट उत्पन्न हो गया है और** दिसंबर 2024 में **सीरियाई शासन के पतन** के पश्चात् संघर्ष में रूस और अफगानिस्तान के बीच तालिबान को **अपना सहयोगी दर्ज़ा दिया गया है।**
  - **चीन का प्रभाव: चीन अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की परिसंपत्तियों** पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहा है, और काबुल की **शहरी विकास परियोजनाओं** में शामिल हो रहा है। **चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के लिये अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर नज़र रखता है।**
    - भारत अफगानिस्तान में चीन के प्रभुत्व को रोकने का प्रयास कर रहा है, जिससे **भारत के हितों को नुकसान** पहुँच सकता है।
  - **डोनाल्ड ट्रंप की वापसी:** इस बात की चिंता है कि **अमेरिका तालिबान के साथ पुन: संपर्क स्थापित कर सकता है** और भारत इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **भविष्य में अफगानिस्तान के किसी भी घटनाक्रम में उसके हित केंद्रीय बने रहें।**
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** भारत ने तालिबान से अफगानिस्तान से सक्रिय **लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM)** और **इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP)** जैसे भारत विरोधी तत्त्वों पर अंकुश लगाने का आग्रह किया है।
- **विकास कार्य:** तालिबान अधिकारियों ने कहा था कि भारत की परियोजनाएँ – जिनका पिछले 20 वर्षों में **अनुमानित मूल्य 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है – **अत्यंत लाभदायक** रही हैं और वे चाहते हैं कि **भारत अफगानिस्तान में निवेश** करता रहे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नोट: नई दिल्ली ने अफगानिस्तान में **तालिबान शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है,** लेकिन काबुल में एक **तकनीकी मिशन** बनाए रखा है।

- काबुल में भारत का तकनीकी मिशन, अफगानिस्तान में उसकी **राजनयिक उपस्थिति** का हिस्सा है, **जो पूर्ण राजनयिक कार्यों के बजाय विकासात्मक और मानवीय प्रयासों** पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत-तालिबान संबंध

- **तालिबान शासन (1996-2001):** भारत ने तालिबान के साथ **औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किये।**
  - भारत ने तालिबान के विरोधी समूह **नॉर्दर्न एलायंस** का समर्थन किया।
  - तालिबान ने **वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 के अपहरणकर्त्ताओं** के साथ बातचीत में भारत की सहायता की थी, जिससे बंधकों की सुरक्षित वापसी में मदद मिली थी।
- **अफगानिस्तान अधिग्रहण से पूर्व (15 अगस्त 2021 से पूर्व):**
  - **मॉस्को वार्ता (2017):** **मॉस्को वार्ता** ने अफगानिस्तान में **सुलह प्रक्रिया को** सुविधाजनक बनाने के लिये **अफगानिस्तान, चीन, भारत और अन्य हितधारकों** के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया।
  - **अंतर-अफगान शांति वार्ता (2020):** भारत ने **दोहा में अंतर-अफगान शांति वार्ता** में भाग लिया, जो तालिबान के साथ उसके जुड़ाव में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- **अफ़गानिस्तान अधिग्रहण के बाद (15 अगस्त, 2021 के बाद):**
  - **पहली वार्ता (अगस्त 2021):** कतर में भारत के राजदूत ने तालिबान के प्रतिनिधियों से उनके **दोहा कार्यालय** में वार्ता की।
  - **निरंतर संपर्क (जून 2022): पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के संयुक्त सचिव** ने प्रमुख तालिबान नेताओं से मुलाकात की, जिससे काबुल में भारतीय दूतावास में एक **तकनीकी टीम** भेजने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
    - तकनीकी टीम भारतीय अधिकारियों को काबुल में **तालिबान के मंत्रियों और प्रतिनिधियों** से मिलने की अनुमति देती है।
- **मुंबई में अफगान महावाणिज्यदूत:** भारत ने तालिबान को **मुंबई स्थित अफगान वाणिज्य दूतावास में एक नया महावाणिज्यदूत** नियुक्त करने की अनुमति दे दी।

भारत के लिये अफगानिस्तान का क्या महत्त्व है?

- **मध्य एशिया के लिये सेतु:** मध्य एशिया में महत्त्वपूर्ण **आर्थिक और ऊर्जा संसाधन** हैं, और अफगानिस्तान भारत को **पाकिस्तान और चीन पर निर्भरता से बचते हुए** इन **संसाधनों तक पहुँचने के लिये चाबहार बंदरगाह के माध्यम से एक मार्ग** प्रदान करता है।
  - अफगानिस्तान की सीमा **पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन** से लगती है।
- **पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला करना:** अफगानिस्तान में प्रभाव बनाए रखकर भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को मज़बूत कर सकता है तथा **दक्षिण एशिया और मध्य एशिया** में अपनी **रणनीतिक स्थिति को बढ़ा सकता है।**
- **आतंकवाद-विरोध:** अफगानिस्तान में भारत की भागीदारी दक्षिण एशिया में **आतंकवाद और उग्रवाद के** खिलाफ लड़ाई में **उसके नेतृत्व पर प्रकाश** डालती है।
- **पारस्परिक लाभ:** भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं (जैसे **सड़कें, बांध, स्कूल, अस्पताल, संसद भवन** आदि) में **3 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक का निवेश किया है जिससे **अफगान लोगों के लिये बेहतर जीवन** मिलने के साथ भारतीयों तथा अफगानियों को पारस्परिक लाभ मिल सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारत की तालिबान नीति के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **आतंकवाद:** अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के पतन से **देश अस्थिर हो गया** है तथा **हक्कानी नेटवर्क, अल-कायदा एवं लश्कर-ए-तैयबा** जैसे चरमपंथी नेटवर्क **मज़बूत हुए हैं, जिनके द्वारा सीमापार आतंकवाद** के माध्यम से भारत को निशाना बनाया है।
  - ❖ **उदाहरण के लिये, आतंकवादी समूहों** की उपस्थिति **भारत के हितों के** विरुद्ध होने के साथ **भारत की सुरक्षा** के लिये खतरा पैदा कर सकती है।
- **पाकिस्तान की रणनीतिक भूमिका:** पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति को अपनी **स्ट्रेटजिक डेप्थ नीति** के लिये प्रत्यक्ष खतरा मानता है, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान का **भारत के खिलाफ एक बफर** के रूप में उपयोग करना है।
  - ❖ पाकिस्तान भारत पर **बलूचिस्तान** एवं अन्य क्षेत्रों में उग्रवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता है।
- **राजनयिक मान्यता:** भारत ने **तालिबान शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता** नहीं दी है क्योंकि यह **समावेशी सरकार बनाने, मानवाधिकारों का सम्मान करने तथा आतंकवाद पर अंकुश लगाने** में निष्क्रिय रहा है।
- **शरणार्थी संकट:** काबुल के पतन के कारण भारत में **बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी** आ गए, **जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ा तथा सुरक्षा, एकीकरण एवं उनके बीच संभावित कट्टरपंथी तत्त्वों** के बारे में चिंताएँ पैदा हुईं।

❑❑❑

आगे की राह

- **केंद्रित वित्तीय निवेश:** भारत को अफगानिस्तान की आबादी के लिये दीर्घकालिक समर्थन बनाए रखने के क्रम में **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा मानवीय राहत** जैसी मैत्रीपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्रित प्रभावशाली परियोजनाओं का रणनीतिक **मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन** करना चाहिये।
- **लोकतांत्रिक नेतृत्व: भारत को महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों को** बढ़ावा देने के लिये **अफगान नागरिक समाज** के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिये।
- **व्यापार पहुँच के लिये सार्क का उपयोग करना:** भारत को **स्थल मार्ग से व्यापार पहुँच** के विकल्प तलाशने के लिये **सार्क** मंच का लाभ उठाना चाहिये, जिससे अफगानिस्तान एवं भारत दोनों को लाभ होगा।
- **विमर्श को बढ़ावा देना: अफगानिस्तान के लोगों की चिंताओं को** दूर करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये तथा छात्र **शिक्षा वीज़ा** को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

आंतरिक सुरक्षा

वर्ष 2025 को 'सुधार वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **रक्षा मंत्रालय** ने **बहु-क्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम** सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिये तैयार बल में रूपांतरित करने हेतु **वर्ष 2025 को 'सुधार वर्ष (Year of Reforms)' के रूप** में मनाने का निर्णय लिया है।

नोट: भारतीय सेना वर्ष 2024 को **'टेक्नोलॉजी ऐब्सॉर्प्शन ईयर'** के रूप में मना रही है।

वर्ष 2025 को 'सुधार वर्ष' के रूप कौन-से क्षेत्र चिन्हित किये गए हैं?

- **युक्तता एवं एकीकरण: सैन्य सेवाओं के बीच सहयोग को मज़बूत करना और एकीकृत थिएटर कमांड (ITC)** की स्थापना को सुगम बनाना।
  - ❖ अंतर-सेवा सहयोग एवं प्रशिक्षण के माध्यम से परिचालन आवश्यकताओं और संयुक्त परिचालन क्षमताओं की साझा समझ विकसित करना।
  - ❖ इनमें **तिरुवनंतपुरम स्थित समुद्री कमान, जयपुर स्थित पाकिस्तान-केंद्रित पश्चिमी कमान और लखनऊ स्थित चीन-केंद्रित उत्तरी कमान** शामिल हैं।
- **उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ:** सुधारों को **साइबर व अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स और रोबोटिक्स** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होना चाहिये।
  - ❖ **भविष्य के युद्धों** को जीतने के लिये आवश्यक संबद्ध रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएँ भी विकसित की जानी चाहिये।
  - ❖ रक्षा क्षेत्र और असैन्य उद्योगों के बीच **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व ज्ञान साझाकरण** को सुविधाजनक बनाना तथा व्यापार को आसान बनाकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **अधिग्रहण को सरल बनाना:** क्षमता विकास में तेजी लाने और **उसे मज़बूत बनाने के लिये** अधिग्रहण प्रक्रियाओं को **सुव्यवस्थित और समयबद्ध किया जाना चाहिये।**
- **रक्षा निर्यातक: भारत को रक्षा उत्पादों के** एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित करना , भारतीय उद्योगों और विदेशी **मूल उपकरण निर्माताओं** के बीच अनुसंधान एवं विकास तथा साझेदारी को बढ़ावा देना।
  - ❖ भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2014 के **2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।**
- **वयोवृद्ध कल्याण और स्वदेशी संस्कृति: वयोवृद्धों की** विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए उनके कल्याण को सुनिश्चित करना।
  - ❖ इसके अतिरिक्त, आधुनिक सेनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए, **स्वदेशी क्षमताओं के माध्यम से वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में भारतीय संस्कृति** पर गर्व और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना।

भारत की डिफेंस मिलिट्री/रक्षा सेना की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **आयातक से निर्यातक: भारत सबसे बड़े शस्त्र आयातक से प्रमुख निर्यातक** बन गया है, वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात **210.83 बिलियन रुपए तक पहुँच गया है, जिसमें वर्ष 2028-29 तक 500 बिलियन रुपए** का लक्ष्य रखा गया है।
- **रक्षा अधिग्रहण में सुधार: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP)** घरेलू उद्योग को प्राथमिकता देती है, जिसके अंतर्गत भारतीय कंपनियों को प्रमुख प्रणालियों के विनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने तथा रक्षा खरीद में **स्वदेशी सामग्री (IC) को 50% या उससे अधिक तक बढ़ाने की आवश्यकता होती है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **निज़ी क्षेत्र की भागीदारी:** वर्ष 2022-23 तक निज़ी कंपनियाँ **भारत के रक्षा उत्पादन में 20% का योगदान देंगी।**
  - **वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स** सैन्य विमानों के लिये भारत का पहला निज़ी क्षेत्र का कारखाना है, जो **C-295 परिवहन विमान को समर्पित है।**
- **रक्षा औद्योगिक विकास:** भारत का रक्षा उत्पादन कारोबार **वर्ष 2016-17 में 740.54 बिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,086.84 बिलियन रुपए** हो गया, जिसमें वर्ष 2023 तक **14,000 MSME** और **329 स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र में शामिल होंगे।**

रक्षा बल में सुधार की आवश्यकता क्यों?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) का अभाव:** NSS का अभाव **राजनीतिक इरादों और सैन्य अभियानों के बीच अंतर** उत्पन्न करता है, जिससे राष्ट्रीय नीतियों के साथ रक्षा रणनीतियों का संरेखण कमज़ोर होता है।
  - इसके परिणामस्वरूप चीन और पाकिस्तान जैसे **उभरते खतरों के प्रति तैयारी में कमी आई है।**
- **साइबर युद्ध का उदय:** साइबरस्पेस **युद्ध का पाँचवा क्षेत्र है,** जिसमें **राज्य प्रायोजित अभिकर्त्ता और स्वयं राज्य** प्रमुख आर्थिक मापदंडों और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचाते हैं।
  - **एस्टोनिया** तथा अन्य संघर्षों में यह देखा गया, जिसमें नवीनतम उदाहरण **यूक्रेन-रूस साइबर युद्ध है।**
- **आयात पर निर्भरता:** भारत **वर्ष 2019-23** की अवधि के लिये **विश्व का शीर्ष हथियार आयातक** बना हुआ है, जिसमें **वर्ष 2014-18** की अवधि की तुलना में आयात में **4.7% की वृद्धि** हुई है।
  - स्वदेशीकरण की धीमी गति और **प्रतिस्पर्द्धी घरेलू रक्षा उद्योग** के निर्माण में चुनौतियाँ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में बाधा डालती हैं।
- **संयुक्तता का सांस्कृतिक प्रतिरोध:** भारतीय सेना के **सेवा-विशिष्ट दृष्टिकोण,** जिसमें प्रत्येक शाखा **(सेना, नौसेना, वायु सेना)** अपनी **स्वायत्तता** बनाए रखती है, के कारण एकीकृत मॉडल अपनाने में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** निरपेक्ष रूप से पर्याप्त आवंटन के बावजूद, यह विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, उपकरण और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में **भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.9% है,** जो रक्षा बलों के **आधुनिकीकरण को सीमित** करता है।
  - वर्ष 2020 में रक्षा क्षेत्र में **FDI की सीमा** को **स्वचालित मार्ग से 74%** तक और **आधुनिक प्रौद्योगिकी** तक पहुँच के लिये **सरकारी मार्ग से 100%** तक बढ़ा दिया गया।
- **तदर्थ खरीद प्रक्रियाएँ:** वर्ष 2020 में गलवान संघर्ष के बाद, सशस्त्र बलों को महत्त्वपूर्ण क्षमता अंतराल को दूर करने के लिये **आपातकालीन खरीद के लिये विशेष अधिकार** दिये गए थे, जिससे सामरिक आवश्यकता के बावजूद **रणनीतिक तत्परता की कमी उज़ागर** हुई।
- **अल्पकालिक नीति:** अग्निपथ योजना की आलोचना इसकी **6 महीने की छोटी प्रशिक्षण अवधि** के लिये की गई है, जिससे वास्तविक युद्ध के लिये रंगरूटों की तत्परता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - **4 वर्ष की सेवा अवधि में अनुभवी कार्मिकों को खोने का जोखिम** रहता है, जिससे सेना की क्षमता और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

रक्षा बलों में सुधार के लिये भारत की पहल क्या हैं?

- रक्षा औद्योगिक गलियारे
- आयुध निर्माणी बोर्डों का निगमीकरण
- डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज
- सृजन पोर्टल
- रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX)
- मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति

अमेरिका में गोल्डवाटर-निकोल्स सुधार

- **परिचय: गोल्डवाटर -निकोल्स रक्षा पुनर्गठन अधिनियम, 1986** ने सैन्य **प्रभावशीलता और दक्षता** को बढ़ाने के लिये **अमेरिकी रक्षा विभाग** का पुनर्गठन किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ये सुधार **वियतनाम युद्ध (1955-1975) और ऑपरेशन ईगल क्लॉ (ईरान में बंधकों को बचाने का असफल अमेरिकी मिशन)** के बाद चिन्हित गए मुद्दों को संबोधित करने के लिये तैयार किये गए थे।
- **लक्ष्य:** प्राथमिक लक्ष्य **संयुक्त सैन्य अभियानों** में सुधार करना, नागरिक नियंत्रण को मज़बूत करना और **रक्षा निर्णय लेने को सुव्यवस्थित करना** था।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - राष्ट्रपति को बेहतर **सैन्य सलाह**
  - एकीकृत लड़ाकू कमांडरों के लिये **स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ**
  - **एकीकृत कमांडर** के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ
  - रणनीति निर्माण और **आकस्मिक योजना**
  - संसाधनों का **कुशल उपयोग**
  - **संयुक्त अधिकारी** प्रबंधन
  - **संयुक्त सैन्य अभियानों** की प्रभावशीलता
  - **रक्षा प्रबंधन** और प्रशासन

आगे की राह

- **संस्थागत सुधार: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)** और **सैन्य मामलों के विभाग (DMA)** की स्थापना एक सकारात्मक कदम है लेकिन इनके बीच **जिम्मेदारी** वितरण को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- CDS द्वारा सैन्य निर्णय लेने में नेतृत्व करने के साथ नागरिक-सैन्य अंतराल को कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकियों का एकीकरण: स्वायत्त प्रणालियों, साइबर युद्ध एवं AI पर ध्यान केंद्रित करने** से भारत को चीन या पाकिस्तान के साथ संभावित संघर्षों में तकनीकी बढ़त मिल सकती है।
- **खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही (ISR) एवं सटीक हमलों में ड्रोन क्षमताओं का** विस्तार करने से परिचालन अनुकूलन में वृद्धि होगी।
- **घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना:** घरेलू रक्षा क्षेत्र को मज़बूत करने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं **विदेशी सहयोग** को बढ़ावा देना चाहिये।
- **संसाधनों** के अधिक कुशल आवंटन को महत्त्व दिये जाने के साथ विषम लाभ प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- **रक्षा सहयोग को अधिकतम करना: भारत-अमेरिका iCET पहल** जैसी क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्तियों के साथ रक्षा सहयोग का विस्तार करने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता तथा सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।
- **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (NDU): भारत** को रणनीतिक विचारकों एवं योजनाकारों का एक मज़बूत कैडर विकसित करने के क्रम में **रक्षा रणनीतियों, नीतियों और प्रौद्योगिकियों** में उन्नत प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु NDU की स्थापना को प्राथमिकता देनी चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. वर्ष 2025 के लिये भारतीय रक्षा बलों में प्रस्तावित सुधारों एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

CAPF कार्मिकों में आत्महत्या

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अपनी आत्महत्या दर को सफलतापूर्वक **40% तक कम** कर लिया है, जो **वर्ष 2023 में 25 मौतों से वर्ष 2024 में 15** हो गई है।

- **गृह मंत्रालय (MHA)** के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 और वर्ष 2022 के बीच 654 **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)** कार्मिकों की **आत्महत्या** से मृत्यु हुई।
  - **CRPF में 230,** BSF में 174, CISF में 89, SSB में 64, ITBP में 54, असम राइफल्स में 43 और **NSG में 3** जवानों ने आत्महत्या की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

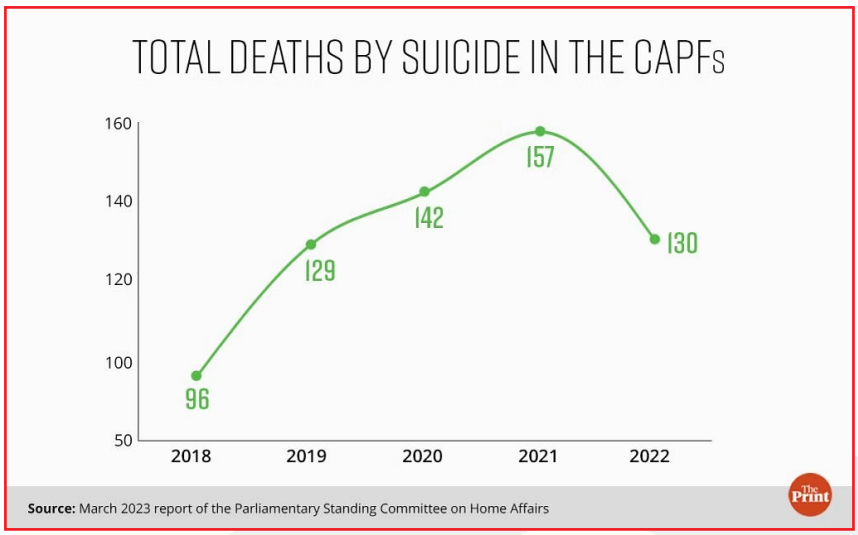

नोट: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में **राष्ट्रीय आत्महत्या दर 12.4 प्रति लाख** थी।

- आत्महत्या दर किसी दी गई जनसंख्या में **प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर आत्महत्याओं** की **संख्या** है।

CAPF में आत्महत्या के क्या कारण हैं?

- **तनावपूर्ण तैनाती: कार्मिकों को प्राय:** पर्याप्त अवकाश के बिना, **नक्सल प्रभावित क्षेत्रों** और **जम्मू-कश्मीर** जैसे संघर्ष क्षेत्रों जैसे प्रतिकूल क्षेत्रों में तैनात किया जाता है ।
  - सेना के समान **"पीस पोस्टिंग"** का अभाव मानसिक थकान को बढ़ाता है।
    - पीस पोस्टिंग का अर्थ है सैनिकों को **अपेक्षाकृत स्थिर और गैर-शत्रुतापूर्ण वातावरण में तैनात करना,** न कि संघर्ष क्षेत्रों या उच्च तनाव वाले क्षेत्रों जैसे सीमाओं या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में।
- **पारिवारिक अलगाव:** परिवार से लंबे समय तक दूर रहने से **भावनात्मक तनाव** पैदा होता है और **भूमि विवाद या वित्तीय प्रबंधन** जैसे पारिवारिक मुद्दों को संबोधित करने में कठिनाइयाँ आती हैं।
  - आत्महत्या से मरने वाले **80% से अधिक सैनिकों की रिपोर्ट तब आई जब वे छुट्टी से घर लौटे थे।**
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ: मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियाँ सीमित होने के साथ,** मनोवैज्ञानिक सहायता लेना सैन्य बलों में **कलंकित** माना जाता है।
  - **महिला कार्मिकों** में आत्महत्या के प्रयास कम होते हैं, क्योंकि पुरुष प्राय: साथियों द्वारा उपहास के डर से अपनी समस्याएँ साझा करने से बचते हैं।
  - अनेक व्यक्तियों के अनुसार **सेना, नौसेना और वायु सेना** ही वास्तविक सेना है, जिससे **CAPF सैनिकों** में और अधिक हतोत्साहन उत्पन्न होता है।
- **कॅरियर में प्रगति संबंधी मुद्दे:** CAPF में **पदोन्नति की संभावना सीमित** है। अनेक मामलों में कार्मिकों को **एक ही पद पर 10 वर्ष तक** कार्य करना पड़ता है।
  - **उच्च पद IPS अधिकारियों** के लिये आरक्षित होते हैं और CAPF कार्मिकों को **निराशा की अनुभूति होती है,** जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है।
- **नौकरी से संतुष्टि का अभाव:** सेना कार्मिकों को अपने **परिवारों के स्वास्थ्य तथा उपचार** के लिये प्रमुख शहरों में **आर्मी अस्पतालों की सुविधा प्राप्त होती है और CAPF कार्मिकों की तुलना में उनके परिवारों को आर्मी कैंटीन** में अधिक उत्पादों की उपलब्धता का विकल्प होता है।
  - CAPF **नई पेंशन योजना (NPS)** के अंतर्गत हैं तथा सशस्त्र बलों के कार्मिक **पुरानी पेंशन योजना (OPS)** के अंतर्गत आते हैं जिससे CAPF को अपेक्षाकृत **कम भुगतान मिलता है।**
- **आग्नेयास्त्रों तक पहुँच: सेवा के अंतर्गत प्रदत्त हथियारों** तक सरल पहुँच होने से संकट के समय आवेगपूर्ण कार्य करने का जोखिम बढ़ जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारत के सात सुरक्षा बल शामिल हैं।

असम राइफल्स (AR)

- **स्थापना:** वर्ष 1835, मिलिशिया के रूप में जिसे 'कछार लेवी' के नाम से जाना जाता था।
  - **पूर्ववर्ती उद्देश्य:** ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा करना।
- **वर्तमान उद्देश्य:**
  - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना।
  - भारत-चीन और भारत-म्याँमार सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **महत्त्वपूर्ण भूमिका:**
  - भारत-चीन युद्ध, 1962
  - श्रीलंका के लिये भारतीय शांति रक्षा सेना (IPKF) (1987) के रूप में।

आदिवासी इलाकों से लंबे जुड़ाव के कारण असम राइफल्स को 'उत्तर पूर्व का मित्र' भी कहा जाता है

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- **स्थापना:** वर्ष 1965
- **उद्देश्य:**
  - पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाओं को सुरक्षित करना।
  - साथ ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ की समस्याओं को रोकना।
  - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में उग्रवाद का मुकाबला करना।
  - ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाना।
- **विंग:** एयर विंग, समुद्री विंग, आर्टिलरी रेजीमेंट और कमाण्डो यूनिट्स।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत का पहला लाइन ऑफ़ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)

- **स्वतंत्रता-पूर्व स्थापना:** वर्ष 1939 (क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस)।
- **स्वतंत्रता के पश्चात्:** वर्ष 1949 - CRPF अधिनियम के तहत, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के रूप में नामित किया गया।
- **उद्देश्य:** भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, काउंटर मिलिटेंसी/उग्रवाद संचालन, आदि।

CRPF आंतरिक सुरक्षा के लिये प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- **स्थापना:** वर्ष 1962।
- **उद्देश्य:**
  - काराकोरम दर्रे (लद्दाख) से जचेप ला (अरुणाचल प्रदेश) तक सीमा पर तैनात (भारत-चीन सीमा का 3488 कि.मी. कवर करती है)।
  - भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 9000 फीट से 18700 फीट की ऊँचाई पर स्थित सीमा चौकियों की निगरानी।

ITBP एक विशेष पर्वतीय सैन्य बल है; जिसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता कहा जाता है

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- **स्थापना:** वर्ष 1984 (1986 में अस्तित्व में आया), **ऑपरेशन ब्लू स्टार** के पश्चात्।
- **उद्देश्य:** आतंकवाद-रोधी इकाई/संघीय आकस्मिक बल।
- **टास्क ओरिएंटेड फोर्स- दो पूरक शाखाएँ:**
  - स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG)।
  - स्पेशल रेंजर ग्रुप (SRG)।

सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- **स्थापना:** वर्ष 1963
- **उद्देश्य:**
  - भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करना।
  - सीमा सुरक्षा बढ़ाना, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना, अनधिकृत प्रवेश/निकास को रोकना, तस्करी रोकना, आदि।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- **स्थापना:** केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत।
- **उद्देश्य:** महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

CISF एक विशेष फायर विंग वाली एकमात्र CAPF यूनिट है

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

CRPF कार्मिकों में आत्महत्या की दर अधिक क्यों है?

- **आँकड़ें:** गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में CRPF में **36 आत्महत्याएँ हुईं, जो 2019 में** बढ़कर **40, 2020 में 54 और 2021 में 57 हो गईं। वर्ष 2022 में** यह संख्या घटकर **43 हो गई।**
- **CRPF पर अत्यधिक निर्भरता:** राज्य पुलिस बलों में प्राय: संकटों के समाधान के लिये संसाधनों, जनशक्ति और प्रशिक्षण की कमी होती है, जिसके कारण CRPF को आगे आना पड़ता है।
  - CRPF **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित** करती है तथा महाराष्ट्र में **गणेश चतुर्थी** और **ओडिशा में रथ यात्रा** जैसे आयोजनों पर व्यवस्था बनाए रखती है।
  - इससे **कार्यभार बढ़ जाता है** और **विश्राम के अवसर कम हो जाते हैं।**

CAPF कार्मिकों की आत्महत्या की रोकथाम हेतु सरकार की क्या पहले हैं?

- **टास्क फोर्स का गठन: दिसंबर 2021 में गृह मंत्रालय** द्वारा जोखिम कारकों, रोकथाम रणनीतियों की पहचान करने और CAPF में आत्महत्याओं पर अनुसंधान करने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
  - इसने CAPF की आत्महत्याओं के **3 प्रमुख जोखिम कारकों की पहचान की जिनमें कार्य स्थितियाँ, सेवा शर्तें और व्यक्तिगत/व्यक्तिगत मुद्दे** शामिल हैं।
- **ई-अवकाश प्रणाली:** CRPF का **संभव ऐप कार्मिकों को अवकाश के लिये शीघ्र** आवेदन करने में सक्षम बनाता है, तथा अवकाश अनुमोदन **ई-अवकाश पोर्टल के माध्यम से संसाधित होता है।**
- **मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** CRPF ने जवानों के भावनात्मक कल्याण में सहायता के लिये **मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को तैनात किया है।**
  - CRPF में **कार्मिकों के सहयोगियों को** एक-दूसरे की निगरानी और सहायता करने के लिये **"साथी"** के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिये एक **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है।**
  - **CISF ने पर्यवेक्षकों के लिये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं** के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करने हेतु **मानसिक स्वास्थ्य चैंपियनशिप कार्यक्रम** शुरू किया है।
    - CISF की पहल को **प्रोजेक्ट मन द्वारा समर्थन प्राप्त है,** जो एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, यह **24/7 टेली-परामर्श** और व्यक्तिगत सत्र प्रदान करती है।
  - BSF ने परामर्श संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिये एम्स, नई दिल्ली के साथ साझेदारी की, जिसके लिये समर्पित बज़ट आवंटित किया गया।
- **परिवार-केंद्रित हस्तक्षेप:** अवसाद और मानसिक रोगों के मामलों पर बारीकी से नज़र रखी जाती है, तथा **परिवार के सदस्यों को प्रभावित व्यक्तियों के साथ रहने की अनुमति देने का प्रयास किया जाता है।**

आगे की राह

- **कार्यभार प्रबंधन: यह सुनिश्चित करना कि तनाव कम करने** के लिये कार्मिकों को समय-समय पर **शांतिपूर्ण, गैर-शत्रुतापूर्ण वातावरण** में तैनात किया जाए।
  - **विधिक प्रवर्तन संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षित करना** और जनशक्ति में वृद्धि करना, ताकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर अत्यधिक बोझ न पड़े।
- **नौकरी से संतुष्टि:** उन्नति के लिये स्पष्ट राह बनाते हुए यह सुनिश्चित करना कि वरिष्ठ पद **केवल आईपीएस अधिकारियों के लिये आरक्षित नहीं हैं, अर्थात् CAPF के भीतर पदोन्नति के अवसरों में सुधार करना अनिवार्य हो।**
- **पारिवारिक सहायता कार्यक्रम: परिवार के सदस्यों को कार्मिकों के साथ रहने या** कार्यभार के दौरान **परिवार से मिलने के** अधिक अवसर प्रदान करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **नीतिगत समर्थन: यह सुनिश्चित करना कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, अवकाश प्रणाली** और **कैरियर प्रगति** से संबंधित मौजूदा नीतियाँ CAPF कार्मिकों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समायोजित करने के लिये **अधिक लचीली हों**।
- **कौशल विकास: सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन** जीने के लिये CAPF कार्मिकों को **नौकरी पर प्रशिक्षण** प्रदान करना। जैसे, **मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती** आदि।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में आत्महत्या की उच्च दर के लिये कौन से कारक जिम्मेदार हैं और इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जैवविविधता और पर्यावरण

IPBES ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट

चर्चा में क्यों?

'जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच' (IPBES) द्वारा जारी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक ***ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट*** है, जैवविविधता की हानि को कम करने में शासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देती है।

- यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि समावेशिता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रभावी शासन, **जैवविविधता को संरक्षित करने और दीर्घकालिक**, प्रणालीगत परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिये कितना आवश्यक है।

ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज असेसमेंट रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **पारिस्थितिक हानि:** रिपोर्ट में **जैवविविधता की हानि को रोकने के लिये समाज द्वारा प्रकृति के साथ किये जाने वाले व्यवहार** में मूलभूत बदलाव की त्वरित आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है तथा चेतावनी दी गई है कि निष्क्रियता से **अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक** क्षति हो सकती है, जिसमें प्रवाल भित्तियों और वर्षावनों का विनाश भी शामिल है।
- **आर्थिक और रोज़गार के अवसर:** तत्काल कार्रवाई से वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर **10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यावसायिक अवसर तथा 395 मिलियन रोज़गार उत्पन्न हो सकती हैं,** विशेष रूप से उन उद्योगों में जो प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- **जैवविविधता हानि के कारण:** रिपोर्ट में मूल कारणों की पहचान **लोगों और प्रकृति के बीच संबंध विच्छेद**, प्रकृति तथा अन्य पर प्रभुत्व के रूप में की गई है।
  - अन्य कारणों में **शक्ति और धन का संकेंद्रण** तथा **दीर्घकालिक स्थिरता की तुलना में अल्पकालिक भौतिक लाभ को** प्राथमिकता देना शामिल है।
- **परिवर्तन हेतु पाँच प्रमुख रणनीतियाँ:**
  - **संरक्षण एवं पुनरुद्धार: जैव-सांस्कृतिक विविधता** के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, जो **पर्यावरणीय पुनरुद्धार** को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, जैसे नेपाल में **समुदाय-संचालित वन प्रबंधन।**
  - **प्रमुख क्षेत्रों में व्यवस्थित परिवर्तन: कृषि, मत्स्य पालन और बुनियादी ढाँचे** जैसे क्षेत्र, जो जैवविविधता हानि में योगदान करते है, को स्थायी प्रथाओं के माध्यम से संबोधित करना।
  - **आर्थिक प्रणालियों में परिवर्तन: हार्मफुल सब्सिडी** में सुधार और **सतत् व्यापार मॉडल को बढ़ावा देकर प्रकृति-सकारात्मक अर्थव्यवस्थाओं** की ओर रुख करना।
  - **अनुकूली शासन: स्वदेशी समुदायों सहित विविध हितधारकों** को एकीकृत करने वाली अनुकूल शासन प्रणालियों को निर्मित करना तथा नीतियों में जैवविविधता को केंद्रित चिंता का विषय बनाएं।
    - अनुकूली शासन, बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों और नई जानकारी के आधार पर **रणनीतियों के निरंतर समायोजन को सक्षम बनाता है।**
    - यह लचीलापन जटिल जैवविविधता चुनौतियों से निपटने तथा उभरते खतरों के प्रति अनुक्रियाशील बने रहने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **दृष्टिकोण और मूल्यों में बदलाव:** शिक्षा, अनुभवात्मक गतिविधियों और विविध ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करने पर ज़ोर देते हुए **मानव-प्रकृति के अंतर्संबंध** की मान्यता को बढ़ावा देना।

IPBES

- वर्ष 2012 में स्थापित IPBES एक **स्वतंत्र अंतर-सरकारी** निकाय है जिसमें भारत सहित लगभग 150 सदस्य देश शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह जैवविविधता, पारिस्थितिकी तंत्र तथा लोगों के लिये उनके योगदान पर वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है, साथ ही उनके संरक्षण तथा सतत् उपयोग के लिये उपकरण एवं तरीके भी प्रदान करता है।

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** IPBES को सचिवालय सेवाएँ प्रदान करता है। हालाँकि यह **संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं** है।
- **सचिवालय:** बॉन, जर्मनी।

ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज (परिवर्तनकारी बदलाव) क्या है और इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है?

- **ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज (परिवर्तनकारी बदलाव):** यह तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक कारकों के बीच एक **मौलिक, प्रणाली-व्यापी पुनर्गठन** है, **जिसमें प्रतिमान, लक्ष्य तथा मूल्य शामिल हैं, जो जैवविविधता के संरक्षण एवं सतत् उपयोग के लिये** और एक **अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन एवं सतत् विकास को प्राप्त करने हेतु** आवश्यक है।
- **ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज (परिवर्तनकारी बदलाव) हेतु कदम:**
  - **कार्बन-तटस्थ कार्यवाहियाँ: कार्बन-तटस्थता के लिये प्रयास करना,** इसे व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिये एक आदर्श बनाना, साथ ही वैध जलवायु-अनुकूल प्रतिसंतुलन का समर्थन करना।
  - **भू-सकारात्मक विकल्प:** आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव लाकर और नीतियों को प्रभावित करके लोगों के लिये **पर्यावरण में सकारात्मक** योगदान करना आसान, आनंददायक तथा किफायती बनाना।
  - **सब्सिडी में सुधार: पर्यावरणीय संरक्षण को समर्थन देने के लिये सब्सिडी और प्रोत्साहनों को पुनर्निर्देशित करना** तथा संसाधन-निष्कर्षण उद्योगों से हटकर संधारणीय प्रथाओं की ओर संक्रमण को सुगम बनाना।
  - **एहतियाती निर्णय लेना: पर्यावरणीय खतरों को पूर्व सक्रियता से संबोधित करते हुए, यहाँ तक कि निश्चित प्रमाण के बगैर भी,** एहतियाती, अनुकूली, समावेशी और अंतर-क्षेत्रीय निर्णय लेने को लागू करना।
  - **पर्यावरण कानूनों को सुदृढ़ बनाना: सुदृढ़ पर्यावरण कानूनों की वकालत करना, उनका** सुसंगत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और प्रकृति की रक्षा करने तथा सतत् आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली वैश्विक पहलों का समर्थन करना।

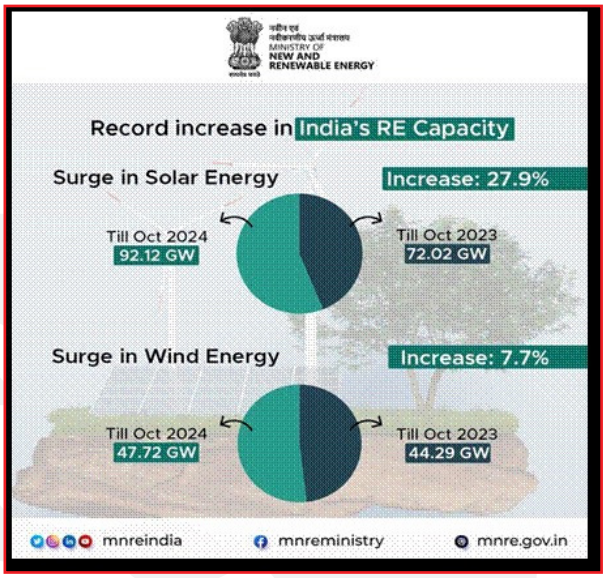

परिवर्तनकारी बदलाव के लिये भारत की पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना (NBAP)
- स्वच्छ भारत अभियान
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना तथा विनिर्माण (FAME)
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
- मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवनशैली)
- अटल शहरी कायाकल्प एवं परिवर्तन मिशन (अमृत)
- **परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिये सतत् विकास लक्ष्य (SDG): ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज (परिवर्तनकारी बदलाव) के लिये सतत् विकास लक्ष्य (SDG)** समावेशी विकास के माध्यम से सतत् विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो **जल के नीचे जीवन, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल,**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ज़िम्मेदार उपभोग और भूमि पर जीवन को संबोधित करते हैं।

- स्मार्ट सिटी मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष जैसी भारत की पहल विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश किया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पन्न करना है।

भूजल प्रदूषण पर CGWB की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के शोध के अनुसार, पूरे भारत में भूजल प्रदूषण चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, जहाँ अधिकतर क्षेत्रों में नाइट्रेट का स्तर बहुत अधिक है।

- यह रासायनिक प्रदूषक पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न करता है तथा विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिये गंभीर स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न करता है।

CGWB रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **नाइट्रेट संदूषण में वृद्धि:** वर्ष 2017 में 359 ज़िलों से बढ़कर वर्ष 2023 तक 440 ज़िलों में भूजल में अत्यधिक नाइट्रेट का स्तर दर्ज किया गया।
  - भारत के 56% ज़िलों में नाइट्रेट की सांद्रता 45 मिलीग्राम प्रति लीटर की सुरक्षित सीमा से अधिक है।
- **क्षेत्रीय हॉटस्पॉट:** राजस्थान (49%), कर्नाटक (48%), और तमिलनाडु (37%) में नाइट्रेट संदूषण का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया।
  - महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में नाइट्रेट संदूषण का स्तर उल्लेखनीय रूप से बढ़ रहा है, जिसके साथ मध्य एवं दक्षिणी भारत में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
- **मानसून का प्रभाव:** मानसून के बाद नाइट्रेट प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है, मानसून के मौसम में 32.66% नमूने सुरक्षित स्तर को पार कर गए, जबकि मानसून से पहले यह स्तर 30.77% था।
- **अन्य भूजल प्रदूषक:** फ्लोराइड संदूषण राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
  - राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यूरेनियम संदूषण सुरक्षित स्तर से अधिक है, विशेष रूप से अति-शोषित भूजल क्षेत्रों में।
- **भूजल निष्कर्षण:** वर्ष 2009 से भारत में भूजल निष्कर्षण की दर 60.4% पर स्थिर रही है।
  - हालाँकि, भूजल की उपलब्धता में सुधार हुआ है, 73% ब्लॉकों को 'सुरक्षित' क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो वर्ष 2022 में 67.4% से उल्लेखनीय वृद्धि है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)

- **जल संसाधन मंत्रालय,** भारत सरकार के तहत CGWB भारत में भूजल संसाधनों के **प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन और विनियमन** के लिये सर्वोच्च निकाय है।
  - वर्ष 1970 में स्थापित, CGWB का गठन आरंभ में अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन का नाम बदलकर किया गया था और बाद में वर्ष 1972 में इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल विंग के साथ विलय कर दिया गया।
  - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) भूजल विकास को विनियमित करता है ताकि इसकी स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
- **प्रमुख कार्य और ज़िम्मेदारियाँ:** CGWB भूजल प्रबंधन के लिये वैज्ञानिक विशेषज्ञता प्रदान करता है, जिसमें अन्वेषण, निगरानी और जल गुणवत्ता आकलन शामिल हैं।
  - यह भूजल स्तर को बढ़ाने के लिये कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन की योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है।
- **वैज्ञानिक रिपोर्ट:** CGWB राज्य और ज़िला जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, भूजल वर्ष पुस्तकें और एटलस जारी करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भूजल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं?

- **कृषि पद्धतियाँ:** कृषि में **उर्वरकों और कीटनाशकों** के अत्यधिक उपयोग से **नाइट्रेट और फॉस्फेट** मृदा में रिस जाते हैं, जिससे भूजल दूषित हो जाता है।
  - ❖ अनुचित **सिंचाई और जल का अत्यधिक दोहन** इस समस्या को और भी गंभीर बना देता है।
- **भंडारण टैंक:** संक्षारक टैंकों से भूजल में **गैसोलीन,** तेल या रसायन का रिसाव हो सकता है।
- **खतरनाक अपशिष्ट स्थल:** रिसाव वाले परित्यक्त स्थल भूजल के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।
- **लैंडफिल:** यदि सुरक्षात्मक परतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लैंडफिल से प्रदूषक भूजल में रिस सकते हैं।
- **सेप्टिक सिस्टम:** खराब रखरखाव वाली प्रणालियों से अपशिष्ट और रसायनों का रिसाव हो सकता है, जिससे भूजल प्रदूषित हो सकता है।
- **वायुमंडलीय प्रदूषक:** वायुमंडल या सतही जल से प्रदूषक अंततः भूजल तक पहुँच सकते हैं।
- **वनोन्मूलन: मृदा में प्राकृतिक निस्पंदन की प्रक्रिया** बाधित होती है, जिससे **अपवाह** बढ़ जाता है और प्रदूषक भूजल प्रणालियों में प्रवेश कर जाते है।

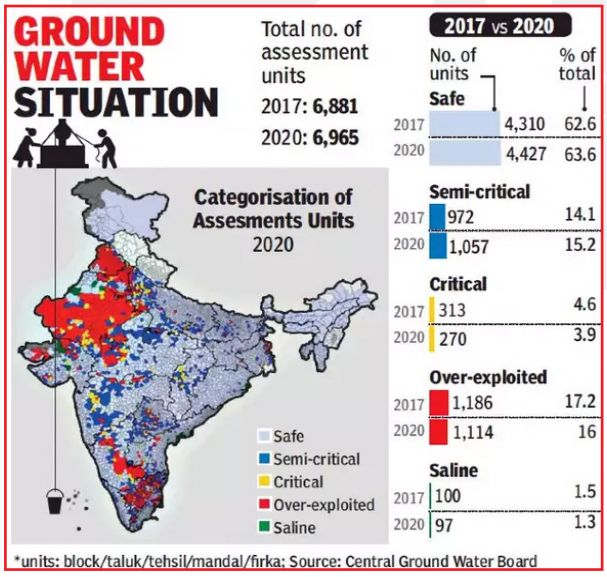

भूजल प्रदूषण के निहितार्थ क्या हैं?

- **स्वास्थ्य जोखिम: फ्लोराइड, नाइट्रेट और भारी धातु** जैसे प्रदूषक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं और **जलजनित रोगों** का कारण बनते हैं।
  - ❖ अत्यधिक **नाइट्रेट संदूषण,** विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के लिये, **मेथेमोग्लोबिनेमिया का कारण बन सकता है, जिसे "ब्लू बेबी सिंड्रोम"** भी कहा जाता है।
- **खाद्य उत्पादन:** सिंचाई के लिये प्रयुक्त भारी धातुओं और प्रदूषकों से भूजल संदूषित होने से **फसलों में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य को खतरा** हो सकता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** नाइट्रेट प्रदूषण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है, तथा पौधों और जलीय जीवन पर प्रभाव डाल सकता है।
- भूजल में प्रदूषक **मृदा संदूषण और लवणीकरण** का कारण बन सकते हैं।
- **लागत में वृद्धि:** दूषित भूजल को उपभोग हेतु सुरक्षित बनाने के लिये **महंगी उपचार प्रक्रियाओं** की आवश्यकता होती है।
- भूजल संदूषण **सतही जल** तक फैल सकता है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो सकती है। **लगातार संदूषण से स्वच्छ जल की उपलब्धता कम हो जाती है,** जिससे जल की कमी और संभावित सामाजिक आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है।

भूजल प्रदूषण को रोकने के लिये क्या उपाय किए गए हैं?

- **जल शक्ति अभियान (JSA)**
- **राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)**
- **अटल भूजल योजना (ABHY)**
- **प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू किया जाता है।
  - ❖ परिवेश में छोड़े जाने से पहले जल को उपचारित करने के लिये **सीवेज उपचार संयंत्र (STP)** और **अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP)** का निर्माण किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **जन जागरूकता अभियान:** राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (RGNGT&RI) जैसे संस्थानों के माध्यम से हितधारकों को प्रशिक्षण देना।
- **"कैच द रेन"** और **स्वच्छ भारत मिशन** जैसे प्रयास समुदायों को भूजल संरक्षण के बारे में शिक्षित करते हैं।

आगे की राह

- **उर्वरक उपयोग को विनियमित करना:** कृषि में **नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग** पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। **धारणीय कृषि** के तरीकों को लागू करने से इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **वर्षा जल संचयन: वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित** करने एवं प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से **भूजल की पुन:पूर्ति से अतिशोषित जलभृतों** पर निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन:** शहरी क्षेत्रों में कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने से भूजल प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
- **बेहतर निगरानी और नीतियाँ:** भूजल की गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाने एवं रासायनिक प्रदूषकों के संबंध में सख्त नियम बनाने से प्रदूषण को रोकने में मदद मिल सकती है।

रिकॉर्ड ग्लोबल वार्मिंग और भारत पर इसका प्रभाव

चर्चा में क्यों?

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने पुष्टि की है कि **वर्ष 2024 सबसे गर्म वर्ष** रहा है। पिछला दशक (वर्ष 2015-2024) सबसे गर्म रहा है।

- IMD के अनुसार, भारत में तापमान वृद्धि **वैश्विक औसत** तापमान वृद्धि से कम है।
- हालांकि, इस बात पर चिंता बनी हुई है कि **वैश्विक जलवायु मॉडल भारत** में हो रहे परिवर्तनों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं **जिससे जलवायु अवलोकन** एवं प्रभाव आकलन क्षमताओं में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

WMO के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **रिकॉर्ड वैश्विक तापमान:** वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर औसत सतही तापमान **पूर्व-औद्योगिक स्तरों (1850-1900 अवधि) से 1.55°C अधिक** रहा है, जो निर्धारित आधार रेखा **से 1.5°C अधिक** तापमान वाला पहला वर्ष है।
- **महासागरीय ऊष्मा: महासागरीय जल के ऊपरी 2000 मीटर** द्वारा रिकॉर्ड **16 ज़ेटाजूल ऊष्मा अवशोषित की गई, जो** वर्ष 2023 के **कुल वैश्विक विद्युत उत्पादन का** लगभग 140 गुना है।
  - ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा का लगभग **90% भाग महासागर में संग्रहित** हो जाता है।
- **तापमान आकलन:** यद्यपि वर्ष 2024 का तापमान **1.5°C के स्तर से अधिक** हो गया फिर भी WMO ने आश्वासन दिया है कि **पेरिस समझौते** के लक्ष्य **बरकरार रहेंगे।**
  - पेरिस **समझौता UNFCCC** के तहत एक **कानूनी रूप से बाध्यकारी** वैश्विक समझौता है जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को **पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य** शामिल है।
- **भारत में तापमान वृद्धि: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का तापमान सामान्य से **0.65 डिग्री सेल्सियस** अधिक रहा **लेकिन वैश्विक औसत 1.55 डिग्री सेल्सियस** से कम है।
  - IMD **के** आँकड़ों से पता चलता है कि **वर्ष 2024** में भारत का तापमान **वर्ष 1901-1910 के औसत** से लगभग **1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक** रहा।

नोट: IPCC की छठी रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व -औद्योगिक काल से **भूमि के तापमान में 1.59°C** तथा **महासागरों** के तापमान में **0.88°C** की वृद्धि हुई है।

भारत में कम तापमान वृद्धि के पीछे क्या कारण हैं?

- **भौगोलिक स्थिति:** वैश्विक तापमान में वृद्धि **उच्च अक्षांशों पर** (विशेष रूप से **ध्रुवों** के पास) अधिक ध्यान देने योग्य रही है, जिसका कारण **वायु परिसंचरण प्रणालियों** के माध्यम से **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ऊष्मा** का स्थानांतरण है तथा यह

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

तथ्य भी है कि **उच्च अक्षांशों पर** पहले से ही **तापमान कम** होता है।

- भारत, भूमध्य रेखा के पास **उष्णकटिबंधीय क्षेत्र** में स्थित है, जहाँ **इस प्रकार की भौगोलिक घटनाएँ** नहीं होती हैं।

- **एल्बिडो प्रभाव:** आर्कटिक क्षेत्र में, **निम्न एल्बिडो प्रभाव** के कारण तापमान में वृद्धि होती है, जिससे वहाँ की बर्फ पिघलती है, यह **बर्फ से ढकी सतहों की तुलना में अधिक ऊष्मा को रोकती है**, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती हैं।
  - भारत में बर्फ पर **एल्बिडो प्रभाव हिमालयी** क्षेत्रों तक ही सीमित है।
- **एरोसोल और प्रदूषण:** सौर ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस बिखेरने की अपनी क्षमता के कारण, पार्टिकुलेट मैटर और एरोसोल का शीतलन प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त, एरोसोल बादलों के निर्माण में सहायता करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करने में सहायता करते हैं।
  - भारत में **पार्टिकुलेट मैटर और एरोसोल के कारण वायु प्रदूषण बढ़ने** से तापमान में वृद्धि में कमी आने का एक **छोटा सा अनपेक्षित परिणाम** सामने आया है।
- **ऊँचाई में भिन्नताएँ** : भारत का भू-भाग **एक समान नहीं है,** तथा विभिन्न क्षेत्रों में तापमान वृद्धि में स्पष्ट भिन्नताएँ पाई जाती हैं।
  - **स्थानीय जलवायु और भूगोल** के कारण कुछ क्षेत्रों में अधिक तापमान वृद्धि देखी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय औसत तापमान वृद्धि कम रहती है।

ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित अन्य निष्कर्ष:

- **अत्यधिक गर्मी: भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश वर्ष 2020** में **अत्यधिक गर्मी** के संपर्क में रहने वाले **शीर्ष पाँच देश** थे।
  - **वर्ष 1995** से वर्ष 2020 तक, व्यापार के कारण अत्यधिक गर्मी का वैश्विक जोखिम **89% बढ़कर 221.5** बिलियन व्यक्ति-घंटे से **419.0 बिलियन व्यक्ति-घंटे** हो गया।
- **असंगत जोखिम: निम्न-मध्यम आय और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक स्तर पर अधिक गर्मी के जोखिम का क्रमशः 53.7% और 18.3%** हिस्सा हैं, जबकि वैश्विक श्रम क्षतिपूर्ति में इनका योगदान केवल **5.7% और 1%** है।
  - **वर्ष 2020** में, **जर्मनी में प्रति व्यक्ति** केवल **28.1 घंटे अत्यधिक गर्मी रही है**, तथा **संयुक्त राज्य अमेरिका में 260.9 घंटे** थे, जबकि **थाईलैंड और नाइजीरिया जैसे देशों में** यह आँकड़ा बहुत अधिक था **(क्रमशः प्रति व्यक्ति 1319.5 और 1186.8 घंटे)।**

वैश्विक तापमान के परिणाम क्या हैं?

- **समुद्र स्तर में वृद्धि: वर्ष 1880 के बाद से वैश्विक समुद्र स्तर** में लगभग **8 इंच की वृद्धि हुई** है तथा यह अनुमान है कि 2100 तक इसमें कम-से-कम एक **फुट की वृद्धि** होगी, जिससे तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, समुदाय विस्थापित होंगे, तथा पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होगा।
  - महासागर महत्त्वपूर्ण मात्रा में CO_2 **अवशोषित** करते हैं, जिससे अम्लता में वृद्धि होती है जिससे समुद्री जीवन प्रभावित होता है।
- **सूखा और उष्ण लहरें: सूखा** और **गर्म लहरें** तीव्र होने की संभावना है, जबकि **शीत लहरें** कमज़ोर पड़ने की संभावना है।
  - गर्मी और लम्बे समय तक सूखे के कारण **वनाग्नि का समय बढ़** गया।
- **जैवविविधता का ह्रास:** बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के कारण **पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो रहा है,** जिससे कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है।
- **संबंधित प्रभाव:** विषम मौसम के कारण **खाद्य उत्पादन बाधित होता है**, जिससे खाद्यान्नों का अभाव और **कीमतों में वृद्धि होती है**, जबकि बढ़ते तापमान के कारण **वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है,** गर्मी से होने वाले रोग बढ़ते हैं और रोगों का संचरण होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

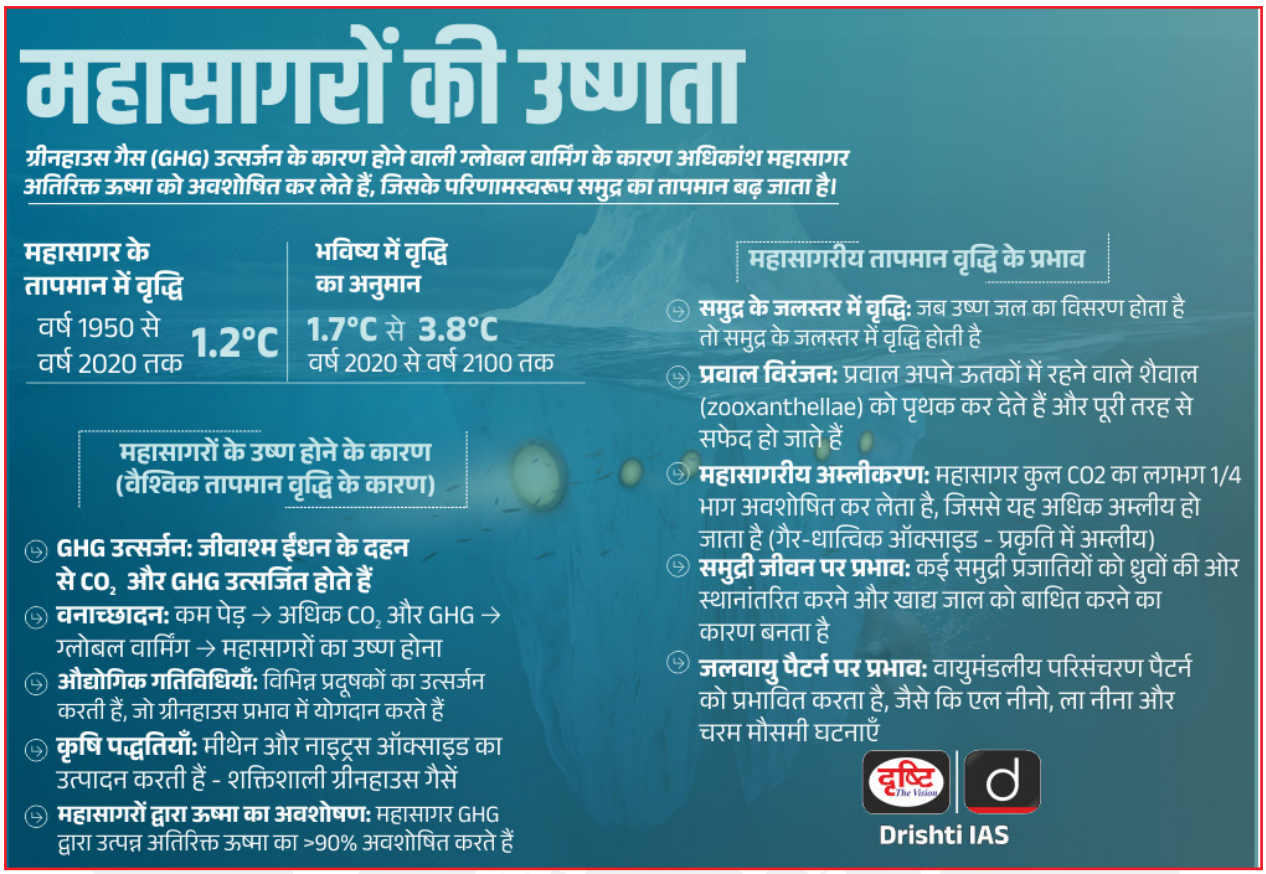

भारत ग्लोबल वार्मिंग का बेहतर नियंत्रण कैसे कर सकता है?

- **मौसम केंद्रों का विस्तार:** भारत को अपने **मौसमी संबंधी केंद्रों का विस्तार** करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, वर्ष **2047 के लिये विकसित भारत विज़न** के तहत प्रत्येक प्रमुख पंचायत में केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि सटीक जलवायु आकलन के लिये वास्तविक समय के आँकड़े एकत्र किये जा सकें।
- **कंप्यूटिंग क्षमताओं का वर्द्धन:** भारत को बेहतर **आपदा प्रबंधन,** कृषि पूर्वानुमान और जलवायु आघात सहनीय कार्यनीतियों हेतु जलवायु डेटा को संसाधित करने के उद्देश्य से **उन्नत कंप्यूटिंग तथा बुनियादी ढाँचे में निवेश करना चाहिये।**
- **नियमित प्रभाव आकलन:** भारत को समुद्र के **जल स्तर में वृद्धि** और **पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन** जैसे उभरते जलवायु जोखिमों पर नज़र रखने के लिये **भारत-विशिष्ट** जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन करने की आवश्यकता है।
- **मिशन मौसम: मिशन मौसम** का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिये तथा **मौसम के बेहतर पूर्वानुमान** के लिये, विशेष रूप से तटीय और पर्वतीय क्षेत्रों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।
  - मिशन मौसम का उद्देश्य **चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन** के प्रभावों का पूर्वानुमान करने और उनका शमन करने की भारत की क्षमता का वर्द्धन करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **स्थानगत प्रभाव अध्ययन:** भारत को **स्थानगत अध्ययनों** में निवेश करने की आवश्यकता है जो लक्षित अनुकूलन रणनीतियों और नीतिगत हस्तक्षेपों के लिये **हिमालय, तटीय क्षेत्रों और शहरी केंद्रों** जैसे विभिन्न क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट जलवायु चुनौतियों को प्रतिबिंबित करें।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) क्या है?

- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें **192 सदस्य देश शामिल हैं।**
  - ❖ **भारत** विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है।
- इसकी उत्पत्ति **अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (आईएमओ) से हुई,** जिसे **1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था** ।
- इसकी उत्पत्ति **अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO)** से हुई है, जिसे **वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस** के बाद स्थापित किया गया था।
- **23 मार्च 1950** को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO, **मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), परिचालन जल विज्ञान तथा इससे संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी** बन गई है।
- WMO का मुख्यालय **जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में है।

आगे की राह

- **छह-क्षेत्रीय दृष्टिकोण: ऊर्जा, उद्योग, कृषि, वन, परिवहन और निर्माण क्षेत्रों में उत्सर्जन में कमी लाने के लिये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** की कार्यनीति का अंगीकरण किया जाना चाहिये।
- **पुनर्वनीकरण और वनरोपण: कार्बन सिंक** तैयार किये जाने के उद्देश्य से वनरोपण किया जाना चाहिये, जो वायुमंडल से CO_2 को अवशोषित करते हैं।
- **जैवविविधता और कार्बन भंडारण क्षमता को बनाए रखने के लिये क्षीण हो चुके वनों का जीर्णोद्धार** करना तथा मौजूदा वनों की रक्षा की जानी चाहिये।
- **ऊर्जा दक्षता: ऊर्जा कुशल साधनों,** भवनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने के लिये कड़े **ऊर्जा मानकों का क्रियान्वन किया जाना चाहिये** और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता है।
- **संधारणीय कृषि: जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों** जैसे **संधारणीय सिंचाई तकनीक, सूखा-रोधी फसल किस्में** और **कृषि वानिकी** का अंगीकरण किया जाना चाहिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा उत्पादन

चर्चा में क्यों?

भारत के सबसे बड़े विद्युत् उत्पादक, **राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC) लिमिटेड** ने **समृद्ध जीवन (ANEEL) थोरियम आधारित ईंधन** के लिये उन्नत परमाणु ऊर्जा के विकास और तैनाती का पता लगाने के लिये अमेरिका स्थित **क्लीन कोर थोरियम एनर्जी (CCTE)** के साथ एक **रणनीतिक समझौते** पर हस्ताक्षर किये हैं।

- CCTE द्वारा विकसित ANEEL **दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (PHWR)** के लिये **थोरियम आधारित ईंधन** है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में भारत के प्रचुर **थोरियम** भंडार को अपने **त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम** में उपयोग करने की योजना बना रहा है।

समृद्ध जीवन के लिये उन्नत परमाणु ऊर्जा (ANEEL) क्या है?

- **परिचय:** ANEEL एक पेटेंट प्राप्त **परमाणु ईंधन** है जो **थोरियम** और **उच्च परख निम्न समृद्ध यूरेनियम (HALEU)** का मिश्रण है।
  - इस ईंधन का नाम भारत के अग्रणी परमाणु वैज्ञानिकों में से एक **डॉ. अनिल काकोडकर** के सम्मान में रखा गया है।
  - HALEU **5% से 20% तक संवर्धित यूरेनियम** है, जो कई उन्नत परमाणु रिएक्टर डिजाइनों के लिये आवश्यक है।
    - वर्तमान में इसका उत्पादन केवल **रूस और चीन** में ही किया जाता है, तथा अमेरिका में इसका उत्पादन सीमित है।
- **PHWR के साथ अनुकूलता:** ANEEL ईंधन का उपयोग **मौजूदा PHWR** में किया जा सकता है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा का स्रोत हैं।
  - वर्तमान में भारत में **22 रिएक्टर** कार्यरत हैं, जिनकी स्थापित क्षमता **6780 मेगावाट** है। इनमें से **18 रिएक्टर PHWR** और **4 भारी जल रिएक्टर (LWR)** हैं।
  - भारत **10 और PHWR का निर्माण** कर रहा है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता **700 मेगावाट** होगी।
- **थोरियम परिनियोजन में आसानी:** आयातित HALEU का उपयोग करते हुए, ANEEL थोरियम परिनियोजन के लिये एक सरल और तेज़ विकल्प प्रदान करता है।
  - **यूरेनियम-233** के उत्पादन की भारत की पारंपरिक विधि श्रम-केंद्रित है और इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम रिएक्टरों के चारों ओर थोरियम का उपयोग शामिल है।
- **लाभ:**
  - **दक्षता:** ANEEL ईंधन की बर्न-अप दक्षता **60,000 मेगावाट-दिन प्रति टन** है, जबकि पारंपरिक प्राकृतिक यूरेनियम के लिये यह **7,000 मेगावाट-दिन प्रति टन** है।
    - एक सामान्य **220 मेगावाट PHWR** में ईंधन बंडलों के आवश्यक जीवनकाल को 1,75,000 से घटाकर 22,000 करने से, ANEEL ईंधन अपशिष्ट की मात्रा और परिचालन व्यय को काफी हद तक कम कर देता है।
  - **अप्रसार:** थोरियम और व्ययित ANEEL **ईंधन गैर-हथियारीकरण** योग्य है, जिससे विदेशी यूरेनियम आपूर्तिकर्त्ताओं और रिएक्टर ऑपरेटरों के लिये प्रसार संबंधी चिंताएँ कम हो जाती हैं।
  - **आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव:** ANEEL ईंधन अपनी उच्च दक्षता और लंबे समय तक चलने वाले ईंधन बंडलों के कारण रिएक्टरों की **परिचालन लागत को कम** करता है।
    - यह **भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और परमाणु क्षमता को तीन गुना करने** की वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जैसा कि **दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में COP28** के दौरान उजागर किया गया था।
  - **वैश्विक सहयोग:** जब से कनाडाई परमाणु प्रयोगशालाओं और CCTE ने ANEEL ईंधन विकास और लाइसेंसिंग को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बढ़ावा देने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, तब से ANEEL में HALEU-थोरियम मिश्रण ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है।

थोरियम:

- **परिचय:** थोरियम **चांदी जैसा, एक रेडियोधर्मी** धातु है। यह आमतौर पर **आग्नेय चट्टानों** और **हैवी मिनरल सैंड** में पाया जाता है।
- **प्रचुरता:** पृथ्वी की सतह पर थोरियम, यूरेनियम की तुलना में **तीन गुना अधिक प्रचुर** मात्रा में पाया जाता है, **थोरियम की औसत सांद्रता 10.5 भाग प्रति मिलियन (PPM) है,** जबकि **यूरेनियम** की लगभग 3 PPM है।
- **फ़िज़नेबल (Fissionable) परंतु फिज़ाइल (Fissile) नहीं: थोरियम** का एकमात्र प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समस्थानिक **थोरियम-232** है, जो **फ़िज़नेबल (विखंडन हो सकता है) परंतु फिज़ाइल नहीं है (बाह्य न्यूट्रॉन के बिना शृंखला अभिक्रिया को जारी नहीं रख सकता)।**
  - ❖ थोरियम-232 को विखंडन के लिये **उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है।**

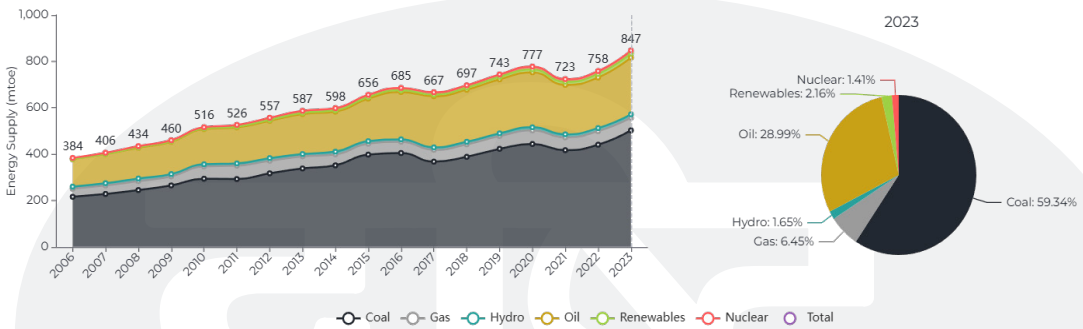

थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर क्या है?

- **थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर:** इसमें यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 के स्थान पर **प्राथमिक ईंधन के रूप में थोरियम-232** का उपयोग किया जाता है।
  - ❖ थोरियम **फिज़ाइल पदार्थ नहीं है, बल्कि फर्टाइल (Fertile) पदार्थ है, जिसका अर्थ है कि इसे** परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिये **यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 के साथ युग्मित करना** आवश्यक है।
  - ❖ **नाभिकीय अभिक्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने** के लिये थोरियम का उपयोग विखंडनीय पदार्थ जैसे **233U, 235U या 239Pu के साथ किया जाना आवश्यक है।**
- **ईंधन चक्र की रणनीतियाँ:**
  - ❖ **निम्न संवर्द्धित यूरेनियम (LEU) के साथ थोरियम:** LEU में **19.75% का 235U संवर्द्धन होता** है, इसे थोरियम के साथ मिलाकर **थोरियम-LEU मिश्रित ऑक्साइड (M.O.X.) ईंधन बनाया जाता है।**
  - ❖ **प्लूटोनियम (Pu) के साथ थोरियम:** यह विन्यास **प्लूटोनियम को** बाह्य विखंडनीय भण्डार के रूप में उपयोग करता है।
- **लाभ:**
  - ❖ **परमाणु अपशिष्ट में कमी:** थोरियम आधारित रिएक्टर यूरेनियम-प्लूटोनियम ईंधन चक्रों की तुलना में काफी **कम दीर्घकालिक लघु एक्टिनाइड्स (आयनीकरण विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व) उत्पन्न करते हैं।**
  - ❖ **सुरक्षा:** व्यय ईंधन में 232U की उपस्थिति **कठोर गामा विकिरण** उत्पन्न करती है, जो शस्त्रीकरण को रोकती है।
  - ❖ **पुनर्चक्रण क्षमता:** 233U में कम गैर-विखंडनीय अवशोषण, बहु पुनर्चक्रण चक्रों की सुविधा प्रदान करता है, जिससे ईंधन दक्षता में सुधार होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- **उन्नत ईंधन उपयोग:** थोरियम जल-शीतित या विगलित-लवण रिएक्टरों में **खपत की तुलना में अधिक विखंडनीय यूरेनियम-233 उत्पन्न कर सकता है, जिससे ईंधन का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है।**

- **चुनौतियाँ:**
  - **निष्कर्षण लागत:** थोरियम निष्कर्षण **महंगा होता है,** क्योंकि यह दुर्लभ मृदा की मांग से प्रेरित **मोनेज़ाइट खनन का उप-उत्पाद है, जिससे समर्पित खनन गैर-लाभकारी हो जाता है।**
  - **विखंडनीय चालकों पर निर्भरता:** थोरियम एक **उपजाऊ खनिज है।** इसे शृंखला अभिक्रिया आरंभ करने और बनाए रखने के लिये **यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239** जैसी **बाह्य विखंडनीय सामग्री की आवश्यकता होती है।**
  - **सीमित अनुभव:** अधिकांश परमाणु ऊर्जा प्रणालियाँ **ऐतिहासिक रूप से यूरेनियम के लिये अनुकूलित हैं,** जिसके कारण थोरियम के संबंध में अनुसंधान, विकास एवं परिचालन अनुभव सीमित है।

भारत का तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है?

- **परिचय:** यह परमाणु ऊर्जा विकसित करने की एक रणनीति है, जो देश में उपलब्ध **सीमित यूरेनियम संसाधनों** और **विशाल थोरियम भंडार के विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित है।**
  - इसे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिये **डॉ. होमी भाभा** द्वारा तैयार किया गया था।

- **3-चरण:** 3-चरण की रणनीति विभिन्न प्रकार के रिएक्टरों को एकीकृत करके धीरे-धीरे थोरियम-आधारित विद्युत उत्पादन में परिवर्तित करती है।
  - **चरण-I: इसमें PHWR** की स्थापना शामिल है और इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम (U-238) और शीतलक एवं मॉडरेटर के रूप में **भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) का उपयोग किया जाता है।**
    - इन रिएक्टरों से निष्कर्षित ईंधन को **प्लूटोनियम प्राप्त करने के लिये पुन: संसाधित किया जाता है।**
  - **चरण-II: इसमें** चरण-I के रिएक्टरों में उत्पादित **प्लूटोनियम** द्वारा संचालित **फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBRs)** के उपयोग की परिकल्पना की गई है।
    - प्लूटोनियम के उपयोग के अतिरिक्त, FBR थोरियम से **यूरेनियम-233 (U-233) का उत्पादन भी करते हैं।**
  - **चरण-III: इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम-233 (U-233) और थोरियम का** उपयोग करके **थोरियम-आधारित रिएक्टरों** के उपयोग की परिकल्पना की गई है।
    - चरण-III का उद्देश्य थोरियम से उत्पन्न U-233 को **भारत के प्राथमिक परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग करना है।**

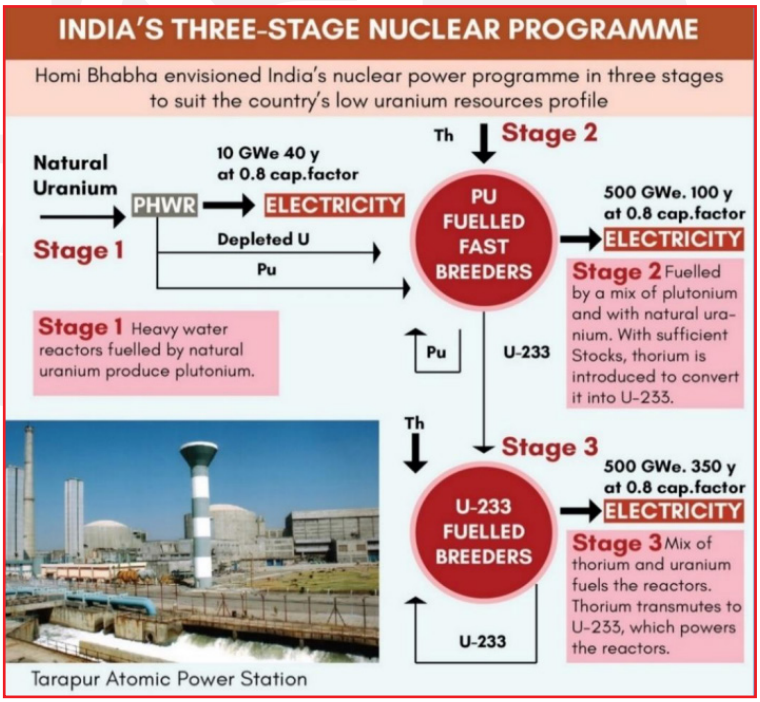

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नोट: प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) का परिचालन भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के **दूसरे चरण** की शुरुआत का प्रतीक है।

- PFBR संयंत्र द्वारा **अपनी खपत से अधिक परमाणु ईंधन** का उत्पादन होता है।
- **तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित मद्रास परमाणु विद्युत संयंत्र** में **स्थानीय PFBR** का परिचालन शुरू कर दिया गया है।

निष्कर्ष

भारत की परमाणु रणनीति (जो **3-चरणीय कार्यक्रम** पर आधारित है) संधारणीय ऊर्जा हेतु **प्रचुर मात्रा में थोरियम भंडार का दोहन** करने पर केंद्रित है। उन्नत थोरियम ईंधन (ANEEL) हेतु CCTE के साथ सहयोग से कुशल तथा कम अपशिष्ट वाली परमाणु ऊर्जा के क्रम में एक **आशाजनक भविष्य** पर प्रकाश पड़ता है। इससे संबंधित चुनौतियों के बावजूद, भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में थोरियम की क्षमता **महत्त्वपूर्ण** है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की ऊर्जा रणनीति में थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टरों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। 3-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ किस प्रकार संरेखित है?

भारत का जीनोमिक डेटा सेट

चर्चा में क्यों?

भारत ने नई दिल्ली में **जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट (GIP)** के तहत **भारतीय जीनोमिक डेटा (IGD) सेट** तथा डेटा प्रोटोकॉल के आदान-प्रदान के लिये फ्रेमवर्क **(FeED)** और **भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC) पोर्टल जैसे ढाँचे के शुभारंभ** के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

- ये पहल **भारत को जीनोमिक्स** में अग्रणी बनाने के साथ वैश्विक शोधकर्त्ताओं की **जीनोम नमूनों** तक पहुँच बढ़ाने तथा जीनोमिक डेटा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर केंद्रित है।

जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **भारतीय जीनोमिक डेटा सेट:** इसमें एक व्यापक भारतीय जीनोमिक डेटा सेट शुरू किया गया, जिसमें **10,000 संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (WGS) नमूने** शामिल हैं, जिन्हें **भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC)** में संग्रहित किया गया है, **जो जीवन विज्ञान डेटा के लिये भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार** है।
  - ❖ यह डेटासेट अब विश्व भर के शोधकर्त्ताओं के लिये उपलब्ध है, जो जीनोमिक्स अनुसंधान एवं वैयक्तिक चिकित्सा में प्रगति को समर्थन प्रदान करता है।
  - ❖ IBDC पोर्टल आनुवंशिक डेटा तक निर्बाध पहुँच की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **FeED प्रोटोकॉल:** FeED, **बायोटेक-PRIDE (डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना) दिशानिर्देशों** के तहत **उच्च गुणवत्ता वाले जीनोमिक डेटा के नैतिक, पारदर्शी तथा सुरक्षित साझाकरण** को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- **जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)** के नेतृत्व में **जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट (GIP)** के महत्त्व पर बल देते हुए, यह पहल भारत की आनुवंशिक विविधता का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करती है।

बायोटेक-PRIDE दिशानिर्देश

- DBT द्वारा वर्ष 2021 में जारी "बायोटेक-PRIDE दिशानिर्देश" **भारत में अनुसंधान समूहों के बीच जैविक डेटा के आदान-प्रदान** को सक्षम बनाने पर केंद्रित हैं।
  - ❖ ये ज्ञान साझा करने, बेहतर एकीकरण, निर्णय लेने तथा न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने के लिये ढाँचा प्रदान करते हैं।
  - ❖ ये साझाकरण को बढ़ावा देने के साथ अनुसंधान में सार्वजनिक निवेश के लाभ को अधिकतम करने पर केंद्रित हैं।
- इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी **हरियाणा के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (RCB)** स्थित **भारतीय जैविक डाटा केंद्र (IBDC)** की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- बायोटेक-प्राइड दिशानिर्देशों के तहत, मौजूदा डेटासेट को IBDC से जोड़ा जाएगा, जिससे **बायो-ग्रिड** का निर्माण होगा।
  - यह **बायो-ग्रिड जैविक आँकड़ों** के लिये एक राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा जिससे सुरक्षा, मानक और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इसके आदान-प्रदान को सक्षम किया जा सकेगा तथा स्पष्ट डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल स्थापित किया जा सकेगा।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित RCB जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
  - इसे **वर्ष 2016 में राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान** के रूप में मान्यता दी गई है। RCB स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिये नवाचार को बढ़ावा देने के साथ कुशल मानव संसाधन विकसित करने पर केंद्रित है।

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है?

- **परिचय:** GIP वर्ष 2020 में DBT द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य **भारत की आनुवंशिक विविधता** की मैपिंग करना है।
- इसका उद्देश्य भारत के विविध जनसंख्या समूहों के **जीनोम को अनुक्रमित एवं विश्लेषित** करना है जिससे देश की अद्वितीय आनुवंशिक संरचना के बारे में जानकारी मिल सके।
- **उद्देश्य:** स्वास्थ्य, रोग प्रवृत्ति तथा जनसंख्या-विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करने के क्रम में **आधारभूत आनुवंशिक मैपिंग** तैयार करना।
- **दायरा:** GIP के पहले चरण में **99 जातीय समूहों के 10,000 व्यक्तियों के जीनोम को अनुक्रमित** किया जाना शामिल है। दीर्घकालिक योजनाओं का लक्ष्य इसे **1 मिलियन जीनोम** तक बढ़ाना है।
- GIP का दूसरा चरण **कैंसर, मधुमेह एवं दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों** के जीनोम अनुक्रमण पर केंद्रित है।
- इससे रोगग्रस्त जीनोम की स्वस्थ जीनोम से तुलना करके इन स्थितियों से संबंधित जीन की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- **भारत के लिये महत्त्व:** 4,600 से अधिक **विशिष्ट जनसंख्या समूहों के साथ,** भारत की आनुवंशिक विविधता अद्वितीय है।
- इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य **भारतीय लोगों से संबंधित विशिष्ट आनुवंशिक कारकों** का पता लगाना है, जैसे दुर्लभ रोग एवं **MYBPC3 जैसे उत्परिवर्तन** (जो शीघ्र हृदयाघात से संबंधित हैं), जो **वैश्विक डेटाबेस में** नहीं मिलते हैं।

जीनोम अनुक्रमण

- **डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड:** DNA में **आनुवंशिक जानकारी** संग्रहित रहती है। यह सभी जीवों की वृद्धि, विकास एवं क्रियाप्रणाली का आधार है।
  - DNA, कुंडलित आकार का एक डबल-स्ट्रैंडेड अणु है जिसे **डबल हेलिक्स** के नाम से जाना जाता है।
  - DNA का प्रत्येक स्ट्रैंड **न्यूक्लियोटाइड** से बना होता है, जिसमें एक **फॉस्फेट अणु,** एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा एक **नाइट्रोजन युक्त क्षार** शामिल होता है।
- **जीनोम: जीनोम किसी कोशिका में DNA अनुदेशों** का संपूर्ण समुच्चय है। मनुष्यों में, यह **गुणसूत्रों के 23 युग्म** से मिलकर बना होता है।
  - मानव जीनोम की एक प्रति में **DNA के लगभग 3 अरब क्षारक युग्म होते हैं,** जो इन **23 गुणसूत्रों में वितरित होते हैं।**
  - जीनोम में व्यक्ति के विकास और कार्यप्रणाली से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी होती है।
- **जीन:** यह **आनुवंशिकता की मूल इकाइयाँ** हैं जो माता-पिता से संतति में हस्तांतरित होती हैं। ये **DNA अनुक्रमों** से बने होते हैं और कोशिका केंद्रक के भीतर गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थानों पर व्यवस्थित होते हैं।
- **जीनोम अनुक्रमण: इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) में न्यूक्लियोटाइड बेस {एडेनिन (A), साइटोसिन (C), गुआनिन (G), और थाइमिन (T)}** के क्रम का अध्ययन शामिल है।
  - यह प्रक्रम किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना को समझने में मदद करता है तथा उसके **गुणों, स्वास्थ्य जोखिमों और संभावित रोगों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- जीनोम अनुक्रमण किसी विशेष जीन, खंड या जीनोम के छोटे भाग पर केंद्रित हो सकता है।

- **संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (WGS):** इसमें एक ही बार में किसी जीव के संपूर्ण जीनोम को अनुक्रमित करना शामिल है, जिसमें **उसके सभी जीन और गैर-कोडिंग अंश** (संपूर्ण DNA अनुक्रम) शामिल हैं।
- WGS किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ का पूर्ण एवं व्यापक प्रतिचित्रण उपलब्ध कराता है।

Difference Between Gene Editing and Gene Sequencing:

Characteristics	Gene Sequencing	Gene Editing
Definition	The process of determining the precise order of nucleotides (A, T, C, G) in a DNA or RNA molecule.	The process of making targeted modifications to the DNA sequence of a gene or genes.
Purpose	To obtain the complete or partial sequence of a gene, a set of genes, or an entire genome.	To introduce desired changes, such as correcting genetic defects, modifying gene expression, or introducing new genetic traits.
Techniques	Sanger sequencing, Next-Generation Sequencing (NGS), and others.	CRISPR-Cas9, zinc finger nucleases, TALENs, and other specialised tools.
Outcome	Provides information about the genetic makeup and composition of an organism.	Allows for the direct manipulation and alteration of the genetic code.
Modification	Does not directly modify the genetic material.	Enables the addition, removal, or alteration of specific DNA sequences.

स्वदेशी जीनोमिक डेटा के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- **व्यक्तिगत चिकित्सा:** भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को **वन साइज़ फिट्स ऑल के दृष्टिकोण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उपचार के दौरान प्राय: जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता को** ध्यान में नहीं रखा जाता है।
  - स्वदेशी जीनोमिक डेटा (IGD) **भारत की जनसांख्यिकी के लिये अनुकूलित स्वास्थ्य देखभाल समाधान सक्षम करता है,** जिससे उपचार की प्रभावशीलता और परिणामों में सुधार होता है।
- **जैवअर्थव्यवस्था विकास:** IGD से भारत की बढ़ती **जैवअर्थव्यवस्था** को बढ़ावा मिलेगा, जो 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है।
- **अग्रणी देश के रूप में भारत की स्थापना:** भारत जैवप्रौद्योगिकी में विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है।
  - **वर्ष 2023 में 8,500 से अधिक बायोटेक स्टार्टअप्स के साथ सबसे अधिक वैक्सीन उत्पादक** के रूप में, भारत वैश्विक जैवअर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- जीनोमिक नवाचार के केंद्र के रूप में भारत की स्थापना के साथ IGD से विदेशी डेटाबेस पर निर्भरता कम होती है।
  - नई **अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिये जैव प्रौद्योगिकी (BioE3) नीति** के तहत, **यह डेटा भारत को जैवप्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व के लिये प्रेरित करेगा, जिससे चौथी औद्योगिक क्रांति** में देश की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाएगी।

- **उन्नत आनुवंशिक साधन:** IGD क्षेत्रीय आनुवंशिक विविधताओं के लिये विशिष्ट जीनोमिक साधनों और नैदानिक परीक्षणों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल में सटीकता में सुधार होता है।
- **कृषि और पर्यावरण अनुसंधान:** यह उन आनुवंशिक विविधता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिनसे फसल प्रजनन, रोग प्रतिरोध और पर्यावरणीय संधारणीयता में सुधार किया जा सकता है।

जैवप्रौद्योगिकी विकास संबंधी भारत की अन्य पहलें कौन-सी हैं?

- BioE3 नीति
- राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2020-25
- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन
- बायोटेक-किसान योजना
- अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन
- वन हेल्थ कंसोर्टियम
- बायोटेक पार्क
- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)

- **इंडिजेन परियोजना:** **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)** द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों की आनुवंशिक संरचना का मानचित्रण करना है ताकि रोग की संवेदनशीलता और औषधि अनुक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

विश्व की जीनोमिक परियोजनाएँ

- **मानव जीनोम परियोजना,** जो कि अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा वित्तपोषित एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, के अंतर्गत **विश्व का पहला पूर्ण मानव जीनोम अनुक्रम था जो वर्ष 2003 में संपन्न हुआ था।**
- **यूरोपीय संघ की '1+ मिलियन जीनोम' (1+MG) पहल** का उद्देश्य संपूर्ण यूरोप में जीनोमिक और नैदानिक डेटा की सुरक्षित पहुँच प्रदान करना, रोग की रोकथाम में सुधार के लिये अनुसंधान, स्वास्थ्य नीति तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करना है।
- **अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट (EBP)** वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य **पृथ्वी पर सभी ज्ञात यूकेरियोटिक प्रजातियों के जीनोम को अनुक्रमित और सूचीबद्ध करना** है। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को भारत, चीन और अमेरिका का समर्थन प्राप्त है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की आनुवंशिक विविधता और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के संदर्भ में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट (GIP) का क्या महत्त्व है?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सामाजिक न्याय

खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

भोपाल गैस त्रासदी (1984) के चार दशक बाद, मध्य प्रदेश में बंद पड़े **यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL)** कारखाने से **खतरनाक अपशिष्ट** (विषाक्त अपशिष्ट) को अंततः जला कर भस्म करने के लिये बाहर निकाला गया।

भोपाल गैस त्रासदी क्या थी?

- **2 दिसंबर 1984** की रात को **भोपाल स्थित UCIL पीड़कनाशी संयंत्र** में विनाशकारी **रासायनिक रिसाव** हुआ।
  - इस रिसाव में **मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस** शामिल थी, जिससे भोपाल शहर में **5000 से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा पाँच लाख** से अधिक लोग इस गैस से विषाक्त हुए , जिससे यह विश्व की सबसे विनाशकारी औद्योगिक आपदा में परिणत हुआ।
  - **फॉसजीन और मिथाइल आइसोसाइनेट** सहित रासायनिक रिसाव की सूचना **1984 से पहले** के वर्षों में दी गई थी।
- **रिसाव का कारण:** 1 दिसंबर 1984 को एक असफल रखरखाव प्रयास और **अनुपयुक्त सुरक्षा प्रणालियों के कारण**, MIC युक्त टैंक में **रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 2 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि तक** लगभग **30 टन MIC** गैस वायुमंडल में उत्सर्जित हुई।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - **तत्काल:** इस गैस के संपर्क में आए व्यक्तियों को श्वसन संबंधी समस्याएँ, **पेट दर्द, आँखों की समस्याएँ** और तंत्रिका संबंधी हानियाँ हुईं।
  - **दीर्घकालिक:** प्रभावित लोगों में **फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी, आनुवंशिक दोष, गर्भावस्था पर प्रभाव जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हुईं और शिशु मृत्यु दर** में आकस्मिक बढ़ोतरी हुई।
- **सरकारी और विधिक प्रतिक्रिया** : भारत सरकार ने पीड़ितों के **कानूनी प्रतिनिधि** के रूप में कार्य करने के लिये **भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985** पारित किया।
  - UCIL ने शुरू में **5 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की राहत का प्रस्ताव रखा लेकिन भारत सरकार ने **3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की मांग की। **अंततः वर्ष 1989 में न्यायालय के बाहर 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर** में मामला सुलझाया गया।
  - **वर्ष 2010** में UCIL में कार्यरत सात भारतीय नागरिकों को **लापरवाही से मृत्यु का दोषी ठहराया गया** लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
- **परिणाम और विरासत:** इतना समय बीतने के बावजूद, अभी भी बचे हुए लोगों के लिये स्वास्थ्य देखभाल का अभाव है तथा उन्हें फैक्ट्री स्थल पर **विषाक्त पदार्थों का जोखिम** रहता है।
  - विभिन्न कल्याणकारी संगठन बंद फैक्ट्री स्थल से **खतरनाक अपशिष्ट को हटाने की मांग** करते रहे हैं।

मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)

- **परिचय: मिथाइल आइसोसाइनेट** एक **रंगहीन तरल है जिसका उपयोग कीटनाशक** बनाने के लिये किया जाता है ।
- **प्रतिक्रियाशीलता:** यह रसायन **ऊष्मा के प्रति अत्यधिक क्रियाशील** है।
  - **जल** के संपर्क में आने पर MIC में उपस्थित यौगिक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे **ऊष्मा प्रतिक्रिया** होती है।
- **भंडारण:** इसका **अब उत्पादन नहीं** होता है यद्यपि इसका उपयोग अभी भी कीटनाशकों में किया जाता है।
  - अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्थित इंस्टीट्यूट में बेयर क्रॉपसाइंस प्लांट वर्तमान में विश्व **भर** में MIC का **एकमात्र भंडारण** स्थल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

खतरनाक अपशिष्ट क्या है?

- खतरनाक अपशिष्ट से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो **विषाक्तता, ज्वलनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता या संक्षारकता** जैसी विशेषताओं के कारण एकल रूप से या अन्य पदार्थों के साथ मिलकर **स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिये खतरा** उत्पन्न करता है।
- **स्रोत:**
  - **खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग:** अधिकांश खतरनाक अपशिष्ट **रासायनिक उत्पादन एवं उपभोग के दौरान उत्पन्न** होते हैं, जो उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग के साथ बढ़ रहे हैं।
  - **अनुपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ: लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME)** द्वारा प्रयुक्त पुरानी प्रौद्योगिकियों के कारण संसाधनों का अकुशल उपभोग होने के परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में अधिक विषाक्त अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं।
  - **उपचार प्रणालियाँ: अपशिष्ट जल उपचार एवं गैसीय उत्सर्जन** के परिणामस्वरूप खतरनाक पदार्थ युक्त अवशेष उत्पन्न होते हैं।
- **खतरनाक अपशिष्ट विनियमन:**
  - **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1989** को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत लाया गया।
    - इन नियमों को वर्ष **2008, 2009, 2010 और 2016 में संशोधित किया गया** ताकि अन्य प्रकार के अपशिष्ट (जैसे- प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज़ अपशिष्ट, धातु स्क्रैप और अपशिष्ट टायर) को इसमें शामिल किया जा सके।
- **बेसल कन्वेंशन, 1992: भारत बेसल कन्वेंशन, 1992** का हस्ताक्षरकर्त्ता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच खतरनाक अपशिष्ट के आवागमन को कम करना है।
- **अपशिष्ट उत्पादन:** भारत में **उद्योगों से प्रति वर्ष लगभग 7.66 मिलियन टन** खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
  - खतरनाक अपशिष्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि **44.3% अपशिष्ट भूमिभरण योग्य है, 47.2% अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य है, तथा 8.5% अपशिष्ट भस्मीकरण योग्य है।**
  - **83% खतरनाक अपशिष्ट** सात राज्यों अर्थात **गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होता है।**

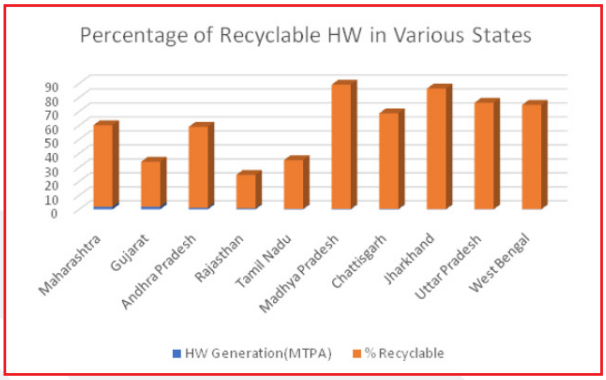

- **खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन: भारत के पर्यावरण सांख्यिकी संग्रह, 2016 के** अनुसार, अधिकांश खतरनाक अपशिष्ट **अपशिष्ट जल और फ्लू गैसों** के उपचार के अलावा **रासायनिक उत्पादन और धातु प्रसंस्करण उद्योगों से उत्पन्न हो रहा है।**

खतरनाक अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है?

- **सह-प्रसंस्करण:** इसमें अपशिष्ट पदार्थों, जैसे **औद्योगिक उप-उत्पादों या खतरनाक अपशिष्टों को उद्योगों, विशेष रूप से सीमेंट निर्माण** या अन्य उच्च तापमान वाले उद्योगों में वैकल्पिक **कच्चे माल या ईंधन के रूप में उपयोग करना शामिल है।**
  - भारत में लगभग **25 सीमेंट संयंत्रों ने सह-प्रसंस्करण आरंभ कर दिया है।**
- **सामग्री एवं ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति: सामग्री पुनर्प्राप्ति में अपशिष्ट में निहित** भौतिक मूल्य का उपयोग किया जाता है, जबकि ऊर्जा पुनर्प्राप्ति में इसके **कैलोरी मान का उपयोग किया जाता है।**
  - उदाहरण के लिये **केबल अवशेषों से ताँबे को पुन: प्राप्त करना** और ताँबे को पुन: पिघलाना या **प्रयुक्त बैटरियों से सीसा को पुन: प्राप्त करना।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **प्रयुक्त स्नेहक तेल, विलायक, ठोस और अर्द्ध-ठोस ग्रीस** तथा **मोम का** उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिये वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जिनमें **तापीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है।**

- **भस्मीकरण: भस्मीकरण उच्च तापमान पर बड़ी भट्टियों में अपशिष्ट को दहन करने** की प्रक्रिया है। यह अपशिष्ट पदार्थों की **राख, फ्लू गैसों, कणों और ऊष्मा में परिवर्तित करता है,** जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिये किया जा सकता है।
- **पायरोलिसिस: पायरोलिसिस में अपशिष्ट पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में** या सीमित ऑक्सीजन के साथ आमतौर पर **300°C से 900°C तक के तापमान पर** ऊष्मीय अपघटन शामिल होता है।
  - ❖ यह अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी उत्पादों जैसे **बायो-ऑयल, सिंथेटिक गैस (सिनगैस) और चारकोल** में परिवर्तित करता है।

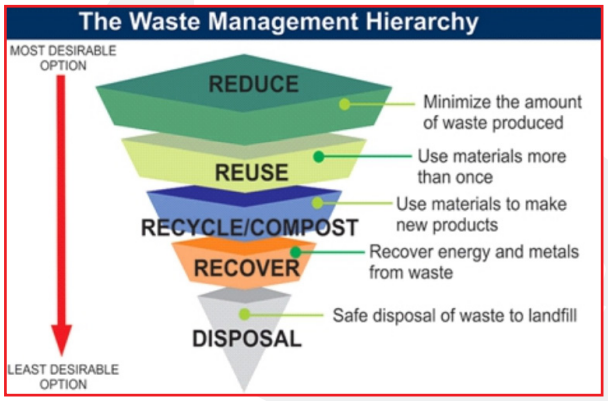

नोट:

- **बायो-ऑयल** एक **तरल ईंधन** है जो **जैव ईंधन (लकड़ी, कृषि अवशेष, शैवाल)** और अन्य वनस्पति पदार्थों जैसे कार्बनिक पदार्थों के **ताप-अपघटन** के माध्यम से उत्पादित होता है।
- सिंथेटिक गैस एक ईंधन गैस है जो मुख्य रूप से **हाइड्रोजन (H_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO),** तथा अल्प मात्रा में **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन (CH_4)** से बनी होती है।
- **चारकोल** एक ठोस, **कार्बन-समृद्ध उपोत्पाद** है जो **पाइरोलिसिस** जैसी प्रक्रियाओं में **कार्बनिक पदार्थों के ऊष्मीय अपघटन** के दौरान उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष

भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक सुरक्षा लापरवाही के भयावह परिणामों को उजागर करती है। **हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और बेसल कन्वेंशन** जैसी नियामक प्रगति के बावजूद, सुरक्षित अपशिष्ट निपटान में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिससे भारत में सख्त अनुपालन, तकनीकी उन्नयन और **खतरनाक अपशिष्ट के प्रभावी उपचार** की तत्काल आवश्यकता पर बल मिलता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में खतरनाक अपशिष्ट को नियंत्रित करने वाले प्रमुख नियामक ढाँचे क्या हैं?

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और संबंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामले में, कर्नाटक **उच्च न्यायालय (HC) ने अभिनिर्धारित किया,** ट्रांसजेंडर व्यक्ति **जन्म प्रमाण पत्र पर अपने नाम और लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं।**

- **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** और **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के** अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र पर नाम और लिंग में परिवर्तन किये जाने की **स्पष्ट अनुमति** है।

सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामले संबंधी मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **पृष्ठभूमि:** याचिकाकर्ता को **लैगिंक डिस्फोरिया** था और इस कारण से उसने अपना **लिंग परिवर्तन कराने हेतु सर्जरी कराई और तत्पश्चात् अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट** पर विधिक रूप से अपने नाम एवं लिंग में परिवर्तन कराया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- हालाँकि, जन्म प्रमाण पत्र पर उसके लिंग और नाम में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध **अस्वीकार** कर दिया गया।
- लैंगिक डिस्फोरिया का तात्पर्य उस **मनोवैज्ञानिक स्थिति** से है जिसमें संबद्ध व्यक्ति का जन्म के समय निर्धारित लिंग उसकी लिंग पहचान से मेल नहीं खाता।

- **विधिक आपत्ति: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र में परिवर्तन की** अनुमति केवल तभी प्रदान की जाती है, जब रजिस्टर में जन्म की सूचना **गलत हो या कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर** दर्ज की गई हो।
  - **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र** प्रदान करने को नियंत्रित करता है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** याचिकाकर्त्ता ने तर्क दिया कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की **धारा 15** की प्रतिबंधात्मक प्रकृति भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **सम्मान के साथ जीवन जीने के उसके अधिकार** का उल्लंघन करती है।
  - उन्होंने यह भी दावा किया कि अलग-अलग पहचान दर्शाने वाले दस्तावेज़ों से **दोहरी पहचान** बनती है, जिससे **उत्पीड़न और भेदभाव** की संभावना बढ़ जाती है।
- **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:** इसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी पहचान के प्रमाण के रूप में **"पहचान का प्रमाण पत्र"** जारी किया जा सकता है **(धारा 6)** जिसे संशोधित किया जा सकता है यदि वे **सेक्स-रीअसाइनमेंट सर्जरी (धारा 7)** का विकल्प चुनते हैं।
  - कानून में **स्पष्ट रूप से कहा गया** है कि इस प्रमाण पत्र के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति का लिंग **"सभी आधिकारिक दस्तावेज़ों में दर्ज किया जाएगा।"**
- **कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय:** न्यायालय ने कहा कि 1969 का अधिनियम एक **"सामान्य अधिनियम"** है और इसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का **अनुपालन** करना चाहिये जो एक **"विशेष अधिनियम"** है।
  - इसने **"*जेनरेलिया स्पेशलिबस नॉन-डिरोगेंट*"** के कानूनी सिद्धांत को लागू किया, जिसका अनुवाद है **"विशेष सामान्य पर प्रभावी होगा"।**
  - न्यायालय ने निर्णय दिया कि **रजिस्ट्रार** को **ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र** को स्वीकार करना होगा तथा 1969 के अधिनियम में संशोधन होने तक **संशोधित जन्म प्रमाण पत्र** जारी करना होगा।
  - सामान्य अधिनियम व्यापक रूप से लागू होते हैं, जैसे 1969 अधिनियम, जबकि **विशेष कानून विशिष्ट मुद्दों** पर ध्यान केंद्रित करते हैं , जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम।
- **महत्त्व:** यह निर्णय सामान्य कानूनों की तुलना में **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा** के लिये विशेष रूप से बनाए गए **कानूनों की सर्वोच्चता** पर ज़ोर देता है।
  - यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये **सभी आधिकारिक दस्तावेज़ों में लैंगिक पहचान की मान्यता** का मार्ग प्रशस्त करता है।

नोट: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर की कुल जनसंख्या लगभग **4.88 लाख** है।

- सबसे अधिक ट्रांसजेंडर आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य **उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र** हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये सुधारों की समय-सीमा

- **चुनाव आयोग का निर्देश (वर्ष 2009):** पंजीकरण फॉर्म को "अन्य" विकल्प शामिल करने के लिये अद्यतन किया गया, जिससे ट्रांससेक्सुअल व्यक्तियों को पुरुष या महिला की पहचान से बचने की अनुमति मिल गई।
- **उच्चतम न्यायालय का निर्णय (वर्ष 2014):** ***राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले, 2014*** में, उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को **"थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता दी,** तथा इसे मानवाधिकार मुद्दा बताया।
- **विधायी प्रयास:** ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिये ***ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 लागू किया गया।***

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **ट्रांसजेंडर:** ट्रांसजेंडर से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका **लिंग जन्म के समय उसे दिये गए लिंग से मेल नहीं खाता है।**
  - ❖ इसमें **'इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति'** और **'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' जैसे शब्दों को स्पष्ट किया गया है, ताकि** सर्जरी या थेरेपी की परवाह किये बगैर ट्रांस **मेल/पुरुष और फीमेल/महिलाओं को इसमें शामिल किया जा सके।**
- **भेदभाव न करना: शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है,** और आवागमन, संपत्ति एवं कार्यालय के अधिकारों की पुष्टि करता है।
- **पहचान प्रमाण पत्र: यह विधेयक स्वानुभूत लैंगिक पहचान** का अधिकार प्रदान करता है तथा ज़िला मजिस्ट्रेटों को **बिना मेडिकल परीक्षण के प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता बताता है।**
- **चिकित्सा देखभाल:** HIV की निगरानी, चिकित्सा देखभाल तक पहुँच, लैंगिक पुनर्निर्धारण सर्जरी तथा बीमा कवरेज़ के साथ चिकित्सा सुनिश्चित करता है।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद्:** सरकार को सलाह देने और शिकायतों का समाधान करने के लिये स्थापित।
- **अपराध और दंड: बलपूर्वक श्रम, दुर्व्यवहार और अधिकारों से वंचित करने जैसे अपराधों के लिये** कारावास (6 माह से 2 वर्ष) और जुर्माने का प्रावधान है।

भारत में ट्रांसजेंडरों के सामने क्या समस्याएँ हैं?

- **सामाजिक सुभेद्यता:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को **समाज से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है,** जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक भागीदारी के सीमित अवसर, **आत्मसम्मान की कमी और अलगाव देखने को मिलता है।**
  - ❖ **सार्वजनिक स्थान,** जैसे शौचालय और आश्रय स्थल, अक्सर ट्रांसजेंडर लोगों को **स्थान देने में असफल रहते हैं, जिससे उन्हें उत्पीड़न, हमले और हाशिये पर धकेला जाता है।**
- **शिक्षा में भेदभाव:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा में **उत्पीड़न और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पढ़ाई छोड़ने की दर अधिक होती है** अर्थात् उनकी साक्षरता दर 46% है, जबकि राष्ट्रीय औसत **74% है।**
- **बेघर होना:** परिवारों द्वारा अस्वीकार किये जाने और **आवास विकल्पों की कमी के** कारण कई ट्रांसजेंडर युवा **सड़कों पर रहने को मज़बूर होते हैं, उन्हें दुर्व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं** और मादक दवाओं के उपयोग का सामना करना पड़ता है।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक असहिष्णुता और ट्रांसफोबिया के** कारण हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है ।
- **ट्रांसफोबिया का** तात्पर्य ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति **नकारात्मक दृष्टिकोण, भय, घृणा या पूर्वाग्रह से है।**
- **मनोवैज्ञानिक संकट: ट्रांसजेंडरों** के लिये सहायक प्रणालियों की कमी के कारण इनके समक्ष **चिंता, अवसाद एवं आत्महत्या के विचारों** सहित मनोवैज्ञानिक संकट का जोखिम रहता है।
- **सार्वजनिक प्रतिनिधित्व:** मीडिया एवं सार्वजनिक पटल पर ट्रांसजेंडरों के **नकारात्मक चित्रण से रूढ़िवादिता** के साथ इनके प्रति सामाजिक अस्वीकृति एवं हिंसा को बढ़ावा मिलता है।

आगे की राह

- **सशक्तीकरण एवं विधिक सुधार:** सरकार को नीति-निर्माण में **अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने** के साथ यह **सुनिश्चित करना चाहिये कि ट्रांसजेंडरों** को निर्णय निर्माण प्रक्रिया से बाहर न रखा जाए।
  - ❖ इस समावेशन से **उनकी शिकायतों का समाधान करने** तथा उनकी सार्वजनिक भागीदारी के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- **शिक्षा तक पहुँच: स्कूलों को विशेष रूप से ट्रांसजेंडर छात्रों को लक्ष्य करते हुए उत्पीड़न-रोधी एवं रैगिंग-रोधी नीतियाँ**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अपनानी चाहिये ताकि इनके प्रति बहिष्कार तथा उत्पीड़न की घटनाओं में कमी लाई जा सके।

- **सामाजिक सरोकारों पर ध्यान देना:** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इनके लिये **निशुल्क विधिक सहायता, सहायक शिक्षा एवं सामाजिक अधिकार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच** उपलब्ध हो।
- **आर्थिक अवसर: उदार ऋण सुविधाएँ और वित्तीय सहायता** प्रदान करने से ट्रांसजेंडरों को अपना व्यवसाय शुरू करने या उद्यमी के रूप में कॅरियर बनाने में मदद मिलेगी।
- **जागरूकता अभियान:** सार्वजनिक शिक्षा अभियानों का उद्देश्य **सामाजिक असहिष्णुता को कम करने तथा** ट्रांसजेंडर संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ नकारात्मक रूढ़ियों को चुनौती देना होना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों पर चर्चा कीजिये।

वैश्विक पोषण लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2012 से वर्ष 2021 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों (GNT) पर वैश्विक प्रगति का मूल्यांकन करने वाले ***लैंसेट*** के एक हालिया अध्ययन में मातृ एवं **शिशु कुपोषण,** अल्पपोषण और **मोटापे** से निपटने में धीमी प्रगति देखी गई है।

- इन निष्कर्षों से नीति निर्माण और इन सतत् मुद्दों के समाधान के लिये नवीन रणनीतियों की आवश्यकता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

वैश्विक पोषण लक्ष्य (GNT) क्या हैं?

- **विश्व स्वास्थ्य सभा संकल्प, 2012: मातृ, शिशु और छोटे बच्चों के पोषण** पर एक व्यापक कार्यान्वयन योजना का समर्थन किया गया, जिसमें वर्ष 2025 के लिये छह वैश्विक पोषण लक्ष्य निर्धारित किये गए।
- **वैश्विक पोषण लक्ष्य:**
  - पाँच वर्ष से कम आयु के अविकसित **बच्चों की संख्या में 40% की कमी** लाना।
  - प्रजनन आयु की महिलाओं में **एनीमिया में 50% की कमी** लाना।
  - **कम वजन वाले शिशुओं के जन्म में 30% की कमी** लाना।
  - यह सुनिश्चित करना कि **बच्चों के वजन में कोई वृद्धि न हो।**
  - **पहले 6 महीनों में केवल स्तनपान की दर** को बढ़ाकर कम से कम 50% करना।
  - **बचपन में कुपोषण को 5% से कम** पर बनाए रखना।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- **कुपोषण:** यह शरीर के लिये **आवश्यक पोषक तत्त्वों और उसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्त्वों के बीच असंतुलन** है।
- इसमें कुपोषण (जिसमें स्टंटिंग (आयु के अनुपात में कम ऊँचाई), दुर्बलता (ऊँचाई के अनुपात में कम वजन) और अल्पवजन (आयु के अनुपात में कम वजन) शामिल हैं) और अतिपोषण (अधिक वजन और **मोटापा**) दोनों शामिल हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहरा बोझ पड़ता है।
- **एनीमिया:** एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं या **हीमोग्लोबिन** के कम होने की स्थिति है, जिससे ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जो मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करती है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **धीमी और अपर्याप्त प्रगति:** 204 देशों में **वर्ष 2012 से वर्ष 2021** तक GNT लक्ष्यों को पूरा करने में धीमी और अपर्याप्त प्रगति हुई है, तथा वर्ष 2050 तक के अनुमान सीमित सफलता दर्शाते हैं।
  - उम्मीद है कि बहुत कम देश 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में **स्टंटिंग** के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे।
  - वर्ष 2030 तक किसी भी देश द्वारा **जन्म के समय कम वजन, एनीमिया और बचपन में अधिक वजन** के लक्ष्य को पूरा करने का अनुमान नहीं है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **एनीमिया और भारत:** भारत में एनीमिया की समस्या **दो दशकों से स्थिर** बनी हुई है।
  - ऐसा माना जाता है कि **आयरन की कमी** इसका कारण है, लेकिन **एनीमिया के केवल एक तिहाई मामले ही इसके कारण होते हैं,** जबकि अन्य एक तिहाई मामले अज्ञात कारणों से होते हैं।
  - **कोविड-19 लॉकडाउन** के दौरान एनीमिया का प्रसार बढ़ गया जब स्कूली भोजन **(मध्याह्न भोजन योजना)** बंद हो गया, जिससे व्यापक पोषण दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
  - अध्ययन में **एनीमिया माप में विसंगतियाँ** पाई गईं, भारत में **शिरापरक रक्त-आधारित** (रक्त नस से लिया जाता है) **एनीमिया की व्यापकता** (जैसा कि **विश्व स्वास्थ्य संगठन** द्वारा अनुशंसित है) राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में **केशिका रक्त-आधारित** (रक्त उंगली से लिया जाता है) एनीमिया की व्यापकता की तुलना में आधी थी।
- **स्टंटिंग:** स्टंटिंग प्राय: **जीवन के पहले दो वर्षों में** विकसित होता है, जो भारत में जन्म के समय 7-8% से बढ़कर दो वर्ष की आयु तक 40% हो जाता है।
  - दो वर्ष की आयु के बाद बच्चों को अधिक भोजन देने से उनका **स्टंटिंग में सुधार होने के बजाय उनका वजन बढ़ सकता है।**
  - भारत में गरीब बच्चे **प्रतिदिन केवल 7 ग्राम वसा का उपभोग** करते हैं, जबकि आवश्यक 30-40 ग्राम है।
- **बचपन में अधिक वजन:** भारत सहित विश्व भर में बच्चों में अधिक वजन बढ़ रहा है, जिससे **"चयापचय संबंधी अतिपोषण"** को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे गैर-संचारी रोगों जैसी **दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ** उत्पन्न हो सकती हैं।
  - **भारतीय बच्चों** का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा **(50%) चयापचय संबंधी अतिपोषण** का सामना करता है, जो गैर-संचारी रोगों में योगदान देता है।
- **अनुशंसाएँ: एनीमिया से निपटने के लिये आहार में विविधता लाना,** क्योंकि यह केवल आयरन की कमी के कारण नहीं होता है।
  - **जीवन के प्रथम दो वर्षों में बौनेपन की रोकथाम** पर ध्यान केंद्रित करना।
  - 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये **ऊर्जा सेवन, विशेषकर वसा सेवन** में सुधार करें।
  - एनीमिया और स्टंटिंग को मापने के लिये अधिक सटीक और संदर्भ-विशिष्ट तरीकों को अपनाना।
    - **गैर-संचारी रोगों** की रोकथाम के लिये नीति में **कुपोषण और अतिपोषण** दोनों को संबोधित करना।

GNT प्राप्त करने से संबंधित क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वैश्विक:**
  - **एनीमिया:** प्रजनन आयु वाली महिलाओं में एनीमिया का वैश्विक प्रसार **काफी हद तक अपरिवर्तित** रहा है।
    - **अपर्याप्त जागरूकता एवं लक्षित नीतियों** के कारण एनीमिया **कम आय वाले देशों (विशेषकर ग्रामीण, गरीब और अशिक्षित लोगों)** पर बोझ है।
  - **स्टंटिंग की दिशा में धीमी प्रगति: विभिन्न प्रयासों के बावजूद** अनुमान है कि **वर्ष 2025** तक इससे प्रभावित बच्चों की संख्या 127 मिलियन तक पहुँच जाएगी (जो 100 मिलियन तक के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है) क्योंकि **बच्चे के जीवन के प्रारंभिक दिनों को लक्षित करने वाली प्रारंभिक नीतियों** का अभाव है।
  - **अधिक वजन एवं मोटापे में वृद्धि:** अधिक वजन तथा मोटापे का बढ़ता प्रचलन (जिससे **वर्ष 2022 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 37 मिलियन बच्चे तथा 5-19 वर्ष की आयु के 390 मिलियन से अधिक बच्चे और किशोर प्रभावित हैं)** शहरीकरण, बदलते आहार पैटर्न और कम शारीरिक गतिविधियों जैसे कारकों से प्रेरित है।
  - **बचपन में वेस्टिंग:** इससे विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 45 मिलियन बच्चे प्रभावित हैं।
    - बाल कुपोषण की रोकथाम की दिशा में (विशेष रूप से दक्षिण एशिया में) **खाद्य असुरक्षा, सीमित स्वास्थ्य देखभाल और निम्न स्तरीय स्वच्छता जैसी चुनौतियाँ** बनी हुई हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **भारत:**
  - **सीमित आहार विविधता:** भारत के आहार में अक्सर **चावल, गेहूँ और अनाज** का प्रभुत्व है तथा **फलों, सब्जियों, डेयरी उत्पाद और प्रोटीन** का सेवन अपर्याप्त बने रहने से पोषण का स्तर निम्न बना हुआ है।
    - आहार विविधता में अभाव (विशेष रूप से **निम्न आय वाले परिवारों में**) से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों तक पहुँच सीमित बनी हुई है।
    - **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5** के अनुसार **6 महीने से 2 वर्ष की आयु के केवल 11.3% बच्चों को ही** विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार 'न्यूनतम स्वीकार्य आहार' मिल पाता है जिससे भोजन की गुणवत्ता में प्रमुख अंतराल बना हुआ है।
- **आर्थिक बाधाएँ: कम आय के साथ उच्च खाद्य कीमतों** के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग **पौष्टिक आहार का खर्च उठाने** के लिये संघर्षरत है जिससे **कुपोषण** को बढ़ावा मिलता है।
  - **अपर्याप्त डेटा: आहार विविधता से संबंधित व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षणों** के अभाव से लक्षित पोषण हस्तक्षेपों में बाधा आती है।
    - हालांकि NFHS से इस संदर्भ में कुछ जानकारी मिलती है लेकिन इसमें उपभोग किये गए भोजन की मात्रा के बारे में विस्तृत आँकड़ों का अभाव रहने से पोषण संबंधी अंतराल को दूर करने के क्रम में इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है।
- **गैर-संचारी रोग (NCD): मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप** जैसे आहार-संबंधी NCD की बढ़ती संख्या से लोक स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण **अल्प-पोषण एवं अति-पोषण** दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **खाद्य प्रणालियों की बाधाएँ: जलवायु परिवर्तन एवं चरम मौसमी घटनाओं** से खाद्य सुरक्षा के समक्ष और भी खतरा उत्पन्न हो रहा है जिससे फसल की पैदावार के साथ विविध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता प्रभावित होती है।

पोषण से संबंधित भारत की पहल

- **मिशन पोषण 2.0**
- **एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना**
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)**
- **मध्याह्न भोजन योजना**
- **किशोरियों के लिये योजना (SAG)**
- **माताओं का पूर्ण स्नेह (MAA)**
- **पोषण वाटिकाएँ**

आगे की राह

- **नीति पुनर्संरेखण: पोषण अभियान** जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अनुकूल तथा क्षेत्र-विशिष्ट आहार समाधानों को शामिल करने के साथ **राष्ट्रीय कदन्न मिशन (NMM)** जैसी पहलों को बढ़ावा देना चाहिये।
  - **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** के तहत पोषण-सघन खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिये प्रणालीगत अंतराल को दूर करना चाहिये।
- **राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करना:** देश के लिये विशिष्ट आधार रेखाएँ एवं वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये।
- **संसाधन आवंटन को मज़बूत करना: पोषण-विशिष्ट** तथा पोषण-संवेदनशील कार्यक्रमों को लागू करने के लिये वित्तीय तथा मानव संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **विभिन्न क्षेत्रों में पोषण को एकीकृत करना:** पोषण परिणामों को स्वास्थ्य, खाद्य प्रणालियों तथा **जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH)** नीतियों में शामिल करना चाहिये।
  - **प्रभावी मातृ एवं बाल पोषण** सेवाओं के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करना चाहिये।
- **निगरानी तंत्र विकसित करना:** चयनित पोषण संकेतकों से संबंधित प्रगति को ट्रैक करने के लिये निगरानी प्रणालियों को उन्नत बनाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अनुमोदित वैश्विक पोषण लक्ष्यों को बताते हुए उन्हें प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** ने **'व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता - मैनुअल स्कैवेंजरों के अधिकार'** पर एक खुली चर्चा का आयोजन किया।

मैनुअल स्कैवेंजिंग

- **परिचय:** मैनुअल स्कैवेंजिंग से आशय **किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी विशेष सुरक्षा उपकरण के अपने हाथों से ही मानवीय अपशिष्टों (human excreta) की सफाई करने से है।**
  - इसमें **अस्वास्थ्यकर शौचालयों, खुली नालियों, गड्ढों या रेलवे पटरियों** से मानव मल को मैन्युअल रूप से साफ करना शामिल है।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्ष 2021 में भारत में **मैनुअल स्कैवेंजर की संख्या 58,098** दर्ज की गई, जिनमें से **75% महिलाएँ** थीं।
  - **31 जुलाई, 2024** तक देश के **766 ज़िलों** में से **732 ज़िलों ने खुद को मैनुअल स्कैवेंजिंग-मुक्त** बताया है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: मैनुअल स्कैवेंजिंग मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 17** (अस्पृश्यता का उन्मूलन) और **अनुच्छेद 21** (सम्मान के साथ जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है।
- **मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कानूनी ढांचा:**
  - **मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013: मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 अस्वास्थ्यकर शौचालयों के निर्माण सहित मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाता है,** और ऐसे शौचालयों को नष्ट करने या स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने का आदेश देता है।
    - इसमें **कौशल विकास, वित्तीय सहायता और वैकल्पिक रोज़गार** के माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजरों की पहचान और पुनर्वास का भी प्रावधान है।
- **SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** यह मैनुअल स्कैवेंजिंग में अनुसूचित जातियों के नियोजन को अपराध मानता है।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **स्वास्थ्य:** मैनुअल स्कैवेंजरों को प्राय: मानव मल के संपर्क में आना पड़ता है, जिसमें अनेक **रोगाणु** होते हैं।
  - इस जोखिम के कारण वे **हेपेटाइटिस, टेटनस और हैजा** जैसी बीमारियों के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाते हैं।
  - **सेप्टिक टैंकों में हाइड्रोजन सल्फाइड** जैसी जहरीली गैसों की मौजूदगी से **श्वासावरोध** का गंभीर खतरा पैदा होता है, जिससे अचानक मृत्यु हो सकती है।
  - सरकारी आँकड़ों के अनुसार, **सीवर** और **सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई** के कारण वर्ष **2019 से वर्ष 2023 तक 377 लोगों** की मौत हो चुकी है।
- **सामाजिक कलंक:** मैनुअल स्कैवेंजरों को कलंकित किया जाता है और उनके साथ **अस्पृश्यता का व्यवहार** किया जाता है, जिससे सामाजिक बहिष्कार को बल मिलता है और **जाति व्यवस्था** कायम रहती है।
- **आर्थिक चुनौतियाँ:** मैनुअल स्कैवेंजरों को बहुत कम, **न्यूनतम मजदूरी** से भी कम, भुगतान किया जाता है, जिससे वे **गरीबी के चक्र** में फँसे रहते हैं।
  - उन्हें बिना किसी नौकरी की सुरक्षा या लाभ के, **संविदा या दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त** किया जाता है।
- **दोहरा भेदभाव:** महिलाएँ, जो **मैनुअल स्कैवेंजरों** का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, को **लैंगिक भेदभाव और सामाजिक कलंक** के साथ-साथ यौन उत्पीड़न और शोषण जैसी असमानता का सामना करना पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **मनोवैज्ञानिक मुद्दे:** इस पेशे से जुड़ा सामाजिक कलंक प्राय: चिंता और अवसाद जैसी गंभीर **मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों** का कारण बनता है।
- **नशीली दवाओं का प्रयोग:** अपने अनिश्चित कार्य के **तनाव और कलंक** से निपटने के लिये, कई मैनुअल स्कैवेंजर **नशीली दवाओं** का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याएँ और बढ़ जाती हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- मामलों का स्वतः संज्ञान
- मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- मानवाधिकार जागरूकता फैलाना
- मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

कार्यकाल

- 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- **NHRC** को वर्ष 1999 से **'A'** श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- **'A' श्रेणी की स्थिति :** वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- **'A' स्थिति का निलंबन:** वर्ष 2023 और वर्ष 2024

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश क्या हैं?

- **डॉ. बलराम सिंह मामला, 2023:** सर्वोच्च न्यायालय ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के पूर्ण उन्मूलन हेतु **केंद्र, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को 14 निर्देश** जारी किये, जिसमें अनुकूल नीतियाँ बनाने, पुनर्वास, मुआवज़ा आदि शामिल हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
  - **मैनुअल सीवर सफाई प्रथा का उन्मूलन: मैनुअल सीवर सफाई को समाप्त करने** के लिये चरणबद्ध उपाय करना।
  - **सीवेज श्रमिकों का पुनर्वास:** मुआवजा **(मृत्यु पर 30 लाख रुपए, विकलांगता पर 10-20 लाख रुपए)**, निकटतम रिश्तेदारों के लिये **रोज़गार** तथा आश्रितों के लिये **शिक्षा** के प्रावधान।
  - **आउटसोर्स कार्य हेतु जवाबदेही:** जवाबदेही तंत्र का प्रावधान, जिसमें **अनुबंध रद्द करना एवं दंड** शामिल हैं।
  - **मुआवजे में NALSA की भागीदारी:** मुआवजा संवितरण और प्रबंधन में **NALSA** की भागीदारी का प्रावधान।
  - **निगरानी एवं पारदर्शिता: मृत्यु, मुआवज़ा और पुनर्वास की निगरानी** हेतु एक पोर्टल का प्रावधान।

मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिये भारत की क्या पहल हैं?

- **सफाईमित्र सुरक्षा चैलेंज**
- **स्वच्छता अभियान ऐप**
- **राष्ट्रीय गरिमा अभियान**
- **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग**
- **स्वच्छता उद्यमी योजना (SUY)**
- **पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL)**
- **NAMASTE (मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिये राष्ट्रीय कार्रवाई)**
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयाँ (ERSU):** एक **पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित एवं पर्याप्त रूप से सुसज्जित कार्यबल विकसित** करने पर केंद्रित।
- **तकनीकी पहल:**
  - **बैंडिकूट रोबोट:** यह सीवर लाइनों की सफाई एवं निरीक्षण में सहायक है।
  - **एँडोबोट और स्वस्थ AI:** यह जल संदूषण, अपव्यय एवं सीवर ओवरफ्लो का पता लगाने तथा उसे कम करने के लिये पाइपलाइनों के प्रबंधन पर केंद्रित है।
  - **रोबो-ड्रेन सिस्टम:** यह भूमिगत सीवरों की सफाई के लिये स्वचालित रोबोटिक प्रौद्योगिकी है।
  - **वैक्यूम ट्रक:** इसके तहत मानव प्रवेश के बिना सीवेज अपशिष्ट को साफ करने के लिये शक्तिशाली पंपों का उपयोग करना शामिल है।

आगे की राह

- **मशीनीकरण: स्वचालित या अर्द्ध-स्वचालित उपकरणों** के प्रयोग से स्वच्छता कार्य को अधिक सुरक्षित एवं अधिक कुशल तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिये।
  - रोबोटिक उपकरण या वैक्यूम ट्रक इस कार्य को दूर से ही कर सकते हैं, जिससे खतरनाक वातावरण में मानव की भूमिका कम हो जाएगी।
- **OHS मानक: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 (OHS संहिता 2020)** के तहत सैनिटेशन कार्य को एक **खतरनाक व्यवसाय** के रूप में मान्यता देने से सुरक्षा मानकों एवं प्रवर्तन में बदलाव आ सकता है।
- **स्वास्थ्य परीक्षण:** सभी शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की **समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच** होनी चाहिये, जिसमें श्वसन तथा त्वचा संबंधी स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किये जाने के साथ स्पष्ट उपचार एवं रोकथाम प्रोटोकॉल अपनाए जाना शामिल हो।
  - **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)** का विस्तार करके इसमें सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सम्मान को शामिल किया जाना चाहिये और सुरक्षा तथा सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **क्षमता निर्माण:** श्रमिकों के लिये **क्षमता निर्माण प्रशिक्षण** एवं **सुरक्षा उपकरण** प्रदान करने चाहिये। खतरनाक अपशिष्ट की सफाई से संबंधित तकनीकी नवाचारों हेतु **वित्तीय सहायता** प्रदान करनी चाहिये।
  - ❖ स्थायी आजीविका हेतु **मशीनीकरण** को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के साथ **महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सशक्त** बनाया जाना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:
प्रश्न. भारत में सफाई कर्मचारियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण करने के साथ इस संबंध में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

स्विट्ज़रलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

स्विट्ज़रलैंड में **बुर्का अथवा नकाब** से चेहरा ढकने वाले वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है।

- स्विट्जरलैंड में मार्च 2021 में एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के माध्यम से बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय ने भारत में भी इस बहस को तेज़ कर दिया है।

नोट: स्विट्जरलैंड के अलावा, **फ्राँस, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और कनाडा जैसे देशों ने** भी बुर्का और नकाब से **चेहरे को ढकने वाले वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाया है।**

बुर्का प्रतिबंध पर कर्नाटक सरकार

- वर्ष 2022 में, कर्नाटक सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में बुर्का (सिर ढकने वाला कपड़ा) पहनने पर प्रतिबंध लगाने का **आदेश पारित किया।**
- आदेश में **कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133(2) का हवाला दिया गया,** जो राज्य को सरकारी स्कूलों के लिये **निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।**
- वर्ष 2013 में राज्य ने इस **प्रावधान के तहत यूनिफॉर्म को अनिवार्य बना दिया था।** नवीनतम आदेश में कहा गया है कि **बुर्का मुसलमानों के लिये एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है** जिसे संविधान के तहत संरक्षित किया जा सके।

ईरानी बुर्का आंदोलन

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: वर्ष** 1979 की ईरानी क्रांति के बाद, **महिलाओं के लिये बुर्का अनिवार्य कर दिया गया,** जिसके कारण दशकों तक विरोध चला।
- **विरोध प्रदर्शन और प्रतीकवाद: "गर्ल ऑफ एन्घेलैब स्ट्रीट"** जैसे प्रतिष्ठित प्रदर्शन, जिसमें एक महिला ने एक छड़ी पर अपना सफेद स्कार्फ लहराया, **ड्रेस कोड के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक है।**
- **कथित तौर पर बुर्का के सख्त पालन के कारण महसा अमीनी की मौत** के बाद विरोध प्रदर्शन फिर से भड़क उठे, जिसके कारण व्यापक प्रदर्शन हुए।
- **सरकारी कार्रवाई:** ईरान में बुर्का की अनिवार्यता लागू की गई, जिसका पालन न करने पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान गया है, जिससे सामाजिक तनाव में वृद्धि हो रही है।
- वर्तमान में इस आंदोलन को **पुरुषों और महिलाओं दोनों का समर्थन प्राप्त है, जो अनिवार्य ड्रेस कोड का विरोध करते हैं,** जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों की व्यापक मांग को दर्शाता है।

भारत में बुर्का पहनने की स्थिति क्या है?

- ***आमना बिंत बशीर बनाम सीबीएसई, 2016 :*** ***आमना बिंत बशीर बनाम सीबीएसई, 2016*** में, केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **बुर्का पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है,** लेकिन **सीबीएसई ड्रेस कोड को बरकरार रखा तथा** 2015 की तरह अतिरिक्त उपाय और सुरक्षा उपायों की अनुमति दी।
- केंद्रीय **विद्यालय शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने** तर्क दिया कि ड्रेस कोड अनुचित व्यवहार को रोकने के लिये बनाया गया है।
- **केरल उच्च न्यायालय, 2018:** ***फातिमा थस्नीम बनाम केरल राज्य, 2019*** में, मामला दो लड़कियों से जुड़ा था, जो **सिर पर**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

स्कार्फ़ पहनना चाहती थीं और ईसाई मिशनरी स्कूल ने सिर पर स्कार्फ़ पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

- अदालत ने स्कूल के निर्णय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल के **"सामूहिक अधिकारों" को व्यक्तिगत छात्र अधिकारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये।**
- रेशम बनाम कर्नाटक राज्य, 2022: मार्च 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकारी कॉलेजों में बुर्का पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को वैध ठहराया।
- उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि बुर्का पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और यह प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है।
- ***सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभाजित फैसला, 2022:*** *रेशम बनाम कर्नाटक राज्य, 2022* मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया। मामले को अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेज दिया गया है।

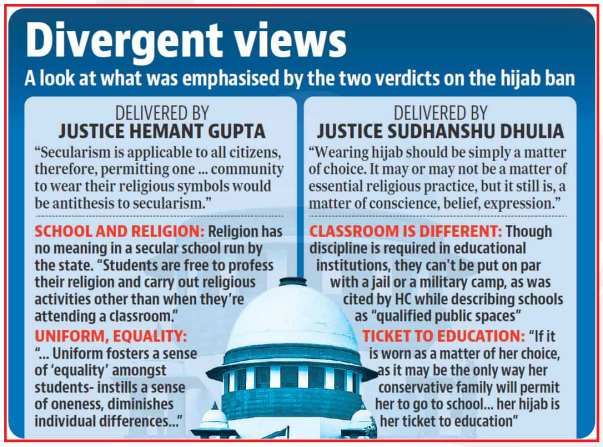

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिये संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान **भाग III (मौलिक अधिकार)** में निहित **अनुच्छेद 25-28** के तहत **धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है :**
  - **अनुच्छेद 25(1): "अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार "** को सुनिश्चित करता है। यह एक नकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करता है जहाँ राज्य धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
  - **अनुच्छेद 26: "धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता"** प्रदान करता है, जिससे धार्मिक संप्रदायों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, धार्मिक तथा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है।
  - **अनुच्छेद 27 : धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हुए** राज्य को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिये **नागरिकों को कर देने के लिये बाध्य करने से रोकता है।**
  - **अनुच्छेद 28 : शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को** विनियमित करता है, राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है, सिवाय जहाँ स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।
- इसके अतिरिक्त, **अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की** रक्षा करते हैं तथा उनकी विशिष्ट पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

ऐसे प्रतिबंध के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

- **पक्ष में तर्क:**
  - **एकरूपता और अनुशासन:** ड्रेस कोड लागू करने से शैक्षणिक संस्थानों में **एकरूपता** और **अनुशासन को बढ़ावा मिलता है।**
    - यह **प्रत्यक्ष धार्मिक चिह्नों के प्रदर्शन को रोकता है तथा** धार्मिक विभाजनों से मुक्त एक **तटस्थ स्थान बनाए रखता है।**
  - **लैंगिक समानता:** बुर्का और इसी प्रकार की प्रथाओं को प्राय: **पितृसत्ता के उपकरण के रूप में देखा जाता है जो लैंगिक असमानता को बनाए रखते हैं** और महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं।
  - **समाज में एकीकरण:** ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाने से **व्यापक समाज में एकीकरण को बढ़ावा मिलता है तथा** दृश्यमान धार्मिक चिह्नों के कारण होने वाले संभावित अलगाव से बचा जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है:** मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और **उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं।**
  - अनुच्छेद-25 के अंतर्गत धर्म का अधिकार **अन्य मौलिक अधिकारों को दरकिनार नहीं कर सकता, विशेषकर सरकारी वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों** में।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** ऐसे प्रतिबंधों का उद्देश्य **गुमनामी (Anonymity) को रोकना भी है, जो पहचान में बाधा उत्पन्न कर सकती है, शस्त्रों को छिपाने के लिये वस्त्रों के दुरुपयोग को** रोकना तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में **सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना है।**
  - **उदाहरण के लिये: वर्ष 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बम विस्फोट में** आत्मघाती हमलावर जनता के साथ घुलमिल गए थे।

- **प्रतिबंध के विरुद्ध तर्क:**
  - **धार्मिक स्वतंत्रता:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने और उसे मानने के अधिकार को सुनिश्चित करता है,** ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने से अलगाव की भावना उत्पन्न हो सकती है तथा सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।
  - **स्वायत्तता और विकल्प:** प्रतिबंध लगाने से **व्यक्तिगत स्वतंत्रता** और व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं के अपने परिधान के बारे में चुनाव करने के अधिकार का उल्लंघन होता है।
  - **शिक्षा पर प्रभाव:** बुर्का पर प्रतिबंध लगाने से रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की **छात्राएँ स्कूल जाने से हतोत्साहित हो सकती हैं,** जिससे उनकी शिक्षा और सशक्तीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
    - उदाहरण के लिये: वर्ष 2019-20 में अधिकांश राज्यों में **मुस्लिम लड़कियों की स्कूल उपस्थिति दर हिंदू लड़कियों की तुलना में कम थी।**
    - उदाहरण के लिये **उत्तर प्रदेश में, जहाँ केवल 63.2% मुस्लिम लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, वहीं 81% हिंदू लड़कियाँ स्कूल जाती हैं।**
  - इस प्रकार के प्रतिबंध **शिक्षा तक पहुँच में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं,** रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की लड़कियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं तथा **इन समूहों को और अधिक कमज़ोर कर सकते हैं।**

निष्कर्ष

बुर्का /बुर्का पर बहस **व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक मूल्यों और संस्थागत अनुशासन के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।** जबकि धार्मिक अधिकार संविधान के अंतर्गत संरक्षित हैं, ये निरपेक्ष नहीं हैं और इन्हें लोक व्यवस्था एवं समानता के साथ संरेखित किये जाने की आवश्यकता है। न्यायिक निर्णय समावेशिता एवं लैंगिक समानता पर बल देते हैं, जो संवाद को बढ़ावा देने और ऐसी नीतियों के निर्माण के महत्त्व को रेखांकित करते हैं जो शिक्षा तक पहुँच में बाधा डाले बगैर या समुदायों को हाशिये पर रखे बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करती हैं।

विमुक्त जनजातियों से संबंधित चुनौतियाँ और विकास

चर्चा में क्यों?

भारत में विमुक्त जनजातियों (DNT), खानाबदोश जनजातियों (NT) और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों (SNT) के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने से मना करना भी शामिल है।

- भारत सरकार द्वारा **विमुक्त/घुमंतू/अर्द्ध-खानाबदोश (SEED) समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण** की योजना शुरू करने के बावजूद, विभिन्न अन्य मुद्दों के कारण इन समुदायों में असंतोष बढ़ रहा है।

NTs, SNTs और DNTs के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं?

- **ऐतिहासिक अन्याय:** ब्रिटिश शासन के दौरान इन जनजातियों को **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के तहत **आपराधिक जनजाति** करार दिया गया, जिससे उन्हें **पीढ़ियों तक कलंक** का सामना करना पड़ा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- वर्ष 1952 में विमुक्त होने के बावजूद, इनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बने रहने से इनके सामाजिक तथा आर्थिक समावेश पर प्रभाव पड़ रहा है।
- ऐतिहासिक रूप से, खानाबदोश जनजातियों एवं विमुक्त जनजातियों को **कभी भी निजी भूमि या घर का स्वामित्व** प्राप्त नहीं था।

- **अवर्गीकृत समुदाय: इदाते आयोग (2017)** ने कुल **1,526 DNT, NT और SNT** समुदायों की पहचान की।
  - इन 1,526 चिन्हित समुदायों में से **269 समुदाय अभी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग** की श्रेणियों के अंतर्गत **वर्गीकृत नहीं** हैं।
  - इसी प्रकार इन समुदायों के कई लोग **29 राज्यों में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ** हैं जिससे कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
  - **कई अनुमानों** के अनुसार यहाँ की जनसंख्या **25 करोड़ से अधिक** है फिर भी इनमें से अनेक लोगों के पास बुनियादी पहचान का अभाव है।
- **कार्यान्वयन में कमी:** इदाते आयोग की सिफारिशों (**जिनमें स्थायी आयोग तथा जाति-जनगणना** को शामिल करने सहित अन्य प्रावधान शामिल हैं) पर अभी तक विचार नहीं किया गया हैं।
  - देरी और लोगों तक पहुँच की कमी के कारण SEED योजना को सीमित सफलता मिली है। SC/ST/OBC योजनाओं के साथ लाभ की ओवरलैपिंग के कारण लाभार्थी की पहचान में मुश्किलें आती हैं।
- **प्रतिनिधित्व का अभाव:** DNT समुदायों के लिये नेतृत्व के पदों की कमी बनी हुई है तथा खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश समुदायों (DWBDNC) के विकास व कल्याण हेतु बोर्ड में कोई **पूर्णकालिक अध्यक्ष** नहीं है।

इदाते आयोग, 2014

- **परिचय:** इसकी **स्थापना वर्ष 2014 में भीकू रामजी इदाते के नेतृत्व में** विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों (DNT) की राज्यव्यापी सूची संकलित करने के लिये की गई थी।
- **अधिदेश:** इनके द्वारा **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)** और **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** श्रेणियों से बाहर रखे गए लोगों को पहचानना एवं उनके कल्याण के लिये कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करना, अधिदेशित किया गया था।
- **अनुशंसाएँ:**
  - DNT, SNT और NT के लिये विधिक दर्ज़ा सहित एक **स्थायी आयोग** बनाया जाए।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में न पहचाने गए व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया जाए।
  - **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में तृतीय अनुसूची को** शामिल करके विधिक और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाना ताकि अत्याचारों को रोका जा सके और समुदाय के सदस्यों के बीच सुरक्षा की भावना बहाल की जा सके।
  - महत्त्वपूर्ण जनसंख्या वाले राज्यों में इन समुदायों के **कल्याण के लिये** एक अलग विभाग की स्थापना करना।
  - **DNT परिवारों की** अनुमानित संख्या और वितरण का निर्धारण करने के लिये उनका गहन सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता है।

नोट: विमुक्त जनजातियों (DNT) के लिये एक **स्थायी आयोग की** स्थापना करने के बजाय, सरकार ने **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत DWBDNC की स्थापना की, यह कहते हुए कि एक स्थायी आयोग SC, ST और OBC के लिये** मौजूदा राष्ट्रीय आयोगों के साथ संघर्ष करेगा।

DNT, NT और SNT कौन हैं?

- **परिचय: विमुक्त जनजाति** शब्द का तात्पर्य उन समुदायों से है, जिन्हें कभी **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था**, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था।
  - **वर्ष 1952 में भारत सरकार** द्वारा इन अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन समुदायों की **अधिसूचना समाप्त हो गई।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इनमें से कुछ समुदाय जो **विमुक्त घोषित किये गये थे, वे भी खानाबदोश थे।**
  - **खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश** समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रत्येक समय एक स्थान पर रहने के बजाय **एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं।**
- अधिकांश DNT **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति** और **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणियों में आते हैं, कुछ DNT अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।

- **वितरण:** विमुक्त जनजातियाँ विभिन्न समुदायों को शामिल करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की सांस्कृतिक प्रथाएँ, भाषाएँ और सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ अद्वितीय हैं। समुदायों में **कंजर, नट, पारधी और सपेरा शामिल हैं।**
  - अनुमानत: दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे बड़ी खानाबदोश जनसंख्या है। भारत में लगभग **10% आबादी** NT, SNT और DNT की है।
  - जबकि लगभग 150 विमुक्त जनजातियाँ हैं, खानाबदोश जनजातियों की आबादी में लगभग 500 अलग-अलग समुदाय शामिल हैं।
- **DNT, NT और SNT समुदायों के लिये प्रमुख समितियाँ/आयोग:**
  - संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में **आपराधिक जनजाति अन्वेषण समिति, 1947 की स्थापना की गई।**
- **अनंतशयनम अयंगर समिति, 1949।**
  - इस समिति की सिफारिश के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त कर दिया गया।
- **काका कालेलकर आयोग (जिसे प्रथम OBC आयोग भी कहा जाता है), 1953।**
- **बी.पी. मंडल आयोग, 1980**
  - आयोग ने NT, SNT और DNT समुदायों के मुद्दे से संबंधित कुछ सिफारिशें भी कीं।
- **संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC), 2002 ने** माना कि DNT को अनुचित तरीके से अपराध प्रवण के रूप में कलंकित किया गया है और कानून एवं व्यवस्था तथा सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार तथा शोषण किया गया है।
- **रेनके आयोग (2005):** आयोग ने उस समय उनकी जनसंख्या लगभग **10 से 12 करोड़ होने का अनुमान लगाया था।**

विमुक्त/घुमंतू/अर्द्ध-घुमंतू (SEED) समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना क्या है?

- **परिचय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा **फरवरी 2022** में **विमुक्त, घुमंतू, अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये योजना** शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य और घटक:** इसका उद्देश्य **इन छात्रों को सिविल सेवा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, MBA आदि** जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये नि:शुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान करना है।
  - परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, आजीविका पहल के माध्यम से इन समुदायों के समूहों का उत्थान करना तथा आवास के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।
    - **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा।
    - **राष्ट्रीय एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM और SRLM)** के माध्यम से आजीविका सुनिश्चित करना।
    - **प्रधानमंत्री आवास योजना** के माध्यम से भूमि एवं आवास निर्माण की सुविधा प्रदान करना।
- **विशेषताएँ:** इसके तहत वर्ष 2021-22 से आगामी पाँच वर्षों की अवधि में **200 करोड़ रुपए का व्यय सुनिश्चित किया गया है।**
  - **DWBDNC** को इस योजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है।

विमुक्त/घुमंतू/अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिये भारत द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?

- **DNT के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** यह **केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15** में ऐसे

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

DNT छात्रों के कल्याण के लिये शुरू की गई थी जो **SC, ST या OBC** के अंतर्गत नहीं आते हैं।

- **DNT छात्रों के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति** की योजना DNT बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायक है।

- **DNT बालक और बालिकाओं के लिये छात्रावास निर्माण की नानाजी देशमुख योजना: 2014-15 में शुरू की गई** यह **केंद्र प्रायोजित योजना** राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
  - इस कार्यक्रम का लक्ष्य उन DNT छात्रों को छात्रावास आवास उपलब्ध कराना है जो SC, ST या OBC श्रेणी में नहीं आते हैं।

आगे की राह

- **नीति कार्यान्वयन:** शीघ्र कार्रवाई कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग ढाँचे के भीतर DNT समुदायों का वर्गीकरण करना। **नियमित जाति वर्गीकरण के साथ-साथ जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने चाहिये। जैसे** SC-DNT, ST-DNT।
  - **SEED योजना का सुदृढ़ीकरण: सक्रिय गैर-सरकारी संगठन (NGO) की भागीदारी** और जागरूकता अभियान के माध्यम से जनसंपर्क में सुधार किया जाना चाहिये।
    - पात्रता प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पात्र परिवारों को शिक्षा, आवास और आजीविका सहायता प्राप्त हो सके।
  - **पहचान और प्रतिनिधित्व:** इन समुदायों की वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिये **जाति-आधारित जनगणना** आयोजित की जानी चाहिये।
    - आरक्षित नेतृत्व भूमिकाओं के माध्यम से नीति निर्माण में सामुदायिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- **संस्थागत सुधार:** DNT कल्याण की देखरेख के लिये स्पष्ट अधिदेश के साथ एक स्थायी आयोग की स्थापना की आवश्यकता है। शिकायतों के समाधान के लिये **ज़िला स्तरीय शिकायत समितियों का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।**

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. विमुक्त और घुमंतू जनजाति समुदायों के समक्ष विद्यमान सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये और उनके उत्थान के लिये नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिये।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर जनजातीय मंत्रालय के निर्देश

चर्चा में क्यों?

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को **बाघ अभयारण्यों** में **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये **संस्थागत तंत्र** स्थापित करने का निर्देश दिया है।

जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी निर्देश की मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **वन अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना:** मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **वन में रहने वाले समुदायों को वन अधिकार अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के तहत उनके अधिकारों की **कानूनी मान्यता** के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता ।
  - यह कदम विशेष रूप से **मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल** में **वनवासी समुदायों से अवैध बेदखली** की शिकायतों के बाद उठाया गया है।

- **पुनर्वास के लिये सहमति:** FRA की **धारा 4(2) सुरक्षा** उपाय प्रदान करती है, **जिसके तहत पुनर्वास के लिये ग्राम सभाओं की लिखित रूप में स्वतंत्र, सूचित सहमति** प्राप्त करना अनिवार्य है। कानून में उन क्षेत्रों में बसने के अधिकार भी दिये गए हैं, जहाँ निवास करने का प्रस्ताव है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **राज्यों को बाघ अभ्यारण्यों में स्थित आदिवासी गाँवों** तथा उनके वन अधिकार दावों की स्थिति का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** ने बाघ अभयारण्यों में **591 गाँवों को स्थानांतरित करने** के लिये समयसीमा भी मांगी है, **जिससे संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने को लेकर बहस तेज़** हो गई है।

- **शिकायत निवारण तंत्र:** राज्यों को वन क्षेत्रों से बेदखली से संबंधित शिकायतों और शिकायतों को निपटाने के लिये शिकायत निवारण प्रणालियाँ स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 क्या है?

- **इसके बारे में:** इसे वन में रहने वाले **अनुसूचित जनजातियों (ST)** और **अन्य पारंपरिक वन निवासियों (OTFD) को आधिकारिक रूप से वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने** के लिये अधिनियमित किया गया था, जो अपने अधिकारों के औपचारिक दस्तावेज़ीकरण के बिना पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक वन प्रबंधन प्रथाओं के परिणामस्वरूप** इन लोगों के साथ हुए अतीत के अन्याय की भरपाई करना है, जिसमें **भूमि के साथ उनके घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से** लाभकारी संबंधों की उपेक्षा की गई थी।
  - भूमि तक स्थायी पहुँच और वन संसाधनों के उपयोग को सक्षम करके, **जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देकर** तथा उन्हें अवैध रूप से बेदखली एवं विस्थापन से बचाकर इन समुदायों को सशक्त बनाना।
- **प्रावधान:**
  - **स्वामित्व अधिकार:** इसके अंतर्गत **लघु वन उपज (MFP)** पर स्वामित्व का प्रावधान किया गया है और साथ ही वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान की भी अनुमति प्रदान की गई है।
    - MFP से तात्पर्य वनस्पति मूल के **सभी गैर-काष्ठ वन उत्पादों से है**, जिसमें बाँस, झाड़-झंखाड़, स्टंप और बेंत शामिल हैं।
  - **सामुदायिक अधिकार:** इसमें ***निस्तार*** (सामुदायिक वन संसाधन का एक प्रकार) जैसे पारंपरिक उपयोग अधिकार शामिल हैं।
  - **पर्यावास अधिकार: आदिम जनजातीय समूहों** और पूर्व-कृषि समुदायों के उनके परंपरागत पर्यावासों के अधिकारों की रक्षा करता है।
  - **सामुदायिक वन संसाधन (CFR):** यह समुदायों को परंपरागत रूप से संरक्षित वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जनन और स्थायी प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।
    - यह अधिनियम सरकार द्वारा प्रबंधित लोक कल्याण परियोजनाओं के लिये **वन भूमि के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो ग्राम सभा की स्वीकृति के अधीन है।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता का अभाव:** वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता का **वन विभाग की ओर से प्रतिरोध किया जाता है,** जो वन संसाधनों पर इनके व्यक्तिगत नियंत्रण के समक्ष एक चुनौती है।
  - **असम में,** झूम खेती की प्रथाओं से अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया जटिल हो जाती है जबकि **महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले** में अधिकारों की मान्यता में प्रगति के बावजूद सामुदायिक वन भूमि का वनेत्तर उद्देश्यों के लिये प्रयोग किये जाने का खतरा बना हुआ है, जिससे अप्रभावी कार्यान्वयन का पता चलता है।
- **तकनीकी मुद्दे:** वनमित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में अनुपयुक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी और जनजातीय क्षेत्रों में कम साक्षरता दर के कारण गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अधिकार के दावों के सुचारू प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाना कठिन हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **परस्पर विरोधी कानून:** FRA का भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जैसे अधिनियमों से मेल नहीं है। इस विसंगति से अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि अधिकारी FRA के आदेशों के स्थान पर परंपरागत वन प्रशासन को प्राथमिकता देते हैं।
- **उच्च अस्वीकृति दर:** प्राय: बिना स्पष्ट स्पष्टीकरण अथवा पुन: अपील का अवसर दिये गए बिना कई दावों का उचित दस्तावेज़ों या साक्ष्यों के अभाव के कारण खारिज़ कर दिया जाता हैं। इससे वैध दावेदारों के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता।
- **ग्राम सभाओं का निम्न प्रदर्शन:** ग्रामसभा में प्राय: अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता, संसाधन और प्रशिक्षण का अभाव होता है।
  - वनवासी समुदायों के स्थानीय संभ्रांत वर्ग का सामान्यत: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर अधिक प्रभाव होता है जिससे लाभों पर उनका एकाधिकार हो जाता है और हाशिए पर स्थित समूह अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।
- **निष्कासन और विकास संघर्ष:** वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, खनन, बांध और राजमार्ग जैसी बृहद स्तर की विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप अक्सर वन में निवास करने वाले समुदायों का निष्कासन हो जाता है।

आगे की राह

- **प्रतिरोध का समाधान: सामूहिक रूप से अधिकारों का दावा करने, वन विभागों के साथ संवाद को बढ़ावा देने और संधारणीय प्रबंधन और सशक्तीकरण के लिये FRA उद्देश्यों के साथ संरक्षण को संरेखित करने के** लिये **किसान उत्पादक संगठनों (FPO) जैसे जनजातीय या वनवासी निकायों का** गठन किया जाना चाहिये।
- **भारतीय वन अधिनियम, 1927** जैसे मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिये, ताकि वन अधिकार अधिनियम के साथ संघर्ष कम हो और स्पष्ट, सहकारी शासन सुनिश्चित हो।
- **तकनीकी क्षमताओं में सुधार: जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी** बढ़ाने के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - व्यापक क्षमता निर्माण के लिये डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देते हुए प्रक्रिया को **अधिक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल बनाने के क्रम में दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं** को सरल बनाना चाहिये।
- **विकास और सामुदायिक अधिकारों में संतुलन:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बड़े पैमाने की विकास परियोजनाएँ सामुदायिक अधिकारों तथा वन समुदायों एवं जैवविविधता की रक्षा के लिये **धारणीय प्रथाओं को एकीकृत** करने पर केंद्रित हों।
- **सह-प्रबंधन मॉडल को** बढ़ावा देकर संरक्षण एवं सामुदायिक सशक्तीकरण के बीच संघर्ष को दूर करने के लिये रूपरेखा स्थापित करनी चाहिये।
  - **समावेशी निर्णय-प्रक्रिया:** यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ग्राम सभाओं **में निर्णय-प्रक्रिया समावेशी हो** तथा महिलाओं एवं निम्न जातियों जैसे हाशिये पर स्थित समूहों की **लाभों तक समान पहुँच** हो।
- **जागरूकता बढ़ाना एवं क्षमता निर्माण:** वन-निवासी समुदायों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिये व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिये।
  - प्रभावी निर्णय निर्माण के साथ हाशिये पर स्थित समूहों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिये इनके प्रशिक्षण के साथ ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान देना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. वन अधिकार अधिनियम (FRA) को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। सरकार जैवविविधता संरक्षण एवं वनवासी समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भूगोल

राजस्थान में आर्टेसियन कुआँ और टेथिस सागर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राजस्थान के जैसलमेर** में जमीन के नीचे से बड़ी मात्रा में जल बाहर निकलने लगा, जिसका श्रेय भारत के **आर्टेसियन कुओं** को दिया गया है।

- विशेषज्ञों ने इस विचार को **खारिज कर दिया कि यह जल** प्राचीन **सरस्वती नदी** से संबंधित है तथा उन्होंने सुझाव दिया कि यह जल **लाखों वर्ष पुराना** होने के साथ **इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर** (पूर्व-वैदिक काल) से संबंधित हो सकती है।

आर्टेसियन कुआँ क्या है?

- **आर्टेसियन** कुआँ से जल पंपिंग की आवश्यकता के बिना दबाव के कारण **स्वाभाविक रूप से सतह** पर आता है। **ऐसा तब होता है जब जल** एक **सीमित जलभृत में संग्रहित** हो जाता है तथा इसका दाब अधिक हो जाता है।
  - इसके **ऊपर एवं नीचे उपस्थित कठोर सामग्रियों** के कारण इसे "कन्फाइंड" जल भी कहा जाता है।
- **निर्माण:** आर्टेसियन कुओं का निर्माण तब होता है जब एक **कुआँ का कन्फाइंड जलभृत तक प्रसार** होता है, जो मृदा या चट्टान जैसी अभेद्य परतों के बीच स्थित **पारगम्य चट्टान या तलछट की** एक परत होती है।
- **दबाव तंत्र:** कन्फाइंड जलभृत में जल, अधिक **दबाव** में होता है और जब कुआँ को ड्रिल किया जाता है तो दबाव से जल **बोरहोल के माध्यम से ऊपर** उठने लगता है।
- **जल प्रवाह:** यदि दाब पर्याप्त होता है तो आर्टेसियन कुएँ में जल **सतह पर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित** हो सकता है, जिसे **"प्रवाहित आर्टेसियन कुएँ"** के रूप में जाना जाता है।
  - यदि दाब जल को सतह पर लाने के लिये **पर्याप्त नहीं** है तो **इसे पंप** का उपयोग करके निकाला जा सकता है।
- **स्थान: प्रसिद्ध आर्टेसियन कुएँ ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट आर्टेसियन बेसिन,** संयुक्त राज्य अमेरिका के **डकोटा एक्वीफर और अफ्रीका** जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- **ट्यूबवेल से अंतर:** आर्टेसियन जल स्वाभाविक रूप से स्वयं ही **सतह** पर आ सकता है और यह पृथ्वी की सतह के नीचे **गहराई** में मिलता है जबकि **ट्यूबवेल** से जल को पंप करने के लिये बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

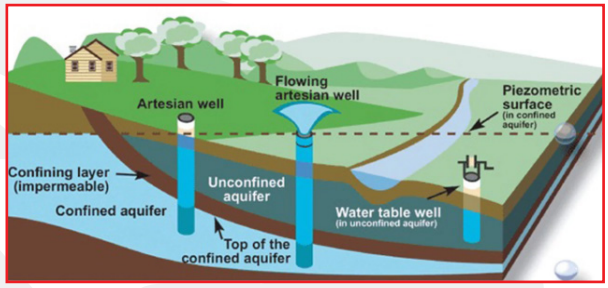

नोट: आर्टेसियन नाम फ्राँस के आर्टोइस कस्बे से लिया गया है **जो कि आर्टेसियम का पुराना रोमन शहर था, जहाँ मध्य युग** में सबसे प्रसिद्ध प्रवाहित **आर्टेसियन कुएँ** थे।

राजस्थान में पाए गए आर्टेसियन कुओं की विशेषताएँ क्या हैं?

- **जल विस्फोट:** राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल, **बलुआ पत्थर** की भू-वैज्ञानिक परत **के नीचे संग्रहित** है।
  - जैसे ही ऊपरी परत में **छेद** होता है तो भारी दाब के कारण जल ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगता है, जो अक्सर **फव्वारे की तरह बाहर** आता है।
- **प्राचीन समुद्री साक्ष्य:** बोरवेल से मिले जल की **उच्च लवणता, प्राचीन समुद्री या खारे भू-जल स्रोतों** के समान है।
  - ऐसा माना जाता है कि इसका जल **टेथिस सागर** (जो **लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में था**) से संबंधित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **समुद्री मृदा की उपस्थिति:** इस जल के साथ, **ओज (कंकाल के अवशेषों वाली महीन सफेद समुद्री मृदा)** सतह पर आई, जिससे इस विचार को बल मिला कि यह भू-जल किसी **प्राचीन समुद्र** का अवशेष है।
  - इस क्षेत्र में पाई जाने वाली रेत, जो कि **टर्शियरी काल (लगभग 6 मिलियन वर्ष पूर्व)** की मानी जाती है, भी भूजल के साथ बहकर आई थी।
- **भू-वैज्ञानिक महत्त्व:** जैसलमेर क्षेत्र कभी **टेथिस सागर** से संबद्ध था जिसके एक ओर **डायनासोर** थे और दूसरी ओर गहरा जल क्षेत्र था।
  - **एशिया में विशाल शार्क के जीवाश्म** केवल भारत (जैसलमेर), जापान एवं थाईलैंड में ही पाए गए हैं।

टेथिस सागर के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **टेथिस सागर का निर्माण मेसोज़ोइक युग** के प्रारंभिक चरणों के दौरान हुआ था, **विशेष रूप से ट्राइएसिक काल** के दौरान (लगभग 250 से 201 मिलियन वर्ष पूर्व)।
  - यह **गोंडवाना** (दक्षिणी महाद्वीप) और **लॉरेशिया** (उत्तरी महाद्वीप) के भू-भागों के बीच स्थित था।
    - गोंडवानालैंड में वर्तमान **दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका** शामिल थे।
    - लॉरेशिया में **उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया (प्रायद्वीपीय भारत को छोड़कर)** शामिल थे।
- **भौगोलिक विस्तार:** टेथिस सागर वर्तमान **यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के सीमित क्षेत्रों में विस्तृत था** तथा पूर्व में **प्रशांत महासागर** और पश्चिम में **अटलांटिक महासागर को जोड़ता था।**
- **समापन: क्रिटेशस काल के अंत** में (लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व), **टेक्टोनिक प्लेटों** के निरंतर स्थानांतरण के कारण टेथिस सागर का भराव शुरू हो गया।
  - टेथिस सागर के अवशेष आज भी **भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर** और **काला सागर** जैसे छोटे समुद्रों के रूप में देखे जा सकते हैं।
- **विवर्तनिक महत्त्व:** इसके क्रमिक भराव होने से नए भू-भागों का निर्माण हुआ, जैसे कि **भारतीय उपमहाद्वीप** का एशियाई प्लेट की ओर गमन करना, जिससे **हिमालय पर्वत शृंखला** और **तिब्बती पठार** का थल से उत्थान हुआ।
- **जीवाश्म के साक्ष्य:** टेथिस सागर में समुद्री जीवन की समृद्ध विविधता पाई जाती है, जिसमें **शार्क, अम्मोनाइट्स के प्रारंभिक रूप** और **इचथियोसॉर** तथा **मोसासौर** जैसे समुद्री सरीसृप शामिल हैं।
  - टेथिस सागर की उत्पत्ति से उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में **पेट्रोलियम नदी द्रोणियों** का निर्माण हुआ, **जिससे कार्बनिक पदार्थ के संचयन और हाइड्रोकार्बन परिपक्वता में सहायता मिली।**

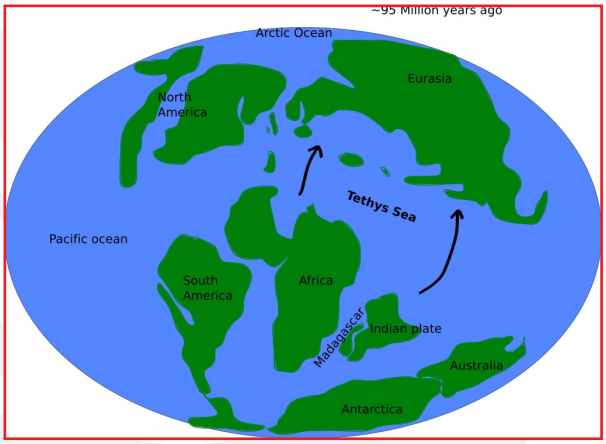

भूगर्भ से सतह पर आए जल के अन्य उदाहरण क्या हैं?

- **हाइड्रोथर्मल वेंट:** ये **गर्म जल के जलमग्न चश्मे (स्प्रिंग)** हैं जो **विवर्तनिक प्लेटों** के निकट पाए जाते हैं, जहाँ भू पर्पटी के नीचे से गर्म **जल और खनिज** धरती से बाहर निकलता है।
- **हॉट स्प्रिंग:** भूमि पर गर्म जल के चश्मे (स्प्रिंग) वे क्षेत्र हैं जहाँ **गर्म भूजल** (पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूतापीय ऊष्मा द्वारा ऊष्मित) सतह से बाहर निकलता है।
  - जैसे, **मणिकरण** (हिमाचल प्रदेश), **गौरीकुंड** (उत्तराखंड)।
- **गीज़र:** ये भूतापीय संरचनाएँ हैं जिसमें से भूमिगत तापन के कारण **समय-समय पर जल और भाप बाहर निकलती है।**
  - समीप स्थित मैग्मा द्वारा जल के ऊष्मित होने पर यह भाप में बदल जाता है, जिससे गर्म जल और भाप का विस्फोटन होता है। उदाहरण के लिये, **येलोस्टोन नेशनल पार्क (अमेरिका)।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **मडपॉट:** ये **बुलबुले युक्त पंक के तालाब** हैं जो भूतापीय क्षेत्रों में बनते हैं। सीमित भूतापीय **जल का पंक और चिकनी मृदा के साथ संयोजन** होने पर इसका निर्माण होता है।
- **फ्यूमरोल्स:** फ्यूमरोल्स तब उत्पन्न होते हैं जब **मैग्मा जल स्तर से होकर गुज़रता है**, जिससे जल गर्म हो जाता है और भाप ऊपर उठती है तथा **हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S)** जैसी ज्वालामुखीय गैसें सतह पर आ जाती हैं।
  - ❖ यह प्राय: **"डाइंग वोल्केनो" के समीप** पाया जाता है, जहाँ भूमिगत मैग्मा पिंडित और शीतलित हो गया होता है। उदाहरण के लिये, **बैरन द्वीप** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

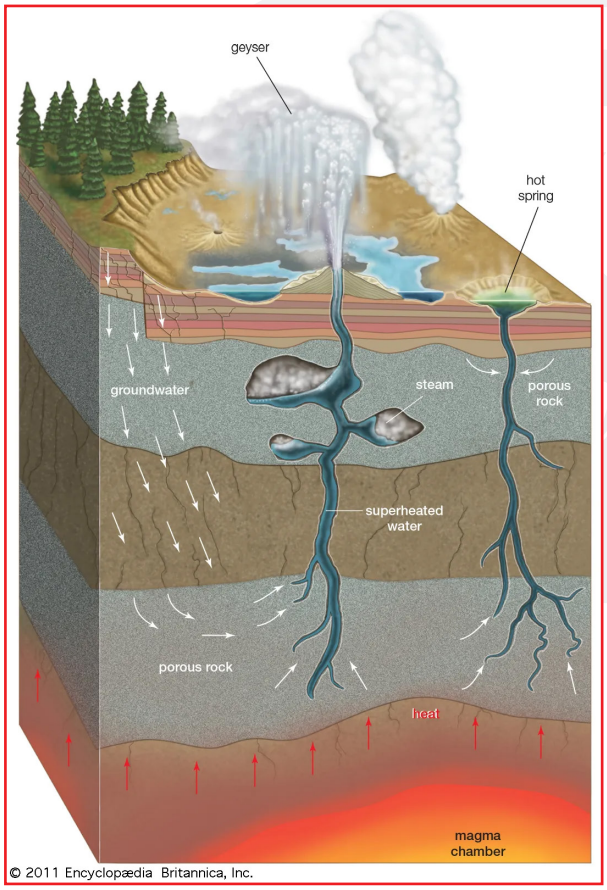

सरस्वती नदी

- **परिचय:** यह प्राचीन भारतीय ग्रंथों, मुख्य रूप से **वेदों में वर्णित** नदी है जिसमें सरस्वती नदी को **वैदिक काल** (8000-5000 वर्ष पूर्व) की **सबसे पवित्र और समृद्ध** नदी माना गया है।
- **उद्गम और प्रवाह:** इस नदी का उद्गम स्थल **हिमालय** था और पश्चिम में **सिंधु नदी** और पूर्व में **गंगा नदी** के बीच **पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान** तथा **गुजरात** के मैदानों से होकर यह प्रवहित होती थी।
  - ❖ यह नदी अंतत: **अरब सागर** में **कच्छ की खाड़ी** में गिरती थी।
- **विलुप्ति:** सरस्वती नदी **जलवायु** और **विवर्तनिक परिवर्तनों** के कारण **लगभग 5000 बी.पी. में विलुप्त हो गई।**
  - ❖ ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में भी यह नदी **थार मरुस्थल** के नीचे भूमिगत रूप से बहती है और **हिमालय** से इसका संपर्क बना हुआ है।
- **प्राचीन साहित्य में उल्लेख: सरस्वती नदी का उल्लेख प्राय: वेदों, मनुस्मृति, महाभारत** और **पुराणों** जैसे प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है।
  - ❖ **वेद:** ऋग्वेद में इसके महत्त्व को उजागर करते हुए सरस्वती को **"सर्वोपरि माता", "नदी" और "देवी" माना गया है,** और **यजुर्वेद में** इसकी **सहायक नदियों** का उल्लेख किया गया है।
  - ❖ **मनुस्मृति: सरस्वती और दृषद्वती नदी** (हरियाणा की लक्ष्मी नदी) के बीच का क्षेत्र भगवान द्वारा निर्मित **ब्रह्मावर्त** माना जाता है।
  - ❖ **महाभारत:** इसमें नदी के तट पर स्थित **तीर्थ स्थल** और साथ ही **विनाशना** (वह स्थान जहाँ सरस्वती नदी लुप्त हुई) में कम जल प्रवाह के कारण नदी के मरुस्थलीय क्षेत्रों में लुप्त हो जाने का उल्लेख है।
  - ❖ **पुराण: मार्कण्डेय पुराण** में सरस्वती को **प्लक्ष वृक्ष (पीपल वृक्ष)** से निकलते हुए तथा एक ऋषि द्वारा उनकी पूजा करते हुए वर्णित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निष्कर्ष

हाल ही में **राजस्थान** के **जैसलमेर** में भूगर्भ से अत्यधिक तीव्रता के साथ जल के बाहर निकने की घटना हुई, जिसका कारण एक आर्टिज़ियन कूप को बताया जा रहा है, जिससे प्राचीन सरस्वती नदी के साथ इस घटना का संबंध चर्चा का विषय बना गया है। हालाँकि, वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार यह उत्सर्जित जल प्राचीन समुद्री अवशेषों का था, जिसका संबंध सरस्वती नदी से न होकर विशेष रूप से टेथिस सागर से है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. आर्टिज़ियन कूप की संरचना और संप्रत्यय पर चर्चा कीजिये।

ला नीना: प्रभाव, तंत्र और पूर्वानुमान

चर्चा में क्यों?

दीर्घ काल से हो रही **ला नीना** प्रतीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, जबकि **प्रशांत महासागर** में **शीतलता अभी भी कम है,** हालाँकि इससे अधिक जलवायु समस्याएँ उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

- इसका **विलंब से आगमन** संभवत: इसलिये हुआ है क्योंकि **विश्व के महासागर** पिछले कुछ वर्षों की तुलना में **अत्यधिक उष्ण** हो गए हैं।
- **दिसंबर में उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र** में ला नीना की स्थिति उत्पन्न होती है।

ला नीना क्या है?

- **परिचय:** ला नीना, जिसका **स्पेनिश में अर्थ है "छोटी लड़की", एल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) का एक शीतल चरण** है।
  - पूर्वी प्रशांत महासागर में **समुद्र की सतह का तापमान** सामान्य से अधिक शीतल होना इसकी विशेषता है।
  - ला नीना, **एल नीनो (उष्ण चरण)** और **तटस्थ चरण** के साथ ENSO के तीन चरणों में से एक है।
- **क्रियाविधि:** ला नीना में **व्यापारिक पवनें प्रबल** हो जाती हैं, तथा **उष्ण जल को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र** की ओर प्रवाहित करती हैं।
  - **पूर्वी प्रशांत महासागर** में नीचे से **शीतल जल का प्रवाह होता है,** जिससे उस क्षेत्र में **तापमान में गिरावट** आती है।
- **चक्र:** ला नीना **अनियमित चक्रों** में घटित होती है, जो आमतौर पर **दो से सात वर्षों तक चलती है,** तथा प्राय: अल नीनो घटना के बाद घटित होता है।
- **हाल की घटनाएँ:** सबसे हालिया ला नीना चरण **वर्ष 2020 से वर्ष 2023** तक चला, जो वर्ष 2023 के मध्य में एल नीनो चरण में परिवर्तित हो गया।
- **जलवायु परिवर्तन:** ला नीना के प्रभावों की **तीव्रता,** जैसे **अत्यधिक तापमान और असामान्य मौसम पैटर्न,** मानवजनित जलवायु परिवर्तन के कारण और भी बढ़ जाती है।

ला नीना के संभावित क्षेत्रीय प्रभाव क्या हैं?

- **एशिया:** भारत में, ला नीना के कारण **जुलाई** से सितंबर तक **औसत से अधिक मानसूनी वर्षा** होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप सिंधु-गंगा के मैदानों में **दालों के उत्पादन में कमी** हो सकती है, लेकिन **चावल के उत्पादन में वृद्धि** देखी जा सकती है।
  - **इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस** सहित दक्षिण-पूर्व एशिया में ला नीना के कारण **औसत से अधिक वर्षा** होती है, जिससे **बाढ़** आती है, लेकिन **चावल और पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि होती है।**
- **दक्षिण अमेरिका: दक्षिणी ब्राजील, उरुग्वे, उत्तरी अर्जेंटीना और दक्षिणी बोलीविया** में ला नीना के कारण **औसत से कम वर्षा** होती है, जिससे **सूखा** पड़ता है और सोयाबीन और मक्का की फसल प्रभावित होती हैं।
  - इसके विपरीत, **उत्तरी ब्राजील, कोलंबिया, वेनेज़ुएला तथा इक्वाडोर और पेरू के कुछ हिस्सों में** अधिक वर्षा होती है, जिससे **बाढ़** आने की संभावना रहती है।
- **अफ्रीका:** पूर्वी अफ्रीका में ला नीना से दिसंबर और जनवरी में **शुष्क परिस्थितियाँ** बनती हैं **जिसका नकारात्मक प्रभाव फरवरी और मार्च** में काटी जाने वाली फसलों पर पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **दक्षिणी अफ्रीका** में ला नीना के कारण **गर्मियों में औसत से अधिक वर्षा** होती है **जिससे मक्का, ज्वार, गेहूँ और सोयाबीन** की अधिक पैदावार के साथ कृषि को लाभ होता है।

- **ओशिनिया:** ऑस्ट्रेलिया के **उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा** होती है जिसके कारण अक्सर तीव्र **बाढ़** आती है।
- **उत्तरी अमेरिका:** अमेरिका में ला नीना के कारण दक्षिण में **शुष्क स्थिति तथा उत्तर में आर्द्र, तूफानी मौसम की स्थिति** बनती है, जिसमें अलास्का और कनाडा भी शामिल हैं।.

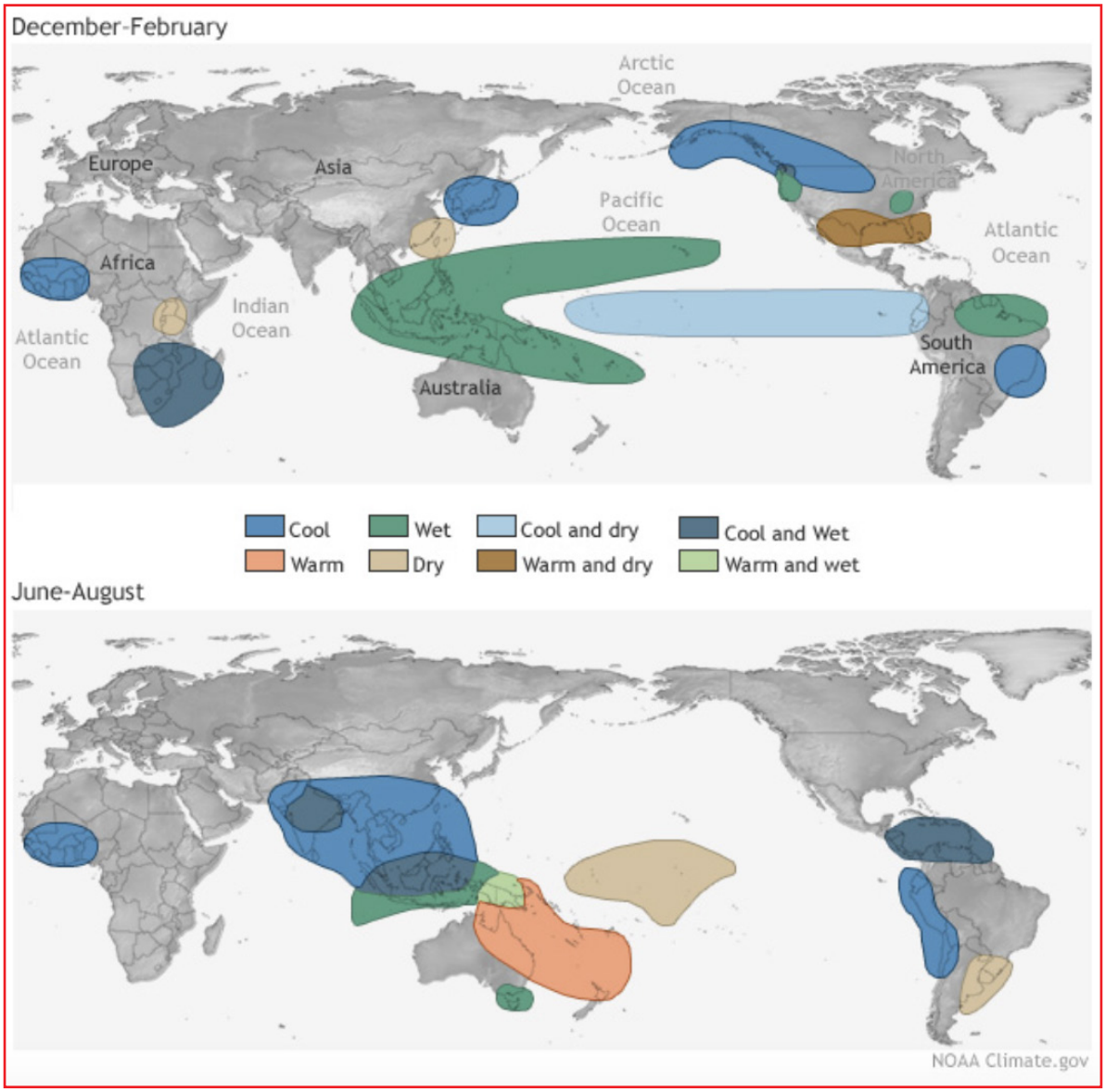

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

अल नीनो-दक्षिणी दोलन क्या है?

- **परिचय:** ENSO एक **आवर्ती जलवायु पैटर्न** है जिसमें **मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर** में जल के तापमान में **आवधिक परिवर्तन** होने से वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित होता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** अल नीनो शब्द का प्रयोग दक्षिण अमेरिकी मछुआरों द्वारा **क्रिसमस के गर्म जल** के लिये किया जाता था।
  - **सर गिल्बर्ट वॉकर ने 1960 के दशक** में समुद्री दाब में परिवर्तन को वायुमंडलीय स्थितियों से जोड़ते हुए **दक्षिणी दोलन** की खोज की, जिसके परिणामस्वरूप **ENSO शब्द** की उत्पत्ति हुई।
  - **1980 के दशक** में **ला नीना और न्यूट्रल** का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा।
- **ENSO के चरण:**
  - **अल नीनो:** मध्य/पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में **महासागर का तापमान बढ़ने से पूर्वी पवनें कमज़ोर** होने से इंडोनेशिया में वर्षा कम हो जाती है तथा मध्य/पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में वर्षा बढ़ जाती है।
  - **ला नीना:** मध्य/पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में महासागर का तापमान कम होने के साथ **पूर्वी पवनें मज़बूत** हो जाती हैं जिससे इंडोनेशिया में वर्षा बढ़ जाती है तथा मध्य/पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में वर्षा कम हो जाती है।
  - **न्यूट्रल:** उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान **औसत** रहता है तथा वायुमंडलीय स्थितियाँ **अल नीनो या ला नीना** का संकेत देती हैं।

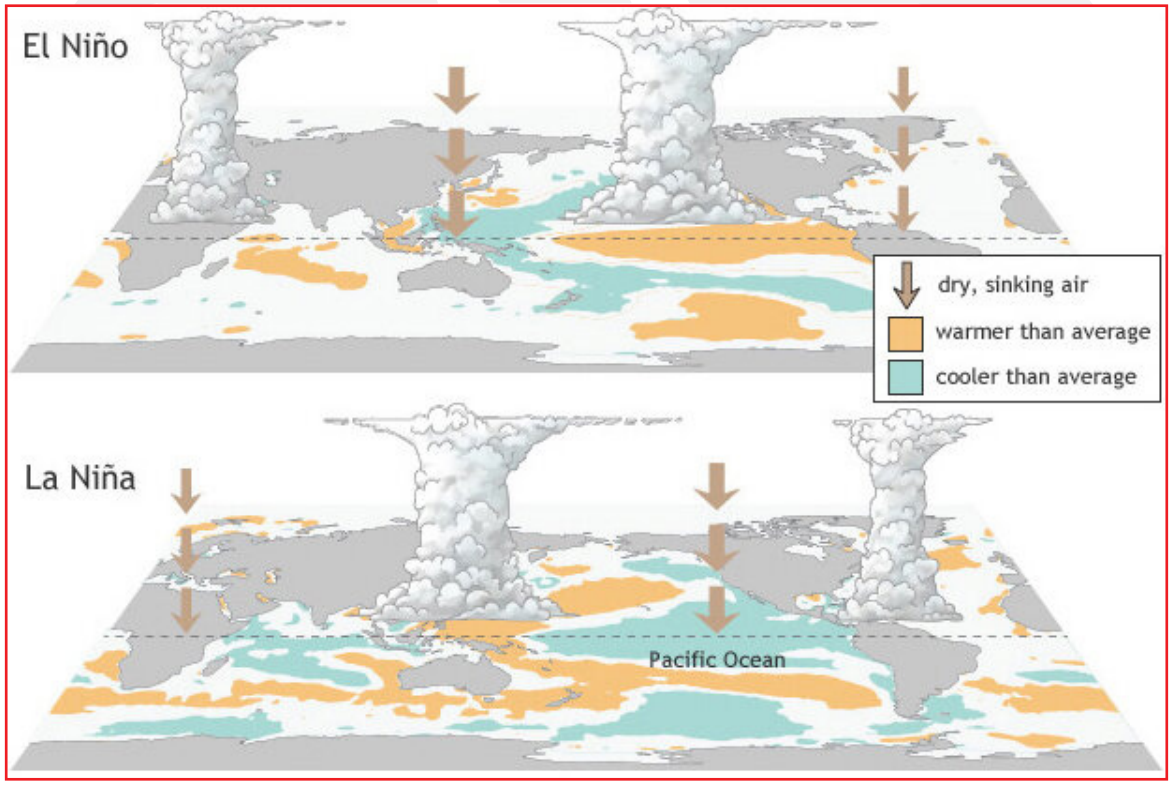

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ENSO चक्र:** ENSO चक्र का **प्रत्येक 3 से 7 वर्ष में दोलन** होता है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान **औसत से 1°C से 3°C अधिक या कम** हो जाता है।

ला नीना और अल नीनो की भविष्यवाणी कैसे की जाती है?

- **जलवायु और अवलोकन संबंधी डेटा:** वैज्ञानिक ENSO घटनाओं (अल नीनो और ला नीना) की शुरुआत की भविष्यवाणी करने के लिये अवलोकन संबंधी डेटा (जैसे **समुद्र की सतह का तापमान, पवनों की स्थिति और उपग्रहों तथा महासागर में स्थापित उपकरणों से प्राप्त डेटा**) के साथ-साथ जलवायु मॉडल का उपयोग करते हैं।
  - **महासागरीय उपकरणों** को विभिन्न प्रयोजनों के लिये रखा जाता है, जिनमें **पर्यावरण निगरानी, डेटा संग्रहण तथा नेविगेशन** शामिल हैं।
- **महासागरीय नीनो सूचकांक:** ONI यह पूर्व-मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में **3 माह के औसत सागरीय सतह के तापमान की तुलना 30 वर्ष के औसत से करता है।**
  - जब दोनों के बीच का अंतर **0.5º सेल्सियस या इससे अधिक होता है तो** इसे एल नीनो कहा जाता है, तथा जब यह **-0.5º सेल्सियस या इससे कम होता है तो इसे ला नीना कहा जाता है।**
- **नीनो-3.4 सूचकांक:** यह सूचकांक एल नीनो और ला नीना परिघटनाओं को परिभाषित करने वाली **सीमाओं की पहचान करने में मदद करता है।**
  - **0.5°C या इससे अधिक** का मान **परिघटना के आरंभ** का सूचक है, जबकि **प्रबल परिघटना के लिये 1.5°C या इससे अधिक** तापमान विसंगति की आवश्यकता होती है।
- **पूर्वानुमान के लिये अग्रणी समय:** यदि ला नीना परिघटना प्रबल अल नीनो के बाद घटित होती हैं, तो उनका पूर्वानुमान **दो वर्ष पूर्व** तक लगाया जा सकता है।

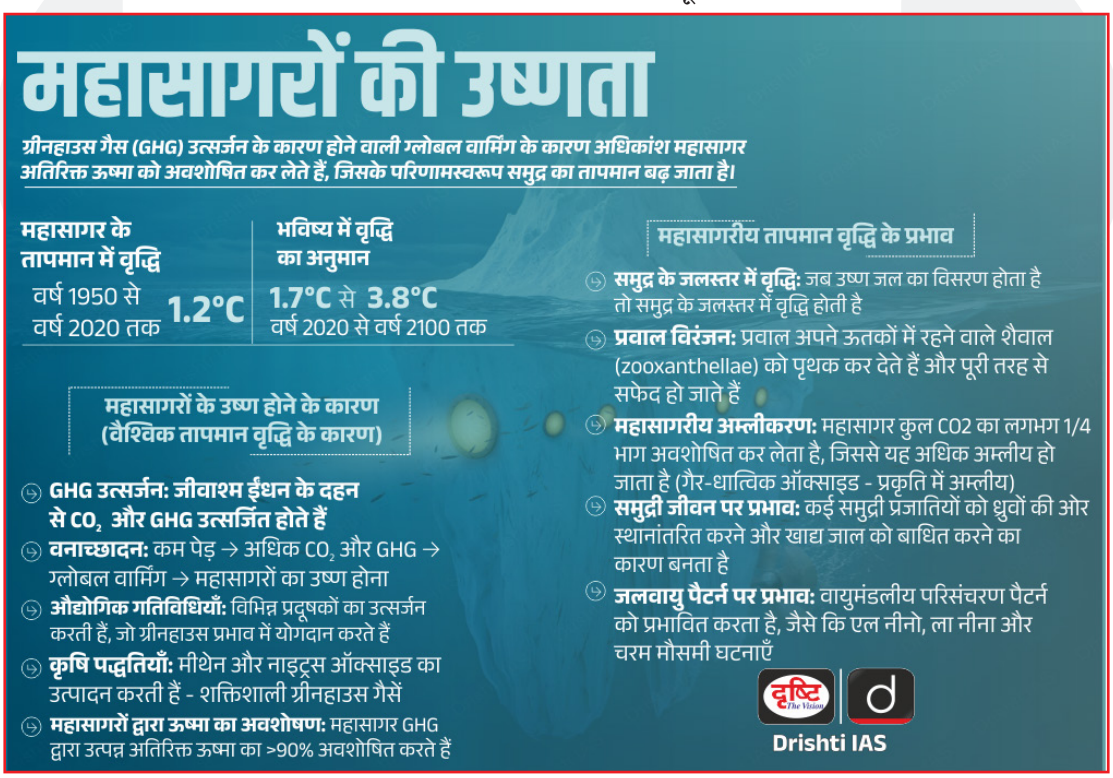

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

निष्कर्ष

ला नीना, एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) की शीतल अवस्था, **वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है**, जिससे **वर्षा, कृषि एवं जलवायु चरम सीमाएँ प्रभावित होती हैं। ONI और नीनो-3.4** जैसे मॉडल तथा सूचकांकों के माध्यम से सटीक पूर्वानुमान इसके प्रभावों को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, मूलत: जब **मानवजनित जलवायु परिवर्तन** इसकी तीव्रता और अप्रत्याशितता को बढ़ाता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) विश्व के जलवायु पैटर्न को कैसे प्रभावित करता है?

तिब्बत, चीन और नेपाल में भूकंप

चर्चा में क्यों?

चीन के तिब्बती क्षेत्र और नेपाल के कुछ हिस्सों में 7.1 तीव्रता का **भूकंप** आया, जिससे व्यापक तबाही हुई। भूकंप का केंद्र **माउंट एवरेस्ट क्षेत्र** के पास **ल्हासा टेरेन के अंदर टिंगरी काउंटी** में था।

- यह घटना किक्सियांग को भ्रंश (**जो खोजा गया नवीन विवर्तनिकी भ्रंश है**) की पहचान करने वाले शोध के निष्कर्षों के अनुरूप है, जिससे क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियाँ प्रेरित होती हैं।

ल्हासा टेरेन में भूकंप के क्या कारण हैं?

- **विवर्तनिकी प्लेट गतिविधि: यह भूकंप भारतीय और यूरेशियन प्लेटों** के बीच चल रहे टकराव (जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था) का परिणाम है।
  - भारतीय प्लेट द्वारा **प्रतिवर्ष** लगभग 60 मिमी की दर से **यूरेशियन प्लेट** पर दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण तनाव बढ़ने से अंतत: भूकंप प्रेरित होता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** वर्ष 1950 से अब तक **ल्हासा भू-भाग में 6 या उससे अधिक तीव्रता के 21 से अधिक भूकंप** दर्ज़ किए गए हैं।
  - इनमें से सबसे शक्तिशाली भूकंप वर्ष 2017 में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के मेनलिंग (जिसकी तीव्रता 6.9 थी) में दर्ज़ किया गया था।

भारतीय विवर्तनिकी प्लेट

- **लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया** के विघटन के दौरान भारतीय प्लेट (जो कभी **गोंडवाना** का हिस्सा थी) 9 सेमी प्रतिवर्ष की गति से उत्तर की ओर खिसकने लगी।
  - इसके कारण यूरेशियन प्लेट से टकराव होने से **हिमालय पर्वत शृंखला** का निर्माण हुआ तथा यह प्रक्रिया आज भी जारी है।
  - भारतीय प्लेट की सीमा **उत्तर में यूरेशियन प्लेट, दक्षिण-पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, दक्षिण -पश्चिम में अफ्रीकी प्लेट** तथा पश्चिम **में अरब प्लेट** से संलग्न है।

ल्हासा टेरेन का क्या महत्त्व है?

- **ल्हासा टेरेन:** भूकंप ल्हासा टेरेन में आया, यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का स्थान है, जिसमें **चीन का विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत बाँध भी शामिल है, जो यारलुंग त्संगपो नदी** पर निर्मित किया जा रहा है।
  - यारलुंग त्सांगपो नदी भारत में **सियांग और बाद में ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवेश करती है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम में जल प्रवाह** पर संभावित प्रभाव को लेकर भारत में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
    - वर्ष 2004 में तिब्बत में भूस्खलन के कारण एक **हिमनद झील निर्मित हो गई थी**, जिससे सतलज नदी लगभग बाढ़ की चपेट में आ गई थी, जिसके कारण भारत को स्थिति पर बारीकी से नज़र रखनी पड़ी।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** तिब्बती पठार में महत्त्वपूर्ण जल संसाधन हैं, **इसके ग्लेशियरों, नदियों और झीलों के कारण इसे 'तीसरा ध्रुव' कहा जाता है।**
  - इस क्षेत्र में आने वाले भूकंप से ग्लेशियर अस्थिर हो सकते हैं और नदियों का मार्ग परिवर्तित हो सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ने की संभावना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

किक्सियांग कंपनी फॉल्ट (Qixiang Co Fault) क्या है?

- **भूवैज्ञानिक विशेषता:** QXCF एक **वाम-पार्श्वीय भ्रंश है,** जिसका अर्थ है कि भ्रंश के दोनों ओर के ब्लॉक एक दूसरे के सापेक्ष बाएँ हाथ की दिशा में पार्श्विक रूप से चलते हैं।
- **विवर्तनिकी गतिकी में महत्त्व:** QXCF, क्वांगतांग टेरेन में सबसे महत्त्वपूर्ण विवर्तनिकी सीमा के रूप में कार्य करता है, **जो तिब्बती पठार भूकंपीय क्षेत्र** (चीन के पाँच प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों में से एक) की एक प्रमुख भूवैज्ञानिक विशेषता है।
  - QXCF मध्य तिब्बत को पूर्व की ओर बढ़ने में मदद करता है, जिससे भारतीय और यूरेशियाई विवर्तनिकी प्लेटों के टकराव के कारण क्षेत्र में होने वाले जटिल परिवर्तनों में वृद्धि होती है।
  - QXCF सक्रिय क्षेत्र में **भूकंप की आवृत्ति और तीव्रता को प्रभावित कर सकती है।**

हिमालय क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्यों है?

- **विवर्तनिक प्लेट अभिसरण:** हिमालय भारतीय और यूरेशियाई विवर्तनिकी प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है, जो अभी भी **40-50 मिमी/वार्षिक दर से अभिसरित हो रहे हैं,** जिससे निरंतर विवर्तनिक दाब उत्पन्न हो रहा है और भूकंपीय सक्रिय हो रहे हैं।
- **निरंतर प्लेट अवतलन:** भारतीय प्लेट **निरंतर यूरेशियन प्लेट के नीचे निमज्जित हो रही है, जिससे दाब** उत्पन्न हो रहा है, जो निरंतर भूकंपों के माध्यम से मुक्त हो रहा है।
- **भ्रंश रेखाओं की उपस्थिति:** यह क्षेत्र अनेक भ्रंश रेखाओं से घिरा हुआ है, जिसमें **मुख्य हिमालयी थ्रस्ट भी शामिल है,** जो बार-बार होने वाली भूकंपीय परिघटनाओं के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- ये भ्रंश **प्रत्यास्थ ऊर्जा संग्रहीत करते हैं,** जो मुक्त होने पर भूकंप का कारण बनती है।
- **जटिल विवर्तनिक अंतर्क्रियाएँ:** भारत-यूरेशिया टकराव के अलावा, अन्य विवर्तनिकी विशेषताएँ, जैसे **पामीर पर्वत के नीचे यूरेशियन प्लेट का अभिसरण भी** क्षेत्र की भूकंपीयता में योगदान देता है।
  - विभिन्न विवर्तनिक बलों के इस अभिसरण से भूकंप की संभावना बढ़ जाती है।

भूकंप क्या है?

- **परिचय:** भूकंप पृथ्वी की सतह का कंपन है जो **ऊर्जा के निर्मुक्त होने के कारण होता है, जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न** होती हैं।
  - ये तरंगें सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं और **सीस्मोग्राफ** पर अभिलिखित की जाती हैं। सतह के नीचे का प्रारंभिक बिंदु **अवकेंद्र (Hypocenter)** है, और सतह पर इसके ठीक ऊपर का बिंदु **अधिकेंद्र (Epicenter)** है।
- **भूकंप के प्रकार:** भूकंप चार प्रकार के होते हैं: विवर्तनिक, ज्वालामुखीय, नियात (Collapse) और विस्फोट (Explosion)।
  - **विवर्तनिकी भूकंप** तब आता है जब चट्टानों और समीपवर्ती प्लेटों पर कार्य करने वाले भूवैज्ञानिक बलों के कारण **पृथ्वी की पर्पटी विघटित हो जाती है,** जिससे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं।
  - ज्वालामुखीय **भूकंप ज्वालामुखीय गतिविधि** के कारण उत्पन्न होता है, जो आमतौर पर **ज्वालामुखी के भीतर मैग्मा** की गति के कारण होता है।
  - नियात भूकंप (Collapse Earthquake) भूमिगत गुफाओं या खदानों में होता है, जो सतह पर विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होता है। ये भूकंप आमतौर पर छोटे झटके वाले होते हैं।
  - विस्फोट भूकंप एक ऐसा भूकंप है जो **परमाणु और/या रासायनिक उपकरण के विस्फोट** का परिणाम होता है।
- **भारत में भूकंप:** **भारतीय मानक ब्यूरो** द्वारा भारत को चार भूकंपीय ज़ोन में विभाजित किया गया है : II, III, IV और V। **ज़ोन V भूकंपीय रूप से सबसे अधिक सक्रिय है,** जबकि ज़ोन II सबसे कम है।
- **भारतीय हिमालय क्षेत्र** भूगर्भीय रूप से सक्रिय होने के कारण मुख्यत: भूकंपीय क्षेत्र IV और V के अंतर्गत आता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

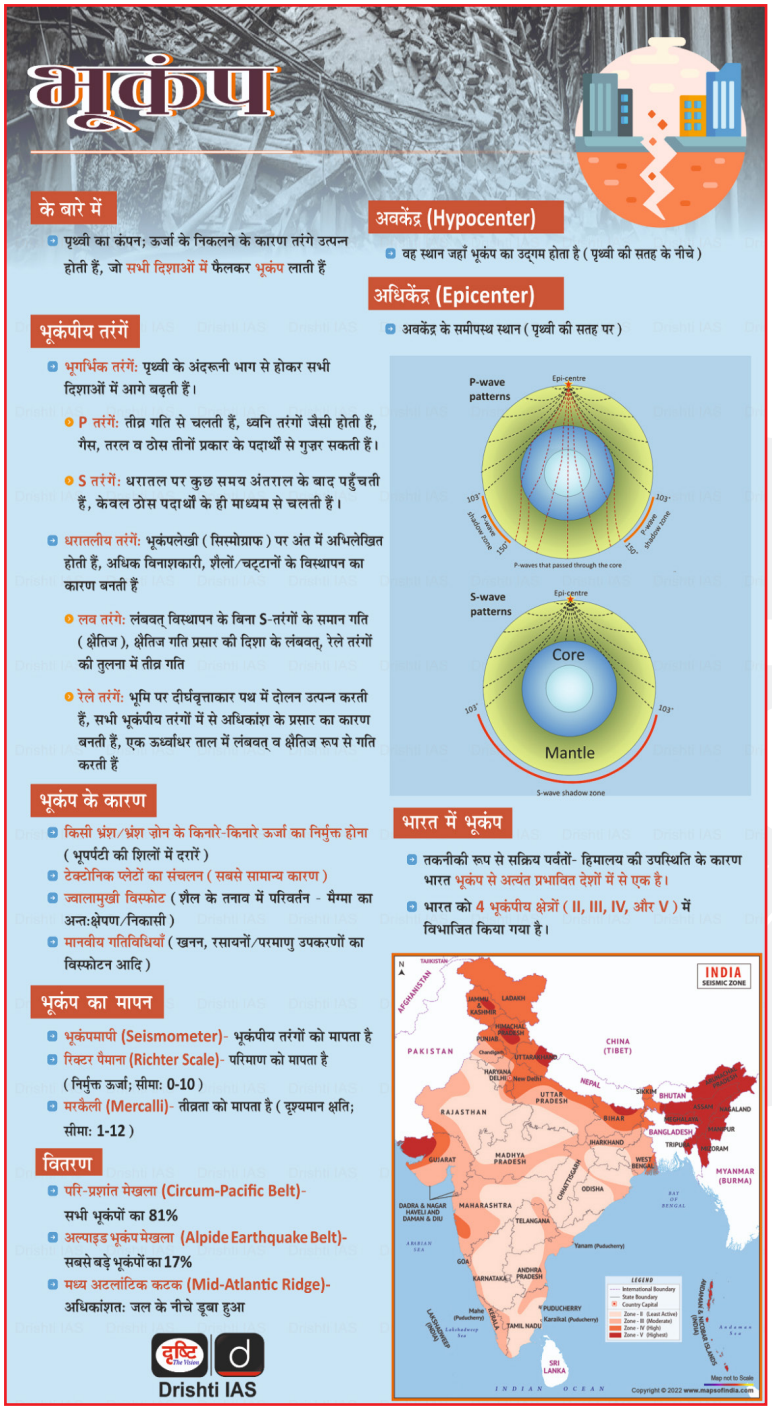

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. हिमालयी क्षेत्र में उच्च भूकंपीय गतिविधि में योगदान देने वाले कारक क्या हैं, और विवर्तनिक प्लेटों और भ्रंश रेखाओं के अभिसरण से भूकंप की संभावना कैसे बढ़ जाती है?

भूस्खलन और निवारक उपाय

चर्चा में क्यों?

जुलाई 2024 के **वायनाड भूस्खलन** पर **नेचर नेचुरल हैज़र्ड्स** में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर आपदा प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- **जुलाई 2024** में केरल के वायनाड ज़िले में **अत्यधिक वर्षा और संवेदनशील पारिस्थितिकी स्थितियों** के कारण **विनाशकारी भूस्खलन आपदा** आई।

अध्ययन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **इस अध्ययन का उद्देश्य तीव्र मलबा प्रवाह** के व्यवहार को समझना तथा **केरल के वायनाड** जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में **आपदा प्रबंधन रणनीतियों** में सुधार करना था।
- **शोध पद्धति:** इस अध्ययन में भूस्खलन के दौरान मलबे के **प्रवाह पथ, गति, दाब और सामग्री संचयन पर निगरानी** रखने के लिये उन्नत रन-आउट मॉडलिंग तथा रैपिड मास मूवमेंट सिमुलेशन (RAMMS) का उपयोग किया गया।
  - ❖ **रनआउट विश्लेषण का उपयोग मलबे के प्रवाह, चट्टान के खिसकने से होने वाले हिमस्खलन** तथा भराव एवं **खनन अपशिष्ट की विफलताओं** सहित तीव्र भूस्खलन के विरुद्ध जोखिम का आकलन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

करने तथा संबंधित उपाय तैयार करने के लिये किया जाता है।

- RAMMS के तहत **प्राकृतिक जोखिम प्रक्रियाओं का मूल्यांकन** किया जाता है और उपयोगकर्त्ता-अनुकूल **ग्राफिकल इंटरफेस के माध्यम से सुरक्षात्मक उपायों** का आकलन किया जाता है।

- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - **मलबे का संचय:** ढलान के **निचले क्षेत्र** में काफी अधिक मलबे का संचय देखा गया, जिससे **निचले क्षेत्र में भविष्य में खतरा** पैदा हो सकता है।
  - **भेद्यता मानचित्रण:** विस्तृत **भेद्यता मानचित्र** (जिसमें रन-आउट पथ भी शामिल हैं) **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा विनाश एवं जीवन की हानि को न्यूनतम करने** के लिये निम्न क्षेत्रों में अनावश्यक विकास को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **ऐतिहासिक संदर्भ:** वायनाड में वर्ष 2024 के मलबा प्रवाह का मार्ग पिछली घटनाओं **की तरह था, जिसमें वर्ष 1984** में हुआ घातक भूस्खलन तथा **वर्ष 2019 में हुआ एक छोटा भूस्खलन** शामिल है।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ:** इस अध्ययन में **वर्षा और मृदा नमी निगरानी स्टेशनों के लिये** प्रारंभिक चेतावनी सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे जीवन बचाने के लिये निकासी एवं सुरक्षा उपायों के लिये समय पर चेतावनी दी जा सके।

वायनाड भूस्खलन

- वायनाड का भू-भाग **कठोर चट्टानों के ऊपर मृदा की परत** से बना है। भारी **वर्षा से मृदा** नम हो जाने से **चट्टानों के साथ उसका बंधन कमज़ोर** हो जाता है और **भूस्खलन** की घटना होती है।
- हाल ही में **अरब सागर** में तापमान वृद्धि से **पश्चिमी घाट** में **गहरे बादल** छाने के साथ अत्यधिक **वर्षा हुई है,** जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया।
- जलवायु परिवर्तन से **वर्षा-क्षेत्र का भी स्थानांतरण** हुआ है, **जिसके कारण** वायनाड जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक **संवहनीय वर्षा** हो रही है।
  - संवहनीय वर्षा तब होती है जब **गर्म वायु जलवाष्प के साथ ऊपर उठती है और अधिक ऊँचाई पर संघनित** होती है।

भूस्खलन क्या है?

- **भूस्खलन:** भूस्खलन का आशय ढलान पर **चट्टान, मृदा और मलबे का नीचे की ओर खिसकना** है, जिसका कारण **भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, मानवीय गतिविधियाँ** और भूजल परिवर्तन है।

प्रकार:

- **स्लाइड्स: खुरदुरी सतह** पर मलबा संचलन, जिसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल स्लाइड्स शामिल हैं।
- **प्रवाह:** जल में मिश्रित मृदा या चट्टान का **तरल पदार्थ की तरह बहना,** जैसे मलबा प्रवाह, कीचड़ और प्रवाह।
- **फैलाव:** मलबा का **पार्श्व विस्तार।**
- **टॉपल (Topples):** ऊर्ध्वाधर या लगभग ऊर्ध्वाधर ढलान से मलबा का **फॉरवर्ड रोटेशन या मुक्त रूप से गिरना।**
- **फॉल्स: मलबा** का किसी खड़ी ढलान या चट्टान से अलग होना या मुक्त रूप से गिरना।

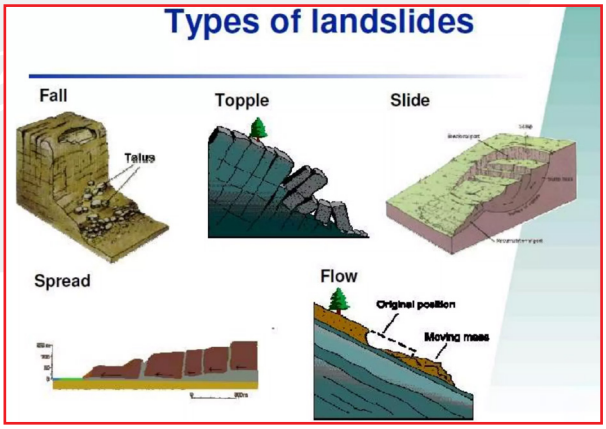

- **भूस्खलन प्रवण क्षेत्र: भारत के भूस्खलन एटलस** के अनुसार, लगभग **0.42 मिलियन वर्ग किमी (भूमि क्षेत्र का 12.6%)** क्षेत्र भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है, जिसमें **उत्तर पूर्व**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

हिमालय में 0.18 मिलियन वर्ग किमी, उत्तर पश्चिम हिमालय में 0.14 मिलियन वर्ग किमी, पश्चिमी घाट और **कोंकण पहाड़ियों में 0.09 मिलियन वर्ग किमी** तथा आंध्र प्रदेश के **पूर्वी घाट में 0.01 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र** शामिल है।

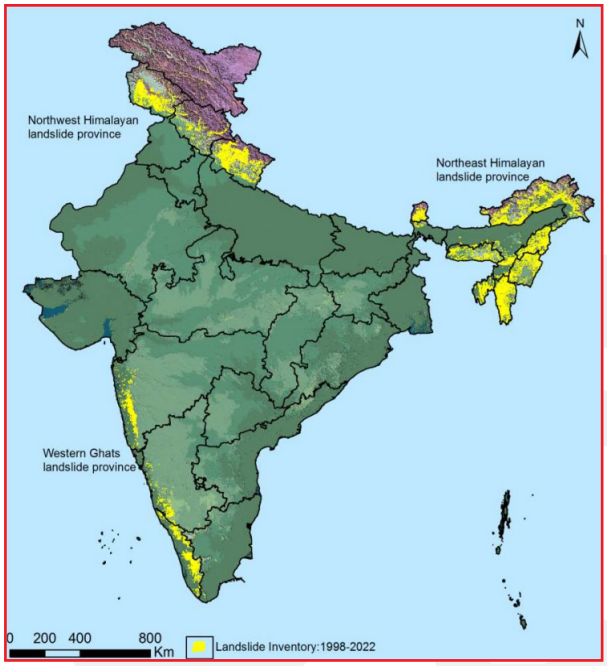

कारण:

- **गुरुत्वाकर्षण बल:** जब **गुरुत्वाकर्षण बल चट्टानों, रेत, गाद और मृदा** जैसी सामग्रियों पर काबू पा लेता है, **तो ढाल ढह जाती है,** जिससे ये सामग्रियाँ नीचे की ओर खिसकने लगती हैं।
- **प्राकृतिक कारक:**
  - **वर्षा:** भारी या **निरंतर वर्षा से मृदा आर्द्रता बढ़ जाती है,** संसंजन कमज़ोर हो जाता है, तथा ढालों पर भार बढ़ जाता है, जिससे उनके विघटित होने की संभावना बढ़ जाती है।
  - **भूकंप:** भूकंप ज़मीन में कंपन करने और भू-पदार्थों को कमज़ोर करके **ढालों को अस्थिर कर देते हैं, विशेष रूप से हिमालय** जैसे **विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में।**
  - **जल विज्ञान संबंधी कारक:** छिद्रयुक्त पदार्थों से जल का स्राव दबाव को बढ़ाता है और ढाल को कमज़ोर करता है।
- **मानवजनित कारक: वनोन्मूलन** से वनस्पति एवं वृक्षों की जड़ें नष्ट हो जाती हैं, जो **सुदृढ़ीकरण और जल निकासी प्रदान करती हैं, जिससे ढाल अस्थिर हो जाते हैं।**
  - **खनन, सड़क निर्माण और शहरी विकास** प्राकृतिक जल निकासी एवं भार वितरण को बाधित करते हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
- **भूवैज्ञानिक कारक: सामग्री संरचना, अवसंरचना और अपक्षय** जैसे भूवैज्ञानिक कारक ढाल की स्थिरता को प्रभावित करते हैं।
  - पश्चिमी **घाट की तीक्ष्ण, दोहरी परत वाली भूमि के** कारण जब वर्षा का जल मृदा को भिगो देता है, तो भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है, जिससे भार बढ़ जाता है और स्थिरता कम हो जाती है।

हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन पश्चिमी घाट में भूस्खलन से किस प्रकार भिन्न है?

कारण	हिमालय	पश्चिमी घाट
ढाल और भूभाग	उच्च ऊँचाई, अस्थिर ढालों के साथ **तीक्ष्ण, उत्खात स्थल।**	कम तीव्र एवं **अधिक मंद ढाल,** जिससे भूस्खलन का खतरा कम हो जाता है।
विवर्तनिक गतिविधि	**भारतीय और यूरेशियन प्लेटों** के टकराव के कारण **अत्यधिक विवर्तनिकी रूप से सक्रिय क्षेत्र,** जिससे भूकंप आते हैं।	कम विवर्तनिक गतिविधि, **न्यूनतम भूकंप-प्रेरित भूस्खलन।**
वर्षा और हिम का पिघलना	**भारी मानसूनी वर्षा और ग्लेशियरों से** तीव्रता से हिम के पिघलने के कारण मृदा संतृप्ति और अस्थिरता बढ़ रही है।	**मानसून के दौरान भारी वर्षा हुई,** लेकिन हिम नहीं पिघली, जिससे भूस्खलन की घटनाएँ कम हुईं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

मृदा एवं चट्टान अवसंरचना	**असंगठित मलबा** (स्क्री, हिमोढ़) और विस्थापन की संभावना वाली कमज़ोर चट्टानी संरचनाएँ।	अधिक **स्थिर मृदा और चट्टानी प्रकार,** भूस्खलन की घटनाओं में कमी।
वनोन्मूलन	कृषि, लकड़ी और ईंधन के लिये **वनोन्मूलन की उच्च दर, मृदा की एकजुटता को कमज़ोर कर रही है।**	हिमालय की तुलना में **वनोन्मूलन कम है, हालाँकि यह अभी भी चिंता का विषय है।**

भूस्खलन के प्रभाव क्या हैं?

- **मानव जीवन और सुरक्षा:** तेज़ी से होने वाले भूस्खलन विशेष रूप से **घातक होते हैं, और धीमी गति से होने वाले भूस्खलन, हालाँकि कम घातक होते हैं, फिर भी समय के साथ संपत्ति** को काफी नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- **बुनियादी ढाँचे को नुकसान: सड़कें, रेल लाइनें, पाइपलाइनें और संचार लाइनें** अवरुद्ध हो सकती हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे आवश्यक सेवाएँ बाधित हो सकती हैं।
- भूस्खलन से **घर जमींदोज़ हो सकते हैं,** जिससे जान-माल की हानि हो सकती है।
  - भूस्खलन से जलधाराएँ अवरुद्ध हो सकती हैं, **जिससे** मलबे का बाँध बन सकता है। यदि बाँध टूट जाता है, तो इससे **नीचे की ओर बाढ़** आ सकती है, जिससे नुकसान और बढ़ सकता है।
- **आर्थिक नुकसान: क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे की मरम्मत** और **मानवीय सहायता प्रदान करना** महंगा हो सकता है। भूस्खलन **स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी बाधित करता है, मूलत: कृषि और पर्यटन पर निर्भर क्षेत्रों** में।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** भूस्खलन से **पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है, जिससे मृदा स्थिरता और वनस्पति** प्रभावित होती है, जिससे अपरदन और मृदा अपरदन बढ़ सकता है।

भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिये सरकार की क्या पहल हैं?

- **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (वर्ष 2019):** यह एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें **संकट का मानचित्रण, निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी, जागरूकता, क्षमता निर्माण,** नीतियाँ और स्थिरीकरण शामिल हैं।
- **भूस्खलन जोखिम शमन योजना (LRMS):** इसका उद्देश्य संवेदनशील राज्यों में **भूस्खलन शमन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें रोकथाम, शमन और** गंभीर भूस्खलन पर अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण योजना (FRMS):** इस योजना में बहुउद्देशीय **बाढ़ आश्रयों और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिये पायलट परियोजनाएं शामिल हैं,** जिनमें डिजिटल मानचित्रों के साथ ग्रामीणों को निकासी के लिये सचेत करना शामिल है।
- **भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश: NDMA के दिशानिर्देशों में खतरे का आकलन, जोखिम प्रबंधन,** संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय, संस्थागत तंत्र, वित्तीय व्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी शामिल हैं।
- **भारत का भूस्खलन एटलस: इसरो** के अधीन **NRSC** द्वारा निर्मित, यह संवेदनशील क्षेत्रों में **भूस्खलन की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, क्षति का आकलन करता है और भारत में भूस्खलन पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।**

भूस्खलन संभावित पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिये समितियाँ

- **पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, 2011 (अध्यक्ष: माधव गाडगिल):** संपूर्ण पश्चिमी घाट को **पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)** घोषित किया जाना चाहिये तथा श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में विकास पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
  - पश्चिमी घाट को **ESA 1, 2 और 3 में वर्गीकृत करना, जिसमें ESA-1 को** उच्च प्राथमिकता दी गई है, जहाँ लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं।
  - **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के तहत एक **वैधानिक प्राधिकरण के रूप में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण (WGEA) का** गठन किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इस रिपोर्ट की यह कहकर **आलोचना की गई** कि यह **पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूल है** तथा ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाती।
- **कस्तूरीरंगन समिति, 2013:** पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के बजाय, कुल क्षेत्रफल का **केवल 37% ही ESA के अंतर्गत लाया जाना चाहिये।**
  - ESA में **खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, किसी भी ताप विद्युत परियोजना की** गैर अनुमति तथा **जल विद्युत परियोजनाओं को विस्तृत अध्ययन** के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

भूस्खलन संबंधी खतरों को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **इंजीनियरिंग समाधान:**
  - **ढाल स्थिरीकरण:** मृदा और चट्टान के संचलन को रोकने के लिये **रिटेनिंग दीवारों, रॉक बोल्ट (Rock Bolts), मिट्टी की कीलों आदि का** उपयोग किया जाता है।
    - प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके ढालों को स्थिर करने के लिये पौधों को इंजीनियरिंग विधियों, जैसे **ब्रश लेयरिंग और लाइव क्रिब दीवारों के साथ संयोजित करना।**
  - **ग्रेडिंग और टेरेसिंग: ढाल और प्रवणता को संशोधित करने से** अस्थिरता कम हो सकती है, जबकि **टेरेसिंग से** तीक्ष्ण क्षेत्रों पर **समतल सतह** निर्माण की जा सकती है।
  - **जल निकासी प्रणालियाँ:** जल प्रवाह को नियंत्रित करने होल्स के दबाव को कम करने और मृदा के सामर्थ्य को बनाए रखने के लिये **जलधारा, पाइप या पुलिया** स्थापित करती हैं।
  - **मृदा सुदृढ़ीकरण:** ढालों को सुदृढ़ करने, स्थिरता बढ़ाने और भूस्खलन को रोकने के लिये भू-तकनीकी सामग्रियों जैसे **जियोटेक्सटाइल्स और जियोग्रिड का उपयोग किया जाता है।**
- **प्राकृतिक समाधान:**
  - **वनस्पति नियंत्रण: वृक्ष, झाड़ियाँ और घास** लगाने से मृदा बंध जाती है, अतिरिक्त जल सोख लिया जाता है, अपरदन कम होता है, तथा वर्षा के जल को रोककर भूस्खलन का जोखिम कम होता है।
    - जैविक या अकार्बनिक **मल्च मृदा आर्द्रता को बरकरार रखता है,** अपरदन को रोकता है, और वर्षा के प्रभाव को कम करके ढालों को स्थिर करता है।
  - **जल प्रबंधन: कंटूरिंग और वर्षा उद्यान** जैसी तकनीकें जल अपवाह को धीमा करती हैं, अंत:स्यंदन को बढ़ावा देती हैं, तथा ढाल की अस्थिरता को कम करती हैं।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ: ढाल की स्थिरता को** मापने और पूर्व चेतावनी देने के लिये **इनक्लिनोमीटर** जैसे उपकरण स्थापित करना।
  - **वर्षा की तीव्रता** और **संचयी वर्षा** की निगरानी से भूस्खलन के कारणों की पहचान करने में सहायता मिलती है।
  - **LiDAR और उपग्रह इमेजरी** जैसी प्रौद्योगिकियाँ भू-संचलन और सतह में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाती हैं, जो संभावित भूस्खलन का संकेत देती हैं।
- **सर्वोत्तम भूमि उपयोग पद्धतियाँ: ढालों में परिवर्तन से बचना, अभेद्य सतहों को सीमित करना,** उचित जल निकासी प्रणालियों को डिज़ाईन करना, तथा अपरदन नियंत्रण उपायों को लागू करना ढालों को स्थिर करने और अपवाह को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

- वायनाड जैसे **संवेदनशील क्षेत्रों** में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिये **बेहतर आपदा प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता** है। भूस्खलन संबंधी खतरों को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित वर्षा की चरम स्थितियों के विरुद्ध लचीलापन बढ़ाने के लिये **इंजीनियरिंग समाधान, प्राकृतिक विधियाँ, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली** और प्रभावी **भूमि उपयोग संबंधी प्रथाएँ** आवश्यक हैं।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में भूस्खलन के कारणों और प्रभावों पर चर्चा कीजिये। आपदा प्रबंधन रणनीतियों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नोट:

कृषि

DILRMP एवं भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण

चर्चा में क्यों? कृषि

वर्ष 2024 तक **98.5% ग्रामीण भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण** कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।

- यह उपलब्धि वर्ष 2008 में शुरू किए गए **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम** का हिस्सा है जिसका उद्देश्य **कृषि भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल तथा आधुनिक** बनाना है ताकि इसकी पहुँच में सुधार होने के साथ इससे संबंधित विवादों में कमी आ सके।

नोट:

- **गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (SVAMITVA) योजना, आवासीय क्षेत्रों से संबंधित भू-अभिलेख** तैयार करने से संबंधित है, जिसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों का समाधान करना, **ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों के आधार पर बैंक ऋण लेने में मदद करना** तथा ग्राम पंचायतों को विकास योजना बनाने तथा संपत्ति कर एकत्र करने में सहायता करना है।

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) क्या है?

- **राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP)** को वर्ष 2016 में पुन: आरंभ किया गया और इसका नाम बदलकर **डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) कर** दिया गया, जो केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषण वाली एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।
  - NLRMP एक **केंद्र प्रायोजित योजना** थी जिसे वर्ष 2008 में देश में भूमि अभिलेख प्रणाली का आधुनिकीकरण करने तथा स्वामित्व गारंटी के साथ **निर्णायक भूमि-स्वामित्व प्रणाली** को लागू करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

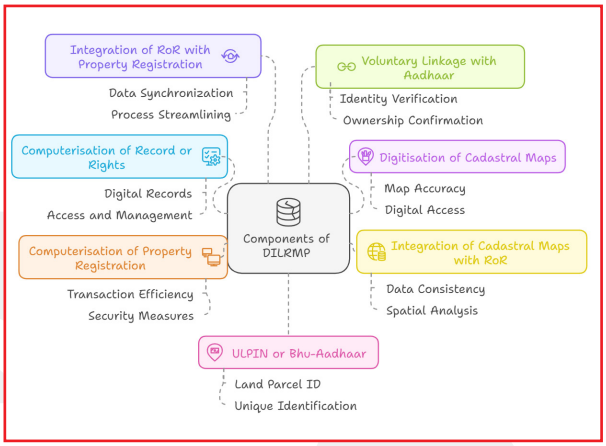

- **DILRMP के अंतर्गत प्रमुख पहल:**
  - **विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN):** ULPIN या "**भू-आधार**" **प्रत्येक भूमि पार्सल के लिये** उसके भू-निर्देशांक के आधार पर 14 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है।
    - 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित यह योजना **रियल एस्टेट लेन-देन को सुव्यवस्थित करने,** संपत्ति विवादों को सुलझाने एवं आपदा प्रबंधन प्रयासों में सुधार करने में सहायक है।
- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS):** NGDRS या ई-पंजीकरण द्वारा देश भर में विलेख/दस्तावेज़ पंजीकरण के लिये **एक समान प्रक्रिया** प्रदान की गई है **जिससे ऑनलाइन प्रविष्टि, भुगतान, नियुक्तियाँ एवं दस्तावेज़ खोज** की सुविधा मिलती है।
  - अब तक 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अपनाया है तथा 12 अन्य ने राष्ट्रीय पोर्टल के साथ डेटा साझा किया है।
  - **ई-न्यायालय एकीकरण:** भू-अभिलेखों को ई-न्यायालय से जोड़ने का **उद्देश्य न्यायपालिका को प्रामाणिक भूमि**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

संबंधी जानकारी प्रदान करना, मामलों के त्वरित समाधान में सहायता करना और भूमि विवादों को कम करना है। 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकरण को मंजूरी दे दी गई है।

- **भू-अभिलेखों का लिप्यंतरण:** भू-अभिलेखों तक पहुँचने में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये, यह कार्यक्रम भूमि दस्तावेज़ों को **भारतीय संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध 22 भाषाओं** में से किसी एक में लिप्यंतरित कर रहा है।
- यह योजना 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही प्रयोग में है।
- **भूमि सम्मान:** इस पहल के तहत, 16 राज्यों के 168 ज़िलों ने भूमि रिकॉर्ड कंप्यूटरीकरण और मानचित्र डिजिटलीकरण सहित कार्यक्रम के 99% से अधिक **मुख्य घटकों को पूरा करने के लिये "प्लैटिनम ग्रेडिंग"** हासिल की है।

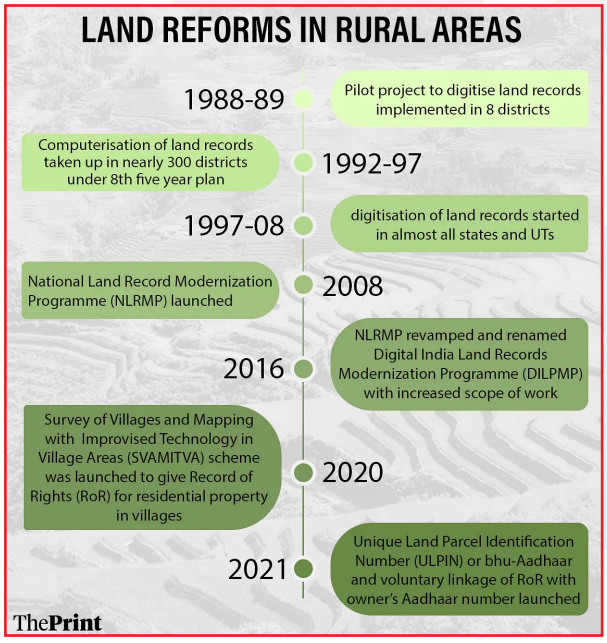

भारत को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता क्यों है?

- **परिचय:**
  - भूमि भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** के अनुसार, **भारत का 45% से अधिक कार्यबल कृषि** में कार्यरत है, जिसके लिये एक आधुनिक और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है।
  - वर्ष 2008 में सरकार ने **NLRMP** शुरू किया, जिसका नाम वर्ष 2016 में DILRMP रखा गया।
- **डिजिटल भू-अभिलेखों की आवश्यकता:**
  - **समानता सुनिश्चित करना:** पारदर्शी भू-अभिलेखों से निष्पक्ष भूमि सुधार संभव होता है, जिससे **भूमिहीनों और हाशिये** पर पड़े लोगों को लाभ मिलता है।
  - वे **महिलाओं और कमज़ोर समूहों** को उनके भूमि अधिकारों और संबंधित सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके सशक्त बनाते हैं।
  - **मुकदमेबाज़ी को कम करना:** भारत में भूमि विवाद **न्यायालयी मामलों में प्रमुख स्थान** रखते हैं, जिनमें **समय और धन दोनों खर्च** होते है। पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन स्पष्ट, **सरकार समर्थित स्वामित्व अधिकार** सुनिश्चित करके **विवादों को कम** कर सकता है।
  - **विकास को बढ़ावा देना:** निवेश और विकास के लिये भूमि एक महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति है। सुव्यवस्थित भूमि अभिलेख प्रणालियाँ **लेन-देन के जोखिम को कम** करती हैं, निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, तथा **भूस्वामियों को ऋण और बीमा के लिये स्वामित्व का लाभ उठाने में सहायता** करती हैं।
  - **पारदर्शिता में सुधार:** भारत के भू-अभिलेख प्राय: **पुराने और बिखरे** हुए हैं। उन्हें **डिजिटल बनाने और स्थानिक तथा आधार** जैसे अन्य डेटाबेस के साथ एकीकृत करने से सटीकता और पहुँच में वृद्धि हो सकती है, साथ ही **बेनामी संपत्तियों** की समस्या का समाधान भी हो सकता है।
- **DILRMP (भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण) के लाभ:**
  - **भू-अभिलेखों की गुणवत्ता में सुधार:** DILRMP भूमि स्वामित्व और संव्यवहार अभिलेखों को **डिजिटल बनाता है तथा उन्हें अद्यतन करता है, जिससे** सटीकता,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिये उन्हें **ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके।**

- **मुकदमेबाजी और धोखाधड़ी में कमी:** DILRMP का उद्देश्य **सरकार समर्थित गारंटी के साथ एक निर्णायक भूमि-शीर्षक प्रणाली स्थापित करना**, निर्विवाद स्वामित्व सुनिश्चित करना, शीर्षक दोषों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति, और भारत में भूमि विवादों एवं धोखाधड़ी में कमी लाना है।
- **वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देना:** DILRMP **कुशल भूमि बाज़ार की सुविधा प्रदान करता है, लेन-देन के जोखिम को कम करता है**, भूमि स्वामित्व का उपयोग करके ऋण तक पहुँच को सक्षम बनाता है, साथ ही कृषि, बुनियादी ढाँचे और आवास में निवेश, औद्योगीकरण एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है।

टिप्पणी:
उत्तर **प्रदेश सरकार ने** अपने भू-अभिलेख पोर्टल, **यूपी भूलेख पर एक सुविधा आरंभ की है,** जो ग्रामीण क्षेत्रों में **भूमि के बदले लिये गए बैंक ऋण** के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **भाषा और बोली संबंधी बाधाएँ:** भारत की **भाषाई विविधता** ग्रामीण आबादी की **डिजिटलीकरण की समझ में बाधा उत्पन्न कर सकती है**, क्योंकि किसान और भूस्वामी अपनी **मूल भाषाओं में उपलब्ध न होने वाली डिजिटल प्रणालियों से जूझते हैं,** जिससे भ्रम और विरोध की भावना उत्पन्न होती है।
- **सामुदायिक शेयरधारिता:** कई **पूर्वोत्तर राज्यों में,** समुदाय-आधारित भूमि स्वामित्व भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और मानकीकरण को जटिल बना देता है, क्योंकि **पारंपरिक प्रथाएँ अक्सर** औपचारिक स्वामित्व प्रणालियों के साथ मतभेद उत्पन्न करती हैं, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं।
- **जागरूकता का अभाव:** DILRMP भूमि मालिकों, खरीदारों, विक्रेताओं और किरायेदारों जैसे **हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है, लेकिन इनके बीच इसके लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव है।**
- **भू-अभिलेखों की गुणवत्ता:** अस्पष्ट भूमि शीर्षक और पुराने भूकर मानचित्र सटीक अभिलेखों में बाधा डालते हैं, जिन पर **नीति आयोग** ज़ोर देता है, ये प्रभावी योजना और संपत्ति अधिकारों की स्पष्टता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **भूकर मानचित्रों में प्राय: परिवारों या गाँवों के बीच भूमि का विभाजन** नहीं दिखाया जाता, क्योंकि स्वामित्व में हुए परिवर्तनों को राजस्व अभिलेखों में अद्यतन नहीं किया जाता, जिससे व्यापक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **भूमि प्रबंधन प्रणालियों की जटिलता:** भारत की जटिल भूमि प्रबंधन प्रणालियाँ, जिसमें अनेक विभाग और विनियमन शामिल हैं, निर्बाध डिजिटलीकरण और हितधारकों के संरेखण में बाधा डालती हैं।
- **संसाधनों की कमी:** DILRMP को **अपर्याप्त धन, कर्मचारियों, बुनियादी ढाँचे के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,** भू-अभिलेखों को प्रभावी ढंग से आधुनिक बनाने के लिये संसाधनों और **क्षमता निर्माण में वृद्धि की आवश्यकता है।**

आगे की राह

- **भू-अभिलेखों का एकीकरण:** भूमि संबंधी सेवाओं तक निर्बाध पहुँच के लिये **भू-अभिलेखों को संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान और सरकारी सब्सिडी से जोड़ने वाला** एक एकीकृत मंच विकसित करना।
- **अभिलेखों का अद्यतनीकरण:** नियमित ऑडिट और ड्रोन तथा उपग्रह इमेजरी के साथ प्रौद्योगिकी-संचालित मानचित्रण के माध्यम से **सटीक और अद्यतन भूमि अभिलेख** सुनिश्चित करना।
  - **समुदाय-आधारित पहल के माध्यम से भू-अभिलेखों के सर्वेक्षण और अद्यतनीकरण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना,** जहाँ निवासी भूमि की सीमाओं और स्वामित्व को सत्यापित करने, सटीकता सुनिश्चित करने तथा विवादों को कम करने में योगदान करते हैं।
- **जन जागरूकता अभियान:** स्थानीय मीडिया, सामुदायिक बैठकों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

किसानों और भूमि मालिकों को ULPIN लाभों और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तक पहुँच हेतु शिक्षित करना।

- **विवाद समाधान तंत्र:** भारत में सभी दीवानी मामलों में से लगभग **दो-तिहाई मामले** भूमि और संपत्ति से संबंधित होते हैं।
- **समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करके** भूमि विवादों को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से हल करना, जहाँ प्रभावित पक्ष शिकायतें प्रस्तुत कर सकें और उनकी समाधान प्रक्रिया पर नज़र रख सकें।
- **नीतिगत ढाँचा:** एक व्यापक नीतिगत ढाँचा विकसित करना, जो भूमि प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के एकीकरण का समर्थन तथा स्थानीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करता हो।
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन में उपयोगकर्त्ता अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना, जो महिलाओं और हाशिये के समुदायों सहित सभी जनसांख्यिकी के लिये सहज और सुलभ हों।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** प्रौद्योगिकी विकास और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिये सरकारी एजेंसियों और निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
  - भूमि डिजिटलीकरण के संबंध में आउटरीच और शिक्षा प्रयासों में सहायता के लिये ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करना।
- **अनुसंधान एवं विकास:** नवीन प्रौद्योगिकियों (जैसे, सुरक्षित भूमि लेनदेन के लिये ब्लॉकचेन) की खोज हेतु अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना, जिससे भू-अभिलेखों की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता में वृद्धि हो सके।
  - डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग में प्रभावी दक्षता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी अधिकारियों और भूमि अभिलेख अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण से संबंधित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?

MSP को वैधानिक बनाने की किसानों की मांग

चर्चा में क्यों?

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा हाल ही में प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत न करने एवं उनकी शिकायतों का समाधान न करने के लिये केंद्र सरकार की आलोचना की गई।

- न्यायालय ने केंद्र से **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** के लिये विधिक गारंटी की मांग वाली नई याचिका पर जवाब देते हुए किसानों की मांगों पर विचार करने का आग्रह किया।
- **यह घटनाक्रम पंजाब-हरियाणा सीमा** पर किसान समूहों द्वारा लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन से संबंधित है।

MSP गारंटी से संबंधित याचिका क्या है?

- **याचिका: इसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने** के बाद **वर्ष 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन** के दौरान किए गए वादों के आधार पर फसलों पर MSP हेतु विधिक गारंटी की मांग की गई।
  - इस याचिका में मांग की गई है कि कृषि उत्पादकों के लिये **स्थिर आय सुनिश्चित करने के क्रम में MSP को विधिक अधिकार** के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये।
- **सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:** सर्वोच्च न्यायालय ने कोई प्रत्यक्ष आदेश जारी न करते हुए, इस मुद्दे को सुलझाने के लिये **उच्चाधिकार प्राप्त समिति** का उपयोग करने का सुझाव दिया तथा इस संदर्भ में केंद्र से तुरंत जवाब देने को कहा।
  - इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी से चल रहे विरोध प्रदर्शनों को विधिक बल मिलने के साथ अधिक व्यवस्थित तथा विधिक समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का क्या कारण है?

- **किसानों के विरोध प्रदर्शन का कारण:** यह विरोध प्रदर्शन **भारत के वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण** से संबंधित लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से प्रेरित है, जिसमें कृषि की तुलना में औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इससे ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ किसान कम फसल लाभ एवं बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं) में संकट बढ़ रहा है।
  - यद्यपि **सरकार कई फसलों के लिये MSP** निर्धारित करती है लेकिन इसका क्रियान्वयन सीमित है तथा इसके तहत खरीद ज्यादातर चावल एवं गेहूँ की ही होती है।
    - किसान (विशेषकर **गैर-प्रमुख फसल क्षेत्रों के संदर्भ में**) अक्सर उत्पादन लागत से कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं।
  - **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के समझौते (जिन्हें प्राय: **मुक्त व्यापार को बढ़ावा** देने वाले समझौतों के रूप में देखा जाता है), **व्यापार प्रतिबंध लगाने या किसानों को सब्सिडी प्रदान करने की भारत की क्षमता** को सीमित करते हैं।
    - प्रदर्शनकारियों के अनुसार, इससे किसानों के लिये खरीद नीतियों एवं सब्सिडी को नियंत्रित करने की भारत की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।
- **किसानों की प्रमुख मांगें:** प्राथमिक मांग एक ऐसे कानून की है जो सभी फसलों के लिये MSP की गारंटी देता है।
  - यह **स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट** पर आधारित है, जिसमें **'C2+50%' फार्मूले** का उपयोग करते हुए उत्पादन लागत पर 50% लाभ मार्जिन की सिफारिश की गई है।
    - **व्यापक लागत (C2)** में **सभी भुगतान किये गए व्यय,** अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य, किराया, तथा स्वामित्व वाली भूमि और स्थायी पूंजी पर छोड़ा गया ब्याज शामिल है।
    - जबकि **MSP वर्तमान में A2+FL से 50% अधिक निर्धारित है,** जिसमें भुगतान किये गए व्यय और अवैतनिक पारिवारिक श्रम शामिल हैं।
  - **अन्य प्रमुख मांगें: किसानों और मजदूरों के लिये पूर्ण ऋण माफी।** किसानों के लिये मुआवज़ा और पेंशन, विशेष रूप से विरोध प्रदर्शन या कृषि संकट से प्रभावित किसानों के लिये।
    - कृषि श्रमिकों के लिये बेहतर कार्य स्थितियाँ और मज़दूरी।
    - भूमि और जल पर **स्वदेशी लोगों के अधिकारों** का संरक्षण।
- **सरकार का दृष्टिकोण:** केंद्र सरकार ने बार-बार कहा है कि **MSP के लिये कानूनी गारंटी देना अव्यवहारिक होगा,** क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक चुनौतियाँ और खरीद की उच्च लागत शामिल है।
  - सरकार ऐसी नीति के आर्थिक प्रभावों को लेकर भी चिंतित है, जिसमें **खाद्य मुद्रास्फीति** और **बजटीय बाधाएँ** शामिल हैं।

MSP के वैधता के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

- **MSP के वैधता के पक्ष में तर्क:**
  - **किसानों की परेशानी का समाधान:** MSP को वैध बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि **किसानों को उनकी फसलों के लिये उचित मूल्य मिले,** बाज़ार में उतार-चढ़ाव से होने वाले कम लाभ की समस्या दूर होगी तथा उत्पादन लागत को कवर करके और किसानों के लिये उचित लाभ की गारंटी देकर **वित्तीय सुरक्षा** प्रदान की जाएगी।
    - **भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा 15% से नीचे गिर गया है,** तथा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद **किसानों की आय में न्यूनतम वृद्धि** हुई है।
  - MSP को वैधानिक बनाने से उचित मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि विकास को समर्थन देकर इस अंतर को कम किया जा सकता है।
  - **औपचारिक बाज़ारों को बढ़ावा देना:** MSP को वैध बनाने से **औपचारिक बाज़ार लेनदेन** को बढ़ावा मिलेगा, **अनौपचारिक बाज़ारों** पर निर्भरता कम होगी, तथा **डिजिटल कृषि के माध्यम से पारदर्शिता** बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य के साथ तालमेल हो सकेगा।
  - **स्थिर बाज़ार मूल्य:** MSP को वैध बनाने से कृषि बाज़ार में **मूल्य अस्थिरता कम हो सकती है,** जिससे कृषि आय और उपभोक्ता मूल्य दोनों स्थिर हो सकते हैं।
  - **लागत गणना विधियाँ: लागत गणना की वर्तमान विधियाँ प्राय: कृषि की वास्तविक लागत को दर्शाने में**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विफल रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें किसानों के व्यय से भी कम हो जाती हैं।

- अधिक सटीक मूल्य निर्धारण मॉडल, जैसे कि C2+50% पद्धति, कृषि मूल्यों को अन्य क्षेत्रों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित कर सकती है।

❖ **कृषि निवेश:** MSP को वैध बनाने से **किसानों को पूर्वानुमानित आय प्राप्त होगी,** कृषि में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा **सतत् पद्धतियों और हरित प्रौद्योगिकियों** के माध्यम से उत्पादकता में सुधार होगा।

- **MSP के वैधता के विपक्ष तर्क:**
  - ❖ **तार्किक चुनौतियाँ:** देश भर में सभी फसलों पर MSP लागू करना **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण कठिन है,** जैसे कि **मंडी प्रणाली,** जो कई राज्यों में क्रियाशील नहीं है।
  - ❖ **सरकार के लिये उच्च लागत:** सभी फसलों को **MSP पर खरीदने के लिये अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी,** जिससे बजटीय बाधाएँ और संभावित आर्थिक तनाव बढ़ेगा।
  - ❖ **खाद्य मुद्रास्फीति: MSP के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं,** जिससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे, विशेषकर यदि सरकार को सभी फसलों को MSP पर खरीदने के लिये बाध्य किया जाए।
  - ❖ **बाज़ार में बाधाएँ:** MSP का सांविधिकरण कृषि बाज़ारों में **आपूर्ति और मांग की वर्तमान गतिशीलता को बाधित** कर सकता है, जिससे अकुशलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - ❖ **विश्व व्यापार संगठन की बाधाएँ:** विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते सरकार की **सब्सिडी प्रदान करने या कृषि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने** की क्षमता को सीमित करते हैं, जिससे MSP के सांविधिकरण की प्रभावशीलता कमज़ोर हो सकती है।

देश भर में MSP को वैध बनाने के विकल्प क्या हो सकते हैं?

- **लक्षित दृष्टिकोण:** फसलों के एक छोटे प्रतिशत के लिये MSP के सांविधिकरण से खरीद प्रणाली को प्रभावित किये बिना कीमतों को स्थिर किया जा सकता है।
  - ❖ **इसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)** द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जो MSP और मूल्य न्यूनता भुगतान के माध्यम से किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करता है।
  - ❖ **मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा** जैसे कुछ राज्यों ने खरीद प्रणालियों का सफलतापूर्वक विस्तार किया है।
    - क्षेत्रीय कृषि चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये, राष्ट्रव्यापी स्तर पर MSP को वैध बनाने के बजाय, **स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट कानून** बनाने पर विचार किया जा सकता है।
- **सहकारिता की भूमिका:** एक विकल्प के रूप में **सहकारी समितियों और FPO को बढ़ावा देना, जो दूध उत्पादन** जैसे कुछ क्षेत्रों में सफल रहे हैं।
- **सहायक बुनियादी ढाँचा:** सहकारी समितियों और FPO के लिये एक मज़बूत कानूनी ढाँचा, आधुनिक भंडारण सुविधाएँ एवं बेहतर बुनियादी ढाँचा आवश्यक है।
  - ❖ प्रधानमंत्री **किसान सम्पदा योजना (PMKSY)** बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर तथा **फसल-उपरान्त होने वाले नुकसान को कम करके** इसकी पूर्ति कर सकती है।
- **अनुबंध खेती: किसानों और निगमों** या सहकारी समितियों के बीच अनुबंधों को प्रोत्साहित करना, जहाँ किसान अपनी उपज के लिये गारंटीकृत मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
- **फसल बीमा योजनाएँ: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** जैसी पहलों के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं या बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिये फसल बीमा का विस्तार और सुधार करना।
- **विविधीकरण:** किसानों को अपनी फसलों और आय स्रोतों में विविधता लाने के लिये प्रोत्साहित करना, जिससे कुछ फसलों पर उनकी निर्भरता कम हो सके, जिससे बाज़ार में अस्थिरता आती हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

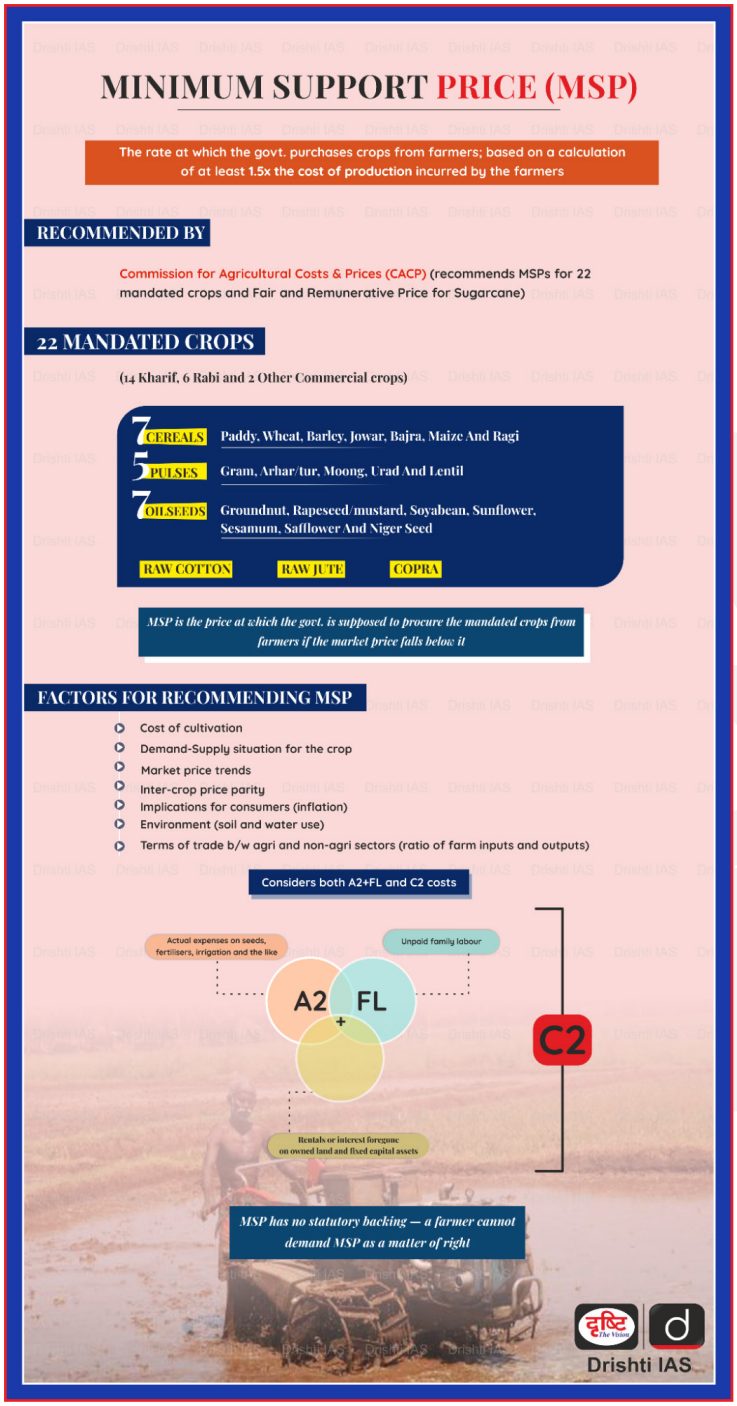

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में सभी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैध बनाने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। क्या इसे कृषि संकट को दूर करने का एक स्थायी समाधान माना जाना चाहिये?

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का 8वाँ संस्करण

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के 8वें संस्करण का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया, जिसमें जैविक कृषि में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में **जैविक कृषि** का निर्यात **20,000 करोड़ रुपए** तक पहुँच सकता है।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम क्या है?

- **परिचय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के तहत **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)** द्वारा वर्ष 2001 में शुरू की गई NPOP का क्रियान्वयन जैविक उत्पादन मानकों एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  - यह जैविक कृषि में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उत्पादन एवं मान्यता के क्रम में NPOP मानकों को **यूरोपीय आयोग** और **स्विट्ज़रलैंड** द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिससे भारतीय जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है।
- **8वें NPOP संस्करण की मुख्य विशेषताएँ:** इस कार्यक्रम में जैविक कृषि को बढ़ावा देने, परिचालन को सुव्यवस्थित करने और वैश्विक जैविक बाज़ार

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

में भारत की स्थिति को मज़बूत करने के उद्देश्य से नई पहलों तथा **तकनीकी प्रगति** पर प्रकाश डाला गया।

- **जैविक उत्पादक समूहों के लिये मान्यता:** इसके तहत सरलीकृत प्रमाणीकरण आवश्यकताएँ, **उत्पादक समूहों को विधिक दर्जा प्रदान करना,** पूर्ववर्ती **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) का स्थान लेना** शामिल हैं, जो समूह प्रमाणीकरण के लिये प्रयुक्त एक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली थी।
- **तकनीकी प्रगति:**
  - **NPOP पोर्टल:** यह जैविक हितधारकों के लिये दृश्यता एवं संचालन में आसानी प्रदान करने पर केंद्रित है।
  - **जैविक संवर्द्धन पोर्टल:** यह किसानों, **किसान उत्पादक संगठनों (FPO)** और निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने के साथ व्यापार संबंधी सुझाव तथा प्रशिक्षण में सहायक है।
  - **ट्रेसनेट 2.0** : यह पारदर्शिता तथा अनुपालन के लिये एक उन्नत प्रणाली है, जो खेत से बाज़ार तक अनुपालन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है जिससे वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिये परिचालन सुव्यवस्थित होता है।
  - **एग्रीएक्सचेंज पोर्टल:** यह डेटा विश्लेषण की सुविधा प्रदान करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों एवं विक्रेताओं को जोड़ता है।

जैविक कृषि क्या है?

- **परिचय:** इस कृषि प्रणाली में कृत्रिम रसायनों की जगह प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करके **मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र एवं लोगों के स्वास्थ्य** को महत्त्व दिया जाता है।
  - यह पारिस्थितिकी चक्रों, जैवविविधता पर निर्भर होने के साथ पर्यावरणीय लाभों तथा निष्पक्ष संबंधों को बढ़ावा देने के लिये **परंपरा, नवाचार और विज्ञान** को जोड़ने पर केंद्रित है।
  - सामान्यत: जैविक कृषि में बाहरी इनपुट से बचा जाता है लेकिन इसमें **जैविक पोषक तत्त्वों** के उपयोग की अनुमति होती है।
- **जैविक कृषि की स्थिति: वैश्विक जैविक कृषि भूमि के मामले में** भारत का स्थान **दूसरा है**।
  - **सिक्किम विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य** बन गया है, पूर्वोत्तर भारत में पारंपरिक रूप से कम रासायनिक उपयोग के साथ जैविक कृषि की जाती रही है।
  - भारत में विश्व में **सबसे अधिक जैविक उत्पादक किसान हैं, जिनकी संख्या 2.3 मिलियन है।**
  - वर्ष 2023-24 तक लगभग **4.5 मिलियन हेक्टेयर** (कुल कृषि भूमि का 2.5%) जैविक प्रमाणीकरण के अधीन है।
    - शीर्ष चार राज्य मध्यप्रदेश (26%), महाराष्ट्र (22%), गुजरात (15%), और राजस्थान (13%) भारत के कुल जैविक कृषि वाले क्षेत्र का लगभग 76% भाग रखते हैं।
- **भारत में प्रमुख जैविक उत्पाद:** भारत से निर्यात किये जाने वाले प्रमुख जैविक उत्पादों में अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल और दालें शामिल हैं। भारत जैविक **कपास उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है।**
- **भारत में जैविक किसानों के प्रकार:**
  - **पारंपरिक जैविक किसान: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसानों** जैसे **कम आगत वाले क्षेत्रों** में स्थित ये किसान, **आमतौर पर बगैर प्रमाणीकरण के,** जैविक कृषि को एक परंपरा के रूप में अपनाते हैं।
  - **प्रतिक्रियाशील जैविक किसान: इन किसानों ने मृदा अपरदन, खाद्य विषाक्तता** और बढ़ती लागत जैसे मुद्दों की प्रतिक्रिया में जैविक प्रथाओं को अपनाया है। इस समूह में प्रमाणित और गैर-प्रमाणित दोनों किसान शामिल हैं।
  - **वाणिज्यिक जैविक किसान:** ये किसान उद्यम बाज़ार के अवसरों एवं **प्रीमियम मूल्यों के लिये जैविक कृषि को अपनाते हैं। जिसमें** अधिकांश प्रमाणित हैं, ये घरेलू एवं वैश्विक दोनों बाज़ारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **भारत में जैविक कृषि का विकास:**
  - **राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (NPOF):** प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और **जैव-उर्वरकों** एवं **जैव-कीटनाशकों जैसे जैविक आगतों के विकास के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2004** में आरंभ की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS):** प्रमाणन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लागत को कम करने के लिये वर्ष 2011 में आरंभ की गई, जिससे किसानों के लिये प्रमाणन अधिक सुलभ हो सके।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PMKVY):** PMKVY को राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन के अंतर्गत आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य किसान समूहों, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और प्रमाणन सहायता के माध्यम से पारंपरिक जैविक कृषि संबंधी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER):** MOVCDNER का ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक कृषि के लिये मूल्य शृंखला निर्माण पर केंद्रित है ताकि किसानों के लिये बाज़ार पहुँच और आय बढ़ाई जा सके।
- **FSSAI जैविक खाद्य पदार्थ विनियमन:** वर्ष 2024 में **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)** और APEDA ने NPOP के अंतर्गत भारत के जैविक नियमों के कार्यान्वयन को मानकीकृत और कारगर बनाने के लिये **भारत जैविक और जैविक भारत लोगो** के स्थान पर **"एकीकृत भारत जैविक" लोगो लॉन्च किया।**

नोट: प्राकृतिक कृषि एक **रसायन मुक्त, पारंपरिक कृषि प्रणाली है** जो फसलों, वृक्षों और पशुधन को जैवविविधता के साथ एकीकृत करती है।

- यह सिंथेटिक रसायनों को बाहर रखते हुए **फार्म बायोमास पुनर्चक्रण,** गोबर-मूत्र निर्माण और मृदा वातन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- प्राकृतिक कृषि का उद्देश्य **खरीदे गए आगतों (जैविक या रासायनिक) पर निर्भरता को कम करना,** इसे लागत प्रभावी बनाना तथा ग्रामीण विकास एवं रोज़गार को बढ़ावा देना है।

Organic Vs Natural Farming

Organic and natural Farming
- Both are non-chemical systems of farming
- Based on diversity, on-farm biomass management and biological nutrient recycling
- Diversity, rotation multiple cropping and resource recycling is key

Organic farming
- Open for use of off-farm organic and biological inputs
- Does not allow Genetically modified seeds or products
- Also open for micronutrient correction through use of minerals
- Widely popular, Global market at 132 billion US$

Natural farming
- No external inputs
- On-farm inputs based on Desi Cow (Jeevamrit, Beejamrit, Ghanajeevamrit)
- Biomass recycling through mulching
- Use of compost/ vermicompost and minerals are not allowed
- Evolving, markets are yet to be developed

भारत में जैविक कृषि के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- **उच्च प्रमाणन लागत:** जैविक प्रमाणन (जैसे, NPOP, PGS) प्राप्त करना महंगा है, जिससे लघु एवं सीमांत किसान हतोत्साहित होते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **यूरोपीय संघ द्वारा PGS को मान्यता न दिये जाने से** NPOP प्रमाणन वाले उत्पादकों की तुलना में भारतीय उत्पादकों की बाज़ार पहुँच सीमित हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **बुनियादी ढाँचे का अभाव:** अपर्याप्त **शीत भंडारण,** प्रसंस्करण सुविधाएँ और आपूर्ति शृंखला बुनियादी ढाँचे के कारण **फसल के बाद नुकसान होता है।**
- **सीमित जागरूकता:** जैविक प्रमाणपत्रों के बारे में जानकारी का अभाव और **"प्राकृतिक" तथा "रसायन मुक्त" जैसे भ्रामक लेबल** उपभोक्ता विश्वास को खत्म करते हैं तथा वास्तविक जैविक उत्पादों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देते हैं।
  - ❖ जैविक उत्पादों को उच्च लागत वाला माना जाता है, जिससे निम्न आय वर्ग के लिये इनका आकर्षण सीमित हो जाता है, जबकि उपभोक्ता शिक्षा का अभाव मांग वृद्धि में बाधा डालता है।
- **कम उत्पादकता :** जैविक कृषि में **प्राय: संक्रमण चरण के दौरान कम उपज** होती है, क्योंकि **उर्वरकों और कीट नियंत्रण एजेंटों जैसे जैविक इनपुट** की उपलब्धता सीमित होती है।
- **बाज़ार तक पहुँच और प्रीमियम मूल्य निर्धारण:** जैविक उत्पादों को **सस्ते पारंपरिक सामानों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना** करना पड़ता है, और छोटे किसानों को **संगठित बाज़ारों तक पहुँचने और प्रीमियम मूल्य अर्जित करने के लिये संघर्ष** करना पड़ता है।
- **वैश्विक व्यापार बाधाएँ:** विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न जैविक मानक और विनियमन जैसी गैर-टैरिफ बाधाएँ निर्यात को जटिल बनाती हैं।
  - ❖ **वर्ष 2021 में अमेरिकी जैविक मान्यता समझौते** जैसे व्यापार समझौतों को वापस लेने से विकास में बाधा आई।
- **जलवायु और कीट चुनौतियाँ:** रासायनिक हस्तक्षेप के सीमित उपयोग के कारण जैविक कृषि जलवायु परिवर्तनशीलता और कीट संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील है।
- **अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशिक्षण का अभाव:** जैविक कृषि की तकनीकों और उपयुक्त फसल किस्मों पर अपर्याप्त अनुसंधान।

आगे की राह

- **प्रमाणन प्रणाली को मज़बूत बनाना: छोटे किसानों के लिये लागत कम करने** के लिये **NPOP और PGS प्रमाणन** को सरल बनाना। दक्षता और पारदर्शिता के लिये प्रमाणन को डिजिटल बनाना।
  - ❖ अकार्बनिक से जैविक कृषि में रूपांतरण के दौरान सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **बाज़ार संपर्क को बढ़ावा देना:** प्रत्यक्ष बाज़ार संपर्क बनाने के लिये FPO और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को मज़बूत करना और जैविक किसानों के लिये खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों और उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिये मंच विकसित करना।
  - ❖ बेहतर दृश्यता और पहुँच के लिये समर्पित जैविक बाज़ार या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्थापित करना।
- **अनुसंधान एवं विकास:** उच्च उपज, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-प्रतिरोधी जैविक फसल किस्मों को विकसित करने के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना। किसानों की सहायता के लिये मृदा की उर्वरता और कीट नियंत्रण के लिये क्षेत्र-विशिष्ट समाधान विकसित करना।
- **उपभोक्ता जागरूकता:** इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिये प्रभावशाली व्यक्तियों और खेल हस्तियों का लाभ उठाना। विश्वास बनाने और जैविक उत्पादों को अलग पहचान दिलाने के लिये एकीकृत इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना।
- **नीतिगत समर्थन:** जैविक किसानों को उपज हानि से बचाने के लिये जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ और बीमा योजनाएँ लागू करना।
  - ❖ उत्पादन और उपभोग दोनों को प्रोत्साहित करने के लिये जैविक उत्पादों के लिये कर प्रोत्साहन या कम **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** दरें प्रदान करना।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में जैविक कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जैविक कृषकों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और उनके समाधान के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय समाज

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार की याचिका खारिज

चर्चा में क्यों?

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** (SC) की 5 सदस्यीय पीठ ने हाल ही में अपने फैसले में अक्तूबर 2023 के फैसले के खिलाफ **समीक्षा याचिकाओं को खारिज** कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध बनाना अस्वीकार किया गया था।

- **अक्तूबर 2023 के फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश** की अध्यक्षता वाली पीठ ने **समलैंगिक विवाहों की संवैधानिक वैधता के खिलाफ** 3:2 बहुमत से फैसला दिया।

समलैंगिक विवाह क्या है?

- **परिचय:**
  - समलैंगिक विवाह से तात्पर्य **सामान लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह** (अर्थात दो पुरुषों के बीच या दो महिलाओं के बीच विवाह) से है।
- **भारत में वैधता:** भारत में **समान लिंग वाले** विवाह को **मान्यता नहीं** दी गई है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 2023:** सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने फैसला सुनाया कि **विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954 समान-लिंग वाले युगलों पर लागू नहीं** होता है और कहा कि इस पर कानून बनाना **संसद** और **राज्य विधानमंडल** का कार्य है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय **संविधान के तहत विवाह करना कोई मूल अधिकार नहीं** है।
  - हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने **समान लिंग वाले युगलों के लिये अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार)** के तहत लिव-इन पार्टनर के समान प्रदत्त समान लाभ प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा है।

समलैंगिक विवाह की मान्यता पर वैश्विक स्थिति

- वर्ष 2024 तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्राँस सहित विश्व के **30 से अधिक देशों ने समलैंगिक विवाह को वैध** कर दिया है।
- नीदरलैंड **वर्ष 2001** में नागरिक विवाह कानून में संशोधन करके **समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला** पहला **देश** था।
- **ताइवान, एशिया का पहला देश था** जिसने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया।
- **ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब एवं ब्रुनेई** जैसे कई देश न केवल समलैंगिक विवाहों पर प्रतिबंध लगाते हैं बल्कि इसके लिये यहाँ मृत्युदंड या शारीरिक दंड सहित **कठोर दंड** का भी प्रावधान है।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA) 1954 क्या है?

- **परिचय:**
  - SMA, 1954 भारत में **विभिन्न धर्मों या जातियों** के बीच विवाह के लिये **विधिक ढाँचा** प्रदान करता है।
  - इसके द्वारा सिविल विवाहों का विनियमन किया जाता है, जहाँ धार्मिक प्राधिकारियों के बजाय **राज्य, विवाह को मान्यता** देता है।
- **प्रयोज्यता:**
  - SMA भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सहित **सभी धर्मों के लोगों पर लागू** होता है।
  - SMA, 1954 के तहत **विदेशी भी भारत में अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं,** यदि दोनों पक्षों के पास वैध पासपोर्ट हों और विवाह नोटिस दाखिल करने से पहले **कम से कम एक पक्ष ने भारत में न्यूनतम 30 दिन तक निवास** किया हो।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **विवाह मान्यता:** यह अधिनियम विवाहों के पंजीकरण, विधिक मान्यता प्रदान करने तथा **उत्तराधिकार, विरासत**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

एवं **सामाजिक सुरक्षा लाभ** जैसे **अधिकार** प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है।

- **नोटिस की आवश्यकता:** धारा 5 के अनुसार, संबंधित पक्षों को ज़िले के **विवाह अधिकारी को लिखित नोटिस देना होगा,** जिसमें कम से कम एक पक्ष नोटिस देने से पहले कम से कम 30 दिनों तक ज़िले में निवास कर रहा हो।
  - धारा 7 के अनुसार नोटिस प्रकाशित होने के **30 दिनों के अंदर विवाह पर आपत्तियाँ** दर्ज़ की जा सकती हैं।
- **आयु सीमा:** SMA के तहत विवाह की न्यूनतम आयु **पुरुषों के लिये 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिये 18 वर्ष** है।

समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क हैं?

- **समानता और मानवाधिकार:** समान लिंग वाले युगलों को विवाह करने के अधिकार से वंचित करना इन्हें द्वितीय श्रेणी का दर्जा **प्रदान करता** है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलनों के तहत **मूल अधिकारों का उल्लंघन** है।
  - UDHR द्वारा विवाह के अधिकार को मूल मानवाधिकार माने जाने के साथ समानता एवं सम्मान पर बल दिया गया है। भारत में कार्यकर्त्ताओं का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) के अनुरूप है।
- **साथ में रहने का मूल अधिकार:** *लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006* और *शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, 2018* जैसे निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने **अनुच्छेद 21** के तहत **साथ में रहने को मूल अधिकार** के रूप में मान्यता दी है, जिससे सरकार पर समान लिंग वाले युगलों के बीच संबंधों को विधिक रूप से मान्यता देने का दबाव पड़ा।
- **विधिक और आर्थिक लाभ:** समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से विवाह से संबंधित **कानूनी एवं आर्थिक लाभ,** उत्तराधिकार अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों तक समान पहुँच मिलती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत:** समलैंगिक विवाह **30 से अधिक देशों में विधिक** है, जो वैश्विक मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप है।

समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क क्या हैं?

- **धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ:** कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूह इस बात पर बल देते हैं कि **विवाह पुरुष तथा महिला के बीच होना चाहिये** तथा उनका तर्क है कि विवाह को पुनर्परिभाषित करना उनके आधारभूत मूल्यों और मान्यताओं को चुनौती देने के समान है।
- **प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध:** कुछ लोग समलैंगिक विवाह का इस आधार पर विरोध करते हैं कि **विवाह का प्राथमिक उद्देश्य संतानोत्पत्ति** (जिसे समलैंगिक युगल पूरा नहीं कर सकते) है, इस प्रकार इससे **प्राकृतिक व्यवस्था का खंडन** होता है।
- **कानूनी और विनियामक चुनौतियाँ:** इससे संबंधित **संभावित कानूनी जटिलताओं के बारे में चिंताएँ** व्यक्त की गई हैं, जैसे कि उत्तराधिकार में आवश्यक समायोजन और संपत्ति कानून, जिसमें जटिल विधिक परिवर्तन शामिल हो सकते हैं।
- **गोद लेने संबंधी मुद्दे:** जब समलैंगिक युगल **बच्चों को गोद** लेने का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें सामाजिक कलंक, भेदभाव का सामना (विशेष रूप से भारतीय समाज में) करना पड़ सकता है तथा इससे बच्चे के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत में LGBTQIA+ और उनके अधिकार

- **LGBTQIA+** एक संक्षिप्त शब्द है जो समलैंगिक (Lesbian/Gay), उभयलिंगी (Bisexual), ट्रांसजेंडर (Transgender), क्वीर (Queer), इंटरसेक्स (Intersex) और अलैंगिक (Asexual) का प्रतिनिधित्व करता है।
- '+' कई **अन्य पहचानों का प्रतिनिधित्व** करता है जिन्हें अभी भी खोजा और समझा जा रहा है। यह परिवर्णी शब्द लगातार विकसित हो रहा है और इसमें गैर-बाइनरी तथा पैनसेक्सुअल जैसे अन्य शब्द भी शामिल हो सकते हैं।
- **भारत में LGBTQIA+ की मान्यता:**
  - **2014:** सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता दी। (**राष्ट्रीय**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, जिसे आमतौर पर NALSA निर्णय के नाम से जाना जाता है)।

- **2018 (नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ):** एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाली **धारा 377** को रद्द कर दिया।
- **2019: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** पारित किया गया, जो कानूनी मान्यता प्रदान करता है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है।
- **2022:** अगस्त 2022 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **समलैंगिक युगलों** और **समलैंगिक संबंधों को शामिल करने** के लिये परिवार की परिभाषा का विस्तार किया।
- **2023:** अक्तूबर 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारत में **समलैंगिक विवाह को वैध** बनाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया।

आगे की राह

- **विधिक सुधार: SMA, 1954** में संशोधन करके **समलैंगिक युगलों** को विषमलैंगिक युगलों के समान अधिकार एवं विधिक लाभ प्रदान किये जा सकेंगे।
- वैकल्पिक रूप से समलैंगिक व्यक्तियों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करने के क्रम में **अनुबंध-आधारित समझौते** शुरू किये जा सकते हैं।
- **संवाद एवं सहभागिता: धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्वकर्त्ताओं** के साथ सहभागिता करने से पारंपरिक मान्यताओं एवं समलैंगिक संबंधों पर विकसित दृष्टिकोणों के बीच के अंतराल को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **न्यायिक नेतृत्व में सुधार:** LGBTQIA+ समुदाय समलैंगिक विवाह को प्रतिबंधित करने वाले मौजूदा कानूनों को न्यायालयों में चुनौती दे सकता है, जिससे संभवत: **इसकी मान्यता के लिये कानूनी प्रेरणा** मिल सकती है।
- **सहयोग:** समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिये LGBTQIA+ समुदाय, सरकार, नागरिक समाज एवं धार्मिक नेताओं सहित **सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों** की आवश्यकता है, ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके, जहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त हों।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में समलैंगिक विवाह के वैधीकरण के साथ इससे संबंधित विमर्श पर चर्चा कीजिये। इस मुद्दे में शामिल विधिक तथा सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने का संभावित तरीका क्या हो सकता है?

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

भारतीय इतिहास

सिंधु घाटी लिपि की समझ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने **सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा (सिंधु घाटी) लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले व्यक्ति को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का पुरस्कार देने की घोषणा की।

- इससे हड़प्पा लिपि के सदियों पुराने रहस्य पर प्रकाश पड़ा, जिसका अर्थ समझने के लिये विद्वानों द्वारा 100 से अधिक प्रयास किए गए लेकिन वे सफल नहीं हो सके।

नोट: समझ से तात्पर्य अज्ञात प्रतीकों या लिपियों को पठनीय भाषा में अनुवाद करने की प्रक्रिया से है

सिंधु घाटी लिपि क्या है?

- **परिचय: सिंधु घाटी सभ्यता (2600-1900 ईसा पूर्व)** के दौरान वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रयुक्त सिंधु घाटी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है।
  - इस लिपि की खोज वर्ष 1920 के दशक में **सर जॉन मार्शल के नेतृत्व** में की गई थी। यह **मुहरों, टेराकोटा की पट्टियों एवं धातु** पर अंकित है जिसमें **चित्रलेख** तथा **पशु या मानव आकृतियाँ** हैं।
- **लेखन शैल:** सामान्यत: **दाएँ से बाएँ लिखे गए** लंबे वाक्यों में कभी-कभी **बौस्ट्रोफेडॉन लिपि** (पंक्तियों के बीच दिशाओं का परिवर्तन) का प्रयोग किया गया है।
- **संक्षिप्त लेख:** अधिकांश लेख **छोटे** (औसतन 5 अक्षर) हैं सबसे लंबे ज्ञात टेक्स्ट में **26 प्रतीक** हैं।
  - इसकी संक्षिप्तता के कारण इस बात पर विमर्श है कि क्या यह एक पूर्ण विकसित भाषा की परिचायक है या यह केवल प्रतीकात्मक संकेतन है।
- **लिपि की प्रकृति:** संभवत: एक **लोगोसिलेबिक प्रणाली** (जिसमें चित्रलेखों तथा अक्षरों का संयोजन था) पर आधारित थी, जो अपने समय की अन्य लिपियों के समान थी।
  - इस संदर्भ में विद्वानों ने रिबस सिद्धांत को प्रस्तावित किया है जहाँ प्रतीक अप्रत्यक्ष रूप से ध्वनियों या विचारों के परिचायक हैं।
- उद्देश्य और कार्य: इस लिपि का उपयोग व्यापार, कर अभिलेखों एवं पहचान के लिये किया जाता था लेकिन इसकी भूमिका अभी भी अस्पष्ट है। गुणज, जोड़ एवं स्वास्तिक जैसे कुछ प्रतीकों का शैक्षिक या धार्मिक महत्त्व भी हो सकता है।
  - कुछ लोगों का मानना है कि यह एक अंकन प्रणाली थी, न कि कोई भाषा-आधारित लिपि।
- **इसकी भाषा के बारे में सिद्धांत:**
  - **द्रविड़ परिकल्पना:** यह **असको परपोला** और भारतीय शोधकर्त्ता **इरावतम महादेवन** द्वारा समर्थित है।
    - इसमें दावा किया गया है कि इस लिपि का आधार **द्रविड़** है एवं इसका संबंध प्राचीन तमिल से है।
    - **उदाहरण:** परपोला का सुझाव है कि सिंधु लिपि में 'मछली' का प्रतीक **"मीन" का परिचायक** है जिसका **द्रविड़ भाषाओं में अर्थ "मछली" और "तारा"** दोनों ही होता है, जो पुरानी तमिल शब्दावली के अनुरूप है।
      - ऐसा माना जाता है कि कुछ 'संख्या + मछली' अनुक्रम द्वारा तारा समूहों को संदर्भित किया गया है, हालांकि यह अभी भी अप्रमाणित है।

	SIGN	IDENTI-FICATION	READING	MEANING
a		fish	*mīn*	1. fish 2. star
b		3 + fish	*mu(m) mīn*	three stars (Mrigasiras)
c		6 + fish	*caru mīn*	six stars (Pleiades)
d		7 + fish	*elu mīn*	seven stars (Ursa Major)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **संस्कृत से जुड़ाव: एसआर राव** जैसे प्रारंभिक विद्वानों ने इस लिपि को **संस्कृत से जोड़ते हुए इसे वैदिक काल (1500-600 ईसा पूर्व)** से संबंधित बताया।
  - **हड़प्पा एवं वैदिक संस्कृतियों के बीच समयरेखा में विसंगति** के कारण इस सिद्धांत पर विवाद हुआ है।
- **गैर-भाषाई प्रतीक:** स्टीव फार्मर और पैगी मोहन जैसे आलोचकों का तर्क है कि ये प्रतीक कोई भाषा नहीं थे बल्कि **राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक चिह्नों** से संबंधित की एक प्रणाली का हिस्सा थे।

नोट:

- **लिपि:** यह किसी भाषा के शब्दों को दर्शाने के लिये प्रतीकों या वर्णों का प्रयोग करके लिखने की एक प्रणाली है जैसे लैटिन, देवनागरी या सिंधु लिपि।
- **भाषा:** यह अर्थ संप्रेषित करने के लिये ध्वनियों, शब्दों एवं व्याकरण का प्रयोग करने वाली संचार प्रणाली है जैसे अंग्रेजी, हिंदी या तमिल।

सिंधुकालीन स्थापत्य की विशेषताएँ

परिचय

- 'वास्तु' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द वस से हुई है, जिसका आशय बसने या रहने से है। 'स्थापत्य' शब्द वास्तु का पर्यायवाची है। कला की भाँति 'वास्तु या स्थापत्य कला' के उद्भव एवं विकास का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है, जितना की मानव सभ्यता का।
- हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है।
- इसका कालखंड लगभग 3000 ई.पू. से 2000 ई.पू. के बीच है।
- भारतीय वास्तुकला के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर आदि से पाए गए हैं।

सिंधुकालीन स्थापत्य की विशेषताएँ

- हड़प्पाई नगर 'ग्रिड पैटर्न' के तहत बनाए गए हैं अर्थात् आयताकार खंड में विभाजित नगर, जहाँ सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं।
- विशाल सड़कें नगर को अनेक खंडों में विभाजित करती थीं जबकि छोटी सड़कों का उपयोग अलग-अलग स्थानों पर स्थित घरों और बहुमंजिली इमारतों को जोड़ने के लिये किया गया था।
- उत्खनन स्थल पर मुख्यतः तीन प्रकार के भवन पाए गए हैं– सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार तथा निवास गृह।
- भवन निर्माण के लिये हड़प्पा के लोग मानकीकृत आयाम वाली पक्की ईंटों का उपयोग करते थे।
- ईंटों को जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था।
- नगरीय क्षेत्र दो हिस्सों में बँटा था– गढ़ी क्षेत्र अर्थात् पश्चिमी टीला तथा पूर्वी टीला या निचला नगर।
- पश्चिमी भाग में ऊँचाई पर स्थित गढ़ी का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों, जैसे– अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल और आँगन आदि के लिये किया जाता था।
- गढ़ी में स्थित कुछ भवन संभवतः शासकों और अभिजात वर्गों के आवास थे।
- अन्नागार वायु संचार वाहिकाओं और ऊँचे चबूतरों के साथ निर्मित किये गए हैं। इससे अनाज भंडारण में मदद के साथ ही कीटों से उनकी रक्षा करने में भी सहायता मिलती थी।
- हड़प्पाई नगरों की एक प्रमुख विशेषता सार्वजनिक स्नानागारों का प्रचलन था। इससे उनकी संस्कृति में कर्मकांडीय पवित्रता के महत्त्व का संकेत मिलता है।
- इन स्नानागारों के चारों ओर दीर्घाओं और कक्षों का समूह था। सार्वजनिक स्नानागारों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोहनजोदड़ो के उत्खनित अवशेषों में 'वृहत स्नानागार' है। इसमें किसी दरार या रिसाव का न होना हड़प्पा सभ्यता की अभियांत्रिकी कुशाग्रता का परिचायक है।
- नगर के निचले भाग में एक कक्षीय छोटे भवन पाए गए हैं। इनका उपयोग संभवतः श्रमिक वर्ग के लोगों द्वारा आवास के लिये किया जाता था।
- कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी थीं जिससे संकेत मिलता है कि संभवतः कुछ भवन दो मंजिला रहे होंगे।
- अधिकांश भवनों में कुएँ तथा स्नानागृह थे और वायु संचार की उचित व्यवस्था थी।
- हड़प्पाई स्थापत्य की प्रमुख विशेषता, 'उन्नत जल निकास' व्यवस्था थी।
- प्रत्येक घर से निकलने वाली छोटी नालियाँ मुख्य सड़क के साथ-साथ चलने वाली बड़ी नालियों से जुड़ी थीं।
- नियमित साफ-सफाई और रख-रखाव के लिये नालियों को आंशिक रूप से ढका गया था।
- उचित दूरी पर मलकुंड (सिसपिट) बनाए गए थे।
- व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की स्वच्छता पर ध्यान दिया गया था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता पहली सभ्यता थी जहाँ स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई।

सिंधु घाटी लिपि को समझने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **द्विभाषी ग्रंथों का अभाव:** प्राचीन लिपियों को समझना अक्सर **द्विभाषी ग्रंथों पर निर्भर** करता है जैसे रोसेटा स्टोन, जिससे **मिस्र की चित्रलिपि का ग्रीक अनुवाद** मिला।
  - हालाँकि, सिंधु लिपि में ऐसे तुलनात्मक अभिलेखों का अभाव है जिससे प्रतीकों को ध्वनियों या अर्थों से जोड़ना कठिन हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ❖ **वर्ष 1799 में नील डेल्टा** के पास खोजे गए रोसेटा स्टोन में **ग्रीक, डेमोटिक तथा चित्रलिपि** में लिखा संदेश मिला। इससे विद्वानों को प्राचीन **मिस्र की चित्रलिपि को** समझने में मदद मिली।

- **संक्षिप्त एवं खंडित लेख:** अधिकांश लेख संक्षिप्त हैं, जिनमें प्रति लेख औसतन पाँच अक्षर हैं।
  - ❖ **लंबे लेखों की कमी से व्याकरण, वाक्य विन्यास या भाषाई** व्याख्या में प्रयुक्त पैटर्न का विश्लेषण करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- **अज्ञात भाषा:** इस लिपि से संभवत: ऐसी भाषा का प्रतिनिधित्व होता है जिसका कोई समानांतर न न होने से इसका तुलनात्मक अध्ययन करना कठिन हो जाता है।
  - ❖ इस संदर्भ में सिद्धांतों द्वारा इसके **द्रविड़, इंडो-आर्यन** या लुप्त भाषा समूह से जुड़े होने का सुझाव दिया गया है लेकिन इसमें से कोई भी निर्णायक नहीं है।
- **प्रतीक भिन्नताएँ:** एसआर राव (1982) ने लिपि में 62 संकेत प्रस्तावित किये, लेकिन आगे चलकर असको परपोला (1994) ने 425 संकेतों का सुझाव दिया।
  - ❖ वर्ष 2016 में ब्रायन के. वेल्स ने 676 संकेत प्रस्तावित किये, लेकिन सटीक संख्या एवं उनके अर्थ पर बहस जारी रहने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
  - ❖ **सीमित पुरातात्विक साक्ष्य: 3,500 हड़प्पा मुहरों का** सीमित **संग्रह,** अज्ञात स्थल तथा कलाकृतियों का क्षरण, इस लिपि के विश्लेषण में बाधक हैं।
- **तकनीकी बाधाएँ:** हालाँकि **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** और **मशीन लर्निंग** का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन सीमित डेटा सेट के कारण मौजूदा मॉडलों को सिंधु लिपि को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लघु शिलालेखों में पैटर्न की पहचान करना अभी भी एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

सिंधु लिपि को समझना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **हड़प्पा सभ्यता की भाषा को जाने के लिये:** भाषा परिवार (द्रविड़, इंडो-आर्यन या अन्य) की पहचान करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्राचीन भारत के भाषाई इतिहास पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा।

- **हड़प्पा संस्कृति को समझने हेतु:** इसके स्पष्टीकरण से हड़प्पा की धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक मानदंडों और प्रशासन एवं शासन सहित सामाजिक-राजनीतिक संरचनाओं का पता लगाया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- **ऐतिहासिक निरंतरता:** हड़प्पा तथा उसके बाद की सभ्यताओं के बीच संबंध स्थापित करने से भारत के सांस्कृतिक और भाषाई विकास का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
- **वैश्विक प्रासंगिकता:** लिपि का अध्ययन प्राचीन लेखन प्रणालियों, मानव संचार विकास और मेसोपोटामिया और उससे आगे के देशों के साथ अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को समझने में महत्त्वपूर्ण होगा।
  - ❖ इसकी व्याख्या से वैदिक प्रथाओं और द्रविड़ या इंडो-यूरोपीय भाषाओं के साथ संभावित संबंधों का पता लगाया जा सकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. सिंधु घाटी लिपि को समझने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और हड़प्पा सभ्यता को गहराई से समझने के क्रम में इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिये।

स्वामी विवेकानंद की 162 वीं जयंती

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय युवा दिवस (**स्वामी विवेकानंद की 162 वीं जयंती**) पर, प्रधानमंत्री ने **विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025** में भाग लिया।

- महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक एवं विचारक **स्वामी विवेकानंद की स्मृति में 12 जनवरी को** राष्ट्रीय **युवा दिवस** मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय **युवा नीति 2014** में युवाओं की परिभाषा **15-29** आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में की गई है, जो **भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।**

विकसित भारत युवा नेता संवाद क्या है?

- **परिचय:** यह एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य **युवाओं को राष्ट्र निर्माण** में शामिल करना है जो प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर **बिना किसी राजनीतिक संबद्धता वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति में शामिल करने के आह्वान** के अनुरूप है।
- **भागीदारी:** इस आयोजन में **15-29 वर्ष की आयु के 3,000 युवा** एक साथ आए, जिनका चयन **योग्यता आधारित, बहु-चरणीय प्रक्रिया** (जिसे विकसित भारत चैलेंज कहा जाता है) के माध्यम से किया गया।
- **विषयगत फोकस: इसमें युवा नेताओं द्वारा** भारत के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण **दस विषयगत क्षेत्रों** पर विचार प्रस्तुत किये गए जिनमें **प्रौद्योगिकी, स्थिरता, महिला सशक्तीकरण, विनिर्माण तथा कृषि** शामिल हैं।

स्वामी विवेकानंद के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **स्वामी विवेकानंद (जिनका जन्म 12 जनवरी 1863** को हुआ था) **एक भिक्षु और रामकृष्ण परमहंस** के प्रमुख शिष्य थे।
  - ❖ **वर्ष 1893** में खेतड़ी राज्य के **महाराजा अजीत सिंह** के अनुरोध पर उन्होंने अपने पूर्व नाम 'सच्चिदानंद' को बदलकर '**विवेकानंद**' रख लिया।
- **आत्मज्ञान: मान्यताओं के अनुसार 1892** में स्वामी विवेकानंद **साधना करने के लिये कन्याकुमारी** के तट से हिंद महासागर में एक **विशाल शिला** (जिसे बाद में **विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहा गया**) तक तैरकर गए थे।
  - ❖ उन्होंने **वहाँ तीन दिन और तीन रातें बिताई,** जिसके परिणामस्वरूप उन्हें **ज्ञान की प्राप्ति** हुई।
- **योगदान:**
  - ❖ **दार्शनिक: उन्होंने विश्व को वेदांत और योग** के भारतीय दर्शन से परिचित कराया।
    - ✸ उन्होंने '**नव-वेदांत**' **का प्रचार-प्रसार किया, जो पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म** की व्याख्या थी तथा वे **आध्यात्मिकता को भौतिक प्रगति के साथ** जोड़ने में विश्वास करते थे।
  - ❖ **आध्यात्मिक:** मानवीय मूल्यों पर विवेकानंद का संदेश **उपनिषदों, गीता** और **बुद्ध एवं ईसा** के उदाहरणों से लिया गया है, **जिसमें आत्मबोध, करुणा और निस्वार्थ सेवा पर** ज़ोर दिया गया है।
    - ✸ उन्होंने **सेवा** के सिद्धांत का समर्थन किया। **जीव** की सेवा करना **शिव की उपासना के समान है।**
    - ✸ उन्होंने अपनी पुस्तकों में सांसारिक सुख और आसक्ति से **मोक्ष (मुक्ति)** प्राप्त करने के **चार मार्ग** बताए- **राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पुनरुत्थानवाद:** उन्होंने हमारी मातृभूमि के **पुनरुद्धार** के लिये **शिक्षा** पर ज़ोर दिया। उन्होंने **मानव-निर्माण और चरित्र-निर्माण** वाली शिक्षा की वकालत की।

भारतीय दर्शन की विचारधारा - रुढ़िवाद

भारतीय दर्शन, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न दार्शनिक विचारधारा की परंपराओं को संदर्भित करता है। इसे दो विचारधाराओं में विभाजित किया गया है: रुढ़िवाद (आस्तिक) और अपरंपरागत (नास्तिक) (Orthodox and Heterodox)

रुढ़िवादी विचारधारा का मानना था,कि वेद सर्वोच्च ग्रंथ हैं जिनमें मोक्ष के रहस्यों को शामिल किया गया है।

सांख्य दर्शन

- कपिल मुनि द्वारा स्थापित।
- दर्शनशास्त्र का सबसे प्राचीन दर्शन।
- इसके अनुसार यथार्थवाद, पुरुष (स्व, आत्मा या मन) और प्रकृति (जड़, उत्पत्ति, ऊर्जा) से उत्पन्न होता है।
- **इसके विकास की दो अवस्थाएँ हैं:**
  - मूल सांख्य (भौतिकवादी दर्शन)
  - नूतन सांख्य (आध्यात्मिक दर्शन)

योग दर्शन (दो प्रमुख तत्वों का संघ)

- पतंजलि द्वारा स्थापित।
- मनुष्य, ध्यान और शारीरिक योग क्रियाओं के संयोजन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

मोक्ष (Freedom) प्राप्ति के साधन	प्राप्ति के स्वरूप
यम	स्व-नियंत्रण का अभ्यास
नियम	जीवन को नियंत्रित करने हेतु नियमों का पालन
प्रत्याहार	विषय का चयन
धारणा (Dharna)	मन को स्थिर करना (चयनित विषय पर)
ध्यान	चुने हुए विषय (पूर्वकथित) पर ध्यान केंद्रित करना
समाधि	यह मन और विषय का समागम है और इससे अंततः स्व भंग (dissolution) होता है

न्याय दर्शन

- गौतम ऋषि द्वारा स्थापित।
- इसके अनुसार, सब कुछ तर्क और अनुभव पर आधारित होना चाहिये।
- **ज्ञान प्राप्त करने के साधन:** प्रत्यक्ष, अनुमान, तुलना और मौखिक शब्द।

वैशेषिक दर्शन

- ऋषि कणाद द्वारा स्थापित।
- सब कुछ अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और ईथर (आकाश) द्वारा सृजित है।
- विकसित परमाणु सिद्धांत (सभी भौतिक वस्तुएँ परमाणुओं से निर्मित हैं)।
- **विश्वास:**
  - ईश्वर एक मार्गदर्शक कारण (Guiding Principle) हैं।
  - कार्मिक नियम ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करते हैं।

मीमांसा दर्शन/पूर्व मीमांसा

- जैमिनी ऋषि द्वारा स्थापित।
- वेद शाश्वत हैं और सभी ज्ञान से युक्त हैं।
- धर्म का अर्थ वेदविहित कर्त्तव्यों का पालन करना है।

वेदांत दर्शन (वेदों/उपनिषदों का अंत)

- उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षाएँ (वेदों में रहस्यवादी/आध्यात्मिक चिंतन)।
- **उप-दर्शन:**
  - **अद्वैत (आदि शंकराचार्य):** वैयक्तिक स्व (आत्मन) और ब्रह्म दोनों एक ही हैं।
  - **विशिष्टाद्वैत (रामानुज):** सारी विविधता एक एकीकृत समग्रता (Unified Whole) में समाहित है।
  - **द्वैत (माधवाचार्य):** ब्रह्म और आत्मा (Brahman and Atman) दो अलग-अलग तत्व हैं।
    - भक्ति मोक्ष का मार्ग है।
  - **द्वैताद्वैत (निम्बार्क):** ब्रह्म सर्वोच्च वास्तविकता है।
  - **शुद्धाद्वैत (वल्लभाचार्य):** ईश्वर और व्यक्ति एक ही हैं।
  - **अचिंत्य भेद अभेद (चैतन्य महाप्रभु):** वैयक्तिक स्व [जीवात्मा (Jīvatman)] ब्रह्म से भिन्न भी है और नहीं भी।

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मूल शिक्षाएँ:**
  - **युवा:** उन्होंने युवाओं को सफलता के लिये **अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिये प्रोत्साहित किया** तथा चुनौतियों का सामना करने में समर्पण के महत्त्व पर बल दिया।
    - स्वामीजी **लोहे जैसी माँसपेशियों और फौलाद जैसी नसों वाला युवा चाहते थे। उनका दृढ़ मत था कि युवाओं को शारीरिक रूप से मज़बूत और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये।**
  - **नैतिकता:** नैतिकता एक **आचार संहिता है** जो एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनने के लिये मार्गदर्शन करती है और पवित्रता, हमारा **सच्चा दिव्य स्व या आत्मा होने के नाते, हमारे वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है।**
  - **धर्म: उनके अनुसार, धर्म परम सत्य का सार्वभौमिक अनुभव है जो असहिष्णुता, अंधविश्वास, हठधर्मिता और पुरोहितवाद से मुक्त है।**
  - **शिक्षा:** विवेकानंद ने ऐसी शिक्षा पर ज़ोर दिया जिससे छात्रों का **सहज ज्ञान और शक्ति उजागर हो, चरित्र निर्माण** पर ध्यान केंद्रित हो और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिये आत्मनिर्भर बनाए।
  - **तर्कसंगतता:** उन्होंने **आधुनिक विज्ञान** की पद्धतियों और परिणामों का पूर्ण **समर्थन किया** और विश्वास के पक्ष में तर्क-शक्ति को अस्वीकार नहीं किया।
  - **राष्ट्रवाद:** उनका राष्ट्रवाद **मानवतावाद और सर्वहितवाद** पर आधारित है, जो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं।
    - उनका राष्ट्रवाद जनसामान्य के प्रति चिंता, स्वतंत्रता, समानता और **कर्म योग पर आधारित है- जो** निस्वार्थ सेवा के माध्यम से **राजनीतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता** का मार्ग है।
- **संबद्ध संगठन:** उन्होंने **सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान** के आदर्शों का प्रचार करने के लिये **वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन** की स्थापना की।
  - **वर्ष 1899** में उन्होंने **बेलूर मठ की स्थापना की** जो उनका स्थायी निवास बन गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबोधन:** उन्होंने **वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद** को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने **हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व** किया।
  - जुलाई **1896 में उन्होंने** लंदन में **लंदन हिंदू एसोसिएशन** के एक सम्मेलन को संबोधित किया।

विवेकानंद से संबंधित विचार

- जिस देश में **लाखों लोगों** के पास खाने को कुछ नहीं है और जहाँ कुछ **हज़ार साधु-संत और ब्राह्मण** उन गरीबों का खून चूसते हैं और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, क्या वह धर्म है या पिशाच का नृत्य? - **स्वामी विवेकानंद**
- यह मत भूलो कि **निम्न वर्ग**, अज्ञानी, गरीब, अनपढ़, मोची, सफाई कर्मचारी सब हमारे **भाई हैं** - **स्वामी विवेकानंद**
- जहाँ तक **बंगाल का प्रश्न है, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन** का **आध्यात्मिक जनक** माना जा सकता है -**सुभाष चंद्र बोस।**

राष्ट्रीय युवा नीति (NYP) 2014

- **NYP 2014: यह भारतीय युवाओं को** अपनी **संपूर्ण क्षमता हासिल करने** और देश के विकास में **सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये सशक्त बनाने** हेतु **युवा मामले और खेल मंत्रालय** द्वारा एक नीतिगत ढाँचा है।
- **NYP 2024:** सरकार ने NYP 2014 की **समीक्षा की और उसे अद्यतन किया है, नवीन NYP 2024 के लिये एक प्रारूप जारी किया।**
  - यह प्रारूप भारत में युवा विकास के लिये **दस वर्षीय दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप है।**
  - यह पाँच मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: **शिक्षा, रोज़गार, युवा नेतृत्व, स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय,** तथा सामाजिक समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता रखता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:**
  - **वर्ष 2030 तक युवा विकास लक्ष्यों को** प्राप्त करने के लिये एक स्पष्ट योजना।
  - करियर और जीवन कौशल में सुधार हेतु **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के साथ संरेखण।
  - नेतृत्व और स्वयंसेवा के अवसरों को मजबूत करना तथा युवाओं को सशक्त बनाने के लिये **प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।**
  - स्वास्थ्य देखभाल, विशेषकर **मानसिक स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना** तथा **खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना।**
  - **हाशिये पर पड़े युवाओं के लिये सुरक्षा, न्याय और सहायता** सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

विकसित **भारत युवा नेता संवाद और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएँ** युवा सशक्तीकरण, नैतिक नेतृत्व और समग्र विकास पर ज़ोर देती हैं। **NYP 2024 जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए**, इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को **शिक्षा, आत्मनिर्भरता और तर्कसंगतता से लैस करना है** ताकि भारत के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए भारत के स्थायी भविष्य को आकार दिया जा सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. "एक मज़बूत, तर्कसंगत और नैतिक युवा एक विकसित भारत की आधारशिला है।" विवेकानंद की शिक्षाओं के प्रकाश में टिप्पणी कीजिये।

ईरान की राजधानी का मकरान में स्थानांतरण और सिकंदर की विरासत

चर्चा में क्यों?

ईरान आर्थिक और पारिस्थितिकीय चिंताओं के कारण अपनी राजधानी **तेहरान से** दक्षिणी **मकरान तट के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है।**

- प्राचीन काल में **मकरान** उस क्षेत्र के रूप में उल्लेखनीय था, जहाँ **सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण (327-325 ईसा पूर्व)** के बाद **मैसेडोनिया की ओर पीछे हटते** समय अपने एक तिहाई सैनिकों को खो दिया था।

ईरान की अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की योजना के संबंध में प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **ऐतिहासिक संदर्भ: तेहरान 200 से अधिक वर्षों** से ईरान की राजधानी रहा है, जिसकी स्थापना ईरान के **क़ज़ार वंश (1794 से 1925)** के पहले शासक **आगा मोहम्मद खान** के शासनकाल के दौरान हुई थी।
- **नियोजित स्थानांतरण:** ईरान **अपनी राजधानी को तेहरान से सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत** के मकरान में स्थानांतरित करने का आशय रखता है, क्योंकि तेहरान में **जनसंख्या अधिक होने से प्रदूषण, जल की कमी और ऊर्जा की कमी भी है।**
  - राजधानी को स्थानांतरित करने का विचार **सर्वप्रथम वर्ष 2000 के दशक के प्रारंभ में महमूद अहमदीनेजाद के** राष्ट्रपतित्व काल के दौरान प्रस्तावित किया गया था।
- **मकरान का सामरिक महत्त्व: ओमान की खाड़ी** के निकट मकरान का सामरिक स्थान **समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने** और **राष्ट्रीय आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने** के अवसर प्रस्तुत करता है।
  - **चाबहार** जैसे बंदरगाहों की उपस्थिति के कारण मकरान तट **ईरान के पेट्रोलियम भंडार** और **तटीय व्यापार** का एक प्रमुख स्रोत है।
  - **1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा** और वर्ष 2003 से विकसित **चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र** के साथ, ईरान का लक्ष्य मकरान को **मध्य एशिया के हिंद महासागर से** जोड़ने वाले एक **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कॉरिडोर** में बदलना है।

मकरान

- **मकरान बलूचिस्तान पठार** का हिस्सा है, जो **पाकिस्तान और ईरान के** बीच साझा है।
- यह एक **अर्द्ध-रेगिस्तानी** तटीय पेटी है, जो **अरब सागर** और **ओमान की खाड़ी से घिरी हुई है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- मकरान तट पर **पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर** और **ईरानी बंदरगाह चाबहार स्थित हैं, जो होर्मुज़ जलडमरूमध्य** और **फारस की खाड़ी** के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं।
  - ❖ होर्मुज़ जलडमरूमध्य एक **'चोक प्वाइंट' है**, जहाँ से विश्व की अधिकांश तेल आपूर्ति गुजरती है और इस प्रकार यह **रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है।**

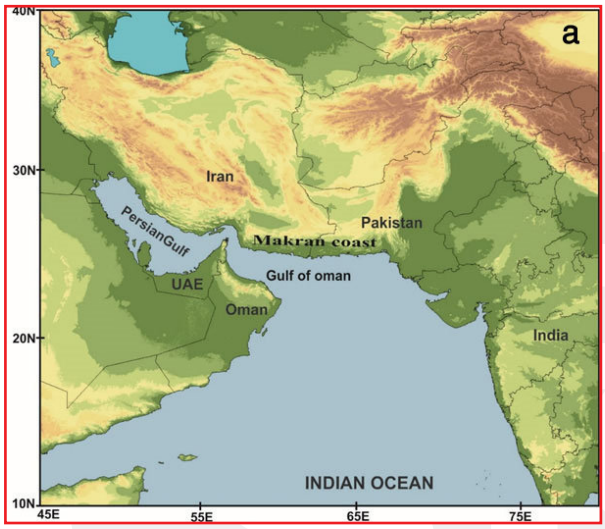

सिकंदर के भारतीय आक्रमण के संबंध में प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **परिचय: सिकंदर महान मैसेडोनिया (336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व)** का राजा था, इसने **बाल्कन से लेकर आधुनिक पाकिस्तान तक** विस्तृत विशाल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी।
  - ❖ यह **युद्ध में अपराजित रहे** और इन्हें **इतिहास के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है।**
- **भारत का राजनीतिक परिदृश्य: उत्तर-पश्चिमी भारत राजतंत्रों और जनजातीय गणराज्यों** में विभाजित था, जबकि **पूर्वी भारत मगध में धनानंद** के शासन के काल में **एकजुट** था, जिसने सिकंदर की विजय में सहायता की।
  - ❖ **तक्षशिला के अम्भी और** उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के पोरस जैसे शासक सिकंदर के खिलाफ एकजुट होने में असफल रहे।
  - ❖ तक्षशिला के **अम्भी ने** सिकंदर के सामने **आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसकी सेना को मज़बूत करने के लिये सेना और संसाधन प्रदान किये।**
- **खैबर दर्रे से प्रवेश:** सिकंदर **काबुल पर** विजय प्राप्त करने के पश्चात् **सिंधु नदी** तक पहुँचा, उसके बाद **खैबर दर्रे** से भारत में प्रवेश किया।
- **प्रमुख घटनाएँ:**
  - ❖ **हाइडस्पीज़ का युद्ध:** झेलम नदी के पास सिकंदर को **पोरस से** कड़ा विरोध झेलना पड़ा। उसे हराने के बाद, सिकंदर ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की, **उसका राज्य वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया।**
  - ❖ **हाइफैसिस (ब्यास) नदी पर विराम:** सिकंदर की सेना, जो थक चुकी थी और **नंद के नेतृत्व वाली एक बड़ी भारतीय सेना से भयभीत हो गई थी,** ने गंगा के मैदान में **आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उसे पीछे हटने के लिये राजी कर लिया।**
- **मजबूरन पीछे हटना:** यूनानी इतिहासकार **एरियन ने अपने लेख "*द एनाबासिस ऑफ अलेक्जेंडर*" में गेड्रोसिया (मकरान रेगिस्तान) के रेगिस्तान** से होकर गुजरने वाले मार्च को अत्यधिक पीड़ादायक बताया।
  - ❖ सिकंदर अपनी सेना के एक भाग को दुर्गम गेड्रोसियन (मकरान) रेगिस्तान से होते हुए फारस की ओर वापस ले गया, जिसका उद्देश्य **महान साइरस** से आगे निकलना था, **जो इसे पार करने में असफल** रहा था।
    - ✸ **साइरस महान (590-529 ईसा पूर्व),** जिसे **साइरस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है,** एक **फारसी राजा** था जिसने सभी **ईरानी जनजातियों** को एकजुट किया था।
  - ❖ सिकंदर की सेना का एक बड़ा भाग **निर्जलीकरण, थकावट एवं भुखमरी** से मर गया, सैनिकों ने भोजन के लिये अपने घोड़ों तथा खच्चरों को मार डाला।
  - ❖ **अनुमानत: 1,20,000 पैदल सैनिकों एवं 15,000 घुड़सवारों** के साथ सिकंदर भारत आया, जिसमें से केवल एक-चौथाई ही वापसी यात्रा में जीवित बचे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

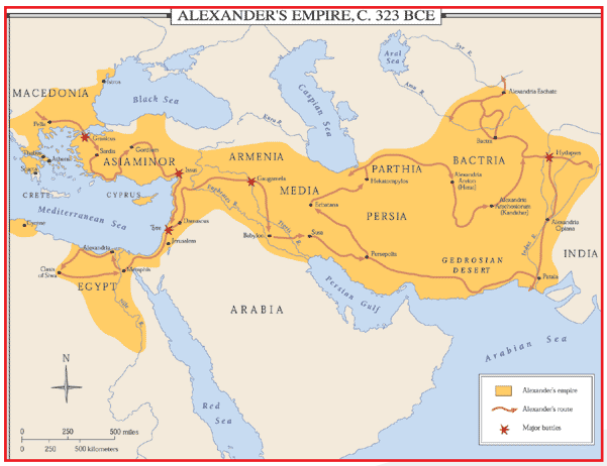

सिकंदर के आक्रमण के क्या प्रभाव थे?

- **प्रत्यक्ष संपर्क:** सिकंदर का आक्रमण **प्राचीन यूरोप एवं भारत (दक्षिण एशिया)** के बीच **पहला बड़ा संपर्क** था, जिससे भारत एवं ग्रीस के बीच **सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा व्यापारिक आदान-प्रदान** की नींव रखी गई।
  - ❖ **इससे चार प्रमुख स्थलीय तथा समुद्री मार्ग (तीन स्थलीय एवं एक समुद्री)** खुले, जिससे यूनानी व्यापारियों तथा कारीगरों को इस क्षेत्र में व्यापार करने तथा बसने का अवसर मिलने से **वाणिज्यिक संबंध मज़बूत हुए।**
- **भारत में यूनानी बस्तियाँ : इस आक्रमण के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में प्रमुख यूनानी शहरों** की स्थापना हुई, जैसे काबुल क्षेत्र में **अलेक्जेंड्रिया** और झेलम नदी पर **बुकेफला।**
- **भौगोलिक अन्वेषण: नियार्कस** के नेतृत्व में सिकंदर के बेड़े ने सिंधु नदी के मुहाने से लेकर मध्य पूर्व में **फरात नदी** तक के तट का अन्वेषण किया और **ऐतिहासिक अभिलेख** उपलब्ध कराए, जिससे **बाद की घटनाओं के लिये भारतीय कालक्रम निर्धारित** करने में मदद मिली।
- **सामाजिक और आर्थिक अंतर्दृष्टि: सिकंदर के इतिहासकारों ने सती प्रथा**, गरीब माता-पिता द्वारा बाज़ार में **लड़कियों की बिक्री जैसी प्रथाओं** के साथ उत्तर-पश्चिम भारत में **बैलों की अच्छी नस्ल** से संबंधित विवरण प्रदान किया।
  - ❖ उल्लेखनीय बात यह है कि 2,00,000 बैलों को ग्रीस में उपयोग के लिये **मैसेडोनिया** भेजा गया था।
- **मौर्य विस्तार:** उत्तर-पश्चिम भारत में **छोटे राज्यों को सिकंदर द्वारा हराने से** इस क्षेत्र में **मौर्य साम्राज्य** के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ।
  - ❖ **सिकंदर की रणनीति** से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिये प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया एवं **मौर्य साम्राज्य** की स्थापना की।
- **ग्रीक प्रभाव: कला, वास्तुकला और दर्शन** सहित ग्रीक संस्कृति ने भारतीय समाज को प्रभावित किया, जिसे बाद में **गांधार कला शैली** में शामिल किया गया।
  - ❖ **गांधार कला भारतीय, ग्रीक और रोमन कलात्मक परंपराओं** का एक अद्वितीय संश्लेषण है।

निष्कर्ष

ईरान की अपनी राजधानी को मकरान में स्थानांतरित करने की योजना, अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए **पारिस्थितिकी एवं आर्थिक चुनौतियों से निपटने** के उसके प्रयासों पर प्रकाश डालती है। भारत पर **सिकंदर के आक्रमण से इस क्षेत्र को नया रूप** मिलने के साथ **सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला,** जिससे सदियों तक ग्रीक और भारतीय दोनों ही सभ्यताओं पर प्रभाव पड़ा।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. दक्षिण एशिया के राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिदृश्य को आकार देने में सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

H-1B वीज़ा कार्यक्रम

हाल ही में **H-1B वीज़ा कार्यक्रम ने राजनीतिक परिचर्चाओं के बीच काफी ध्यान आकर्षित किया है।** एलन मस्क समेत प्रमुख हस्तियों ने **इसे जारी रखने के लिये इसका समर्थन** किया है, **अमेरिका में STEM के अंतर्गत प्रतिभा की कमी को** दूर करने में इसकी भूमिका पर ज़ोर दिया जाता है।

H-1B वीज़ा कार्यक्रम क्या है?

- **H-1B वीज़ा:** H-1B एक **गैर-अप्रवासी वीज़ा** है, जो अमेरिकी कंपनियों को **विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (STEM) और IT** (उच्च कौशल तथा न्यून स्नातक की डिग्री) जैसी विशिष्ट नौकरियों के लिये **विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने तथा रोज़गार देने की अनुमति देता है।**
  - इसे वर्ष **1990 में** अमेरिकी नियोक्ताओं को योग्य अमेरिकी श्रमिकों की अनुपलब्धता के समय **कौशल की कमी को दूर करने में सहायता करने के लिये शुरू किया गया था।**
  - गैर-**आप्रवासी वीज़ा पर्यटन, व्यवसाय, कार्य, अध्ययन** या चिकित्सा उपचार जैसे उद्देश्यों के लिये **अमेरिका में अस्थायी प्रवेश की** अनुमति देता है ।
- **वीज़ा अवधि:** H-1B वीज़ा अधिकतम **छह वर्षों के लिये जारी किया जा सकता है।** इस अवधि के बाद वीज़ा धारक को या तो दूसरे H-1B वीज़ा के लिये पुन: आवेदन करने से पहले कम-से-कम 12 माह के लिये **अमेरिका छोड़ना होगा या स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड)** के लिये आवेदन करना होगा।
- **वार्षिक सीमा और छूट: वर्तमान में** प्रत्येक वित्तीय वर्ष में **65,000 नवीन H-1B वीज़ा** की नियमित वार्षिक सीमा है।
  - अतिरिक्त **20,000 वीज़ा** उन आवेदकों के लिये उपलब्ध हैं, जिनके पास अमेरिकी विश्वविद्यालय से **मास्टर डिग्री या उससे अधिक की डिग्री है।**
  - **निरंतर रोज़गार** चाहने वाले H-1बी वीज़ा धारकों और **उच्च शिक्षा संस्थानों, संबद्ध गैर-लाभकारी संस्थाओं या सरकारी अनुसंधान संगठनों में रोज़गार चाहने वाले लोगों की याचिकाएँ** कैप छूट (Cap Exemption) के लिये पात्र हैं।
- **भारतीयों का प्रभुत्व:** भारत में जन्मे लोग **सबसे बड़े लाभार्थी हैं, जो वर्ष 2015 से** प्रतिवर्ष स्वीकृत सभी H-1B याचिकाओं में से **70%** से अधिक के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- **चीन** में जन्मे लोग दूसरे स्थान पर हैं, जो वर्ष 2018 से निरंतर **12-13%** याचिकाएँ दर्ज कर रहे हैं।

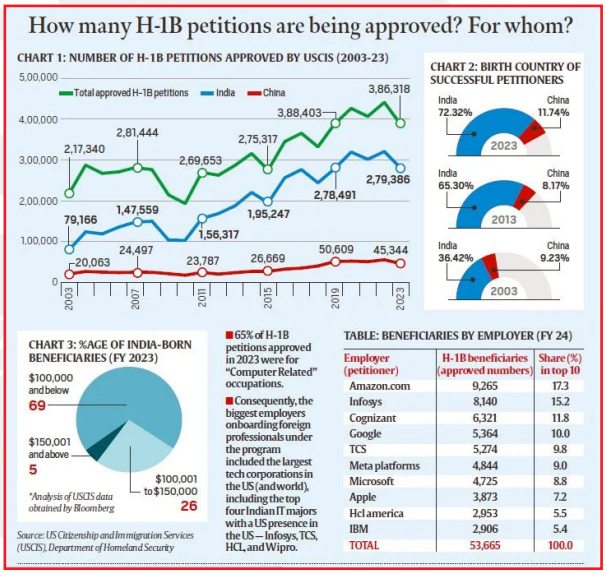

अन्य अमेरिकी गैर-आप्रवासी वीज़ा श्रेणियाँ

वीज़ा श्रेणी	यात्रा का उद्देश्य
O श्रेणी	**विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय या एथलेटिक्स** में असाधारण क्षमता वाला विदेशी नागरिक
H-2A श्रेणी	अस्थायी **कृषि** श्रमिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

H-2B श्रेणी	**अस्थायी या मौसमी प्रकृति की** अन्य सेवाएँ या श्रम करने वाला अस्थायी कर्मचारी
B-2 श्रेणी	**पर्यटन**, अवकाश, आनंद आगंतुक (Pleasure Visitor)
V श्रेणी	वैध स्थायी निवासी के **जीवनसाथी और बच्चों** के लिये गैर-आप्रवासी वीज़ा

नोट: चीन तथा भारत संपूर्ण विश्व में STEM क्षेत्रों पर हावी हैं।

- अमेरिका स्थित थिंक टैंक, **सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (CSET)** द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में **चीन (3.57 मिलियन) और भारत (2.55 मिलियन) ने STEM स्नातकों के** मामले में विश्व का नेतृत्व किया, जो **अमेरिका (820,000)** से कई गुना अधिक है।

वैश्विक पोलियो का पुन:प्रवर्तन

हाल ही में **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पाकिस्तान, कैमरून और विभिन्न यूरोपीय देशों** समेत कई देशों में **पोलियो वायरस** की उपस्थिति की पहचान की है।

- शोध से पता चलता है, कि **पोलियोवायरस मुख्य रूप से श्वसन मार्ग से फैलता है,** न कि पारंपरिक रूप से माने जाने वाले मल-द्वार से।

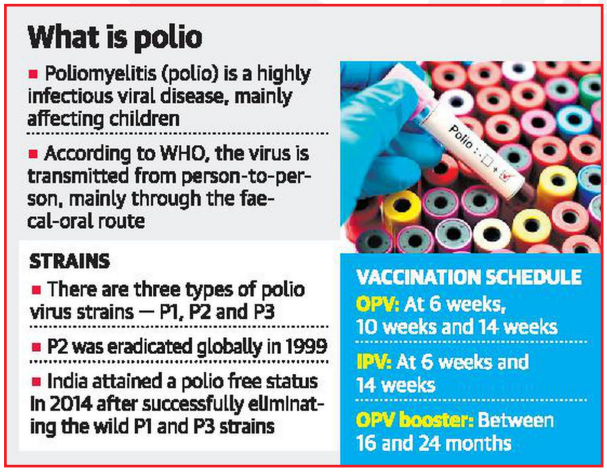

पोलियो के पुनः बढ़ने में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- **पोलियो वायरस का पता लगाना:** पोलियो के पुन: बढ़ने का प्रमाण विभिन्न देशों में **वाइल्ड या वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस दोनों का हाल ही में पता लगना है।**
  - वर्ष 2024 में पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियोवायरस टाइप-1 (WPV1) के कुल 62 मामले सामने आए।
  - **बार्सिलोना, वारसॉ और कोलोन (जर्मनी)** जैसे शहरों में भी पोलियोवायरस युक्त पर्यावरणीय प्रतिदर्श पाए गए हैं, जो संभावित **अज्ञात खतरे या बगैर टीकाकरण वाली आबादी का संकेत देते हैं।**
- **टीकाकरण में अंतराल:** संवेदनशील और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में **नियमित टीकाकरण कवरेज में** काफी गिरावट आई है, जिससे बच्चे पोलियो प्रकोप के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं।
  - **उदाहरण:** सूडान के सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज 85% से घटकर मात्र 30% रह गया है।
- **टीकाकरण रणनीति में बदलाव:** मौखिक **पोलियो वैक्सीन (OPV) को वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस मामलों (CVDPV)** के प्रकोप से जोड़ा गया है, जो उन्मूलन प्रयासों को जटिल बनाता है।
- हालिया शोध में **IPV में परिवर्तन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है,** जो **संक्रामक नहीं है** तथा **पोलियोवायरस के कारण होने वाले पक्षाघात के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है।**

निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV) और ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) के बीच अंतर

- **निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV)**
  - **फायदे:**
    - **वैक्सीन-जनित पोलियो का कोई खतरा नहीं:** IPV में निष्क्रिय विषाणु कण होते हैं, जिसका अर्थ है कि वैक्सीन से पोलियो होने का कोई खतरा नहीं है।
    - **कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों के लिये सुरक्षित:** चूँकि IPV में मृत वायरस का उपयोग किया

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जाता है, इसलिये यह कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिये सुरक्षित है।

- **संधारणीय प्रतिरक्षा: पोलियो वायरस संक्रमण** के विरुद्ध **प्रतिरक्षात्मकता** बनाए रखने के लिये IPV को कई बूस्टर की आवश्यकता होती है।

❖ **नुकसान:**

- **उच्च लागत:** OPV की तुलना में IPV का उत्पादन और प्रबंधन अधिक महँगा है।
- **कई खुराकों की आवश्यकता:** एक पूर्ण IPV टीकाकरण कार्यक्रम में आमतौर पर पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिये **2-4 शॉट्स की एक शृंखला शामिल होती है।**
- **सीमित श्लैष्मिक प्रतिरक्षा:** IPV श्लेष्म झिल्ली (जैसे, आँत) में मज़बूत प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि यह OPV की तुलना में वायरस संचरण को रोकने में कम प्रभावी हो सकता है।

● **ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV)**

❖ **फायदे:**

- **कम लागत:** OPV का उत्पादन और वितरण सस्ता है, जिससे संसाधन-सीमित परिस्थितियों में यह अधिक सुलभ हो जाता है।
- **कम खुराक की आवश्यकता:** प्रभावी प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिये OPV को आमतौर पर केवल **एक या कुछ खुराक की आवश्यकता होती है।**
- **बेहतर श्लैष्मिक प्रतिरक्षा:** OPV विशेष रूप से आँतों में मज़बूत श्लैष्मिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो पोलियोवायरस के संचरण को कम करने में सहायक है।

❖ **नुकसान:**

- **वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो का खतरा: OPV में जीवित, कमज़ोर पोलियोवायरस होता है, जो दुर्लभ मामलों में एक ऐसे रूप में परिवर्तित हो सकता है जो टीका-जनित पोलियोवायरस (VDPV)** के प्रकोप का कारण बनता है।
- **कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों के लिये सुरक्षित नहीं:** क्योंकि इसमें जीवित वायरस होता है, इसलिये OPV कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिये खतरनाक साबित हो सकता है।
- **अल्पकालिक प्रतिरक्षा:** OPV से प्राप्त प्रतिरक्षा, IPV की तुलना में दीर्घकालिक नहीं हो सकती है, इसके लिये समय के साथ अतिरिक्त खुराक या बूस्टर की आवश्यकता होती है।

पोलियो क्या है?

● **परिचय:**

❖ **पोलियो *(पोलियोमाइलाइटिस)*** एक **अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है,** जो मुख्य रूप से पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, **यह मल-द्वार** या दूषित भोजन/जल के माध्यम से फैलता है तथा **तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करके पक्षाघात का कारण बन सकता है।**

❖ तीन अलग-अलग और प्रतिरक्षात्मक रूप से भिन्न वाइल्ड पोलियोवायरस उपभेद हैं:

- वाइल्ड पोलियोवायरस प्रकार-1 **(WPV1), WPV2** और **WPV3।**

● **वैक्सीन के प्रकार:**

❖ **निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (IPV):** यह पोलियोवायरस **प्रकार 1, 2 और 3 से सुरक्षा प्रदान करता है**

❖ **ट्रायवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (TOPV):** यह पोलियोवायरस प्रकार 1, 2 और 3 से सुरक्षा प्रदान करता है - अप्रैल 2016 में "OPV स्विच" के बाद, हालाँकि **TOPV के अब इतने प्रमाण नहीं मिलते हैं।**

- अप्रैल 2016 में OPV **स्विच,** TOPV को BOPV से प्रतिस्थापित करने का एक वैश्विक प्रयास था।
- **बायवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (BOPV):** यह पोलियोवायरस प्रकार 1 और 3 से सुरक्षा प्रदान करता है
- **मोनोवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन (mOPV1, mOPV2 और mOPV3):** यह क्रमशः प्रत्येक प्रकार के पोलियोवायरस से सुरक्षा प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पोलियो उन्मूलन हेतु उठाए गए कदम:**
  - **भारत विशेष:**
    - **पल्स पोलियो कार्यक्रम**
    - **सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0**
  - **वैश्विक पहल:**
    - **पोलियो उन्मूलन और अंतिम चरण रणनीतिक योजना वर्ष 2013-2018**
    - **विश्व पोलियो दिवस (24 अक्तूबर)**
    - **वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (GPEI)**

भारतीय संसद में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की अस्वीकृति

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में, **संसद सदस्यों** की **स्वतंत्र अभिव्यक्ति** के लिये महत्त्वपूर्ण **गैर-सरकारी विधेयकों** को सीमित समय आवंटन के कारण भारत की संसद में अस्वीकृत कर दिया गया है।

- **17वीं लोकसभा (जून 2019 से फरवरी 2024)** में इन विधेयकों पर विचार-विमर्श में कमी देखी गई, जिससे **व्यक्तिगत सांसदों की घटती भूमिका** और **संसदीय लोकतंत्र** के स्वास्थ्य के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक क्या है?

- **परिचय:** गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक उन सांसदों द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं **जो मंत्री नहीं होते** (अर्थात सरकार का हिस्सा नहीं होते), जिससे उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिये **महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कानून या संशोधन प्रस्तुत** करने की अनुमति मिलती है।
- **मुख्य विशेषताएँ:** केवल **गैर-सरकारी सदस्य** ही इन विधेयकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे **स्वतंत्र विधायी प्रस्तावों** को अवसर मिलता है।
  - सांसद **विशिष्ट मामलों** पर ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **प्रक्रिया:**
  - **प्रस्ताव तैयार करना और नोटिस देना:** सांसद कम से कम **एक महीने के नोटिस** पर विधेयक का प्रस्ताव तैयार करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं।
  - **परिचय:** विधेयक संसद में पेश किये जाते हैं, उसके बाद प्रारंभिक चर्चा होती है।
  - **बहस:** यदि चयन हो जाता है, तो विधेयकों पर बहस की जाती है, आमतौर पर शुक्रवार दोपहर को सीमित सत्रों में।
  - **निर्णय:** विधेयक वापस लिये जा सकते हैं या मतदान के लिये आगे बढ़ाए जा सकते हैं।
- महत्त्व: ये विधेयक सांसदों को दलीय दबाव के बिना, प्राय: महत्त्वपूर्ण या विवादास्पद मुद्दों पर अपनी बात कहने का मंच प्रदान करते हैं।
  - इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण **वर्ष 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री** की मृत्यु के बाद **एच.वी. कामथ** द्वारा प्रस्तुत विधेयक है, जिसमें **संविधान में संशोधन करके केवल लोकसभा सदस्यों को ही प्रधानमंत्री पद के लिये पात्र** बनाने का प्रयास किया गया था।
  - स्वतंत्रता के बाद से अब तक **केवल 14 गैर-सरकारी विधेयक** पारित किये गये हैं, तथा **वर्ष 1970 के बाद से कोई भी विधेयक पारित नहीं** हुआ है।
    - **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014**, 45 वर्षों में राज्यसभा द्वारा अनुमोदित पहला गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक था, लेकिन यह लोकसभा में पहुँचे बिना ही व्यपगत हो गया।

सरकारी विधेयक बनाम गैर-सरकारी विधेयक

सरकारी विधेयक	गैर-सरकारी विधेयक
इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।	यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है।	यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है।
संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है।	संसद में इसके पारित होने के संभावना कम होती है।
संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है।	इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिये सात दिनों का नोटिस होना चाहिये।	इस विधेयक को संसद में पेश करने के लिये एक महीने का नोटिस होना चाहिये
इसे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है।	इसे संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है।

सरकारी सदस्यों के विधेयकों में कमी क्यों आई है?

- **समय की कमी:** PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आँकड़ों से पता चलता है कि 17वीं लोकसभा में **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर सिर्फ 9.08 घंटे** जबकि **राज्य सभा में 27.01 घंटे का व्यय हुआ,** जो कुल सत्र के घंटों का एक अंश है।
  - **18वीं लोकसभा के दो सत्रों** में निचले सदन में ऐसे विधेयकों पर केवल 0.15 घंटे तथा **राज्य सभा में 0.62 घंटे व्यय** किये गए, तथा प्रस्तावों पर सबसे कम समय लगा।
  - **शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की तिथि निर्धारित होने** से चर्चा सीमित हो जाएगी, क्योंकि कई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चले जाएँगे, जिससे चर्चा के लिये समय और कम हो जाएगा।
  - इन विधेयकों की लोकप्रियता में गिरावट का कारण सांसदों की गंभीरता की कमी को माना जा सकता है, क्योंकि कई सांसद चर्चाओं में भाग ही नहीं लेते।
- **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुनः शुरू करना:** गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को **सप्ताह के मध्य में स्थानांतरित करने से** भागीदारी और चर्चा को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **सांसदों को उनके प्रस्तावित उपायों में सक्रिय रूप** से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना तथा संसद में स्वतंत्र भाषण के मौलिक अधिकार की रक्षा करना।

विक्रम साराभाई की 52वीं पुण्यतिथि

चर्चा में क्यों?

प्रतिवर्ष **30 दिसंबर** को **विक्रम साराभाई** की **पुण्यतिथि** के रूप में मनाया जाता है।

- विक्रम अंबालाल साराभाई एक **भारतीय भौतिक विज्ञानी और उद्योगपति** थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सहयोग किया।

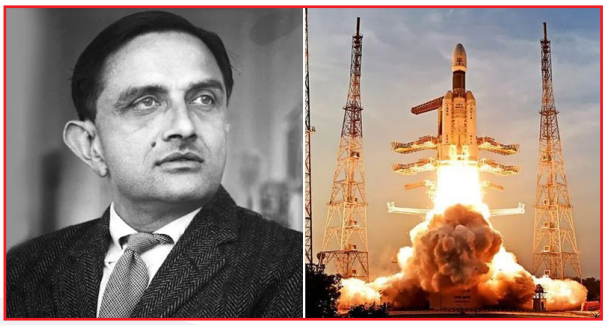

विक्रम साराभाई का योगदान क्या है?

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:**
  - 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, गुजरात में एक संपन्न जैन परिवार में जन्मे साराभाई अंबालाल और सरला देवी की आठ संतानों में से एक थे।
  - उन्होंने **प्रारंभ से ही रचनात्मक प्रतिभा** का परिचय दिया तथा 15 वर्ष की उम्र में रेल इंजन का एक कार्यशील मॉडल बनाया जो अब अहमदाबाद के **सामुदायिक विज्ञान केंद्र (CSC)** में संरक्षित है।
  - उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज (1940) से प्राकृतिक विज्ञान में अपनी ट्रिपोज़ (स्नातक डिग्री) पूरी की।
  - वे **द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान भारत लौट आये और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरू में **डॉ. सी.वी. रमन** के अधीन **कॉस्मिक किरणों** पर शोध किया।
  - उन्हें कॉस्मिक किरणों पर अपने शोध प्रबंध के लिये वर्ष 1947 में कैम्ब्रिज से PhD की उपाधि प्रदान की गई।
- **संस्थागत विरासत:** डॉ. साराभाई ने कई संस्थानों की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है जो भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण रही हैं जैसे:
  - **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL), अहमदाबाद: वर्ष 1947** में स्थापित, PRL के साथ ही संस्थाओं के निर्माण की दिशा में साराभाई की यात्रा की शुरुआत हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद:** इसके निर्माण में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
- **सामुदायिक विज्ञान केंद्र, अहमदाबाद:** इसे विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1966 में स्थापित किया गया।
- **दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, अहमदाबाद:** इसे इन्होंने अपनी पत्नी मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ मिलकर स्थापित किया।
- **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC), तिरुवनंतपुरम:** यह भारत के अंतरिक्ष अभियानों का केंद्र है।
- **अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद:** छह संस्थानों के विलय से इसका गठन किया गया।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद।**
- यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL), जादुगुड़ा, बिहार।

- **भारतीय अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों में योगदान:**
  - **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO):** उन्होंने सामाजिक विकास के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के महत्त्व पर बल देते हुए **ISRO की स्थापना** में भूमिका निभाई।
  - भारत की विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिये **उपग्रह अनुप्रयोगों** को महत्त्व दिया।
  - **सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरीमेंट (SITE):** NASA के साथ मिलकर तैयार किये गए **SITE से ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण** होने के साथ दूरदर्शन के **कृषि दर्शन** जैसे कार्यक्रमों का आधार तैयार हुआ।
  - **आर्यभट्ट उपग्रह:** इनके नेतृत्व में **भारत के पहले उपग्रह, आर्यभट्ट** का निर्माण आरंभ किया गया, जिसे वर्ष 1975 में रूसी कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया।
  - **परमाणु ऊर्जा आयोग:** होमी भाभा की मृत्यु के बाद यह इसके अध्यक्ष बने तथा **परमाणु विज्ञान** को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई।

- **पुरस्कार और सम्मान:**
  - **पुरस्कार:**
    - **शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (1962)**
    - **पद्म भूषण (1966)**
    - **पद्म विभूषण (मरणोपरांत, 1972)**
  - **प्रतिष्ठित पद:**
    - भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस के भौतिकी अनुभाग के अध्यक्ष (1962)
    - अध्यक्ष, IAEA का महासम्मेलन, वियना (1970)
    - परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर चौथे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उपाध्यक्ष (1971)
  - **शीर्षक:** भारतीय विज्ञान के **महात्मा गांधी** (पूर्व राष्ट्रपति **ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** द्वारा)।
  - **विरासत:**
    - विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) का नाम उनके सम्मान में रखा गया।
    - एक चंद्र क्रेटर, "साराभाई क्रेटर" का नाम उनके नाम पर रखा गया।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। भारत में वर्ष 2017 और 2023 के बीच **मलेरिया के मामलों और उससे संबंधित मौतों** में उल्लेखनीय कमी आई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

- भारत का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त** स्थिति प्राप्त करना है, तथा वर्ष 2027 तक मलेरिया का कोई भी स्थानीय मामला दर्ज नही किया गया है।

मलेरिया

- मलेरिया ***प्लास्मोडियम परजीवी*** के कारण होने वाला एक जानलेवा रोग है, जो संक्रमित मादा **एनोफिलीज मच्छरों** के काटने से फैलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ***प्लास्मोडियम परजीवी*** की पाँच प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं तथा साथ ही इनमें से 2 परजीवी प्रजातियाँ ('पी.फाल्सीपरम'-P.Falciparum एवं 'पी. वीवाक्स'-P Vivax) ज़्यादा खतरनाक होती हैं।

- मलेरिया मुख्य रूप से **अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** में पाया जाता है।
  - जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो वह भी संक्रमित हो जाता है। जिस व्यक्ति को यह मच्छर काटता है, उसके शरीर में मलेरिया के परजीवी प्रवेश कर जाते हैं। लीवर में पहुँचने के बाद, परजीवी विकसित होते हैं और **लाल रक्त कोशिकाओं** को संक्रमित करते हैं।

- बुखार और फ्लू जैसे लक्षण, जैसे **ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान, मलेरिया के लक्षण** हैं। उल्लेखनीय है कि मलेरिया का इलाज संभव है और इससे बचा जा सकता है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं?

- **वैश्विक निष्कर्ष:**
  - **बर्डन डिजीज़:**
    - अनुमान है कि वर्ष **2023 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 263 मिलियन मामले सामने आएंगे है,** जो वर्ष 2022 की तुलना में 11 मिलियन अधिक है।
    - वैश्विक स्तर पर मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर 597,000 रही, जो **वर्ष 2020 में 622,000** मृत्यु के साथ गिरावट को दर्शाती है।
  - **भौगोलिक वितरण:**
    - WHO के अनुसार **अफ्रीकी क्षेत्र में वर्ष 2023 में वैश्विक मलेरिया के 94% मामले तथा मलेरिया से होने वाली 95% मृत्यु दर्ज** की गई है।
    - **पाँच देश** - नाइजीरिया (26%), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (13%), युगांडा (5%), इथियोपिया (4%), और मोज़ाम्बिक (4%) - वैश्विक मलेरिया के लगभग 52% मामलों के लिये ज़िम्मेदार हैं।
    - **वर्ष 2015 से अब तक नौ देशों को मलेरिया मुक्त** प्रमाणित किया जा चुका है, जिनमें वर्ष 2024 में मिस्र भी शामिल है।
  - **हस्तक्षेप का प्रभाव:**
    - दो मलेरिया टीकों, **RTS,S और R21,** के शुरू होने से स्थानिक क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज़ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **भारत विशिष्ट निष्कर्ष:**
  - **ऐतिहासिक परिवर्तन:** स्वतंत्रता के समय भारत में **प्रतिवर्ष मलेरिया के 7.5 करोड़ मामले** सामने आते थे, जिनमें से **800,000 लोगों की मृत्यु** हो जाती थी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई थी।
    - लगातार प्रयासों से मामलों में 97% से अधिक की कमी आई है, जिससे ये वार्षिक आधार पर 2 मिलियन तक कम हो गए हैं, जबकि वर्ष 2023 तक मृत्यु दर घटकर मात्र 83 रह गई है।
  - **नवीनतम उपलब्धियाँ (2017-2024):** वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक मलेरिया के मामले 11,69,261 से घटकर 2,27,564 हो गए और मृत्यु दर 384 से घटकर 83 हो गई, जो **80% की कमी** दर्शाती है।
    - **वार्षिक रक्त परीक्षण दर** 9.58 (वर्ष 2015) से बढ़कर 11.62 (वर्ष 2023) हो गई, जिससे शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप सुनिश्चित हुआ।
    - वर्ष 2024 में भारत **विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (HBHI) समूह** से बाहर निकल गया, जो एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।
  - HBHI वैश्विक मलेरिया प्रतिक्रिया पर एक देश-नेतृत्व वाला दृष्टिकोण है।
- **बर्डन डिजीज़ में कमी:**
  - **हाई बर्डन (High-Burden)** वाले राज्यों की संख्या 10 से घटकर 2 हो गई (मिज़ोरम और त्रिपुरा)।
  - ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मेघालय में मीडियम बर्डन **(Medium-Burden)** की स्थिति उत्पन्न हो गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और दादरा और नगर हवेली लो-बर्डन (Low-Burden) में चले गए।
- लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने **शून्य स्थिति** हासिल कर ली है, तथा वे उप-राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन सत्यापन के लिये पात्र हैं।

मलेरिया पर अंकुश लगाने के लिये सरकारी पहल क्या हैं?

- मलेरिया उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रूपरेखा 2016-2030
- **राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** रोकथाम और नियंत्रण उपायों के माध्यम से मलेरिया सहित विभिन्न वेक्टर जनित रोगों का समाधान करता है।
- **राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP):** मलेरिया के गंभीर प्रभाव से निपटने के लिये वर्ष 1953 में शुरू किया गया।
  - यह तीन मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है: **DDT के साथ कीटनाशक अवशिष्ट छिड़काव (IRS), मामले की निगरानी और निरीक्षण,** और **रोगी उपचार।**
- **'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' (High Burden to High Impact-HBHI) पहल:** वर्ष 2019 में चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में शुरू की गई।
  - यह **कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों (LLIN) के माध्यम से मलेरिया में कमी लाने** पर केंद्रित है।
- **मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (MERA-India):** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा स्थापित, मलेरिया नियंत्रण अनुसंधान पर भागीदारों के साथ सहयोग करता है।

ब्राज़ीलियन वेलवेट चींटी

बेइलस्टीन जर्नल ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है, कि **ब्राज़ीलियन वेलवेट चींटी (ट्राउमेटोमुटिला बिफुरका) के शरीर के अंग "अत्यंत काले" होते हैं।**

ये हिस्से 99.5% से ज़्यादा दृश्यमान प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये लगभग अदृश्य हो जाते हैं। यह खोज प्रौद्योगिकी में संभावित अनुप्रयोगों के साथ अद्वितीय **जैविक नैनो संरचनाओं को उज़ागर करती है।**

ब्राज़ीलियन वेलवेट चींटी से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **वर्गीकरण: वेलवेट चींटियाँ "सामान्य चींटियाँ" नहीं हैं, ये म्यूटिलिडे** परिवार से संबंधित **ततैया** की एक प्रजाति हैं।
- वेलवेट जीव हाइमनोप्टेरा गण से संबंधित है, जिसमें **मधुमक्खियाँ और अन्य ततैया भी शामिल हैं।**
  - कुछ प्रजातियाँ, जैसे कि **ट्रौमेटोमुटिला बिफुरका (ब्राजीलियन वेलवेट चींटी), स्पष्ट काले और सफेद निशान** प्रदर्शित करती हैं, जिससे ये **उष्णकटिबंधीय सवाना और शुष्क झाड़ीयुक्त रेगिस्तानों** में देखने में आकर्षक लगती हैं।
- **अल्ट्राब्लैक गुण:** मादा वेलवेट चींटियाँ अल्ट्राब्लैक रंग प्रदर्शित करती हैं, जिसे सर्वप्रथम ***ट्रौमेटोमुटिला बिफुरका*** में देखा गया था, जो लगभग सभी दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेती है।
- यह अनोखा रंग **एक्सोस्केलेटन में मौज़ूद विशेष सूक्ष्म संरचनाओं से आता है,** जो प्रकाश को रोकती हैं। अल्ट्राब्लैक पिगमेंटेशन **छलावरण, तापमान नियंत्रण और साथी को आकर्षित करने में मदद करता है।**
  - **नर बनाम मादा: केवल मादा वेलवेट चींटियाँ ही अत्यंत काला रंग प्रदर्शित करती हैं,** हालाँकि नर में भी समान काले निशान होते हैं, लेकिन ये अधिक प्रकाश को परावर्तित करते हैं।
- **पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका:** यह परागणकर्त्ता के रूप में कार्य करता है तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है।
- **विकासात्मक महत्त्व:** अल्ट्राब्लैक गुणधर्म अभिसारी विकास को उज़ागर करता है, जहाँ असंबंधित प्रजातियाँ समान लक्षण विकसित करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह अनुकूलन **बड्र्स ऑफ पैराडाइस** और **डीप-सी फिश में भी देखा जाता है,** जो छलावरण और जीवित रहने में सहायक होता है।

- **संभावित वैज्ञानिक अनुप्रयोग:** अल्ट्राब्लैक गुणधर्म नैनोसंरचनाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रकट करता है तथा **स्टील्थ टेक्नोलॉजी और सौर पैनल दक्षता में प्रगति को प्रेरित करता है।**

नोट:

- चींटियाँ, आकार में छोटी होने के बावजूद, **पृथ्वी के लगभग प्रत्येक भूभाग पर बसी हुई हैं।** इनका कुल बायोमास पक्षियों और स्तनधारियों के संयुक्त बायोमास से भी अधिक होने की उम्मीद है।
  - **पारिस्थितिक संदर्भ में बायोमास,** किसी आवास के दिये गए क्षेत्र या आयतन के भीतर **पौधों एवं जानवरों समेत जीवित जीवों के कुल द्रव्यमान** को संदर्भित करता है।
- चींटियाँ अत्यंत **संगठित कॉलोनियों वाली यूसोशल कीट हैं,** जो महत्त्वपूर्ण सहयोग और श्रम विभाजन को प्रदर्शित करती हैं।
- **विश्व आर्थिक मंच** के अनुसार, चींटियाँ भोजन की तलाश को नियंत्रित करने, ऊर्जा और संसाधनों को संरक्षित करने के लिये प्रतिक्रिया (क्रियाओं के प्रति प्रतिक्रिया) का उपयोग करती हैं। अपशिष्ट को कम करने का यह **सिद्धांत ऊर्जा** उपयोग या डेटा प्रबंधन जैसी प्रणालियों में दक्षता बढ़ा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त चींटियाँ बिना **किसी केंद्रीय नियंत्रण के कार्य करती हैं,** जिससे यह सिद्ध होता है कि जटिल कार्यों को सरल अंत:क्रियाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है।
- ***नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाही*** में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि चींटियाँ, विशेष रूप से **लॉन्गहॉर्न क्रेजी चींटियाँ (पैराट्रेचिना लॉन्गिकोर्निस)** मौखिक संचार के बिना प्रयासों का समन्वय करके सामूहिक समस्या-समाधान में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं।
- अध्ययन के अनुसार बाधाओं के बीच से **T-आकार की वस्तु को** ले जाने के प्रयोग में **चींटियों ने मनुष्यों से बेहतर प्रदर्शन किया।**

पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में संस्कृत अभिलेख

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK)** में **गिलगित के पास ब्राह्मी लिपि** में लिखा एक चौथी शताब्दी का **संस्कृत अभिलेख** प्राप्त हुआ है।

- **गिलगित** से प्राप्त अभिलेख में उल्लेख है कि **पुष्यसिंह** ने अपने गुरु (नाम आंशिक रूप से लुप्त हो गया है) की योग्यता के लिये **महेश्वरलिंग** की स्थापना की थी।

नोट:

- इससे पहले वर्ष 2024 में, **पेशावर के पास 10वीं** शताब्दी का **संस्कृत और शारदा लिपि (कश्मीर में संस्कृत और कश्मीरी के लिये प्रयुक्त)** अभिलेख खोजा गया था, जिसमें छठी पंक्ति में **"दा(धा)रिनी ("Da(Dha)rini")"** के उल्लेख के साथ **बौद्ध धारिणी** मंत्रों का संदर्भ दिया गया था।
  - **बौद्ध धारिणी** पवित्र **मंत्रों या जापों** को संदर्भित करता है, जिनका उपयोग **बौद्ध धर्म** में **सुरक्षा, शुद्धिकरण** और **आशीर्वाद प्राप्त करने** के लिये किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों में आध्यात्मिक शक्ति होती है और इन्हें अक्सर **कल्याण** को बढ़ावा देने के लिये **अनुष्ठानों में गाया जाता** है। धारिणी में आमतौर पर पवित्र **शब्दांश (syllables) या वाक्यांश (Phrases)** होते हैं।

ऐतिहासिक अभिलेखों का क्या महत्त्व है?

- **प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत: अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास** के पुनर्निर्माण के लिये प्रामाणिक और प्रत्यक्ष स्रोत हैं, जो बाद के प्रक्षेपों और पूर्वाग्रहों से मुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।
  - अंकित तिथियाँ और घटनाएँ सटीक ऐतिहासिक समय-सीमा स्थापित करने में सहायता करती हैं।
- **राजनीतिक इतिहास पर अंतर्दृष्टि:** अभिलेख प्राचीन भारत में **शासकों, राजवंशों, विजयों, संधियों** और **प्रशासन** के बारे में बहुमूल्य विवरण प्रदान करते हैं।
- **प्रशासनिक प्रणालियाँ: अभिलेखों में अक्सर राजस्व प्रणालियों, भूमि अनुदान, कराधान** और **न्यायिक ढाँचे** के बारे में जानकारी शामिल होती है।
  - उदाहरण के लिये, **रुद्रदामन** के **जूनागढ़ (गिरनार) अभिलेख में सुदर्शन झील बाँध** के निर्माण और मरम्मत का वर्णन है, जो जल प्रबंधन में प्रशासनिक प्राथमिकताओं का प्रमाण प्रदान करता है।
- **भाषाई विकास:** अभिलेख **भाषाओं, लिपियों** और **साहित्यिक शैलियों** के विकास का दस्तावेज़ीकरण करते हैं।
  - **प्राकृत, ग्रीक** और **अरमाइक भाषाओं** में उत्कीर्ण अशोक के **अभिलेख** भाषाई विविधता और शासन को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिये स्थानीय लिपियों के उपयोग पर प्रकाश डालते हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक संरचनाएँ: व्यापार प्रथाओं, सामाजिक मानदंडों, जाति प्रणालियों** और **आर्थिक विवरणों की जानकारी** प्रायः अभिलेखों से प्राप्त होती है।
  - अभिलेखों से **प्राचीन धर्मों, मंदिर निर्माण, अनुष्ठानों** और **शाही संरक्षण** के बारे में विवरण पता चलता है।

प्राचीन भारत के कुछ महत्त्वपूर्ण अभिलेख

- **राजनीतिक अभिलेख:**
  - **जूनागढ़ (गिरनार) अभिलेख (रुद्रदामन):** दूसरी सदी का एक संस्कृत अभिलेख जिसमें **रुद्रदामन की उपलब्धियों** का विवरण है और **चंद्रगुप्त मौर्य** के **राज्यपाल पुष्यगुप्त** द्वारा **सुदर्शन झील बाँध** के निर्माण का उल्लेख है।
  - **भितरी स्तंभ अभिलेख: हूणों** के विरुद्ध **स्कंदगुप्त की सैन्य सफलता** और उसके **प्रशासनिक सुधारों** का वर्णन करता है।
- **प्रशासनिक और भूमि अनुदान अभिलेख**
  - **पहाड़पुर अभिलेख (बुद्धगुप्त):** बांग्लादेश में पाए गए इस अभिलेख में गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदान और धार्मिक संरक्षण पर प्रकाश डाला गया है।
  - **मंदसौर अभिलेख:** हूणों पर **यशोधर्मन** की विजय का विवरण, तथा क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने में उनकी भूमिका पर बल दिया गया है।
  - **ग्वालियर अभिलेख (राजा भोज प्रथम):** इसमें **ब्राह्मणों को दिये गए अनुदानों** का वर्णन है और **अग्रहारों** का उल्लेख है, जो कि **गुर्जर-प्रतिहारों** के अधीन **सामाजिक-आर्थिक प्रथाओं** को दर्शाता है।
  - **बाँसखेड़ा ताम्रपत्र: हर्षवर्धन** द्वारा हस्ताक्षरित, यह उनके **वंश, प्रशासन** और **शासन** के बारे में विवरण प्रदान करता है।
  - **देवपरा प्रशस्ति: बंगाल की विजय सेना** की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, तथा उस समय के **सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य** में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

शिलालेख और प्रस्तर अभिलेख

सोहगौरा ताम्रलेख (Sohgaura Copper Plate)

- **स्थिति-** सोहगौरा, गोरखपुर (UP)
- **उल्लेख -** अकाल राहत प्रयास
- **भाषा -** प्राकृत*
- **विशेषताएँ - मौर्य वंश**
  - सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताँबे की प्लेट
  - (दुर्लभ) पूर्व-अशोक ब्राह्मी शिलालेख

अशोक के अभिलेख

- **स्थिति -** पूर्वी भारत
- **उल्लेख -** धर्म के प्रति अशोक का दृष्टिकोण (बौद्ध दर्शन)
- **भाषा -** मगधी प्राकृत*
- **विशेषताएँ -** 33 शिलालेख (स्तंभ शिलालेख, प्रमुख प्रस्तर अभिलेख, लघु शिलालेख)
  - **बौद्ध धर्म का पहला मूर्त प्रमाण**
  - अशोक **देवनामपियदस्सी** के रूप में "भगवान के प्रिय सेवक"

रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख

- **स्थिति -** लुंबिनी, नेपाल
- **उल्लेख -** अशोक की लुंबिनी यात्रा और वहाँ दी गई कर छूट
- **लिपि -** ब्राह्मी
- **विशेषताएँ -** लघु स्तंभ शिलालेख

प्रयाग-प्रशस्ति (इलाहाबाद स्तंभ)

- **स्थिति** - इलाहाबाद किला (पहले कौशांबी)
- **उल्लेख -** अशोक स्तंभ लेकिन 4 अलग-अलग शिलालेखों के साथ
- **लिपि -** ब्राह्मी
- **4 शिलालेखों में शामिल हैं-**
  - सामान्य अशोकन शिलालेख
  - रानी कौर्वकि अभिलेख
  - हरिषेण द्वारा समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख
  - जहाँगीर के शिलालेख फारसी में

महरौली शिलालेख (महरौली लौह स्तंभ)

- **स्थिति -** कुतुबमीनार परिसर, दिल्ली
- **उल्लेख -** वाकाटक और वंग (Vanga) देशों की विजय का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है।
- **लिपि -** ब्राह्मी
- **विशेषताएँ - गुप्त वंश**
  - चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा **विष्णुपद** के रूप में स्थापित स्तंभ (भगवान विष्णु के सम्मान में)
  - जंग प्रतिरोधी धातु संरचना हेतु उल्लेखनीय।

कालसी शिलालेख

- **स्थिति -** कालसी नगर (उत्तराखंड)
- **उल्लेख -** प्रशासन, अहिंसा, आध्यात्मिकता में अशोक का मानवीय दृष्टिकोण
- **भाषा -** प्राकृत*
- **विशेषताएँ -** उत्तर भारत में एकमात्र स्थान, जहाँ अशोक के 14 शिलालेख मौजूद हैं।

मस्की शिलालेख

- **स्थिति -** मस्की (कर्नाटक में एक पुरातात्विक स्थल)
- **उल्लेख -** धर्मशासन (बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देता है)
- **भाषा -** प्राकृत*
- **विशेषताएँ -** पहला शिलालेख जिसमें पियदस्सी के स्थान पर अशोक का नाम है।

कलिंग अभिलेख

- **स्थिति -** कलिंग, ओडिशा
- **उल्लेख -** कलिंग युद्ध अशोक के लिये निर्णायक मोड़
- **भाषा -** मगधी प्राकृत, लिपि - ब्राह्मी
- **विशेषताएँ -** 14 शिलालेखों में से 11 का समूह
  - शांति का संकेत देने वाले 2 विशेष प्रस्तर अभिलेख
  - अशोक ने **दिग्विजय (Digvijaya) को** छोड़ दिया, अहिंसा और बौद्ध धर्म अपनाया

ऐहोल अभिलेख

- **स्थिति -** मेगुती मंदिर, कर्नाटक
- **उल्लेख -** पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्द्धन को पराजित किया
- **भाषा -** संस्कृत; लिपि - कन्नड़
- **विशेषताएँ -** चालुक्य विजय→पल्लव
  - **राजधानी: ऐहोल→बादामी**
  - रविकीर्ति (पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि) द्वारा लिखित

चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल थी

हाथीगुंफा अभिलेख (हाथी गुफा शिलालेख)

- **स्थिति -** उदयगिरि-खंडगिरि गुफाएँ, ओडिशा
- **उल्लेख -** जैन धर्म के समर्थक राजा खारवेल का इतिहास
- **भाषा -** प्राकृत*
- **विशेषताएँ - महामेघवाहन वंश**

नोट: *यहाँ * का तात्पर्य यह है कि जहाँ भाषा प्राकृत है, वहाँ लिपि ब्राह्मी है।*

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

फसल बीमा योजनाओं का विस्तार

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय **मंत्रिमंडल ने भारतीय किसानों को** समर्थन देने के लिये प्रमुख उपायों को मंज़ूरी दी है, जिसमें **डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरकों** के लिये विशेष सब्सिडी का विस्तार एवं **वर्ष 2025-26 तक फसल बीमा योजनाओं** को जारी रखना शामिल है।

भारतीय किसानों को सहायता देने के लिये हाल ही में कौन से प्रमुख उपाय किये गए हैं?

- **फसल बीमा योजना:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** एवं **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)** को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी।
- **डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP): 1 जनवरी, 2025** से अगले आदेश तक **पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी** से परे DAP पर एकमुश्त विशेष पैकेज बढ़ाने को मंज़ूरी दी।
  - यह वैश्विक बाज़ार में अस्थिरता के बावजूद **खरीफ एवं रबी मौसम** में किसानों के लिये **सस्ती दर पर DAP उर्वरक** सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- **नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष (FIAT): पारदर्शिता** बढ़ाने **तथा किये गए क्लेम की गणना एवं निपटान के लिये YES-TECH और WINDS** नामक योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय पहलों के वित्तपोषण हेतु **824.77 करोड़ रुपए** की राशि के साथ FIAT के निर्माण को मंज़ूरी दी गई।
  - **प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली (YES-TECH):** YES-TECH के तहत **प्रौद्योगिकी** आधारित उपज अनुमानों को महत्त्व देते हुए उपज आकलन के लिये **रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी** का उपयोग करना शामिल है।
  - **मौसम सूचना एवं नेटवर्क डाटा प्रणाली (WINDS):** WINDS का लक्ष्य **ब्लॉक स्तर** पर **स्वचालित मौसम केंद्र** और पंचायत स्तर पर **वर्षामापी स्थापित करना है, जिससे अति-स्थानीय मौसम आँकड़ों** के लिये नेटवर्क का घनत्व पाँच गुना बढ़ जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

- **परिचय:** यह एक **फसल बीमा योजना** है, जो किसानों को **वर्षा, तापमान, पाला, आर्द्रता** आदि अप्रत्याशित फसल विफलताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाती है।
- **उद्देश्य:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो बुवाई से पूर्व** से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है।
- **कवरेज़:** इसमें **खाद्य फसलें** (अनाज, बाज़रा और दालें), **तिलहन** और वार्षिक **वाणिज्यिक**/वार्षिक **बागवानी फसलें शामिल हैं।**
  - अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले **बटाईदारों** और **काश्तकारों** समेत सभी **किसान कवरेज़ के लिये पात्र हैं।**
- **प्रीमियम:** इस योजना के तहत किसान **खरीफ फसलों के लिये 2%, रबी फसलों के लिये 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों** के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान करते हैं।

नोट: PMFBY प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिये मुआवज़ा देने के लिये **वास्तविक फसल नुकसान के आकलन** पर निर्भर करता है। **इसके विपरीत, RWBCIS किसानों को वर्षा, तापमान, आर्द्रता और पवन की गति** जैसे पूर्वनिर्धारित जलवायु मापदंडों से विचलन के आधार पर मुआवज़ा देता है।

- RWBCIS इन जलवायु मापदंडों का उपयोग फसल की उपज़ के लिये प्रॉक्सी के रूप में करता है, ताकि प्रत्यक्ष क्षेत्र-स्तरीय आकलन की आवश्यकता के बगैर, फसल के नुकसान का अनुमान लगाया जा सके और उसकी भरपाई की जा सके।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय** ने **राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024** की घोषणा की।

- **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

(MAKA) ट्रॉफी के लिये पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्त्ता कौन हैं?	
पुरस्कार	खिलाड़ी का नाम
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार	गुकेश डी (शतरंज), हरमनप्रीत सिंह (हॉकी), प्रवीण कुमार (पैरा-एथलेटिक्स) और मनु भाकर (निशानेबाजी)।
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये अर्जुन पुरस्कार	सुश्री ज्योति याराजी (एथलेटिक्स), अन्नू रानी (एथलेटिक्स), नीतू (मुक्केबाजी), राकेश कुमार (पैरा-तीरंदाजी), नवदीप (पैरा-एथलेटिक्स) आदि।
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम)	सुच्चा सिंह (एथलेटिक्स), मुरलीकांत राजाराम पेटकर (पैरा-तैराकी)
द्रोणाचार्य पुरस्कार	सुभाष राणा (पैरा-शूटिंग), एस मुरलीधरन (बैडमिंटन) आदि।
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार	फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (MAKA) ट्रॉफी	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (समग्र विजेता)

भारत में दिये जाने वाले विभिन्न खेल पुरस्कार कौन-कौन से हैं?

- **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार:** इसे **भारत का सर्वोच्च खेल** सम्मान माना जाता है।
  - किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले **चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किये गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन** के लिये दिया जाता है। जिसमे विजेताओं को एक **पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि पुरस्कार** के रूप में प्रदान की जाती है।
- **अर्जुन पुरस्कार:** यह **चार वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन** के लिये दिया जाता है।
  - अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को **अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नकद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है।**
- **द्रोणाचार्य पुरस्कार:** यह **प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान** है।
  - यह पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में **पदक विजेता तैयार करने वाले व्यक्तियों** को दिया जाता है।
- **मेजर ध्यानचंद पुरस्कार:** यह भारत के हॉकी के जादूगर **ध्यानचंद** के नाम पर दिया जाने वाला एक और पुरस्कार है।
  - यह खेलों में आजीवन (लाइफटाइम) उपलब्धियों के लिये **भारत का सर्वोच्च सम्मान** है।
- **मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी:** यह किसी **संस्था या विश्वविद्यालय को** पिछले **एक वर्ष में अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों** में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिये दी जाती है।
- **राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार:** यह पुरस्कार पिछले तीन वर्षों में खेल के प्रचार और विकास के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले **संगठनों या कॉर्पोरेट्स (निजी और सार्वजनिक दोनों) और व्यक्तियों** को दिया जाता है।

डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क के 3 वर्ष

भारत के प्रधानमंत्री ने ई-**कॉमर्स** पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका के लिये **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)** पर प्रकाश डाला है।

- **हाल ही में ONDC ने 15 मिलियन से अधिक मासिक लेनदेन** के साथ 3 वर्ष पूरे किये हैं, जिससे प्लेटफॉर्म एकाधिकार का सामना करने और समान अवसर को बढ़ावा देने में प्रगति हुई है।

डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क क्या है?

- **ONDC:** इसको **अप्रैल 2022 में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)**, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य **एक खुले,**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

समावेशी और अंतर-संचालन योग्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण करना है।

- ONDC को दिसंबर 2021 में एक **गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया** और **प्रोटीन ई-गोव टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के** संस्थापक सदस्य शामिल हैं।

- **उद्देश्य:**
  - **वाणिज्य का लोकतंत्रीकरण: एकाधिकारवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों** के प्रभुत्व को कम करने के लिये अंतर-संचालन को बढ़ावा देना।
  - **लागत दक्षता: ग्राहकों के अधिग्रहण और लेनदेन प्रसंस्करण** की लागत को कम करना।
  - **बाज़ार का विस्तार:** व्यापक बाज़ार भागीदारी के लिये **क्षेत्रीय और भाषाई अंतर को** पाटना।
  - **उपभोक्ता सशक्तीकरण: छूट और प्रमोशन के माध्यम से कम कीमतों पर खरीदारों को विविध उत्पाद और सेवा विकल्प** प्रदान करना, विकल्पों को बढ़ाना और प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना।

Benefits of ONDC

Sr. No.	Stakeholder	Benefit
1	Sellers	➤ Access to a wider audience
		➤ Reduced dependence on large platforms
		➤ Enhanced revenue opportunities
2	Buyers	➤ Increased options for products and services
		➤ Competitive pricing due to broader seller participation
3	Service Providers	➤ Opportunities for logistics, fintech, and IT service providers to integrate into the network
4	Consumers	➤ Discover sellers, products, and services on any compatible platform
		➤ Match demand with nearby suppliers and choose local businesses

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **ओपन प्रोटोकॉल: ओपन-सोर्स कार्यप्रणाली** (जिस तक हर कोई पहुँच सकता है) और प्रोटोकॉल पर निर्मित, ONDC क्रेताओं तथा विक्रेताओं को विभिन्न प्लेटफॉर्मों और अनुप्रयोगों पर निर्बाध रूप से लेनदेन करने की अनुमति देता है।
    - **भूमिका पृथक्करण:** प्रतिभागियों में **क्रेता ऐप्स** (उपभोक्ताओं और विक्रेताओं को जोड़ना), **विक्रेता ऐप्स** (व्यवसायों के लिये उत्पादों को सूचीबद्ध करने और प्रबंधित करने के लिये इंटरफेस), **लॉजिस्टिक्स प्रदाता** (कुशल परिवहन सुनिश्चित करना), **टेक इनेबलर्स** (IT उपकरण प्रदान करना) शामिल हैं।
  - **क्षेत्रीय दायरा:** ONDC खाद्य, किराना और फैशन से लेकर वित्तीय सेवाओं, कृषि और स्वास्थ्य तक विविध क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करता है।

- **ONDC के लाभ:**
  - **MSME: ONDC देशव्यापी दृश्यता** बढ़ाकर, **उच्च लागत वाले प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता** कम करता है और परिचालन व्यय को कम करते हुए **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को सशक्त बनाता है।**
  - यह डिजिटल कौशल निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है और MSME-टीम योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिला-स्वामित्व वाले तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देकर समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **स्टार्टअप:** ONDC स्टार्टअप महोत्सव के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देता है, तथा स्टार्टअप को लॉजिस्टिक्स, आईटी और विक्रेता-क्रेता प्लेटफॉर्मों में अवसर प्रदान करता है, ताकि वे एक विशाल ई-कॉमर्स नेटवर्क में एकीकृत हो सकें।
  - **जागरूकता के लिये ONDC की पहल:**
    - ONDC छोटे व्यवसायों को शिक्षित करने के लिये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) जैसे उद्योग संघों के साथ कार्यशालाएँ आयोजित कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- ONDC ने भारतीय भाषाओं में ऐप विकास और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिये भाषिणी के साथ सहयोग किया है।
  - "ONDC **सहायक" व्हाट्सएप बॉट** 5 भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है।
- **ONDC की उपलब्धियाँ: ONDC ने बंगलुरू और दिल्ली** जैसे शहरों में सफलतापूर्वक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया है, जबकि **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने** हिमाचल प्रदेश में **उचित मूल्य की दुकान का पायलट प्रोजेक्ट** शुरू किया है।

- प्रारंभ में **खाद्य एवं पेय (F एंड B)** और किराना से शुरुआत करते हुए, ONDC ने मोबिलिटी, फैशन, स्वास्थ्य और B2B जैसी श्रेणियों तक विस्तार किया है।
- जनवरी 2024 तक यह **616 से अधिक शहरों को कवर कर लेगा, जिससे इसकी भौगोलिक पहुँच में वृद्धि होगी।**

- पुरस्कार और मान्यता: वर्ष 2024 में ONDC को ई-गवर्नेंस के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों में "नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिये उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग" पुरस्कार मिला और इसे 14वें भारत डिजिटल पुरस्कार (IDA) में "स्टार्ट-अप ऑफ द ईयर" के रूप में मान्यता दी गई।
  - वर्ष 2023 में ONDC को **ग्लोबल फिनटेक अवॉर्ड्स** में **"फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर" के रूप में मान्यता दी गई।**

अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1978

चर्चा में क्यों?

अरुणाचल प्रदेश सरकार, **अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1978** के अधिनियमित होने के लगभग **46 वर्ष बाद**, इसके प्रवर्तन हेतु नियम बनाकर इसे लागू करने के क्रम में कदम उठा रही है।

- इस कदम का **उद्देश्य राज्य में जबरन धर्मांतरण** से संबंधित चिंताओं को दूर करना है।

अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1978 क्या है?

- **परिचय:**
  - अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1978 को जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिये लागू किया गया था।
  - यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में **तीव्र सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों** के दौर में (1978 में) लागू किया गया था जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों की **पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का बाहरी प्रभाव या दबाव** से संरक्षण करना था।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **स्वदेशी आस्थाओं की परिभाषा:** यह अधिनियम स्पष्ट रूप से अरुणाचल प्रदेश के मूल समुदायों द्वारा अपनाए जाने वाले **धर्मों, विश्वासों, रीति-रिवाजों** को स्वदेशी आस्थाओं के रूप में मान्यता देता है। इनमें शामिल हैं:
    - **बौद्ध धर्म: मोनपा, मेंबा,** शेरदुकपेन, खंबा, खंपति और सिंगफोस जैसे जनजातीय समूहों के बीच प्रचलित।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **प्रकृति पूजा: विशेष रूप से डोनी-पोलो** (जिसका अर्थ है "सूर्य और चंद्रमा") की पूजा राज्य के कई समुदायों द्वारा की जाती है।
- **डोनी-पोलो** पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम के तानी और अन्य चीनी-तिब्बती लोगों का स्वदेशी धर्म है।
- **वैष्णव धर्म:** जैसा कि **नोक्टेस और आकाओं** द्वारा प्रचलित है।

❖ **जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिषेध:** यह अधिनियम स्पष्ट रूप से **किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध या बलपूर्वक किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध** लगाता है।

❖ **उल्लंघन के लिये दंड:** अधिनियम में दूसरों को जबरन धर्मांतरित करने या ऐसा करने का प्रयास करने का दोषी पाए जाने पर **2 वर्ष तक के कारावास** और **10,000 रुपए तक के जुर्माने** की सजा का प्रावधान है।

❖ **अनिवार्य रिपोर्टिंग:** अधिनियम में यह प्रावधान है कि **धर्म परिवर्तन के किसी भी कृत्य की सूचना संबंधित जिले के उपायुक्त (DC)** को दी जानी चाहिये।

- **पुनरुद्धार हेतु प्रयास:**

❖ वर्ष 2022 में एक **जनहित याचिका (PIL)** के बाद अधिनियम के पुनरुद्धार को गति मिली, जिसके कारण गुवाहाटी **उच्च न्यायालय** के हस्तक्षेप से राज्य सरकार को इसके **कार्यान्वयन के लिये आवश्यक नियमों को अंतिम रूप देने के लिये प्रेरित** किया गया।

❖ **इसे अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी आस्था और सांस्कृतिक सोसायटी (IFCSAP)** जैसे संगठनों द्वारा भी समर्थन दिया गया है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी मान्यताओं की रक्षा करना है, विशेष रूप से कुछ ज़िलों में जहाँ **धर्मांतरण की दर 90% तक देखी गई है।**

- **अरुणाचल प्रदेश में ईसाई जनसंख्या वर्ष** 1971 **में 0.79%** से बढ़कर वर्ष 2011 में 30.26% हो गयी।

धार्मिक आस्था से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 25: अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य** के अधीन, **अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार को** सुनिश्चित करता है।
  - ❖ यह राज्य को **धार्मिक आचरण** से संबंधित **धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की अनुमति देता है, जो** सभी हिंदुओं के लिये हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने का आदेश देता है, चाहे उनकी जाति या वर्ग कुछ भी हो।
- **अनुच्छेद 26: अनुच्छेद 26** प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन **अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।**
- **अनुच्छेद 27-30: धार्मिक प्रथाओं के लिये वित्तीय योगदान देने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने** तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिये **शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता** की रक्षा करना है।

राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानून

- **ओडिशा (वर्ष 1967):** यह **धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने वाला पहला राज्य बना**, जिसमें जबरन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण पर रोक लगाई गई।
- **मध्यप्रदेश (वर्ष 1968): मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम** लागू किया गया, जिसके अधीन किसी भी धर्मांतरण गतिविधि की सूचना ज़िला मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य किया गया, तथा इसका पालन न करने पर दंड का प्रावधान किया गया।
- **अन्य राज्य: गुजरात (2003), छत्तीसगढ़ (2000 और 2006), राजस्थान (2006 और 2008), हिमाचल प्रदेश (2006 तथा 2019), तमिलनाडु (2002 एवं 2004), झारखंड (2017), उत्तराखंड (2018), उत्तर प्रदेश (2021) और हरियाणा (2022) सहित कई अन्य राज्यों ने** विभिन्न प्रकार के धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से समान कानून प्रवर्तित किये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

❖ इन कानूनों में प्राय: **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), नाबालिगों** और **महिलाओं** के **धर्मांतरण पर कठोर दंड का प्रावधान** होता है।

लीड्स 2024 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने छठी लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2024** रिपोर्ट जारी की।

- **गतिशक्ति विश्वविद्यालय (GSV)** ने **कुशल अवसंरचना नियोजन और राष्ट्रीय विकास के लिये PM गतिशक्ति अवधारणा** पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया।

लीड्स 2024 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **परिचय:** यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** द्वारा **अंतर-राज्यीय प्रतिस्पर्द्धा** को बढ़ावा देने और नीति निर्माताओं को लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करने के लिये जारी किया जाने वाला एक वार्षिक मूल्यांकन है।
  - ❖ LEADS की परिकल्पना वर्ष 2018 में **विश्व बैंक** के **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI)** की तर्ज पर की गई थी।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य सुधारों की पहचान करने, **निवेश आकर्षित करने** और **लॉजिस्टिक्स दक्षता** में सुधार करने के लिये **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT)** में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है।
- **मूल्यांकन:** रिपोर्ट **चार प्रमुख स्तंभों** के आधार पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करती है:
  - ❖ लॉजिस्टिक्स अवसंरचना
  - ❖ लॉजिस्टीक्स सेवा
  - ❖ परिचालन और विनियामक वातावरण
  - ❖ **सतत् लॉजिस्टिक्स** (वर्ष 2024 में शुरू किया गया)।

वर्ष 2024 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग

समूह	अचीवर्स	फास्ट मूवर्स	आकांक्षी
तटीय राज्य	गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश, गोवा	केरल, पश्चिम बंगाल
स्थलरुद्ध राज्य	हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान	छत्तीसगढ़, झारखंड
पूर्वोत्तर राज्य	असम, अरुणाचल प्रदेश	मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा	मणिपुर
केंद्र शासित प्रदेश	चंडीगढ़, दिल्ली	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख

- **प्रमुख सिफारिशें:**
  - ❖ लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिये लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में **LEAD ढाँचे** को अपनाने की आवश्यकता है।
    - ✸ LEAD फ्रेमवर्क में **दक्षता, प्रभावशीलता, पहुँच और जवाबदेहिता के साथ प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण** शामिल है।
  - ❖ **ग्रीन लॉजिस्टिक्स** और धारणीय परिवहन पहल को बढ़ावा देना चाहिये।
  - ❖ मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब को बढ़ावा देने के क्रम में **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - ❖ अंतिम मील तक कनेक्टिविटी हेतु **क्षेत्रीय तथा शहर स्तरीय लॉजिस्टिक्स योजनाएँ** विकसित करनी चाहिये।
  - ❖ **लैंगिक समावेशिता को** बढ़ावा देना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के लिये **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) एवं डेटा एनालिटिक्स** जैसी नई तकनीकों को अपनाना चाहिये।

भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

- **योगदान:** इसका **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 13-14%** का योगदान होने के साथ इससे **22 मिलियन** से अधिक लोगों को आजीविका मिलती है। इस क्षेत्र में वर्ष **2027 तक 1 करोड़ रोज़गार** होने का अनुमान है।
  - **वित्त वर्ष 22** में भारत का लॉजिस्टिक्स बाज़ार **435 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का था और **वित्त वर्ष 27 तक इसके 591 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने** का अनुमान है।
- **लॉजिस्टिक्स लागत:** वर्तमान में भारत की **लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष 13-14%** (जो काफी अधिक है) है।
  - **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022 का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 8-9%** के वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप कम करना है।
- **वैश्विक स्थिति:** विश्व बैंक की **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट, 2023 में 139 देशों में** भारत **38वें स्थान** पर है।
  - LPI, **विश्व बैंक** द्वारा विकसित एक **इंटरैक्टिव टूल है** जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स से संबंधित **चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने** के साथ **उनके प्रदर्शन को बेहतर** बनाने में सहायक है।

भारत में निर्धनता में कमी-SBI

चर्चा में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया शोध रिपोर्ट में ग्रामीण तथा शहरी भारत में गरीबी दर में आने वाली उल्लेखनीय गिरावट पर प्रकाश डाला गया है।

- इस रिपोर्ट में इस गिरावट का श्रेय लक्षित सरकारी हस्तक्षेप, उन्नत ग्रामीण बुनियादी ढाँचे तथा निम्न आय वर्ग के बीच बेहतर उपभोग पैटर्न को दिया गया है।

SBI रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **गरीबी दर में कमी:**
  - **ग्रामीण गरीबी:** यह **वर्ष 2011-12** के 25.7% से घटकर वित्त वर्ष 24 में **4.86%** रह गई।
  - **शहरी गरीबी:** यह **वित्त वर्ष 2024 में लगभग 4.09%** (जो 2011-12 में 13.7% थी) थी।

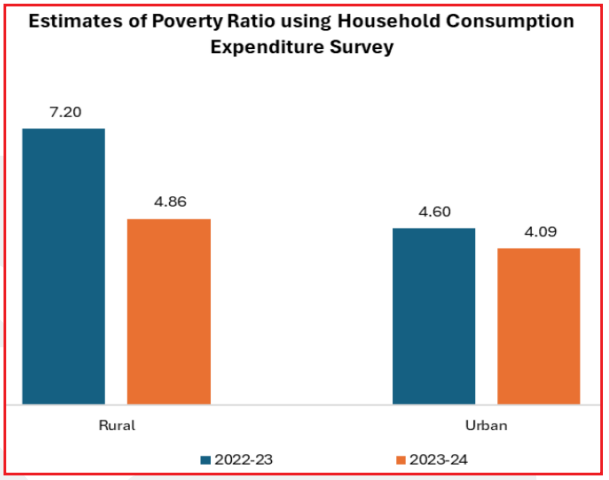

- **सरकारी हस्तक्षेप का प्रभाव: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), बुनियादी ढाँचे के विकास** तथा **किसान-केंद्रित पहलों** से ग्रामीण आजीविका में सुधार होने के साथ उपभोग असमानता में कमी आई है।
  - आय सहायता और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित **लक्षित कार्यक्रमों से कम आय वर्ग** के लोगों को काफी लाभ पहुँचा है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर उपभोग: ग्रामीण उपभोग में तीव्र वृद्धि** हो रही है और यह शहरी उपभोग के बराबर पहुँच रही है। ग्रामीण **मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)** यानी शहरी और ग्रामीण खपत के बीच का अंतर (जिसे ग्रामीण खपत के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है) **कम** हो रहा है।
  - यह **वर्ष 2004-05 के 88.2%** से घटकर **वर्ष 2023-24 में 69.7%** हो गया जो ग्रामीण एवं शहरी खर्च के बीच कम होते अंतर को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

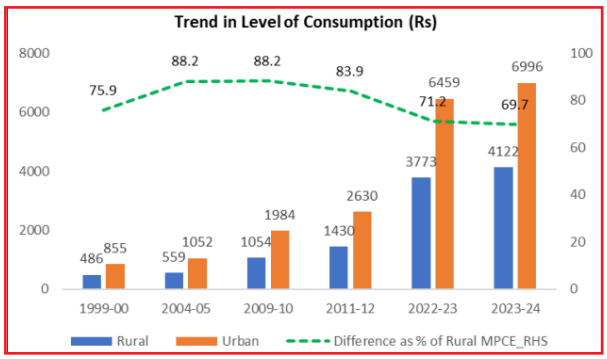

- ❖ **नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (अगस्त 2023-जुलाई 2024)** के आँकड़ों से भी इसकी पुष्टि हुई है जिसमें **शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच MPCE में अंतर में कमी** आने का संकेत दिया गया है, जो **वर्ष 2011-12 के 84% से** घटकर **वर्ष 2022-23 में 71%** तथा **2023-24 में 70%** हो गया।

- **गरीबी रेखा की परिभाषा:** मुद्रास्फीति और आरोपण कारकों के समायोजन के बाद वित्त वर्ष 24 में अनुमानित **गरीबी रेखा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 1,632 रुपए** तथा **शहरी क्षेत्रों के लिये 1,944 रुपए** है।
  - ❖ इससे पहले वर्ष 2011-12 में **तेंदुलकर समिति** ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये गरीबी की सीमा 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिये 1,000 रुपए निर्धारित की थी।

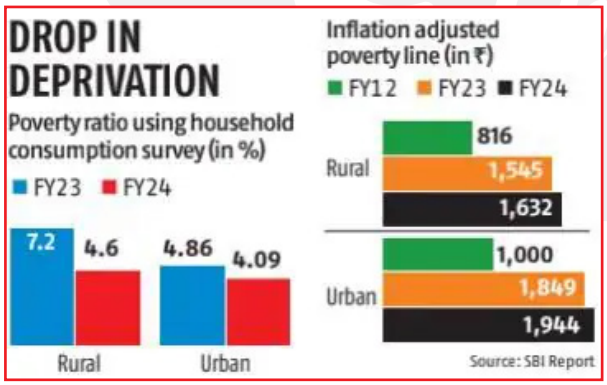

- **राज्यवार बचत:** राज्यवार बचत दर का अनुमान MPCE और **प्रति व्यक्ति आय** का उपयोग करके लगाया गया, जिसमें ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या वितरण को शामिल किया गया।

- **उच्च आय** वाले राज्यों की बचत दर, **राष्ट्रीय औसत 31% से अधिक** है, जो **मज़बूत वित्तीय स्थिरता** का संकेत है।
- **उत्तर प्रदेश** और **बिहार** जैसे **कम आय वाले राज्यों में बचत दर कम** है, जिसका कारण संभवत: **उच्च बाह्य प्रवास** है जिससे **आय** एवं **उपभोग पैटर्न प्रभावित होता** है।
  - ❖ बिहार **एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी बचत दर नकारात्मक -6%** है।
    - ✸ **उच्चतम (गोवा: 49%)** और **निम्नतम (बिहार: -6%) बचत दरों** के बीच **महत्त्वपूर्ण असमानता** है।

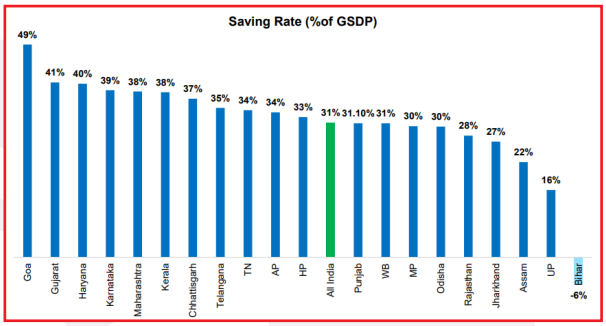

- **मुद्रास्फीति का प्रभाव:**
  - ❖ **उपभोग मांग की लोच:**
    - ✸ **उपभोग मांग लोचदार है (|e| > 1),** जिसका अर्थ है कि **खाद्य कीमतों में परिवर्तन** खाद्य व्यय सहित समग्र व्यय को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
    - ✸ खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण **MPCE में कमी** आती है, तथा **निम्न और उच्च आय वाले दोनों राज्यों में नकारात्मक लोच** यह दर्शाती है कि **उच्च खाद्य मुद्रास्फीति, मांग के नियम** के अनुरूप, उपभोग को कम करती है।
  - ❖ निम्न आय वाले राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र बढ़ती खाद्य कीमतों से अधिक प्रभावित हैं, जो उनकी अधिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।
  - ❖ इसके विपरीत, **कम खाद्य मुद्रास्फीति मध्यम आय वाले राज्यों में MPCE को बढ़ाती है,** जहाँ **सकारात्मक लोच**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

यह दर्शाती है कि **कम खाद्य मुद्रास्फीति से उपभोग बढ़ता है और मांग बनी रहती है।**

- मध्यम आय वाले राज्यों के शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ MPCE में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

- **क्षेत्रीय असमानताएँ:**
  - **ग्रामीण-शहरी अंतर का प्रभाव निम्न आय वाले राज्यों में कम है,** लेकिन **उच्च आय वाले राज्यों में यह अधिक स्पष्ट** है।
  - इससे पता चलता है कि **निम्न आय वाले राज्यों के ग्रामीण लोग** उच्च आय वाले राज्यों की तुलना में **जोखिम लेने के प्रति अधिक सतर्क** हैं।

गरीबी उन्मूलन के लिये सरकारी पहल

- **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि-PM स्वनिधि**
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)**
- **राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM)**
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY)**
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना**

वन्यजीव ट्रैंक्विलाइज़ेशन

हाल ही में जीनत नामक तीन वर्ष की बाघिन को पश्चिम बंगाल के **बांकुरा के जंगलों** से बेहोश करके पकड़ लिया गया और उसे **ओडिशा के सिमलीपाल बाघ अभयारण्य** में स्थानांतरित किया गया।

- **ट्रैंक्विलाइज़ेशन न केवल संरक्षण प्रयासों के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण** है बल्कि जीवों तथा मानव आबादी की सुरक्षा हेतु भी निर्णायक है।

वन्यजीव ट्रैंक्विलाइज़ेशन क्या है?

- **परिचय:**
  - वन्यजीव ट्रैंक्विलाइज़ेशन विभिन्न **संरक्षण, अनुसंधान या बचाव उद्देश्यों हेतु** सुरक्षित रूप से पकड़ने, नियंत्रित करने या स्थानांतरित करने हेतु जंगली जानवरों को **विशिष्ट प्रशामक दवाओं का** उपयोग करके बेहोश करने की प्रक्रिया है।
- **विनियमन:**
  - ट्रैंक्विलाइज़र का उपयोग **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत विनियमित किया जाता है।**
  - भारत में, **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के तहत **राज्य वन विभागों द्वारा पशुओं के ट्रैंक्विलाइज़ेशन/बेहोशी की निगरानी की जाती है, जिसमें प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** द्वारा प्रावधानित विशेषज्ञता का सहयोग लिया जाता है।
- **विधियाँ और उपकरण:**
  - डार्ट को **दूर से ही चलाया जाता है, आमतौर पर** डार्ट को आगे बढ़ाने के लिये संपीड़ित CO_2 गैस का उपयोग किया जाता है।
  - उड़ान के दौरान सटीकता में सुधार करने के लिये डार्ट पर पंखों का एक **गुच्छा या अन्य स्थिरीकरण सामग्री लगाई जाती है।**
  - **ट्रैंक्विलाइज़र गन और डार्ट:** वन्यजीवों को बेहोश करने के लिये प्राथमिक उपकरण **डार्ट गन है,** जिसकी सहायता से प्रशामक औषधियों से भरी एक सिरिंज को लक्षित जानवर पर छोड़ा जाता है।
  - डार्ट में अक्सर एक **हाइपोडर्मिक सुई** और एक **बार्ब (काँटे या दाँत जैसी संरचना) लगा होता है,** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औषधि लक्षित जानवर की त्वचा के भीतर प्रभावी रूप से पहुँच जाए।
- **औषधियों के प्रकार:**
  - **ओपिओइड (Opioids): M99 (एटॉर्फिन)** जैसी दवाएँ, जिनका उपयोग हाथी और बाघ जैसे बड़े स्तनधारियों को स्थिर करने के लिये किया जाता है।
  - वन्यजीवों को प्रशान्त/बेहोश करने के लिये, **मॉर्फिन का** उपयोग कभी-कभी अन्य औषधियों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।
- **अल्फा-एड्रेनर्जिक ट्रैंक्विलाइज़र: ज़ाइलाज़िन (Xylazine)** और **केटामाइन (Ketamine)** जैसी औषधियों का उपयोग आमतौर पर हिरण तथा बाघ जैसे जानवरों को प्रशान्त करने हेतु किया जाता है।
  - **ज़ाइलाज़िन** एक प्रशामक और मांसपेशी शिथिलक के रूप में कार्य करता है, जबकि **केटामाइन** असाहचर्य को प्रेरित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

करने तथा निश्चलता की अवधि को बढ़ाने में मदद करता है।

- ये औषधियाँ अधिक नियंत्रित प्रशामक के रूप में कार्य करती हैं तथा इनमें प्रतिविष/एंटीडोट का उपयोग करके प्रभावों को विपरीत स्थिति में लाने की क्षमता भी होती है।

- **प्रतिवर्ती/रिवर्सल एजेंट: नालोक्सोन (Naloxone)** जैसे विशिष्ट एंटीडोट का उपयोग ट्रैंक्विलाइज़ेशन (बेहोशी की अवस्था) के प्रभावों को समाप्त करने हेतु किया जाता है।
- **अनुप्रयोग:**
  - **संरक्षण एवं पुनर्वास: इसका उपयोग मानव-वन्यजीव संघर्ष क्षेत्रों से जानवरों को** सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने या लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित अभ्यारण्यों में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है।
  - **अनुसंधान एवं निगरानी:** स्वास्थ्य आकलन, टैगिंग और प्रवासन प्रतिरूप/पैटर्न का अध्ययन करने हेतु जानवरों को पकड़ने के लिये प्रयुक्त किया जाता है।
  - **बचाव कार्य/अभियान: घायल या फँसे हुए पशुओं को बचाने,** पशु चिकित्सा देखभाल या पुनर्वास केंद्रों तक उनके परिवहन हेतु इसका उपयोग आवश्यक हो जाता है।

वन्यजीव संरक्षण के लिये भारत के प्रयास

- **वन्यजीवन हेतु संवैधानिक प्रावधान:**
  - **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा वन तथा वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण को **राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।**
  - **अनुच्छेद 51 A (g)** में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह **कर्तव्य** होगा कि वह जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

❖ **अनुच्छेद 48A में** यह प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करने तथा **देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।**

- **विधिक ढाँचा:**
  - ❖ **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972**
  - ❖ **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**
  - ❖ **जैविक विविधता अधिनियम, 2002**
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - ❖ **वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)**
  - ❖ **वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)**
  - ❖ **जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)**
  - ❖ **वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (ट्रैफिक/TRAFFIC)**
  - ❖ **अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)**
  - ❖ **ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)**

ऑयल पाम वृक्षारोपण को प्राथमिकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **कृषि मंत्रालय ने** राज्य सरकारों से **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP)** योजना के तहत ऑयल पाम रोपण लक्ष्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

NMEO-OP योजना के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** NMEO-OP **कच्चे पाम तेल (CPO)** के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है जिससे देश की आयात पर निर्भरता कम होगी।
- **उद्देश्य:**
  - ❖ **क्षेत्र विस्तार: वर्ष 2025-26 तक अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर** ऑयल पाम क्षेत्र को कवर करना, जिससे इसके तहत शामिल कुल क्षेत्र **10 लाख हेक्टेयर** तक बढ़ जाएगा।
  - ❖ **उत्पादन लक्ष्य:** CPO उत्पादन को **0.27 लाख टन** (2019-20) से बढ़ाकर **11.20 लाख टन** (2025-26) तथा **वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन** तक करना।
  - ❖ **प्रति व्यक्ति उपभोग: वर्ष 2025-26 तक 19 किग्रा/व्यक्ति/वर्ष** का उपभोग स्तर बनाए रखना।
  - ❖ **फोकस क्षेत्र:** ऑयल पाम की खेती एवं CPO उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये **पूर्वोत्तर क्षेत्र** और **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** पर विशेष ध्यान देना।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - ❖ **मूल्य आश्वासन:** यह किसानों को अंतर्राष्ट्रीय **मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने के लिये व्यवहार्यता मूल्य** तंत्र पर केंद्रित है।
    - ✸ व्यवहार्यता निधि का भुगतान **DBT** के रूप में **सीधे किसानों के खातों** में किया जाएगा।
  - ❖ **सहायता में वृद्धि:** रोपण सामग्री के लिये सहायता राशि **12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर** कर दी गई।
    - ✸ पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिये **प्रति पौधा 250 रुपए** की विशेष सहायता प्रदान की गई।
  - ❖ **पूर्वोत्तर और अंडमान के लिये विशेष प्रावधान:** सभी क्षेत्रों में किसानों को भुगतान में **समानता सुनिश्चित करने के लिये CPO मूल्य का अतिरिक्त 2%** सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
    - ✸ **एकीकृत खेती** के साथ-साथ **अर्द्धचंद्राकार सीढ़ीनुमा खेती और बायो फेंसिंग** के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं।

नोट:

- अर्द्ध-चंद्राकार सीढ़ीनुमा खेती एक **मृदा पुनर्व्यवस्था तकनीक** है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिये प्रवाहित जल को एकत्रित करने एवं संकेंद्रित करने हेतु **अर्द्धवृत्ताकार तटबंधों** का निर्माण किया जाता है।
- **बायो फेंसिंग** का अर्थ है खेत और मैदान की सीमाओं पर पेड़ों की पंक्तियाँ लगाना, जिससे **मवेशियों एवं वन्यजीवों** से सुरक्षा मिल सके। यह **वायु अवरोधक के रूप में कार्य करने के साथ धूल को नियंत्रित** करने पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

ऑयल पाम

- **उत्पत्ति और उपज:** इसकी उत्पत्ति **पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन** क्षेत्र में हुई। यह **भारत में तुलनात्मक रूप से नई फसल** है लेकिन **प्रति हेक्टेयर इसकी वनस्पति तेल उपज क्षमता सबसे अधिक** है।
  - पाम ऑयल की उत्पादकता पारंपरिक तिलहनों की तुलना में **पाँच गुना** अधिक है।
- **प्रकार:** इससे दो प्रकार के तेल मिलते हैं।
  - **पाम ऑयल:** फल के **मेसोकार्प** से प्राप्त (45-55% तेल सामग्री)।
  - **पाम कर्नेल ऑयल:** यह **कर्नेल** से प्राप्त होता है, जो लॉरिक तेलों का एक स्रोत है।
- **ऑयल पाम की खेती:**
  - **प्रमुख राज्य: आंध्र प्रदेश,** तेलंगाना और केरल (कुल उत्पादन का 98%)।
  - **अन्य प्रमुख राज्य : कर्नाटक,** तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड।
- **विस्तार:** भारत में इसका कुल संभावित क्षेत्रफल लगभग **28 लाख हेक्टेयर** है लेकिन **केवल 3.70 लाख हेक्टेयर** क्षेत्रफल पर ही पाम ऑयल की खेती होती है।
- **आयात:** भारत वर्ष 2023-24 में **9.2 मिलियन टन** पाम ऑयल आयात के साथ **विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है।**
  - **कुल खाद्य तेल आयात में 60% हिस्सेदारी** पाम ऑयल की है।
  - **भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड** से ऑयल खरीदता है।

जलवायु परिवर्तन और अफ्रीकी पूर्वी लहरें

चर्चा में क्यों?

कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि **जलवायु परिवर्तन से अफ्रीकी पूर्वी लहरों (AEW)** में परिवर्तन के कारण **साहेल क्षेत्र में बाढ़** की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि होगी।

अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं?

- **AEW गतिविधि में वृद्धि:** अध्ययन में 21वीं सदी के अंत तक **साहेल-सहारा** में AEW में वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है।
  - गिनी तट और सहारा के बीच **मज़बूत मध्याह्न तापमान प्रवणता** (क्षेत्रों के बीच तापमान में अंतर) के कारण **बढ़ी हुई बैरोक्लिनेसिटी** (ऊँचाई के साथ **वायुमंडलीय दबाव और घनत्व में परिवर्तन**) के कारण तीव्रता बढ़ रही है।
- **मानसून प्रवाह में वृद्धि:** अध्ययन में पाया गया कि **निम्न-स्तर की उष्णता मानसून प्रवाह को मज़बूत करती है, अभिसरण** को बढ़ाती है (ऊर्ध्वाधर स्तंभ में प्रवेश करने वाली वायु की मात्रा उससे बाहर जाने वाली वायु की मात्रा से अधिक होती है) और **अंतर-उष्णकटिबंधीय असंततता (ITD)** के साथ वायु की ऊर्ध्वाधर गति AEW की संरचना को बदल देती है।
  - ITD **गर्म और शुष्क रेगिस्तानी वायु** तथा अरब सागर से आने वाली **ठंडी और नम वायु** के बीच की सीमा है।
- **निहितार्थ:**
  - **सहारा क्षेत्र की धूल का स्थानांतरण:** उत्तरी ट्रैक AEW (सहारा रेगिस्तान के करीब) से आने वाली तेज पवनें शुष्क सहारा वायु को प्रवाहित कर सकती हैं, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण (उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण) को रोका जा सकता है या विलंबित किया जा सकता है, जब तक कि गर्म पश्चिमी अटलांटिक में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ न बन जाएं।
  - **MCS से संबंध:** AEW **मेसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम (MCS)** से संबंधित हैं, जो अत्यधिक वर्षा का कारण बनते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि AEW की गतिविधि में वृद्धि से साहेल में **अधिक लगातार एवं तीव्र बाढ़ की घटनाएँ** हो सकती हैं।

अफ्रीकी पूर्वी लहरें क्या हैं?

- **परिभाषा:** अफ्रीकी पूर्वी लहरों का आशय ऐसी (AEWs) मौसम प्रणालियों से है जिन्हें गर्मियों के दौरान **उत्तरी अफ्रीका**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

में देखा जाता है और यह **पूर्व से पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर** की ओर विस्तारित होती हैं।

- **महत्त्व:** AEWs से उत्तरी अफ्रीका के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काफी अधिक वर्षा होती है।
  - **इससे अटलांटिक महासागर के पार तक सहारा** की धूल जाती है तथा AEW की **अटलांटिक तूफानों** में अग्रणी भूमिका होती है।
- **प्रभाव:** AEWs से **क्षेत्रीय जलवायु** (विशेष रूप से साहेल में) **व्यापक स्तर पर प्रभावित** होती है, जिससे इनके व्यवहार को समझना आवश्यक हो जाता है।

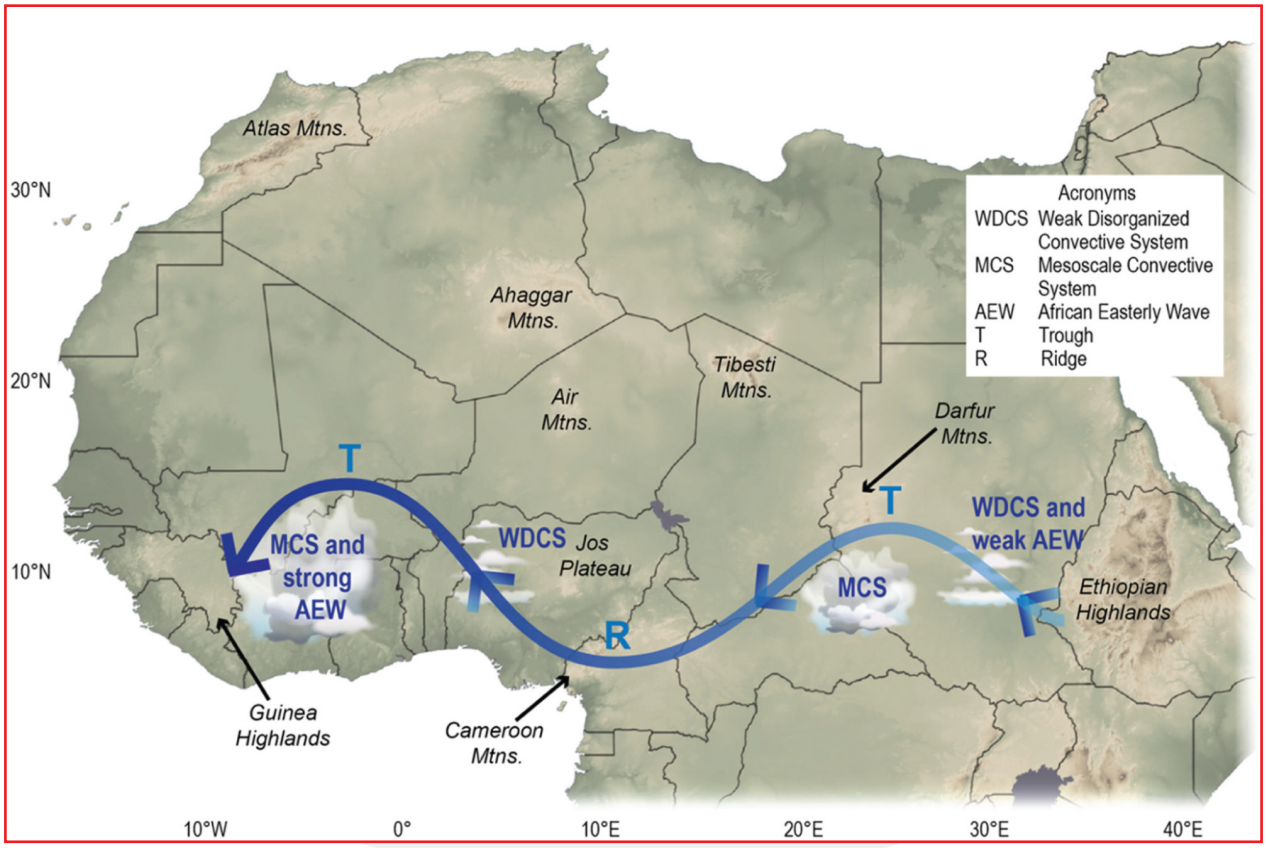

साहेल क्षेत्र

- साहेल **पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्द्ध-शुष्क** क्षेत्र है जो पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में सूडान तक विस्तारित है।
  - **यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान तथा दक्षिण में** आर्द्र सवाना के बीच का संक्रमण क्षेत्र है।
  - **सवाना** की तरह यहाँ **कम वृद्धिशील घास, कांटेदार झाड़ियाँ** एवं विरल वनस्पति मिलती है।
- **संयुक्त राष्ट्र** (UN) द्वारा साहेल क्षेत्र का **10 देशों** (बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड) **के बीच सीमांकन** किया गया है।
- **पश्चिम अफ्रीका की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नाइजर नदी,** इस क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

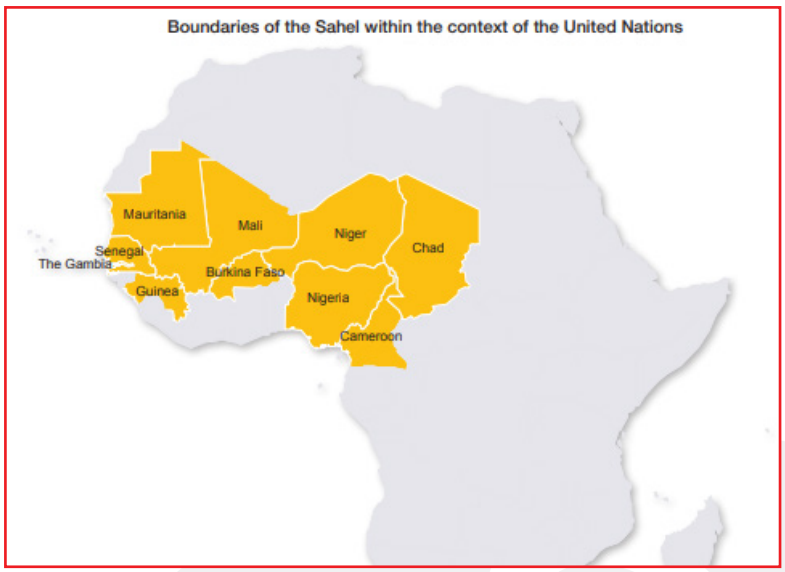

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का प्रारूप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखने के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 का मसौदा जारी किया है।

DPDP नियम, 2025 प्रारूप के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **परिचय:** यह नियमों का एक समूह है जो भारत की **डिजिटल अर्थव्यवस्था** और नवाचार को बढ़ावा देते हुए नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के क्रम में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP अधिनियम), 2023 को कार्यान्वित करने पर केंद्रित हैं।
- **डेटा स्थानांतरण:** यह नियम सरकार द्वारा अनुमोदित **कुछ व्यक्तिगत डेटा को भारत के बाहर स्थानांतरित** करने की अनुमति देते हैं।
- **नागरिकों को केंद्र में रखना:** इनमें **नागरिकों द्वारा डेटा समाप्त** करने की मांग करने, **डिजिटल नामांकित व्यक्ति** नियुक्त करने एवं **डेटा फिड्युसरीज़** द्वारा अपने डेटा को प्रबंधित करने के लिये उपयोगकर्त्ता-अनुकूल तंत्र रखने के अधिकार दिये गए हैं।
  - **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनियाँ और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आदि** जैसी संस्थाएँ (जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को एकत्रित और संसाधित करती हैं) डेटा फिड्युसरीज़ कहलाती हैं।
- **डेटा समाप्त करना:** **डेटा प्रिंसिपल (यूज़र्स)** के साथ अंतिम समन्वय या नियमों की प्रभावी तिथि, जो भी **बाद में हो, से तीन वर्ष** तक डेटा प्रतिधारण की अनुमति दी गई है।
  - **डेटा फिड्युसरी को डेटा समाप्त करने से कम से कम 48 घंटे पहले** डेटा प्रिंसिपल को सूचित करना होगा।
- **डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण:** इन नियमों में **ऑनलाइन शिकायतों की सुविधा के साथ शिकायतों के तीव्र समाधान** के लिये सहमति तंत्र एवं शिकायत निवारण हेतु **"डिजिटल डिज़ाइन"** वाले **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI)** की भी स्थापना का प्रावधान है।
- **ग्रेडेड ज़िम्मेदारियाँ:** ग्रेडेड ज़िम्मेदारियों से **स्टार्टअप्स और MSME को कम अनुपालन बोझ** की सुविधा मिलती है, जबकि **महत्वपूर्ण डेटा फिड्युशरीज़ के** दायित्व अधिक होते हैं।
  - **फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स आदि** जैसे बड़ी संख्या में उपयोगकर्त्ताओं वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रमुख डेटा फिड्युसरी के रूप में योग्य होंगे।
- **सहमति प्रबंधक:** डिजिटल प्लेटफॉर्म **सहमति प्रबंधकों** के माध्यम से भी सहमति एकत्र कर सकता है।
  - एक सहमति प्रबंधक मुख्य रूप से डेटा गोपनीयता और डिजिटल इंटरैक्शन के लिये **उपयोगकर्त्ता की सहमति के संग्रह, भंडारण और उपयोग का प्रबंधन** करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- सहमति प्रबंधक **भारत में निगमित कंपनी** होनी चाहिये, जिसकी **वित्तीय और परिचालन क्षमता** सुदृढ़ हो, तथा जिसकी न्यूनतम निवल संपत्ति **दो करोड़ रुपए** हो।

- **DPBI:** मसौदा नियमों में DPBI की स्थापना के लिये रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके पास व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की शिकायतों के लिये **सिविल न्यायालय** की शक्तियाँ होंगी।

नोट: वर्ष 2011 में, न्यायमूर्ति **ए.पी. शाह समिति** ने निजता कानून की सिफारिश की थी, और **वर्ष 2017 में, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता** दी थी।

DPDP अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **डेटा संरक्षण का अधिकार:** व्यक्तियों को अपने **व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार देता है**, जिसमें **पहुँच, सुधार और उद्घर्षण (Erasure)** के अधिकार शामिल हैं।
- **डेटा प्रोसेसिंग और सहमति:** डेटा प्रोसेसिंग के लिये स्पष्ट सहमति प्रपत्रों के साथ **स्पष्ट सहमति** की आवश्यकता होती है।
- **डेटा स्थानीयकरण: सुरक्षा और प्रवर्तन के लिये संवेदनशील डेटा को भारत के भीतर ही संग्रहीत और संसाधित** किया जाना चाहिये।
- **नियामक प्राधिकरण:** अनुपालन और शिकायत निवारण के लिये DPBI की स्थापना करता है।
- **डेटा उल्लंघन अधिसूचना:** संगठनों को **डेटा उल्लंघनों** के बारे में व्यक्तियों और DPBI को सूचित करना होगा।
- **जुर्माना और दंड:** डेटा सुरक्षा मानकों को लागू करने का **अनुपालन न करने पर सख्त दंड।**

ध्रुवीय भँवर

एक गंभीर **शीतकालीन चक्रवात ने** अमेरिका के वृहद् भाग को प्रभावित किया है, जिससे 30 राज्यों के 60 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

- इस चरम मौसम का कारण **ध्रुवीय भँवर का दक्षिण की ओर विस्तार माना जाता है,** जो शीतकाल और गंभीर चक्रवातों के लिये ज़िम्मेदार है।

नोट: शीतकालीन चक्रवात मौसम की ऐसी घटनाएँ हैं, जिसमें **अत्यधिक शीतल, हिम, ओले या हिमवर्षा देखने को मिलती है, तथा** प्राय: तीव्र पवनें भी चलती हैं।

- ये तब निर्मित होते हैं, जब **आर्द्र पवनें ऊपर उठती है, शीतल होती है, और संघनित होकर वर्षा करती है,** तथा शीतल तापमान के कारण यह बर्फ या हिम के रूप में गिरती है।

ध्रुवीय भँवर क्या है?

- **ध्रुवीय भँवर का परिचय:** ध्रुवीय भँवर **न्यून दाब और शीतल पवनों का एक बड़ा क्षेत्र है,** जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर विचरण करता है।
  - शब्द **"भँवर" से तात्पर्य पवन के वामावर्त प्रवाह से है,** जो ध्रुवों के पास शीतल पवन को सीमित रखता है।
  - ध्रुवीय भँवर संपूर्ण वर्ष विद्यमान रहता है, लेकिन यह ग्रीष्मकाल में कमज़ोर हो जाता है, जबकि शीतकाल में मज़बूत हो जाता है।
- **प्रकार:**
  - **क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भँवर:** वायुमंडल की सबसे निचली परत पर स्थित, **सतह से 10-15 किमी तक,** जहाँ अधिकांश मौसमी घटनाएँ देखने को मिलती हैं।
  - **समतापमंडलीय ध्रुवीय भँवर: यह 15 कि.मी. से 50 कि.मी.** की ऊँचाई पर देखने को मिलता है, तथा **शीतकाल के दौरान अधिक प्रबल** होता है और ग्रीष्मकाल में लुप्त हो जाता है।
    - इसके परिवर्तन **ध्रुवीय क्षेत्र में वायु की गति और ऊष्मा हस्तांतरण से प्रभावित होते हैं।** शीतकाल के दौरान परिध्रुवीय पवनें तीव्र हो जाती हैं, भँवर को मज़बूत करती हैं और **समताप मंडल में ध्रुवीय पवन का एक एकीकृत, विचरित द्रव्यमान का निर्माण करती हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **अत्यधिक शीतल तंत्र:** जब **ध्रुवीय भँवर मज़बूत होता है,** तो यह जेट **स्ट्रीम को स्थिर रखता है,** जिससे शीतल पवनें दक्षिण की ओर बढ़ने से रुक जाती है।
- हालाँकि जब **भँवर कमज़ोर हो जाता है,** तो बाधित जेट स्ट्रीम (तीव्र पवनों की एक संकीर्ण पेटी), जो आमतौर पर एक सीधी रेखा में चलती है, लहरदार रूप ले लेती है, जिससे आर्कटिक पवनें दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है।
- इस व्यवधान के कारण अत्यंत न्यून तापमान, गंभीर चक्रवात, तथा बर्फबारी और हिमवर्षा समेत चरम मौसम उत्पन्न होता है।
- **ग्लोबल वार्मिंग और ध्रुवीय भँवर:** शोधकर्त्ताओं के अनुसार आर्कटिक ग्रह बाकी हिस्सों की तुलना में तीव्रता से गर्म हो रहा है, इस परिघटना को आर्कटिक प्रवर्द्धन के रूप में जाना जाता है।
  - ❖ इससे **ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के बीच ताप प्रवणता** (तापमान परिवर्तन की दर) कम हो जाती है, जिससे **ध्रुवीय भँवर कमज़ोर** हो जाता है।

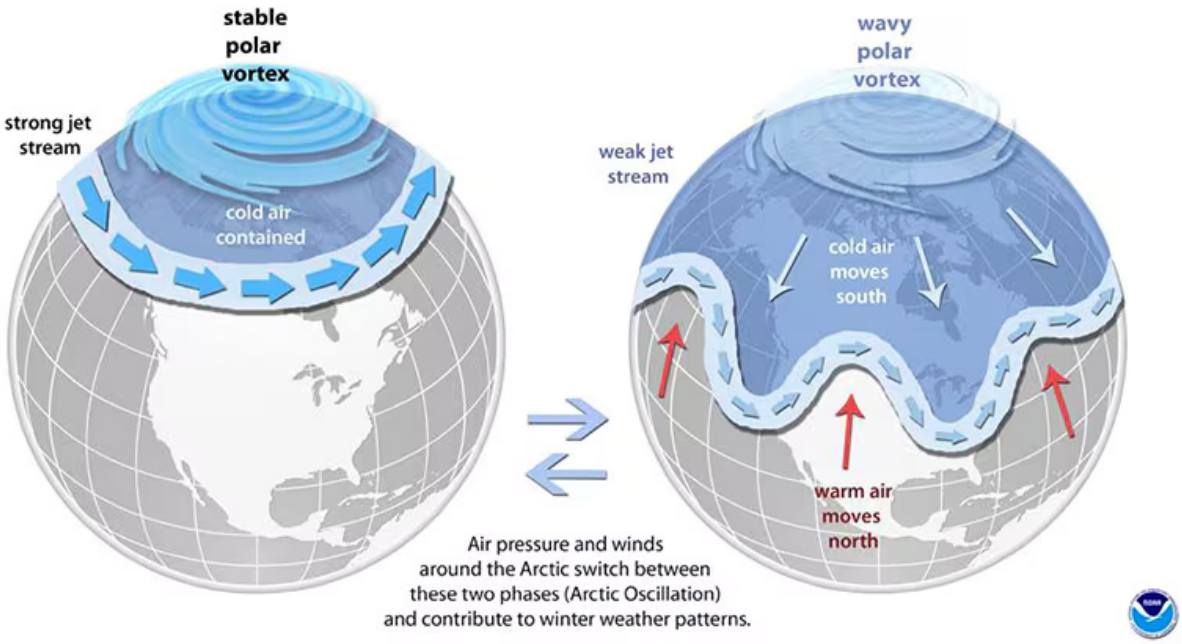

ध्रुवीय भँवर के समान अन्य भूभौतिकीय परिघटना

- **आर्कटिक दोलन (AO): यह उत्तरी गोलार्द्ध में शीत ऋतु** को प्रभावित करने वाला एक जलवायु पैटर्न है। जब **आर्कटिक दोलन (AO) सकारात्मक** होता है, तो एक मज़बूत जेट स्ट्रीम चक्रवात को उत्तर की ओर निर्देशित करती है, जिससे **मध्य अक्षांशों में शीतल पवन का प्रकोप सीमित** हो जाता है, जबकि **नकारात्मक अवस्था जेट स्ट्रीम को दक्षिण की ओर स्थानांतरित करता है, जिससे शीतल पवन का प्रकोप और चक्रवात देखने को मिलता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

Arctic Oscillation Positive Phase

Higher-pressure air mass over North America, Europe and Asia confines extremely cold air to Arctic.

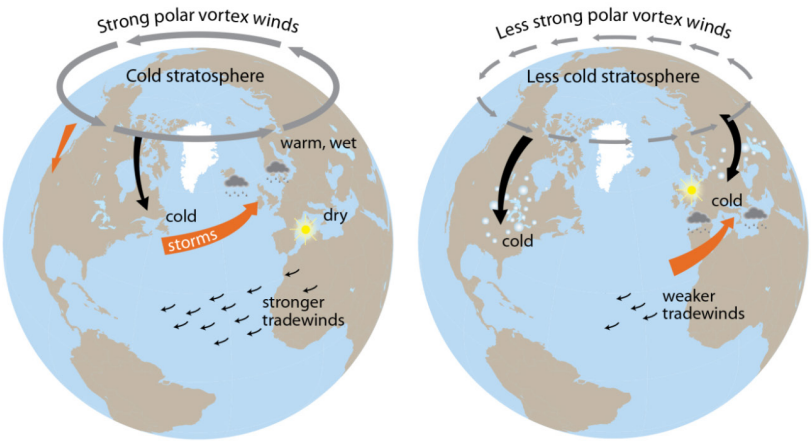

Arctic Oscillation Negative Phase

Air pressure systems weaken allowing colder air to move south and warmer air to move north.

- **उत्तरी अटलांटिक दोलन (NAO): NAO अज़ोरेस उच्च और उपध्रुवीय निम्न के बीच** दाब अंतर को मापता है, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है।
- NAO की सकारात्मक अवस्था अमेरिका और उत्तरी यूरोप में उष्ण, आर्द्र परिस्थितियाँ हैं, जबकि नकारात्मक अवस्था में शीतल, शुष्क परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं।

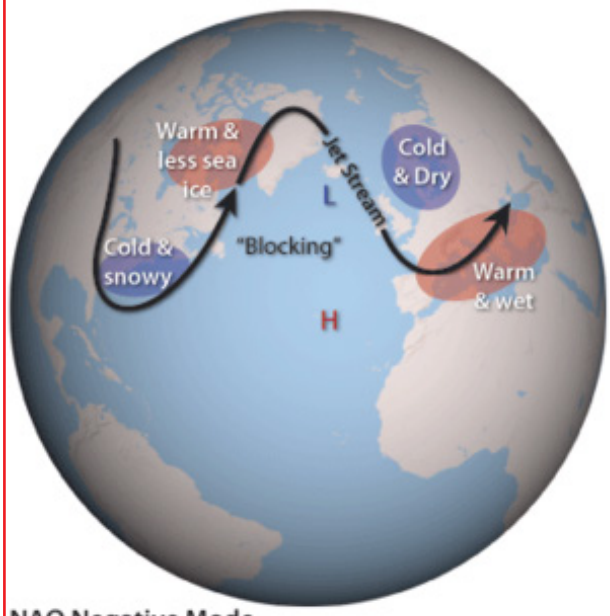

NAO Negative Mode

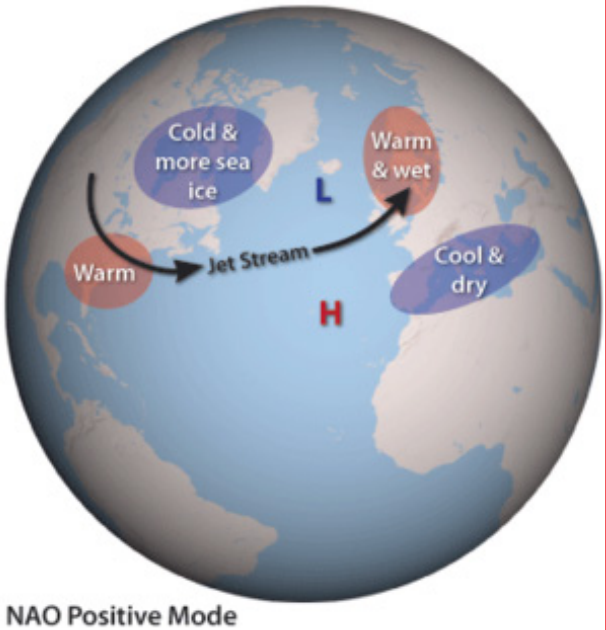

NAO Positive Mode

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राष्ट्रगान पर बहस

तमिलनाडु के राज्यपाल, अपने निर्धारित अभिभाषण से पहले **राष्ट्रगान न बजाए जाने** का हवाला देते हुए वर्ष 2025 सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण दिये बिना ही **विधानसभा** से चले गए।

- इससे राज्य विधानमंडल में अपनाई जाने वाली औपचारिक प्रथाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत

- **जन-गण-मन (राष्ट्रगान)** गीत मूल रूप से रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में रचित **(1911 में)** था। इसे हिंदी में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।
  - इसे **पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस** के **कलकत्ता अधिवेशन** में गाया गया था।
- **भारत का राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम"** है, जिसे **बंकिम चंद्र चटर्जी** ने लिखा था।
  - यह गीत **पहली बार वर्ष 1870 में लिखा** गया था और बाद में **वर्ष 1882 में उनके उपन्यास "आनंद"** में यह शामिल हुआ। इसे पहली बार **वर्ष 1896 के INC अधिवेशन** में गाया गया था।
  - यह एक **देशभक्ति गीत** है जो भारत माता के प्रति श्रद्धा दर्शाने के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा स्रोत था।
- **भारत के राष्ट्रगीत** और **राष्ट्रगान** दोनों को **संविधान सभा** द्वारा **24 जनवरी 1950** को अपनाया गया था।

राष्ट्रगान बजाने के लिये प्रोटोकॉल और परंपराएँ क्या हैं?

- **संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण:** **राष्ट्रपति** के अभिभाषण के दौरान, राष्ट्रपति के मंच पर पहुँचने पर **राष्ट्रगान** बजाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं और फिर जब राष्ट्रपति जुलूस के साथ सदन से बाहर निकलते हैं तो **फिर से राष्ट्रगान बजाया** जाता है।
- **राज्य विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण:** भारत में विभिन्न राज्य विधानमंडल, अपने सत्रों के दौरान राष्ट्रगान बजाने के संबंध में अपनी-अपनी परंपराओं का पालन करते हैं।
- **नागालैंड:** यहाँ कई दशकों से राष्ट्रगान नहीं बजाया गया था और इसे **पहली बार फरवरी 2021 में बजाया** गया था।
- **त्रिपुरा:** त्रिपुरा विधानसभा में राष्ट्रगान पहली बार **मार्च 2018** में बजाया गया था, जो इसकी औपचारिक प्रथाओं में हाल ही में हुए बदलाव को दर्शाता है।
- **तमिल:** इसमें एक अनूठी परंपरा का पालन किया जाता है, जहाँ राज्यपाल के अभिभाषण से पहले **राज्य गान, *तमिल थाई वज्झु*** बजाया जाता है, और **अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है।**
  - **यह प्रथा वर्ष 1991 में शुरू की गई थी,** इससे पहले राज्यपाल केवल प्रवेश करते थे, अभिभाषण देते थे और ऐसी औपचारिक प्रथाओं के बिना चले जाते थे।

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना

- ***श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ*** (2018) के मामले में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने वर्ष 2016 में **एक अंतरिम आदेश पारित** किया था, जिसमें **भारत के सभी सिनेमाघरों को फिल्मों की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान बजाने का निर्देश** दिया गया था, जिसमें उपस्थित लोगों को खड़ा होना आवश्यक था।
- हालाँकि, जनवरी 2018 में अपने अंतिम निर्णय में न्यायालय ने अपना रुख संशोधित करते हुए कहा कि **सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है।**

राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिये क्या उपाय हैं?

- **संवैधानिक सिद्धांत:**
  - **मौलिक कर्त्तव्यों** से संबंधित **भारतीय संविधान की धारा 51 (A) (a)** में कहा गया है कि "भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह **संविधान का पालन** करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, **राष्ट्रीय ध्वज** और राष्ट्रगान का **सम्मान** करे।"
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (PINH) अधिनियम, 1971:**
  - **PINH अधिनियम** में राष्ट्रगान का अनादर करने और इसके प्रतिबंधों को तोड़ने पर **कठोर सजा** का प्रावधान है,

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

- PINH अधिनियम, 1971 के तहत **राष्ट्रगान के गायन को रोकने जैसे अपराधों के लिये दोषी ठहराए गए** व्यक्ति को 6 साल की अवधि के लिये संसद और राज्य विधानसभाओं के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

- **गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देश:**
  - गृह मंत्रालय ने नागरिक और सैन्य अलंकरण, राष्ट्रीय सलामी, परेड, औपचारिक समारोहों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन/प्रस्थान के साथ-साथ **राष्ट्रीय ध्वज की परेड** और **नौसेना ध्वज** फहराने के दौरान **पूरा राष्ट्रगान** बजाने का आदेश दिया है।

मोधवेथ महोत्सव

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे पुराने द्रविड़ जातीय समूहों में से एक, **टोडा जनजाति** ने नववर्ष के उपलक्ष्य में अपना पारंपरिक **'मोधवेथ' महोत्सव** मनाया।

मोधवेथ महोत्सव क्या है?

- **परिचय:**
  - यह प्रतिवर्ष दिसंबर के अंतिम रविवार या जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है।
  - यह **नीलगिरि ज़िले** में स्थित **मुथानाडु मुंड गाँव के मूनपो मंदिर** में आयोजित किया जाता है।
  - मूनपो मंदिर में एक **अद्वितीय ऊर्ध्वाधर शिखर है, जिसकी छत फूस की है तथा शीर्ष पर एक सपाट पत्थर है,** जो इसे नीलगिरी में अपनी तरह का अंतिम टोडा मंदिरों में से एक बनाता है।
- **अनुष्ठान और समारोह:**
  - आने वाले वर्ष में अच्छे स्वास्थ्य, बारिश और भरपूर फसल के लिये देवता, **थेनकिश अम्मान** से प्रार्थना की जाती है।
  - उत्सव के एक भाग के रूप में **प्रतिभागी मंदिर के बाहर नृत्य** प्रस्तुत करते हैं।
- **अनोखी प्रथाएँ:**
  - टोडा युवा लगभग 80 किलोग्राम वज़नी **चिकना पत्थर उठाकर अपनी ताकत और पुरुषत्त्व का प्रदर्शन** करते हैं।
  - पारंपरिक रीति-रिवाज़ों के अनुसार, **महिलाएँ इस समारोह में भाग नहीं** लेती हैं।

टोडा जनजाति क्या है?

- **परिचय:**
  - टोडा जनजाति **दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों** की एक **पशुपालक जनजाति** है।
  - **तमिलनाडु** में टोडा को **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - टोडा भाषा **द्रविड़** है लेकिन द्रविड़ परिवार की भाषाओं में **सबसे असामान्य और अलग** है।
- **महत्त्व:**
  - टोडा लैंड **नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व** का हिस्सा है, जिसे **यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिज़र्व** नामित किया गया है।
  - उनके क्षेत्र को **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **धर्म और विश्वास:**
  - उनकी धार्मिक प्रथाएँ **देवताओं के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती हैं,** जिनमें **टोकिसी (देवी) और ओन (अधोलोक के देवता)** केंद्रीय देवता हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व

- **परिचय:**
  - यह **वर्ष 1986 में स्थापित भारत का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व** था।
  - यह रिज़र्व तीन भारतीय राज्यों **तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल** में फैला हुआ है।
  - यह **यूनेस्को के मानव एवं बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व** है।
  - **आदियान, अरनादान, कादर, कुरिचियन, कुरुमन और कुरूंबा** जैसे कई जनजातियों समूहों का आश्रय स्थल है।
  - यह विश्व के **अफ्रीकी-उष्णकटिबंधीय और इंडो-मलायन जैविक क्षेत्रों** के संगम को चित्रित करता है।
- **जीव-जंतु:**
  - **नीलगिरि तहर, नीलगिरि लंगूर, गौर, भारतीय हाथी** जैसे जानवर **और नीलगिरि डैनियो (डेवेरियो नीलघेरिएन्सिस), नीलगिरि बारबरे जैसी स्वच्छ जल की मछलियाँ** यहाँ पाई जाती हैं।
- **NBR में संरक्षित क्षेत्र:**
  - मुदुमलाई **वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली** इस रिज़र्व के भीतर मौजूद संरक्षित क्षेत्र हैं।

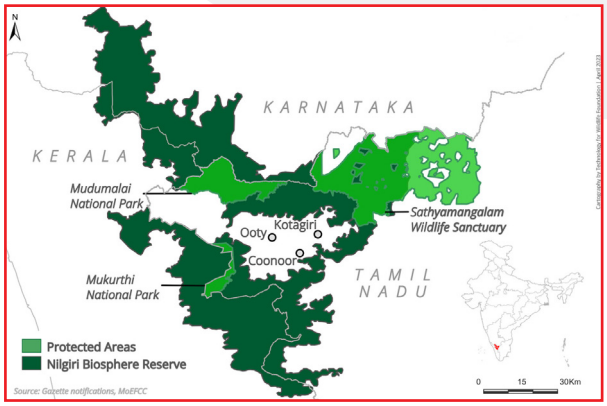

रक्षा और परमाणु सहयोग में भारत-अमेरिका पहल

अमेरिकी **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारत** का दौरा किया और प्रौद्योगिकी एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों में **नवीन पहलों पर हस्ताक्षर किये।**

भारत और अमेरिका के बीच किन नवीन पहलों पर हस्ताक्षर हुए हैं?

- **असैन्य परमाणु सहयोग:** अमेरिका ने **भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को** लागू करने के लिये **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)** जैसी भारतीय परमाणु संस्थाओं पर **अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों** की आपूर्ति जैसे **प्रतिबंध हटाने की घोषणा की।**
- **सोनोबॉय सह-निर्माण:** इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की **जल के भीतर खतरे का पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाना है,** विशेष रूप से पनडुब्बियों और अन्य शत्रुतापूर्ण जल के भीतर की वस्तुओं का पता लगाने में।
- **मिसाईल निर्यात नियंत्रण:** अमेरिकी NSA ने भारत को **MTCR** के अंतर्गत **मिसाईल निर्यात नियंत्रण के अद्यतन, अंतरिक्ष सहयोग को** बढ़ाने और सहयोग के नए अवसर सृजित करने के बारे में जानकारी दी।
  - **भारत वर्ष 2016 में MTCR** का सदस्य बना।
- **ICET की उन्नति: दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, दूरसंचार और अंतरिक्ष** जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग की पुष्टि की।

नोट: भारत और अमेरिका ने कमज़ोर समुदायों को 'कट्टरपंथ से मुक्त' करके आतंकवाद पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया।

सोनोब्वॉय क्या हैं?

- **परिचय:** सोनोब्वॉय **एक्सपेंडेबल, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल साउंड सेंसर हैं,** जिसे जहाज़ों और पनडुब्बियों से जल के नीचे की आवाज़ों का पता लगाने और ट्रैक करने के लिये डिज़ाईन किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इसका उपयोग मुख्यत: **पनडुब्बी रोधी संघर्ष (ASW) में किया जाता है।**

- **कार्यप्रणाली:** इन्हें **कनस्तरों में डाला जाता है,** जो जल से टकराने पर सक्रिय हो जाते हैं, तथा सतह पर **रेडियो ट्रांसमीटर** समेत एक **इन्फ्लेटेबल प्रणाली तैनात कर देते हैं।**
  - ये लगभग **24 घंटे तक सक्रिय रहते हैं** तथा **केवल एक बार कार्य करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।**
- **संचार:** जल की सतह पर स्थित इन्फ्लेटेबल प्रणाली सोनोब्वॉय पर नज़र रखने वाले **जहाज़ या विमान** के साथ **संचार बनाए रखती है।**

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौता

- **परिचय: इसे 123 समझौते** के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत को ऊर्जा उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये **परमाणु ईंधन, प्रौद्योगिकी और रिएक्टरों तक पहुँच प्रदान करता है,** भले ही भारत **परमाणु अप्रसार संधि (NPT)** पर हस्ताक्षरकर्त्ता **नहीं है।**
- **प्रमुख घटक: भारत ने** परमाणु सामग्री के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये अपनी **असैन्य परमाणु सुविधाओं को IAEA** सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखने पर सहमति व्यक्त की।
  - अमेरिका ने भारत के विस्तारित होते शांतिपूर्ण परमाणु क्षेत्र के साथ व्यापार को सक्षम बनाने के लिये **NSG से छूट मांगी।**

सॉवरेन एआई

चर्चा में क्यों?

सरकार **AI संप्रभुता** सुनिश्चित करने के लिये **सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** में निवेश कर रही है क्योंकि **भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का** लक्ष्य 2028 तक **1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का है।

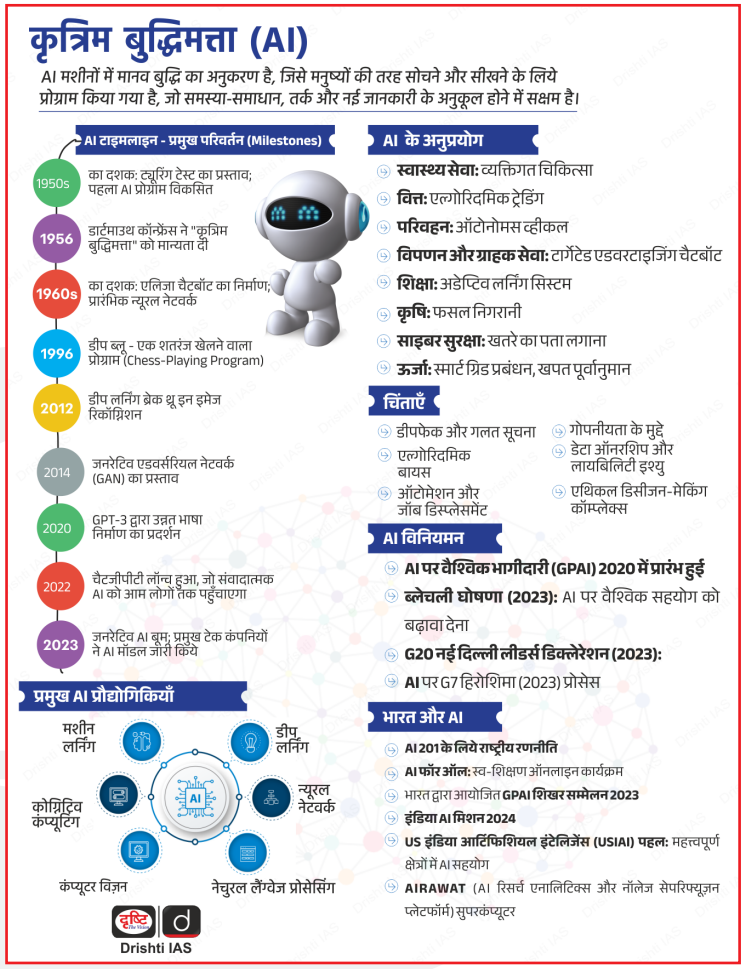

सॉवरेन AI क्या है?

- **विषय में:** संप्रभु AI से तात्पर्य किसी देश की अपनी अवसंरचना, डेटा, कार्यबल और व्यावसायिक नेटवर्क का उपयोग करके **कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित करने, नियंत्रित करने और लागू करने की क्षमता से है।**
  - इसमें देश के भीतर **AI मॉडल, बुनियादी ढाँचे का** विकास और प्रतिभा को बढ़ावा देना शामिल है।
  - **AI का विकास:** 2018 में **340 मिलियन-पैरामीटर मॉडल को लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)** माना जाता था, जबकि आज, **चैटजीपीटी में**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

1.8 ट्रिलियन पैरामीटर हैं, जेमिनी में 1.5 ट्रिलियन और चीन के डीपसीक में 240 बिलियन हैं।

- पैरामीटर **आंतरिक चर होते हैं** जिन्हें **मॉडल के प्रदर्शन को** बेहतर बनाने के लिये **प्रशिक्षण** के दौरान **समायोजित किया जाता है।**

- **मुख्य पहलू:**
  - **राष्ट्रीय नियंत्रण:** संप्रभु AI **राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों और नैतिकता के साथ संरेखण सुनिश्चित करता है।**
  - **डेटा संप्रभुता:** यह सीमाओं के भीतर डेटा नियंत्रण, **गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा पर ज़ोर देता है।**
  - **शासन में एआई:** **जनरेटिव AI** बाज़ार, शासन, उद्योग और कार्य गतिशीलता को नवीन आकार दे रहा है, जिसमें **AI-संचालित सह-पायलट** पेशेवरों की सहायता कर रहे हैं।
  - **नैतिक विचार:** ये नेशनल AI के उपयोग के लिये **सुरक्षा प्रोटोकॉल और नैतिक मानक निर्धारित करते हैं।**
  - **रणनीतिक स्वायत्तता:** सॉवरेन AI **विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करता है तथा** घरेलू AI के विकास को बढ़ावा देता है।
  - **आर्थिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** AI औद्योगिक नवाचार की कुंजी है; इसके बगैर भारत के वैश्विक स्तर पर पिछड़ जाने का खतरा है।
  - **विभिन्न अनुप्रयोग: सॉवरेन AI का उपयोग रक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवहन** जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है ।

- **भारत की स्थिति: टाटा समूह और रिलायंस** भारत के लिये **AI अवसंरचना और वृहद भाषा मॉडल (LLM)** विकसित कर रहे हैं ।
  - भारत ने **इंडिया AI मिशन** के अंतर्गत हज़ारों चिप्स वाले **AI सुपरकंप्यूटर** समेत एक सॉवरेन AI परियोजना के लिये **1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किये हैं।**
- **वैश्विक AI सहयोग:** प्रस्तावित **वैश्विक AI कॉम्पैक्ट में** सुझाव दिया गया है कि **AI संसाधनों को** राष्ट्रों के बीच साझा किये जाने की आवश्यकता है, ताकि **महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।**

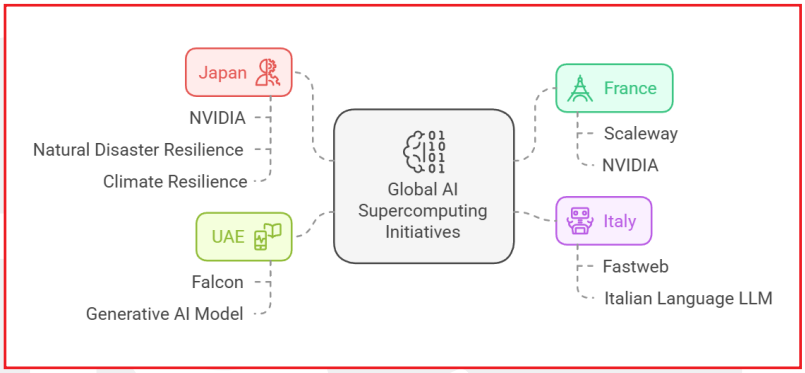

फसल उत्सव

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने **लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल एवं माघ बिहू** की पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएँ दीं।

- ये **फसल उत्सव भारत के विभिन्न क्षेत्रों** में **विविध रूपों** में मनाए जाते हैं।

भारत में फसल उत्सव कौन से हैं?

- **परिचय: इन्हें** भारत भर में **फसल कटाई के मौसम** के अंत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है जैसे **मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, लोहड़ी** आदि।
- **खगोलीय महत्त्व:** यह सूर्य के **मकर राशि में प्रवेश** और **सूर्य के उत्तर दिशा की ओर गमन (उत्तरायण) के प्रारंभ** का प्रतीक है।
  - **यह सर्दियों से गर्मी की ओर** बदलाव के साथ निष्क्रियता के अंत का प्रतीक है।
  - चंद्र चक्र पर आधारित त्योहारों के विपरीत, इसमें **सौर चक्र का अनुसरण** किया जाता है, जिसके **परिणामस्वरूप 14 जनवरी** की एक निश्चित तिथि निर्धारित की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **सांस्कृतिक महत्त्व:** संक्रांति अनुष्ठान (जिसमें **स्नान, भगवान सूर्य को नैवेद्य (भोजन) अर्पित करना, दान देना, श्राद्ध करना और उपवास तोड़ना शामिल है**) दिन के दौरान किये जाते हैं।
  - **भक्तजन प्राय: गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी** जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं।
- **क्षेत्रीय समारोह:**
  - **तमिलनाडु (पोंगल): चार दिवसीय** यह त्योहार **धान की फसल की कटाई** का प्रतीक है, इस अवसर पर **तमिल लोग चावल के पाउडर** से बने पारंपरिक **कोलम से अपने घरों को सजाते** हैं।
  - **कर्नाटक: स्थानीय लोगों में तिल और गुड़ का मिश्रण** बाँटने की परंपरा है जो सद्भावना का प्रतीक है।
    - कृषक समुदाय अपने **मवेशियों को रंग-बिरंगे परिधान एवं आभूषण पहनाते** हैं, तथा उन्हें **'किच्चु हैसोडू'** नामक प्रदर्शन में अग्निकुंड के ऊपर से छलांग लगाने के लिये विवश किया जाता है।
  - **पंजाब (लोहड़ी):** लोहड़ी में **अलाव जलाना, लोकगीत गाना** और अग्नि में मूंगफली तथा पॉपकॉर्न चढ़ाना शामिल है।
  - **बिहार: 'खिचड़ी'** नामक त्यौहार मनाया जाता है और इसी नाम का व्यंजन (**चावल और दाल से**) तैयार किया जाता है। **तिल और गुड़ के लड्डू** या चिक्की का वितरण किया जाता है।
  - **राजस्थान और गुजरात: पतंग** प्रतियोगिताओं और उत्सवों का आयोजन होता है, जिसमें **अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव** भी शामिल है।
  - **असम (माघ बिहू):** असम में माघ बिहू **वार्षिक फसल उत्सव** है तथा **यह असमिया नववर्ष** के आरंभ का प्रतीक है।
    - शाम के समय **स्काई लालटेन** से आसमान रोशन हो जाता है।

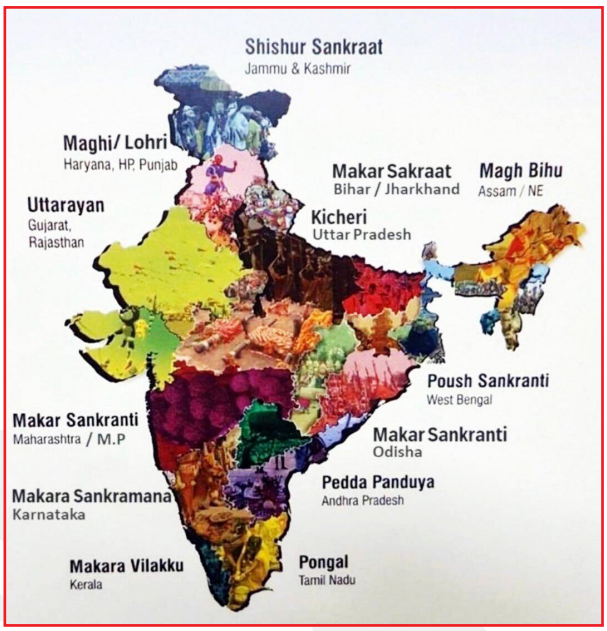

जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिसाइज़र का विघटन

IIT रुड़की ने मृदा जीवाणुओं को सल्फोबेसिलस *एसिडोफिलस* द्वारा उत्पादित **एस्टरेज एंजाइम का उपयोग प्लास्टिसाइज़र डाइएथिल हेक्सिल फथलेट (DEHP) को** विघटित करने के लिये सफलतापूर्वक किया है।

- यह प्रगति प्लास्टिसाइज़रों से उत्पन्न बढ़ती पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को संबोधित करती है।

नोट: प्लास्टिसाइज़र (प्लास्टिक और व्यक्तिगत देखभाल संबंधी उत्पादों में लचीलापन और चमक बढ़ाने के लिये मिलाए जाने वाले रसायन) जैसे DEHP, जो **बच्चों के खिलौनों, खाद्य कंटेनरों** आदि में पाए जाते हैं, हानिकारक प्रदूषक हैं।

- **प्लास्टिसाइज़र ऐसे योजक हैं जिनका उपयोग PVC (पॉलीविनाइल क्लोराइड) जैसे कठोर प्लास्टिक को** पॉलिमर शृंखलाओं के भीतर अंतर-आण्विक बलों को कम करके अधिक लचीला और सॉफ्ट बनाने के लिये किया जाता

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

है। यह विशेष रूप से प्लास्टिक उत्पादों के लिये प्रासंगिक है, **जिसे स्थायित्व और लचीलेपन की आवश्यकता होती है, जैसे केबल, होज़ और फिल्में।**

- ये **कैंसरकारी हैं, जो त्वचा में अवशोषित होने या निगलने** के माध्यम से स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं। **निरंतर कार्बनिक संदूषकों** के रूप में, ये जल और मृदा को दूषित करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय जीवन को नुकसान पहुँचाते हैं।

प्लास्टिसाइज़र को विघटित करने में जीवाणु एंजाइम कैसे कार्य करते हैं?

- **क्रियाविधि:** एस्टरेज एंजाइम DEHP प्लास्टिसाइज़र को दो उत्पादों में विभाजित करता है- **संशोधित थैलेट** (जैव प्रणाली को प्रभावित करता है) और **अल्कोहल यौगिक (पर्यावरण को प्रभावित करता है)।**
  - **इन्हें अन्य एंजाइमों द्वारा जल तथा कार्बन-डाई-ऑक्साइड** जैसे हानिरहित पदार्थों में विघटित किया जाता है।
- **संरचनात्मक अंतर्दृष्टि:** एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी (ऐसी तकनीक जिसमें **क्रिस्टल की परमाणिवक और आणविक संरचना निर्धारित करने के लिये एक्स-रे का उपयोग किया जाता है**) ने एस्टरेज एंजाइम पर सक्रिय स्थलों की पहचान की, तथा उस तंत्र को स्पष्ट किया जिसके द्वारा DEHP को लक्षित किया जाता है और विघटित किया जाता है।
- **स्थायित्व:** बैक्टीरिया में इन एंजाइमों का एकीकरण, बार-बार एंजाइम प्रतिस्थापन की आवश्यकता के बगैर, दीर्घकालिक क्रियाशीलता और निरंतर विघटन सुनिश्चित करता है।
- **दक्षता:** प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोगों से **उच्च अणुभार वाले प्लास्टिसाइजरों के अपघटन में महत्त्वपूर्ण दक्षता प्रदर्शित हुई है,** जो पूर्व में बताई गई विधियों की तुलना में **उच्च दक्षता प्रदान करती है।**

प्लास्टिक क्या है?

- **प्लास्टिक** एक **हल्की, संधारणीय और स्वास्थ्यकर सामग्री है** जिसे विभिन्न रूपों में ढालना आसान है, **इसका उत्पादन लागत प्रभावी है।**
  - अधिकतर प्लास्टिक **प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होती है।** इसके बजाय ये धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती हैं जिन्हें **माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं।**
- **प्लास्टिक उत्पादन की स्थिति: वर्ष 2023 में** विश्व में **413.8 मिलियन मीट्रिक टन (MT)** प्लास्टिक का उत्पादन होगा। यह वर्ष 1950 की तुलना में अधिक वृद्धि को दर्शाता है, जब विश्व में मात्र दो मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ था।
  - **भारत प्रति वर्ष 10.2 मिलियन टन** प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करके विश्व में सबसे आगे है।
- **प्लास्टिक के प्रकार:**
  - **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक:** इस प्रकार का प्लास्टिक **जैविक या सूक्ष्मजीवी प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित होता है** और **जीवाश्म ईंधन** या नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में अधिक तेजी से विघटित होने के लिये डिजाइन किया गया है।
    - सभी प्लास्टिक जैवनिम्नीकरणीय नहीं होते हैं, तथा कुछ पारंपरिक प्लास्टिक पर्यावरण में दीर्घ काल तक बने रहते हैं।
  - **बायोप्लास्टिक:** ये **बायोडिग्रेडेबल और जैव-आधारित होती हैं** जो मक्का आदि जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनती हैं।
  - **कम्पोस्टेबल प्लास्टिक: ये प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक** का एक उपसमूह है **जो मक्का, स्टार्च आदि** जैसी नवीकरणीय सामग्रियों से बनती है। ये **गैर विषैली होती है** तथा स्वाभाविक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बायोमास में विघटित हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

Which plastics are recyclable?

Summary of plastic polymer groups, their common uses, properties and recyclability.
Numerical coding (from 1-7) is typically provided on plastic items and gives information of their polymer grouping below. Recyclability is based on common recycling schemes but can vary between countries as well as regionally within countries; check local recycling guidelines for further clarification.

Symbol	Polymer	Common Uses	Properties	Recyclable?
1 PETE	Polyethylene terephthalate	Plastic bottles (water, soft drinks, cooking oil)	Clear, strong and lightweight	Yes; widely recycled
2 HDPE	High-density polyethylene	Milk containers, cleaning agents, shampoo bottles, bleach bottles	Stiff and hardwearing; hard to breakdown in sunlight	Yes; widely recycled
3 PVC	Polyvinyl chloride	Plastic piping, vinyl flooring, cabling insulation, roof sheeting	Can be rigid or soft via plasticizers; used in construction, healthcare, electronics	Often not recyclable due to chemical properties; check local recycling
4 LDPE	Low-density polyethylene	Plastic bags, food wrapping (e.g. bread, fruit, vegetables)	Lightweight, low-cost, versatile; fails under mechanical and thermal stress	No; failure under stress makes it hard to recycle
5 PP	Polypropylene	Bottle lids, food tubs, furniture, houseware, medical, rope, automobile parts	Tough and resistant; effective barrier against water and chemicals	Often not recyclable; available in some locations; check local recycling
6 PS	Polystyrene	Food takeway containers, plastic cutlery, egg tray	Lightweight; structurally weak; easily dispersed	No; rarely recycled but check local recycling
7 OTHER	Other plastics (e.g. acrylic, polycarbonate, polyactic fibres)	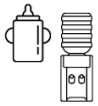 Water cooler bottles, baby cups, fiberglass	Diverse in nature with various properties	No; diversity of materials risks contamination of recycling

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

PMKSY का वाटरशेड विकास घटक 2.0

चर्चा में क्यों?

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-WDC 2.0)** के **वाटरशेड विकास** घटक 2.0 के अंतर्गत 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

- इन 10 राज्यों में **राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक,** ओडिशा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल हैं, **जिनकी लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि** को कवर किया गया है।

नोट: वर्ष 2021-22 में PMKSY-WDC 2.0 के तहत लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 1150 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई।

PMKSY 2.0 का वाटरशेड विकास घटक क्या है?

- **PMKSY-WDC 2.0:** यह **जल और मृदा संसाधनों** के संरक्षण के क्रम में **PMKSY पहल** का एक **उप-घटक** है।
- **पृष्ठभूमि:** यह योजना **वर्ष 2009-10 में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)** के रूप में शुरू हुई तथा **वर्ष 2015-16 में इसे PMKSY के वाटरशेड विकास घटक (PMKSY-WDC) के साथ विलय** कर दिया गया।
  - **PMKSY-WDC 2.0 को वर्ष 2021-2026 के लिये विस्तारित लक्ष्यों एवं संशोधित दिशानिर्देशों** के साथ शुरू किया गया।
- **उद्देश्य:** एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से **वर्षा सिंचित एवं निम्नीकृत भूमि की उत्पादकता** बढ़ाना।
  - आजीविका तथा **जलग्रहण स्थिरता के लिये सामुदायिक संस्थाओं** को मज़बूत बनाना।
  - पारस्परिक शिक्षा एवं प्रोत्साहन के माध्यम से **वाटरशेड परियोजना की दक्षता** को बढ़ावा देना।
- **लक्ष्य:** इस योजना का लक्ष्य वर्ष **2021-2026 के बीच 49.50 लाख हेक्टेयर** बंजर भूमि को कवर करना।
  - **इसमें स्प्रिंगशेड के पुनरुद्धार** को एक नवीन गतिविधि के रूप में शामिल करना।
- **दृष्टिकोण (अगली पीढ़ी पर ध्यान): मात्रा की अपेक्षा जल उत्पादकता पर** बल देना और उन्हें अपनाना।
  - **फसल विविधीकरण** और **बागवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और पशुपालन** जैसी **एकीकृत कृषि** प्रणालियों को बढ़ावा देना।

PMKSY क्या है?

- **जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा वर्ष 2015-16 में आरंभ की गई PMKSY का उद्देश्य **कृषि योग्य जल की पहुँच में सुधार करना, सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करना, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना** और स्थायी जल संरक्षण को बढ़ावा देना है।
  - यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसमें **केंद्र-राज्य का भाग 75:25 है तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिये यह 90:10 है।**
- **घटक:** इसमें **दो प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा किया जा रहा है।
  - **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP): AIBP का** उद्देश्य राष्ट्रीय परियोजनाओं समेत चल रही प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को **तेज़ी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना है।**
  - **हर खेत को पानी (HKKP): HKKP में चार उप-घटक** शामिल हैं।

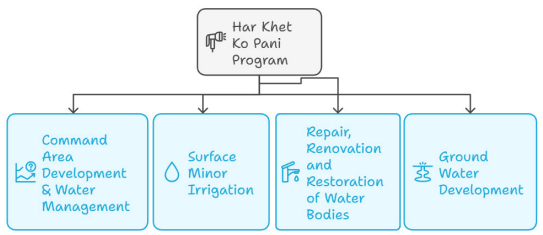

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- PMKSY में **दो अन्य घटक भी शामिल हैं जिनका कार्यान्वयन अन्य मंत्रालयों** द्वारा किया जा रहा है:
  - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा **पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC)**
  - ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा **PMKSY का वाटरशेड विकास घटक (WDC)**।

क्यूबा को भारत की मानवीय सहायता

भारत ने **हरिकेन राफेल** के विनाशकारी प्रभाव के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है।

- भारत की सहायता उसके ***वसुधैव कुटुंबकम* (विश्व एक परिवार है) के दर्शन** तथा संकटग्रस्त देशों के प्रति वैश्विक एकजुटता एवं समर्थन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

क्यूबा

- **क्यूबा उत्तरी कैरेबियन सागर में मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर** के संगम पर स्थित है। इसकी राजधानी **हवाना,** देश का सबसे बड़ा शहर एवं एक प्रमुख आर्थिक, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केंद्र है।
- क्यूबा **निकेल का 9वाँ सबसे बड़ा उत्पादक** है।

भारत-क्यूबा द्विपक्षीय संबंध कैसे रहे हैं?

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: जनवरी 1959 में क्यूबा की क्रांति** (अमेरिका समर्थित फुलगेन्सियो बतिस्ता की तानाशाही को उखाड़ फेंकना) के बाद नई क्यूबा सरकार को **मान्यता देने वाले पहले देशों** में भारत भी शामिल था।
  - **यह देश सोवियत संघ और अमेरिका** के बीच **शीत युद्ध** के दौरान विवाद का विषय (मुख्यत: **1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान**) था।
  - **दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र (UN), NAM, WTO** आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन किया है।
  - इसके अतिरिक्त क्यूबा **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** में **स्थायी सीट के लिये भारत के प्रयास का समर्थन** करता है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर **क्यूबा के अधिकारों तथा विकास** की **लगातार वकालत** की है, जिसमें देश के समक्ष आने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना भी शामिल है।
- **आर्थिक संबंध:** वित्त वर्ष 2022-23 में क्यूबा को भारत के साथ निर्यात बढ़कर **79.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 4.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा**।
  - भारत से निर्यात में फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, चिकित्सा उपकरण और वस्त्र शामिल हैं। क्यूबा भारत को **तंबाकू और दवा संबंधी उत्पादों का निर्यात करता है।**
- **क्यूबा को भारत की सहायता:** भारत ने वर्ष **2008, वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में तूफान के** बाद सहायता समेत **आपदा राहत प्रदान की है। IT सेंटर (भारत-क्यूबा ज्ञान केंद्र)** वर्ष 2010 में स्थापित किया गया और क्यूबा में वर्ष 1900 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया गया।
- भारत ने **कोविड-19** महामारी के दौरान **जीवन रक्षक दवाईयाँ उपलब्ध कराईं।**
- **क्यूबा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** का सदस्य है, तथा उसकी ऊर्जा परियोजनाओं के लिये भारत सहायता प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- भारत ने कृषि, कृषि-खाद्य और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में क्यूबा सरकार को **243 मिलियन अमेरिकी डॉलर के** पाँच ऋण समझौते प्रदान किये हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध: क्यूबा में भारत की संस्कृति की बहुत सराहना की जाती है, तथा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रवींद्रनाथ टैगोर** जैसी प्रमुख हस्तियों का वहाँ सम्मान किया जाता है।
- मई 2007 में **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)** द्वारा दान की गई रवींद्रनाथ टैगोर की एक प्रतिमा का प्राचीन हवाना में अनावरण किया गया।
- योग और आयुर्वेद लोकप्रिय हैं, तथा प्रतिवर्ष इनके लिये कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिसमें **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी शामिल है।**

बिग डेटा पर UN पैनल में भारत का शामिल होना

चर्चा में क्यों?

भारत हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, **आधिकारिक सांख्यिकी के लिये बिग डेटा और डेटा साइंस पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति** में शामिल हो गया है, जो वैश्विक सांख्यिकीय ढाँचे में इसके बढ़ते प्रभाव का संकेत है।

आधिकारिक सांख्यिकी के लिये बिग डेटा और डेटा साइंस पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति (UN-CEBD) क्या है?

- **परिचय:**
  - **UN-CEBD संयुक्त राष्ट्र** के तहत एक विशेष निकाय है जिसकी स्थापना वैश्विक सांख्यिकीय प्रणालियों को मज़बूत करने के क्रम में **बिग डेटा एवं डेटा विज्ञान का लाभ** उठाने के लिये की गई है।
  - **इसका गठन वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC)** के तत्वावधान में किया गया था।
- **सदस्य:**
  - इसके 31 सदस्य देश (भारत सहित) एवं 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं।
- **उद्देश्य:**
  - **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** से संबंधित प्रगति की निगरानी एवं रिपोर्टिंग में **बिग डेटा की भूमिका का अन्वेषण** करना।
  - आधिकारिक सांख्यिकी के लिये गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों के उपयोग से **संबंधित चुनौतियों** का समाधान करना।
- **क्रियान्वयन:**
  - **सलाहकार बोर्ड:** यह UN-CEBD के **प्रमुख प्रबंधन निकाय** के रूप में कार्य करता है और समिति के कार्य की समीक्षा करने तथा रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये इसकी **वर्ष में लगभग 4 बार बैठक** होती है।
  - **संयुक्त राष्ट्र ब्यूरो:** इसके द्वारा **दिन-प्रतिदिन के कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों की देखरेख** की जाती है।
- **प्रमुख कार्य:**
  - **रणनीतिक समन्वय: यह समिति सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा** के **संकेतकों को ट्रैक करने** सहित आधिकारिक सांख्यिकी में बृहत् डेटा के उपयोग पर एक वैश्विक कार्यक्रम के लिये **दृष्टि, दिशा और समन्वय** प्रदान करती है।
  - **बिग डेटा के उपयोग को बढ़ावा देना:** यह संबद्ध क्षेत्र की **संबंधित चुनौतियों का समाधान करता है** एवं मौजूदा ढाँचे का उपयोग करते हुए सीमा-पार डेटा सहित **बिग डेटा के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को** प्रोत्साहित करता है।
    - **उपग्रह इमेजरी, IoT** और निजी क्षेत्र के डेटा सहित गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों के **अभिनव उपयोग को** प्रोत्साहित करता है।
  - **क्षमता निर्माण:** यह **प्रशिक्षण, अनुभव-साझाकरण, तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण और सदस्य देशों** को उनकी सांख्यिकीय प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिये तकनीकी **सहायता प्रदान करने के माध्यम से क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है।**
  - **लोक विश्वास का निर्माण:** आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिये बिग डेटा के उपयोग में जनता का विश्वास स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

बिग डेटा क्या है?

- **परिचय:**
  - **बिग डेटा** से तात्पर्य **बृहत्, जटिल डेटासेट से है,** जिनका डेटा की परंपरागत प्रबंधन प्रणालियाँ कुशलतापूर्वक संग्रहीत, संसाधित या विश्लेषण नहीं कर सकती हैं।
  - इससे **बेहतर प्रक्रियाओं, बेहतर निर्णयन** और **उन्नत उत्पाद/सेवा विकास में सहायता मिलती है।**
- **भारत की बिग डेटा संबंधी पहल:**
  - **राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म (NDAP)**
  - **बिग डेटा प्रबंधन नीति**
  - **आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय डेटा वेयरहाउस**

चालक: बिग डेटा को संचालित करने वाले 6V हैं:

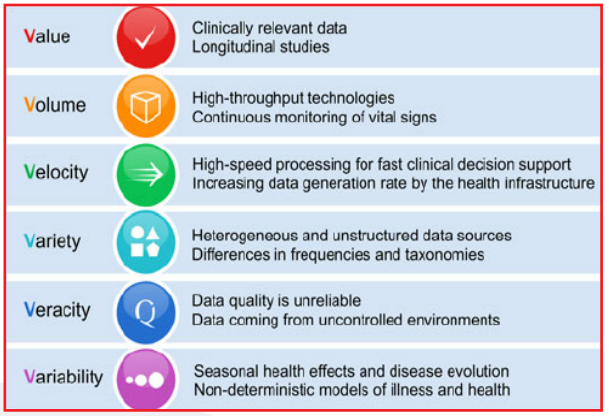

अनुप्रयोग:

Big Data Application examples in different Industries:

Retail/Consumer
- Merchandizing and market basket analysis
- Campaign management and customer loyalty programs
- Supply-chain management and analytics
- Event- and behavior-based targeting
- Market and consumer segmentations

Finances & Frauds Services
- Compliance and regulatory reporting
- Risk analysis and management
- Fraud detection and security analytics
- Credit risk, scoring and analysis
- High speed arbitrage trading
- Trade surveillance
- Abnormal trading pattern analysis

Web and Digital media
- Large-scale clickstream analytics
- Ad targeting, analysis, forecasting and optimization
- Abuse and click-fraud prevention
- Social graph analysis and profile segmentation
- Campaign management and loyalty programs

Health & Life Sciences
- Clinical trials data analysis
- Disease pattern analysis
- Campaign and sales program optimization
- Patient care quality and program analysis
- Medical device and pharmacy supply-chain management
- Drug discovery and development analysis

Telecommunications
- Revenue assurance and price optimization
- Customer churn prevention
- Campaign management and customer loyalty
- Call detail record (CDR) analysis
- Network performance and optimization
- Mobile user location analysis

Ecommerce & customer service
- Cross-channel analytics
- Event analytics
- Recommendation engines using predictive analytics
- Right offer at the right time
- Next best offer or next best action

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC)

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय **गतिविधियों** संबंधी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- इसकी स्थापना **1946 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC)** का एक कार्यात्मक आयोग है।

गोल्डन लंगूर

चर्चा में क्यों?

असम में **राष्ट्रीय राजमार्ग 117** पर एक दुर्घटना में एक गोल्डन लंगूर की मौत हो गई, जिससे इस प्रजाति पर बढ़ते खतरे पर प्रकाश पड़ता है।

गोल्डन लंगूर के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **वर्गीकरण और खोज:**
  - **प्रजाति का नाम:** ***ट्रैकिपिथेकस गीई***
  - **फैमिली:** ***सेरकोपिथेसिडी*** (प्राचीन बंदर)।
  - **सबफैमिली:** ***कोलोबिना*** (पत्ती खाने वाले बंदर)।
  - **खोजकर्त्ता:** ई.पी. गी, 1953; औपचारिक रूप से इसका वर्णन खजूरिया द्वारा वर्ष 1956 में किया गया।
- **भौगोलिक विस्तार:** गोल्डन लंगूर विशेष रूप से असम, भारत और पड़ोसी भूटान में पाए जाते हैं।
  - **ये भूटान (उत्तर) की तलहटी, मानस नदी (पूर्व), संकोश नदी (पश्चिम)** और **ब्रह्मपुत्र नदी (दक्षिण)** से घिरे एक सीमित क्षेत्र में मिलते हैं।
- **आवास:** समुद्र तल से लेकर 3,000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर उपोष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण चौड़े पत्ते वाले वन इनके आवास स्थल हैं।
- **भौतिक विशेषताएँ:**
  - **रंग: सुनहरा-नारंगी फर।** कोट का रंग मौसम के साथ बदलता है (गर्मियों में क्रीम, सर्दियों में गहरा सुनहरा)।
  - **चेहरे की विशेषताएँ:** काले बाल रहित चेहरे पर हल्की दाढ़ी; सिर के ऊपर सुरक्षात्मक बालों का गुच्छा रहता है।
  - **लैंगिक द्विरूपता:** नर, मादाओं की तुलना में बड़े एवं अधिक मज़बूत होते हैं।
- **व्यवहार:** ये दिन के दौरान सक्रिय (**दिनचर**) रहते हैं और मुख्यत: इनका वासस्थल वृक्ष होते हैं।
  - गोल्डन लंगूर का वास 3 से 15 के **समूह में होता है जिसमें प्राय: एक नर के साथ अनेक लंगूर मादाएँ अथवा** यदा कदा सभी नर होते हैं।
- **भौगोलिक भिन्नता:** ऐसा माना जाता है कि गोल्डन लंगूर के **फर के रंग के आधार पर दो उप-प्रजातियाँ हैं,** जो हैं ***Trachypithecus geei bhutanensis*** **(उत्तरी भूटान)** और ***Trachypithecus geei geei*** (दक्षिणी भूटान और भारत)।
  - हालाँकि, उत्तरी उप-प्रजाति को **अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण संहिता (ICZN)** के अनुसार औपचारिक रूप से वर्णित नहीं किया गया है।
- **खतरे:** खंडित आवास गोल्डन लंगूरों के लिये एक बड़ा खतरा हैं, क्योंकि इन लंगूरों की समष्टि अलग-अलग समूहों में विभाजित है।
  - **इन खंडित क्षेत्रों में निष्प्रजननीय नर समूहों (जिसमें पूर्णत: नर लंगूर होते हैं)** की अनुपस्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि इससे प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व पर प्रभाव पड़ सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- सड़क निर्माण, वनों की कटाई, तथा लोगों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण यह आवास विखंडन बढ़ रहा है।

- **संरक्षण स्थिति:** IUCN रेड लिस्ट में गोल्डन लंगूर को **संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध** किया गया है और इसे **वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES)** परिशिष्ट I के तहत संरक्षित किया गया है।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अब वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022)** के अंतर्गत गोल्डन लंगूर को **अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है,** जिससे इनके लिये उच्चतम संरक्षण उपाय सुनिश्चित होता है।
- **संरक्षण उपाय:** खंडित आवासों को जोड़ने के लिये गलियारों का निर्माण किया जाना चाहिये, जिससे आनुवांशिक विविधता में सुधार हो और इनका आवागमन सुविधाजनक हो।
  - **सुरक्षित आवागमन के लिये कैनोपी पुलों का निर्माण किया जाना चाहिये।** गोल्डन लंगूर के आवास पर मानवीय प्रभावों को संबोधित करने के लिये दीर्घकालिक संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता है।

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

रैपिड फायर

पैंगोंग झील पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण

हाल ही में पैंगोंग त्सो के तट पर **14,300 फीट** की ऊँचाई पर **छत्रपति शिवाजी महाराज** की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया।

- इसका अनावरण भारत और चीन द्वारा **डेमचोक और डेपसांग** में **सैनिकों की वापसी पूरी करने के तुरंत बाद किया गया**, जिससे **4.5 वर्ष** से चल रहा सीमा गतिरोध समाप्त हो गया।
- हालाँकि यह सेना के **दिग्गजों और स्थानीय लोगों** के बीच संवाद का विषय बन गया है, एक सेवानिवृत्त कर्नल ने **डोगरा जनरल जोरावर सिंह** की एक प्रतिमा का प्रस्ताव रखा है, जिनके **वर्ष 1834-1840 के अभियान ने महाराजा रणजीत सिंह** के अधीन **लद्दाख को डोगरा साम्राज्य** में मिला दिया था।
- **पैंगोंग त्सो:** यह हिमालय में लगभग **4,350 मीटर (14,270 फीट) की ऊँचाई पर स्थित** एक **अंतर्देशीय झील है।**
  - यह **विश्व की सबसे ऊँची खारे पानी की झीलों में से** एक है, जो **भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से** टकराव के दौरान एक **टेक्टोनिक झील** के रूप निर्मित हुई है।
  - इस घटना के परिणामस्वरूप **टेथिस महासागर** झील द्वारा विस्थापित हो गया, जिससे हिमालय का भी निर्माण हुआ।

वेम्बनाड झील

केरल में अलप्पुझा ज़िला प्रशासन **वेम्बनाड झील पुनरुद्धार परियोजना** के तहत एक **मेगा प्लास्टिक सफाई अभियान शुरू करेगा।** इस पहल का उद्देश्य **झील,** एक **रामसर स्थल** और भारत की **दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि प्रणाली, के स्वास्थ्य को बहाल करना है।**

- अतिरिक्त प्रयासों में **जैव-शील्ड की स्थापना, वेम्बनाड झील इंटरप्रिटेशन सेंटर की** स्थापना, **यार्न संग्रहालय, बोतल बूथ, सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देना** और **मत्स्य बीज का भंडारण शामिल है।**
  - झील संरक्षण के महत्त्व पर बल देने के लिये **मछुआरों, हाउसबोट कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों के लिये जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित किये जाएँगे।
- वर्ष 2023 के एक अध्ययन से पता चला है कि वेम्बनाड झील की स्थिति खराब हो गई है, जिससे लगभग 80 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। वर्ष **1990 से वर्ष 2020 तक झील की जलधारण क्षमता में 85.3% की गिरावट आई है।**
- **वेम्बनाड झील:** वेम्बनाड, **केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है।**
  - वेम्बनाड-कोल भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर **सबसे बड़ा खारा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है**। यह 10 नदियों से पोषित है, जो पश्चिमी तट पर वृहद मुहाना प्रणालियों की विशेषता है।
  - वर्ष 2002 में वेम्बनाड को **अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया था।**
  - इसे भारत सरकार के **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम** में भी शामिल किया गया है।
  - **कुमरकुम पक्षी अभयारण्य,** जिसे वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, झील के पूर्वी तट पर स्थित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप

हाल ही में **ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने न्यूयॉर्क** में वर्ष **2024 की FIDE (अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ) विश्व रैपिड चैंपियनशिप** में जीत हासिल की, जो भारतीय शतरंज के लिये एक असाधारण वर्ष है।

- कोनेरू हम्पी ने फाइनल में **इंडोनेशिया** की **इरीन सुकंदर को हराया** तथा एक से अधिक बार महिला रैपिड विश्व खिताब जीतने वाली **वह पहली भारतीय एवं चीन की वेंजुन जू के बाद दूसरी खिलाड़ी** बन गई हैं।
  - हम्पी ने अपना **पहला विश्व रैपिड खिताब वर्ष 2019 में जॉर्जिया** में जीता था।
    - उन्होंने **वर्ष 2012 विश्व रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता** तथा वर्ष 2023 में उज्बेकिस्तान में **दूसरा स्थान** प्राप्त किया।
- इससे पहले **डी गुकेश, सिंगापुर** में **विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में डिंग लिरेन** (चीन) को हराकर **सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन** बने थे।
- **वर्ष 2024 में बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड** के **ओपन एवं महिला** दोनों वर्गों में भारत को जीत मिली।
- **विश्व रैपिड चैंपियनशिप** में प्रत्येक राउंड में **15 मिनट का समय निर्धारण** होता है, जिसमें **प्रत्येक बारी में 10 सेकंड** की वृद्धि होती है।

सूर्य किरण सैन्य अभ्यास

जनवरी 2025 में भारत और नेपाल के बीच **भारत-नेपाल** संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास **"सूर्य किरण" का 18वाँ** संस्करण नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जा रहा है।

- अभ्यास का 17वाँ संस्करण दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था।
- **सूर्य किरण अभ्यास:** यह भारत और नेपाल के बीच **प्रतिवर्ष** आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, जो **दोनों देशों में बारी-बारी से** आयोजित किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उद्देश्य:**
  - **आतंकवाद-रोधी अभियानों, जंगल में युद्ध** और **पर्वतीय अभियानों** में दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना।
  - **संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर** के अंतर्गत **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)** में समन्वय में सुधार करना।
  - **परिचालन तैयारियों, विमानन पहलुओं, चिकित्सा प्रशिक्षण** और **पर्यावरण संरक्षण** को बढाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **भारत-नेपाल संबंध:** नेपाल पाँच भारतीय राज्यों: **सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1,850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।**
  - **वर्ष 1950** में हस्ताक्षरित **भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि इन देशों के** विशेष द्विपक्षीय संबंधों को आधार प्रदान करती है।
  - **कोशी समझौता** (1954, संशोधित 1966), **महाकाली संधि** (1996) और **गंडक समझौता** (1959, संशोधित 1964) भारत और नेपाल के बीच प्रमुख जल-साझाकरण समझौते हैं।

वाणिज्यिक इंटरनेट की उत्पत्ति

- **1 जनवरी, 1983** को **एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क (ARPANET) से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (TCP/IP)** में परिवर्तन ने आधुनिक इंटरनेट को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर संचार में क्रांति आ गई है।
- ARPANET, **पहला सार्वजनिक पैकेट-स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क है**, जिसे **शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी रक्षा विभाग** द्वारा संभावित **परमाणु हमलों के दौरान संचार को** सुनिश्चित करने के लिये शुरू किया गया था।
- हालाँकि ARPANET को नियंत्रित करने वाला प्रोटोकॉल, जिसे **नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल (NCP) के रूप में जाना जाता है, वर्ष** 1970 के दशक के अंत तक पुराना हो गया, क्योंकि यह **परस्पर संबंधित नेटवर्कों की बढ़ती जटिलता और विविधता को सहन करने में असमर्थ था।**
- **अमेरिकी इंटरनेट अग्रदूतों, विंटन सर्फ और रॉबर्ट काह्न** द्वारा विकसित TCP/IP ने विविध नेटवर्कों में संचार को मानकीकृत किया, जिससे **स्केलेबल और कुशल डेटा ट्रांसमिशन संभव हुआ।**
- 1 जनवरी 1983 को जिसे **"झंडा दिवस" के रूप में नामित किया गया,** सभी ARPANET प्रणालियों को TCP/IP अपनाना आवश्यक कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इंटरनेट की उत्पत्ति हुई।
- TCP/IP ने **"नेटवर्कों का नेटवर्क" सक्षम किया,** भौगोलिक, संगठनात्मक और तकनीकी बाधाओं को तोड़ दिया, तथा वैश्विक कनेक्टिविटी को संभव बनाया।
- इस परिवर्तन ने भविष्य की प्रगति की नींव रखी, जिसमें **वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स शामिल हैं।**

राजनेताओं के लिये स्मारक

हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार **निगमबोध घाट** पर किया गया, जो कि पहले से तय स्थानों पर दाह संस्कार करने एवं उसके बाद स्मारक स्थापित करने की परंपरा से अलग है।

- **नियम और परंपराएँ:** हालांकि पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिये **स्मारक बनाने के संबंध में कोई विशिष्ट नियम** नहीं हैं लेकिन आमतौर पर उनका अंतिम संस्कार निर्धारित स्थलों पर ही किया जाता है तथा उनमें से अधिकांश के स्मारक दिल्ली या अन्यत्र हैं।
- **स्मारकों की उत्पत्ति और विरासत: राजनेताओं के स्मारक स्थल के रूप में राजघाट (महात्मा गांधी)** का काफी महत्त्व है यह स्थल शांति एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
  - **जवाहरलाल नेहरू (शांति वन), लाल बहादुर शास्त्री (विजय घाट), इंदिरा गांधी (शक्ति स्थल)** और **अटल बिहारी वाजपेयी (स्मृति स्थल)** जैसे नेताओं के संदर्भ में

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विरासतों के प्रतीक के रूप में स्मारकों की परंपरा का पालन किया गया।

- **राजनीतिक विचारधाराएँ:** स्मारक अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं को दर्शाते हैं, उदाहरण के लिये, **पीवी नरसिम्हा राव की ज्ञान भूमि** की स्थापना वर्तमान NDA सरकार द्वारा की गई थी जिसे पहले कॉन्ग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि **वीपी सिंह** एकमात्र ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका कोई स्मारक नहीं है।
- **स्मारकों का रखरखाव:** स्मारकों का रखरखाव मुख्य रूप से **राज्य सरकारों, स्थानीय नगर पालिकाओं** एवं कभी-कभी शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से **केंद्र सरकार** द्वारा किया जाता है।
- **भारत में स्मारक और प्रतीकवाद: राजेंद्र प्रसाद (बिहार), बी.आर. अंबेडकर (मुंबई), मोरारजी देसाई (अहमदाबाद)** और **गुलजारीलाल नंदा- अंतरिम प्रधानमंत्री (अहमदाबाद)।**
  - स्मारक के नाम राजनेताओं की पहचान को दर्शाते हैं, जैसे **शास्त्री जी का विजय घाट (जीत), इंदिरा जी का शक्ति स्थल (मज़बूती)** एवं **चरण सिंह का किसान घाट (किसान नेतृत्व)।**

मॉल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया

हाल ही में, यूक्रेन ने **अपने क्षेत्र से रूसी गैस की सप्लाई बंद** कर दिया है, जिससे दिसंबर, 2024 में युद्ध-पूर्व ट्रांजिट समझौते की समाप्ति के बाद **यूरोप** तक पहुँचने वाला **प्रमुख सप्लाई मार्ग बंद** हो गया है।

- **मॉल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया,** जो सर्दियों के दौरान विद्युत् की आपूर्ति और हीटिंग के लिये मुख्यत: रूसी गैस पर निर्भर रहते हैं, को इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है।
  - **मॉल्डोवा :**
    - मॉल्डोवा एक **छोटा पूर्वी यूरोपीय देश** है, **जिसकी सीमा पूर्व में यूक्रेन** और **पश्चिम में रोमानिया** से लगती है ।
    - **हाल ही में, मॉल्डोवा ने नई दिल्ली में** अपने दूतावास का उद्घाटन किया है।
    - वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन और मॉल्डोवा की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1992 में भारत और मॉल्डोवा ने राजनयिक संबंध स्थापित किये है।
- **ट्रांसनिस्ट्रिया:**
  - यह **मॉल्डोवा में रूस समर्थित एक अलग क्षेत्र है जिसे "सोवियत संघ के भाग (Remnant of the Soviet Union)"** के रूप में वर्णित किया गया है जो वर्ष 1991 में **सोवियत संघ** के पतन के बाद मॉल्डोवा के बाकी हिस्सों से अलग हो गया था।
  - जब वर्ष 1990-1992 में मॉल्डोवन सैनिकों ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद रूसी सैनिकों की वजह से ट्रांसनिस्ट्रिया उनका विरोध करने में सक्षम हुआ। तब से, यह मॉल्डोवन नियंत्रण से मुक्त है।
    - हालाँकि, अधिकांश देश ट्रांसनिस्ट्रिया को मॉल्डोवा का हिस्सा मानते हैं। रूस द्वारा भी इसे स्वतंत्र नहीं माना गया है।
  - अधिकांश ट्रांसनिस्ट्रियनों के पास **रूस और ट्रांसनिस्ट्रिया की दोहरी नागरिकता** या **मॉल्डोवा, ट्रांसनिस्ट्रिया और रूस** की तिहरी नागरिकता है ।

आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI)

आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) के संयुक्त सूचकांक में नवंबर 2023 की तुलना में **नवंबर 2024 में 4.3% की वृद्धि** दर्ज की गई।

- ICI के तहत आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात **कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट एवं विद्युत उत्पादन के संयुक्त तथा एकल** प्रदर्शन को मापा जाता है।
  - **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** में शामिल वस्तुओं के भार में **40.27%** हिस्सा आठ प्रमुख उद्योगों का है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

उद्योग	भार (%)	वृद्धि (नवंबर 2024)
रिफाइनरी उत्पाद	28.04%	2.90%
विद्युत	19.85%	3.80%
इस्पात	17.92%	4.80%
कोयला	10.33%	7.50%
कच्चा तेल	8.98%	-2.10%
प्राकृतिक गैस	6.88%	-1.90%
सीमेंट	5.37%	13.00%
उर्वरक	2.63%	2.00%

- **IIP:** इस सूचकांक द्वारा भारत में **खनन, विद्युत और विनिर्माण** जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में **उत्पादन की मात्रा** में हुए **अल्पकालिक परिवर्तनों** को मापा जाता है।
  - इसे **केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)** द्वारा **मासिक** रूप से जारी किया जाता है। इसके तहत डेटा, संदर्भ माह के **छह सप्ताह बाद** जारी किया जाता है।
  - इसमें **आधार वर्ष (2011-2012)** की तुलना में उत्पादन में हुए परिवर्तन को दर्शाया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता

हाल ही में, वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय में नामित 116 नए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की गुणवत्ता पर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।

- **वरिष्ठ अधिवक्ता:**
  - **पदनाम:** यह उपाधि कानूनी विचक्षणता, बार में प्रतिष्ठा, तथा कम से कम **10 वर्षों के अनुभव** के बाद विशेष ज्ञान के आधार पर **सर्वोच्च न्यायालय** या **उच्च न्यायालय** द्वारा प्रदान की जाती है।
  - **भूमिका:** वे **कानूनी प्रस्तावों पर बहस** करते हैं, लेकिन मुवक्किलों से **सीधे निर्देश** नहीं ले सकते हैं और उन्हें **एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR)** द्वारा जानकारी दी जाती है।
    - वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख कानूनी व्यक्ति होते हैं, जो **मृत्यु दंड, कंपनी परिसमापन, बाल हिरासत और जमानत आवेदन** जैसे उच्च जोखिम वाले मामलों को संभालते हैं।
  - **प्रतिबंध:** वरिष्ठ अधिवक्ता सीधे तौर पर मुवक्किलों को नहीं ले सकते हैं या कुछ कानूनी कार्यों में संलग्न नहीं हो सकते हैं, जैसे कि **याचिकाओं का प्रस्ताव तैयार करना, हलफनामा तैयार करना** या साक्ष्य पर सलाह देना।
  - **वर्ष 2017 सुधार: बॉम्बे उच्च न्यायालय की पहली महिला वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की जनहित याचिका** के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिये वस्तुनिष्ठ मानदंड स्थापित किये।
    - इन मानदंडों में **निर्णय, शैक्षणिक योगदान** और **अनुभव** शामिल हैं, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक **पारदर्शी** और **समावेशी** बनाना है।
- **एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड:** वे **दस्तावेज़ दाखिल करने,** पक्षों का प्रतिनिधित्व करने तथा सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिये अधिकृत एकमात्र अधिवक्ता हैं।
- **अन्य अधिवक्ता:** ये अधिवक्ता **राज्य बार काउंसिल की सूची** में सूचीबद्ध हैं और **सर्वोच्च न्यायालय** में मामलों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन दस्तावेज़ दाखिल नहीं कर सकते **(औपचारिक फाइलिंग** में शामिल नहीं)।

NPCI ने UPI ऐप्स के लिये मार्केट कैप की समयसीमा बढ़ाई

हाल ही में **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (TPAP) के लिये UPI ट्रांजेक्शन** पर **30% ट्रांजेक्शन कैप का** अनुपालन करने की समय सीमा **31 दिसंबर, 2026** तक बढ़ा दी है।

- यह निर्णय **फोनपे और गूगलपे जैसे प्रमुख TPAP को प्रभावित करता है,** जिसके द्वारा सामूहिक रूप से **80% से अधिक का UPI ट्रांजेक्शन होता है।**
  - **30% की सीमा** का अनुपालन करने के लिये, सीमा से अधिक वाले TPAP को नवीन ग्राहकों को शामिल करना बंद करना होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **पृष्ठभूमि: नवंबर 2020** में, NPCI ने **एकाग्रता जोखिमों को** कम करने और एक **संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक TPAP UPI ट्रांजेक्शन की मात्रा पर 30%** की सीमा पेश की। हालाँकि यह समय सीमा **दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई थी।**
  - यह सीमा **विगत तीन माह के औसत UPI ट्रांजेक्शन की मात्रा पर आधारित है,** तथा मौजूदा TPAP द्वारा सीमा पार कर लेने के बाद, उन्हें चरणबद्ध तरीके से **अनुपालन करने के लिये दो वर्ष का समय दिया गया है।**
- **NPCI**: इसकी स्थापना **RBI और भारतीय बैंक संघ द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत की गई थी।
- **TPAP**: ये वह संस्थाएँ हैं जो **मोबाइल ऐप या प्लेटफॉर्म** के माध्यम से UPI-**आधारित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं, जो उपयोगकर्त्ताओं और बैंकों (प्रायोजक बैंक के रूप में संदर्भित) के** बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं।
  - TPAP **बैंकों या वित्तीय संस्थाओं का हिस्सा नहीं हैं।**

माउंट कनलाओन

हाल ही में, फिलीपींस में 2,435 मीटर ऊँचा **सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कानलाओन** में विस्फोट हुआ, जिससे कई कि.मी. तक राख और गैसें फैल गई।

- **माउंट कनलाओन नेग्रोस द्वीप के उत्तर मध्य भाग** मे एक **स्ट्रैटोवोलकानो (या मिश्रित शंकु (Composite Cone) एक ऊँचा, शंकु के आकार का ज्वालामुखी) है।**
- फिलीपींस और माउंट कनलाओन **प्रशांत महासागर के अग्नि वलय** (Pacific Ring of Fire) में स्थित है, जो अपनी उच्च भूकंपीय गतिविधियों तथा विश्व स्तर पर सबसे अधिक आपदा-प्रवण क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता है।

ज्वालामुखी:

- ज्वालामुखी (एक **अंतर्जात प्रक्रिया**) पृथ्वी की भू-पर्पटी में एक दरार/ छिद्र है जिसके माध्यम से विस्फोट उया ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा, राख, वाष्प और गैसें बाहर निकलती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

प्रशांत अग्नि वलय (रिंग ऑफ फायर):

- **रिंग ऑफ फायर**, या **सर्कम-पैसिफिक बेल्ट**, **प्रशांत महासागर** के चारों ओर एक **भूकंपीय क्षेत्र है, यह सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों** के लिये जाना जाता है, जो **प्रशांत प्लेट** तथा आसपास के कम घनत्व वाले प्लेटों के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है।
- **40,000 किलोमीटर में विस्तृत रिंग ऑफ फायर** कई टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं को रेखांकित करती है, जिनमें **प्रशांत, जुआन डे फूका, कोकोस, भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई, नाज़का, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेटें** शामिल हैं

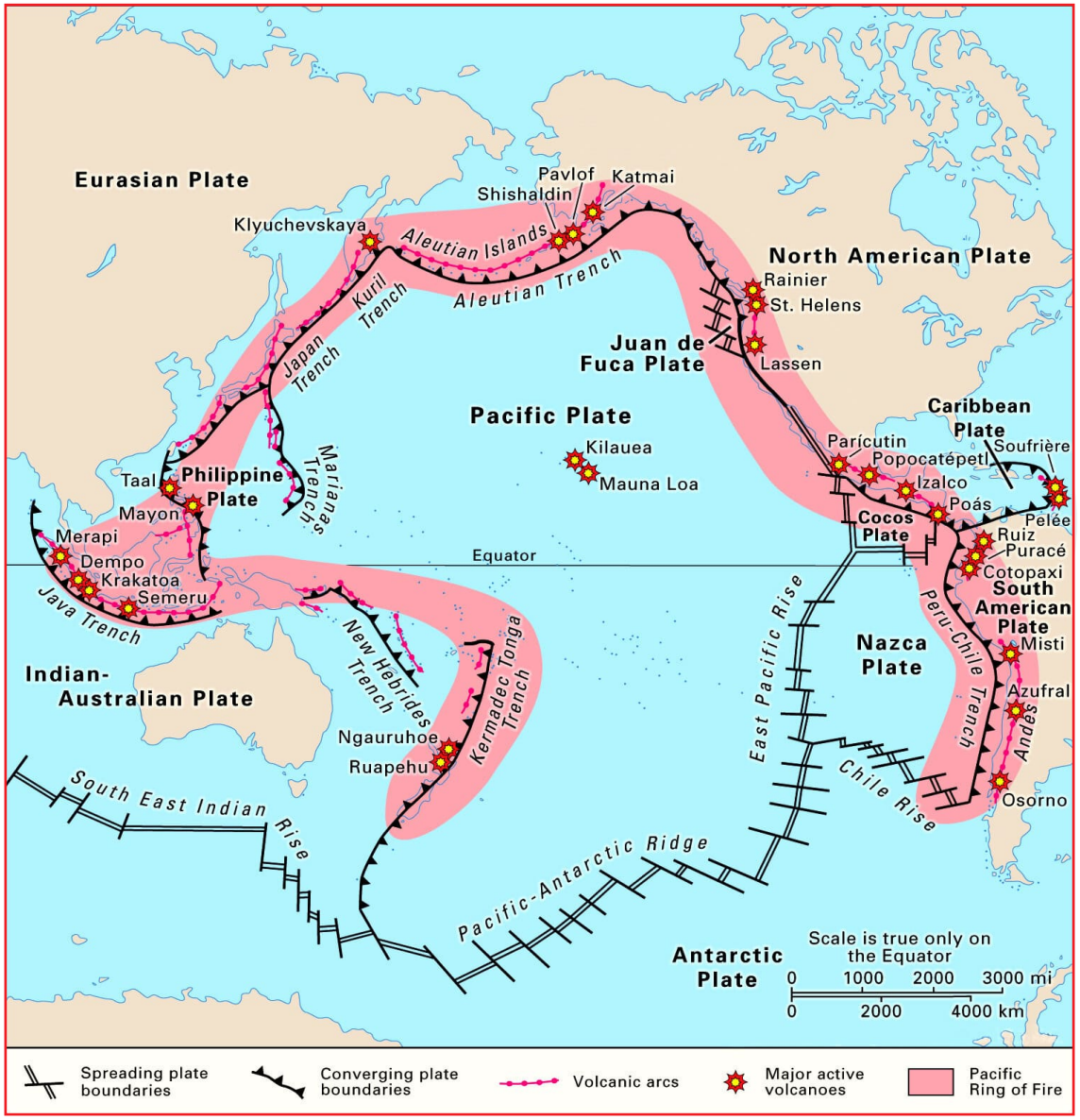

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

VSSC में ध्रुवीय सूर्यघड़ी

हाल ही में **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र** (VSSC) द्वारा डिजाइन की गई एक ध्रुवीय **सूर्यघड़ी** को **केरल के थुंबा स्थित अंतरिक्ष संग्रहालय के 'रॉकेट गार्डन'** में प्रदर्शित किया गया है।

- यह सूर्यघड़ी एक **शैक्षणिक उपकरण** के रूप में कार्य करती है, जो **जटिल खगोलीय अवधारणाओं** को दृश्यात्मक रूप से आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करती है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - सूर्यघड़ी में **एनालेमेटिक सुधार** की सुविधा है, जिससे यह **भारतीय मानक समय (IST)** और तारीख को **सटीक रूप से प्रदर्शित** कर सकती है।
    - पारंपरिक सूर्यघड़ी के विपरीत, यह सूर्यघड़ी **सीधी घंटे की रेखाओं को पर उल्टे एनालेम्मा वक्र से बदल देती है,** जो पूरे वर्ष **स्थानीय सौर समय को स्वचालित रूप से औसत सौर समय में परिवर्तित** कर देती है।
    - **एनालेम्मा सुधार, पृथ्वी के झुकाव और दीर्घवृत्तीय कक्षा के कारण,** एक वर्ष के दौरान आकाश में **सूर्य** द्वारा बनाए गए **आठ के आकार के पैटर्न** पर आधारित है।
- सूर्यघड़ी को **ध्रुवीय विन्यास** के साथ डिजाइन किया गया है, जहाँ **सूर्यघड़ी प्लेट को पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समानांतर संरेखित** किया गया है और **थुंबा के अक्षांश के आधार पर** एक कील के आकार की संरचना से जोड़ा गया है।
- इस सूर्यघड़ी में **रोहिणी शृंखला के RH200 साउंडिंग रॉकेट** का **1.6 फीट ऊँचा, 3D-मुद्रित लघु संस्करण** अंकित है।

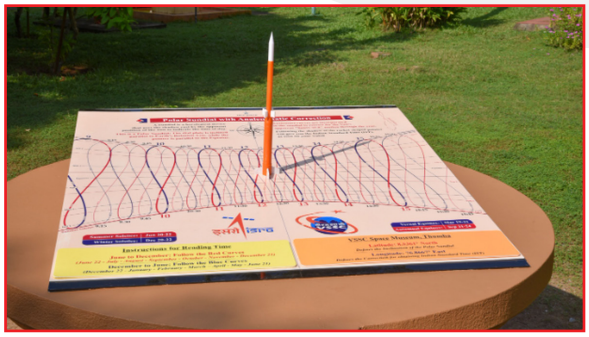

भारत-पाक के बीच परमाणु और कैदी सूचियों का आदान-प्रदान

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बावजूद **परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान-प्रदान किया तथा कैदियों और मछुआरों** का विवरण साझा किया।

- **कैदियों और मछुआरों** की सूचियों का आदान-प्रदान **वर्ष 2008 के कांसुलरी एक्सेस समझौते** के तहत अनिवार्य है, जो प्रत्येक दो वर्ष में **1 जनवरी और 1 जुलाई को** होता है।
- **परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों** का आदान-प्रदान **परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के प्रतिषेध समझौते, 1988** के तहत हुआ।
  - यह **लगातार 34वाँ आदान-प्रदान था,** पहला आदान -प्रदान **1 जनवरी 1992 को हुआ था।**
  - **31 दिसंबर, 1988** को हस्ताक्षरित तथा **27 जनवरी 1991** से प्रभावी इस समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को **प्रतिवर्ष 1 जनवरी को परमाणु स्थापना के विवरण का आदान-प्रदान करना आवश्यक है।**
  - हालाँकि दोनों में **से किसी भी** देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों का **विवरण नहीं बताया है।**
- **कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1963** के **अनुच्छेद 36 में** यह अनिवार्य किया गया है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए विदेशी नागरिकों को **उनके दूतावास या वाणिज्य दूतावास को अधिसूचित करने के उनके अधिकार के बारे में शीघ्र सूचित किया जाना चाहिये।**

थांथाई पेरियार स्मारक

हाल ही में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने **वायकोम में पुनर्निर्मित थांथाई पेरियार स्मारक का उद्घाटन किया, जो तमिल सुधारवादी ई.वी. रामासामी नायकर, जिन्हें थांथाई पेरियार के नाम से जाना जाता है,** के योगदान को याद करने वाला एक महत्त्वपूर्ण स्थल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह स्मारक **थांथाई पेरियार स्मृति में निर्मित किया गया है**, जिन्होंने **अप्रैल 1924** में भारत में **'अछूत' समुदायों** के अधिकारों के लिये **पहले संगठित आंदोलन** के रूप में पहचाने जाने वाले **वायकोम सत्याग्रह** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - पेरियार की सक्रियता के कारण उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिये दो बार जेल जाना पड़ा, जिससे उन्हें **'वायकोम वीरन' की उपाधि मिली।**
- पुनर्निर्मित स्मारक में एक **नया पुस्तकालय** और पेरियार की जीवनी, **द्रविड़ आंदोलन का इतिहास** एवं प्रमुख नेताओं के साथ उनके संबंधों का विवरण देने वाली **सामग्री शामिल है।**
- **पेरियार का योगदान:**
  - वायकोम सत्याग्रह **30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक वायकोम, केरल में आयोजित एक शांतिपूर्ण विरोध का** नेतृत्व दूरदर्शी नेता **टीके माधवन, केपी केशव मेनन** और **के. केलप्पन ने किया था।**
  - इन्होंने **आत्म-सम्मान आंदोलन और द्रविड़ कझगम की शुरुआत की,** इन्हें **'द्रविड़ आंदोलन के जनक' के रूप में जाना जाता है।**

CENJOWS और NDMA के बीच समझौता ज्ञापन

हाल ही में, भारत की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, **सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज (CENJOWS)** ने **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

- इस साझेदारी का उद्देश्य **'संपूर्ण राष्ट्र (Whole of the Nation)'** दृष्टिकोण के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण, तैयारी और प्रतिक्रिया में **महत्त्वपूर्ण चुनौतियों** का समाधान करना है।
- **संयुक्त पहल के लिये रूपरेखा:**
  - **सहयोगात्मक अनुसंधान:** भारत सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिये **आपदा प्रबंधन, NHDR** परिचालन और आपदा कूटनीति पर अध्ययन करना।
  - **क्षमता निर्माण:** सशस्त्र बलों के कर्मियों, **NDMA अधिकारियों और अन्य प्रमुख एजेंसियों सहित हितधारकों** के लिये सेमिनार, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
  - **जागरूकता अभियान: राष्ट्रव्यापी जागरूकता पहल** के माध्यम से आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता:** भारत की **विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप आपदा प्रबंधन** पर वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
  - **CENJOWS की स्थापना वर्ष 2004** में **रक्षा मंत्रालय** द्वारा की गई थी, और यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860** के तहत पंजीकृत है।
    - CENJOWS का उद्देश्य हितधारकों के लिये सिद्धांत और नीति निर्माण में सहायता के लिये **शोध-आधारित विकल्प** प्रदान करने और बहस को बढ़ावा देने के माध्यम से **व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के चालक के रूप में** एकजुटता को बढ़ावा देना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- NDMA:
  - ❖ इसकी **स्थापना आपदा प्रबंधन** के लिये भारत का सर्वोच्च वैधानिक निकाय के रूप में **वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के तहत की गई थी।
  - ❖ इसकी अध्यक्षता **प्रधानमंत्री** करते हैं और इसमें **नौ सदस्य होते हैं**, जिनमें से एक **उपाध्यक्ष** होता है।

बाघों का अंतर-राज्यीय स्थानांतरण

हाल ही में **मध्य प्रदेश सरकार ने** संरक्षण उद्देश्यों के लिये **15 बाघों** को मध्य प्रदेश से **राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में स्थानांतरित करने** का निर्देश दिया है।

- इन बाघों को मध्य प्रदेश के **बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिज़र्व** से स्थानांतरित किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** के अनुमोदन के बाद कुल **12 बाघिनों** एवं **3 बाघों** को स्थानांतरित किया जाएगा।
  - ❖ स्थानांतरण योजना में **छत्तीसगढ़ के लिये छह बाघिन एवं दो बाघ, राजस्थान के लिये चार बाघिन** एवं **ओडिशा के लिये एक बाघ तथा दो बाघिन** शामिल हैं।
- NTCA की **वर्ष 2022 की रिपोर्ट** के अनुसार **भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश (जहाँ 785 बाघ हैं)** में है।
  - ❖ राज्य में **नौ टाइगर रिज़र्व हैं जिनमें शिवपुरी ज़िले में** नव अधिसूचित **माधव टाइगर रिज़र्व** भी शामिल है।
- स्थानांतरण की रणनीति के तहत बाघों की आबादी में आनुवंशिक विविधता को बढ़ाना शामिल है। इसके लिये अलग-अलग समूहों में नए बाघों को शामिल किया जाता है, जिससे अंत:प्रजनन के जोखिम में कमी आने के साथ प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को बनाए रखने में मदद मिलती है।
  - ❖ इसका उद्देश्य मौजूदा बाघ आबादी की **आनुवंशिक विविधता** को बढ़ाना है।

AICTE का 2025 'AI का वर्ष'

हाल ही में **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने** भारत को AI में वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता के रूप में स्थापित करने के लिये वर्ष **2025 को "कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष"** के रूप में नामित किया है।

- AICTE का लक्ष्य **अद्यतन पाठ्यक्रम, संकाय हेतु कार्यशालाओं** और वास्तविक विश्व के प्रदर्शन के लिये **AI-संचालित कंपनियों के साथ सहयोग के** माध्यम से **शिक्षा में AI को बढ़ावा देना है।**
  - ❖ इस पहल के मुख्य तत्वों में **AI एफर्मेशन प्लेज़, व्यापक AI एकीकरण, AI जागरूकता अभियान, संकाय विकास और औद्योगिक भागीदारी, उत्कृष्ट मान्यताएँ शामिल हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **यह पहल 14,000 से अधिक कॉलेजों और 40 मिलियन छात्रों को** प्रभावित करेगी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में AI को एकीकृत करना और नवाचार एवं नेतृत्व को बढ़ावा देना है।
- सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने के लिये **AI-सक्षम उपकरण और सुरक्षा उपाय शुरू किये, जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, ई-मैप पोर्टल और जागो-ग्राहक-जागो मोबाइल एप्लीकेशन तथा** ई-कॉमर्स में भ्रामक विपणन को विनियमित करने के लिये दिशानिर्देश शामिल हैं।
- सरकार ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ करने के लिये **ई-दाखिल पोर्टल** जैसे उपकरणों एवं ई-कॉमर्स संबंधी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के उपायों के साथ डिजिटल बाज़ार में उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- **AICTE:**
  - **यह शिक्षा मंत्रालय** के अधीन एक **सांविधिक निकाय** एवं **तकनीकी शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है।**
  - इसकी स्थापना **नवंबर 1945 में** एक **राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी।**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

AI मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण है, जिसे मनुष्यों की तरह सोचने और सीखने के लिये प्रोग्राम किया गया है, जो समस्या-समाधान, तर्क और नई जानकारी के अनुकूल होने में सक्षम है।

AI टाइमलाइन - प्रमुख परिवर्तन (Milestones)

- 1950s: का दशक: ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव; पहला AI प्रोग्राम विकसित
- 1956: डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ने "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" को मान्यता दी
- 1960s: का दशक: एलिज़ा चैटबॉट का निर्माण; प्रारंभिक न्यूरल नेटवर्क
- 1996: डीप ब्लू - एक शतरंज खेलने वाला प्रोग्राम (Chess-Playing Program)
- 2012: डीप लर्निंग ब्रेक थ्रू इन इमेज रिकॉग्निशन
- 2014: जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN) का प्रस्ताव
- 2020: GPT-3 द्वारा उन्नत भाषा निर्माण का प्रदर्शन
- 2022: चैटजीपीटी लॉन्च हुआ, जो संवादात्मक AI को आम लोगों तक पहुँचाएगा
- 2023: जनरेटिव AI बूम; प्रमुख टेक कंपनियों ने AI मॉडल जारी किये

प्रमुख AI प्रौद्योगिकियाँ

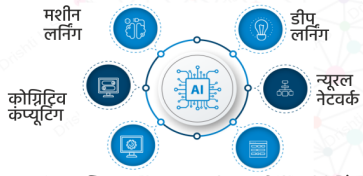

Drishti IAS

AI के अनुप्रयोग

- **स्वास्थ्य सेवा:** व्यक्तिगत चिकित्सा
- **वित्त:** एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग
- **परिवहन:** ऑटोनोमस व्हीकल
- **विपणन और ग्राहक सेवा:** टार्गेटेड एडवरटाइज़िंग चैटबॉट
- **शिक्षा:** अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम
- **कृषि:** फसल निगरानी
- **साइबर सुरक्षा:** खतरे का पता लगाना
- **ऊर्जा:** स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन, खपत पूर्वानुमान

चिंताएँ

- डीपफेक और गलत सूचना
- एल्गोरिदमिक बायस
- ऑटोमेशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट
- गोपनीयता के मुद्दे
- डेटा ऑनरशिप और लायबिलिटी इश्यु
- एथिकल डिसीजन-मेकिंग कॉम्प्लेक्स

AI विनियमन

- **AI पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) 2020 में प्रारंभ हुई**
- **ब्लेचली घोषणा (2023):** AI पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना
- **G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (2023):**
- **AI** पर G7 हिरोशिमा (2023) प्रोसेस

भारत और AI

- **AI 201 के लिये राष्ट्रीय रणनीति**
- **AI फॉर ऑल:** स्व-शिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम
- भारत द्वारा आयोजित **GPAI शिखर सम्मेलन 2023**
- **इंडिया AI मिशन 2024**
- **US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (USIAI) पहल:** महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में AI सहयोग
- **AIRAWAT** (AI रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज सेपरिफ्यूज़न प्लेटफॉर्म) सुपरकंप्यूटर

MWPSC अधिनियम, 2007 के तहत संपत्ति की बहाली

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007 पर उच्चतम **न्यायालय के** हालिया फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि यदि बच्चे अपने देखभाल संबंधी दायित्वों में लापरवाही बरतते हैं तो न्यायाधिकरण माता-पिता को संपत्ति लौटाने के लिये सशक्त हो सकते हैं।

- **MWPSC अधिनियम 2007 की धारा 23** न्यायाधिकरणों को संपत्ति हस्तांतरण को शून्य घोषित करने की अनुमति देती है, यदि **हस्तांतरितकर्त्ता सहमत बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करने में विफल रहता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इन अधिकारों को लागू नहीं कर सकता, तो एक अधिकृत संगठन (ट्रिब्यूनल) उनकी ओर से कार्य कर सकता है।

- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा प्रशासित MWPSC अधिनियम 2007, वृद्ध नागरिकों को वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, तथा यदि वे स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं तो उन्हें **बच्चों या विधिक उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग करने की अनुमति देता है।**
- **MWPSC अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:** इस अधिनियम को कुशल प्रसंस्करण के लिये ज़िला और उप-मंडल स्तर पर **न्यायाधिकरणों एवं अपीलीय न्यायाधिकरणों के माध्यम से लागू किया जाता है।**
- न्यायाधिकरण भरण-पोषण राशि का भुगतान न करने वाले **व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकते हैं या कारावास का आदेश दे सकते हैं।**
- देखभालकर्त्ताओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को त्यागने पर जुर्माना या 3 माह तक कारावास हो सकता है।

शीतकालीन चारधाम

हाल ही में **उत्तराखंड** ने **वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने** और **ऑफ-सीजन सर्दियों के महीनों** के दौरान राज्य में **पर्यटकों को आकर्षित करने** के लिये **शीतकालीन चारधाम सर्किट** शुरू किया है।

- **चारधाम तीर्थस्थल** (4 पूजनीय तीर्थस्थल) चार पवित्र स्थल हैं, अर्थात **यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ** और ये **गढ़वाल हिमालय** में स्थित हैं। पारंपरिक रूप से **मई और नवंबर** के बीच इनकी यात्रा की जाती है।
  - **सर्दियों के महीनों** के दौरान, इन मंदिरों के **मुख्य देवताओं को निम्न ऊँचाई** पर स्थित मंदिरों में लाया जाता है:
    - **केदारनाथ:** उखीमठ (रुद्रप्रयाग) में ओंकारेश्वर मंदिर
    - **बद्रीनाथ:** चमोली में पांडुकेश्वर
    - **गंगोत्री:** उत्तरकाशी में मुखबा
    - **यमुनोत्री:** उत्तरकाशी में खरसाली
- **चारधाम परियोजना** का उद्देश्य राजमार्गों की स्थिति में सुधार करके **बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री** तक **संपर्क** बढ़ाना है।
- **आदि शंकराचार्य** (**अद्वैत वेदांत** के प्रतिपादक) ने देश के चार अलग-अलग दिशाओं में **चारधामों** की स्थापना की जिनमें **बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम** शामिल हैं।
  - अद्वैत वेदांत एक **गैर-द्वैतवादी दर्शन** है जो यह मानता है कि **परम वास्तविकता (ब्रह्म)** एकवचन और निराकार है, **व्यक्तिगत आत्माएँ (आत्मा) इसके समान हैं,** और **इस एकता की प्राप्ति के माध्यम से मुक्ति (मोक्ष)** प्राप्त की जाती है।

कैंसर चिकित्सा के लिये हाइड्रोजेल

हाल ही में, शोधकर्त्ताओं ने **स्थानीयकृत कैंसर के उपचार** के लिये एक **इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल** विकसित किया है।

- हाइड्रोजेल **कैंसर रोधी दवाओं के लिये एक स्थिर भंडार** के रूप में कार्य करता है, जो **स्वस्थ कोशिकाओं को सुरक्षित** रखकर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करते हुए दुष्प्रभावों को कम करता है।
- **जैवसंगत और जैवनिम्नीकरणीय अल्ट्रा-शॉर्ट पेप्टाइड्स** से बना यह **हाइड्रोजेल, ग्लूटाथिऑन (GSH)** के बढ़े हुए स्तर पर प्रतिक्रिया करता है, जो कैंसर कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है।
- हाइड्रोजेल **कैंसर वाली जगह (Tumour Site)** पर **स्थानीयकृत दवा वितरण** सुनिश्चित करता है, जिससे उपचार की परिशुद्धता में सुधार होता है।
  - **पारंपरिक कीमोथेरेपी** और सर्जरी कैंसर कोशिकाओं का उपचार करते समय **स्वस्थ कोशिकाओं** को नुकसान पहुँचाती है।
- हाइड्रोजेल **जल-आधारित, त्रि-आयामी बहुलक नेटवर्क** हैं जो **तरल पदार्थ को अवशोषित करने और बनाए रखने** में सक्षम हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- उनकी अनूठी संरचना **जीवित ऊतकों की प्रतिकृति** बनाती है, जिससे वे जैव-चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिये उपयुक्त बन जाते हैं।

श्री नारायण गुरु

हाल ही में **केरल के शिवगिरी मठ** के प्रमुख ने मंदिर में प्रवेश करने से पहले **पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा ऊपरी वस्त्र उतारने की प्रथा को समाप्त करने** का आह्वान किया और इसे एक **"कुप्रथा"** बताया।

- उनके अनुसार यह प्रथा, जो मूल रूप से पुरुषों द्वारा **"पुनुल" (ब्राह्मण वर्ग द्वारा धारण किया जाने वाल यज्ञोपवीत) धारण किया जाना सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई थी,** **श्री नारायण गुरु** के सामाजिक सुधार सिद्धांतों के विपरीत है।

श्री नारायण गुरु:

- **जन्म:** श्री नारायण का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के चेम्पाज़ंथी में हुआ था। वे **एझावा जाति** से थे, जिसे तत्तकालीन सामाजिक मानदंडों के अनुसार 'अवर्ण' माना जाता था।
- **दर्शन:** उन्होंने **जातिगत भेदभाव का विरोध करते हुए समानता, शिक्षा और सामाजिक उत्थान** का समर्थन किया।
  - **उनका मूल विश्वास "मानवता के लिये एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर"** के नारे में व्यक्त होता है।
  - वह **आदि शंकराचार्य** द्वारा प्रणीत **अद्वैतवादी दर्शन, अद्वैत वेदांत** के प्रमुख समर्थक रहे।
- **सामाजिक सुधार:** उन्होंने हाशिये पर स्थित लोगों के उत्थान के लिये एक परोपकारी समाज, **श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (SNDP)** की स्थापना की।
  - **अरुविप्पुरम आंदोलन (1888):** उन्होंने अरुविप्पुरम में एक शिव मूर्ति स्थापित की, जो सामाजिक अन्याय, विशेष रूप से उन जाति-आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक थी, जिसके अंतर्गत निम्न जातियों का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित था।
  - उन्होंने **1904 में शिवगिरी मठ** की स्थापना की।
- **साहित्यिक योगदान:** उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएँ की, जिनमें ***अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, दैव दसकम*** और ***ब्रह्मविद्या पंचकम*** शामिल हैं।

पंचायत से संसद 2.0

हाल ही में 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता **बिरसा मुंडा** की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में **लोकसभा अध्यक्ष** द्वारा पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

- इस कार्यक्रम में पूरे भारत से **अनुसूचित जनजातियों (ST) की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों** ने भाग लिया।
- **पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम: यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों** की समझ बढ़ाने के क्रम में महिला जागरूकता तथा सशक्तीकरण पहल है।
  - इसका आयोजन **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** एवं **लोकसभा सचिवालय** द्वारा **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** के सहयोग से किया गया।
- **उद्देश्य: पंचायतों (PRI)** और **शहरी स्थानीय निकायों (ULB)** में विविध पृष्ठभूमि से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को **संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं** तथा **शासन** संबंधी जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना।
  - **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - इसके तहत विशेषज्ञों एवं **संसद सदस्यों (MP) द्वारा इंटरैक्टिव कार्यशालाओं के साथ नए संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय** तथा **राष्ट्रपति भवन** के निर्देशित दौरे शामिल हैं।
    - **पंचायत से संसद 1.0** का आयोजन जनवरी 2024 में 500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ किया गया था।
- **महिला आरक्षण हेतु अधिनियम:**
  - **73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992 और 1993)**
  - **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023**
- बिरसा मुंडा ने **मुंडा विद्रोह (उलगुलान)** का नेतृत्व किया तथा उनकी जयंती को **जनजातीय गौरव दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विश्व ब्रेल दिवस 2025

4 जनवरी को मनाया जाने वाला **विश्व ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल** के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ब्रेल लिपि एक **स्पर्शनीय कोड** है जो **नेत्रहीन और दृष्टिबाधित** व्यक्तियों को **लिखित जानकारी तक पहुँचने में सक्षम** बनाता है।

- **लुई ब्रेल:** लुई ब्रेल (1809-1852) का जन्म फ्राँस में हुआ था और तीन वर्ष की आयु में ही उनकी दृष्टि चली गयी थी।
  - दस वर्ष की आयु में उन्हें पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में छात्रवृत्ति मिली, जहाँ उन्होंने एक सेना के कप्तान की **"नाइट राइटिंग" प्रणाली** से प्रेरित होकर **ब्रेल प्रणाली** विकसित की।
    - वर्ष 1815 में **चार्ल्स बार्बियर डे ला सेरे** द्वारा निर्मित "नाइट राइटिंग" प्रणाली में **12 उभरे हुए बिंदुओं** का प्रयोग किया गया था और इसे सैनिकों के लिये अंधेरे में गुप्त संवाद करने हेतु डिजाइन किया गया था।
- **ब्रेल प्रणाली:** इसमें **3×2 मैट्रिक्स** में 6 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग कर वर्ण बनाए जाते हैं, जिन्हें उनकी व्यवस्था द्वारा पहचाना जा सकता है।
- ब्रेल लिपि को विभिन्न उपकरणों से लिखा जा सकता है, जिनमें स्लेट, ब्रेल राइटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं।
- ध्वनि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद, ब्रेल लिपि अभी भी स्वतंत्रता के लिये आवश्यक है, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जो जन्म से नेत्रहीन हैं।

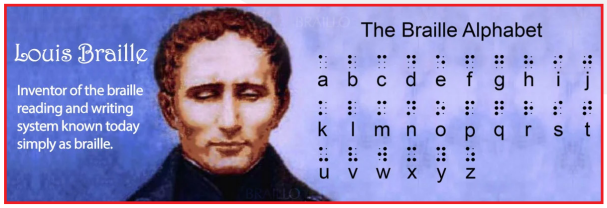

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा 4 जनवरी 2025 को अपना 40वाँ स्थापना दिवस मनाया गया, जो भारत के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास में चार दशकों के योगदान का प्रतीक है।

- **DSIR:** इसकी स्थापना 4 जनवरी 1985 को **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के 164वें संशोधन** के अंतर्गत **राष्ट्रपति की अधिसूचना** के माध्यम से **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अधीन की गई थी।
  - **DSIR के तहत स्थानीय प्रौद्योगिकी विकास, उपयोग एवं हस्तांतरण को** बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
  - DSIR द्वारा **वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (NRDC)** तथा **सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL)** का विनियमन किया जाता है।
  - DSIR, **एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UN-ESCAP)** के अंतर्गत **एशियाई और प्रशांत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र (APCTT)** को सहायता प्रदान करता है, जिससे भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है।
- **DSIR की प्रमुख योजनाएँ:**
  - **PRISM: व्यक्तियों, स्टार्ट-अप्स तथा MSME में नवाचारों को प्रोत्साहन (PRISM) योजना, 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)** में उल्लिखित समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले नवप्रवर्तकों तथा MSME का समर्थन करने पर केंद्रित है।
  - **PACE: पेटेंट अधिग्रहण एवं सहयोगात्मक अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास (पेस),** नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास एवं व्यावसायीकरण में उद्योगों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
  - **CTRDH: सामान्य अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (CTRDH)** MSME के लिये साझा बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
  - **A2K+: प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रसार हेतु ज्ञान तक पहुँच (A2K+),** उद्योगों तथा अनुसंधान निकायों को तकनीक एवं नवाचार संबंधी जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

HMPV वायरस

चीन में **ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV)** से जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियों में हाल ही में हुई वृद्धि से एक अन्य महामारी की आशंका को बल मिला है।

- हालाँकि, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा** इस संदर्भ में किसी **नई महामारी की सूचना न** देने के साथ आपातकालीन चेतावनी या HMPV से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी संकट की घोषणा नहीं की गई है।
- **HMPV:**
  - **खोज:** इसकी **खोज वर्ष 2001 में नीदरलैंड** के शोधकर्त्ताओं ने की थी। यह **फ्लू और कोविड-19** के समान तीव्र श्वसन संक्रमण का कारण बनता है।
  - **प्रसार:** यह **चीन तक सीमित नहीं है** तथा **पूरे विश्व** में व्याप्त है। इसे एक **सामान्य श्वसन रोगज़नक** के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका कोई **टीका नहीं** है।
  - **लक्षण: खाँसी, बुखार, गले में खराश एवं नाक बहना**, जो आमतौर पर **2-5 दिनों के अंदर** सामान्य हो जाते हैं।
  - **कमज़ोर समूह: इससे बच्चों, बुजुर्गों** तथा **कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को निमोनिया** जैसी जटिलताओं का सबसे अधिक खतरा है।
  - **संचरण:** HMPV **निकट संपर्क** या **दूषित सतहों** को छूने से फैलता है।
  - **मौसमी:** यह आमतौर पर **सर्दियों तथा वसंत के दौरान** फैलता है इसके साथ ही अन्य श्वसन संक्रमण जैसे **रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस (RSV)** और **इन्फ्लूएँजा** भी फैलता है।
    - HMPV **न्यूमोविरिडे समूह** से संबंधित है जिसमें **RSV, खसरा और मम्प्स वायरस** शामिल हैं।
  - **गंभीरता:** यद्यपि HMPV के अधिकांश मामले सामान्य होते हैं लेकिन **5-16% मामलों में ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया** जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है।

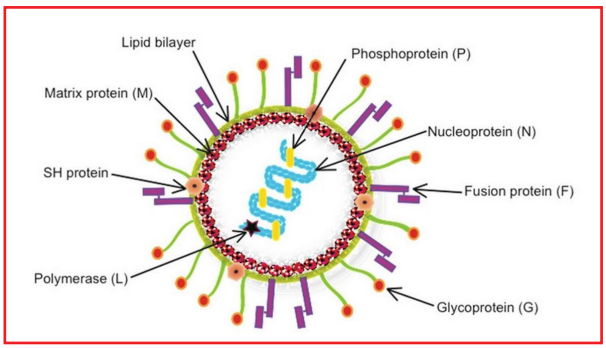

सावित्रीबाई फुले की 193 वीं जयंती

हाल ही में **प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी, 2025** को **सावित्रीबाई फुले** को उनकी **193वीं जयंती** पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

- सावित्रीबाई को **रूढ़िवादी समाज के कड़े विरोध का सामना** करना पड़ा, उन्होंने **पत्थरबाजी और दुर्व्यवहार** सहित शारीरिक और सामाजिक प्रतिघातों को सहन किया।
- **सावित्रीबाई फुले के बारे में:**
  - **जन्म:** उनका जन्म **3 जनवरी 1831** को महाराष्ट्र के सतारा में हाशिये पर रहने वाले **माली समुदाय** में हुआ था। उनका विवाह **ज्योतिबा फुले** से हुआ जिन्होंने उनकी शिक्षा का दायित्व संभाला।
    - उन्होंने **दो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों** में प्रवेश लिया: एक अहमदनगर में **अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार** के साथ और दूसरा **पुणे के नॉर्मल स्कूल** में।
  - **योगदान:**
    - **महिलाओं के लिये शिक्षा: वर्ष 1848 में पुणे** में लड़कियों के लिये पहला स्कूल स्थापित किया गया। इस दंपति ने **कुल 18 स्कूल** शुरू किये और चलाए।
    - **दलितों के लिये प्रयास:** दलित समुदाय के उत्थान के लिये **नेटिव मेल स्कूल, पुणे** और **सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, मंग्स (Mangs)** जैसे शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **लैंगिक मुद्दों का मुकाबला:** वर्ष 1863 में, ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने **बालहत्या प्रतिबंधक गृह** की स्थापना की, जो **कन्या भ्रूण हत्या** का मुकाबला करने और **गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों** की सहायता के लिये भारत का पहला गृह था।
- **साहित्य:** ***काव्य फुले*** **(1854)** और ***बावन काशी सुबोध रत्नाकर (1892)*** नामक **दो प्रसिद्ध कृतियाँ** लिखीं, साथ ही कविता **'गो, गेट एजुकेशन'** भी लिखी।

- 19 वीं सदी के **समाज सुधारक ज्योतिराव फुले** ने अपनी पुस्तक **गुलामगिरी** में सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना की और शिक्षा, समानता को बढ़ावा देने और **अस्पृश्यता** को समाप्त करने के लिये **वर्ष 1873** में **सत्यशोधक समाज** की स्थापना की।

डायनासोर हाईवे

हाल ही में **मध्य जुरासिक काल (लगभग 166 मिलियन वर्ष पूर्व)** के **डायनासोर के सैकड़ों पैरों के निशान, यूके के ऑक्सफोर्डशायर के डेवर्सफार्म क्वारी** में खोजे गए तथा बड़ी संख्या में पाए गए पैरों के निशानों के कारण इस स्थान को **"डायनासोर हाईवे"** का उपनाम दिया गया।

- इन पैरों के निशानों में **सॉरोपोड्स (सीटिओसॉरस** (60 फीट तक) जैसे बड़े शाकाहारी जीव) एवं मेगालोसॉरस (तीन-पंजे के निशान वाला **30 फीट लंबा माँसाहारी** जीव) के निशान शामिल है।

- **डायनासोर: डायनासोर प्रागैतिहासिक सरीसृप** थे जो लगभग **245 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 66 मिलियन वर्ष पूर्व** तक **मेसोज़ोइक युग** (ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस काल) से संबंधित थे।
  - आधुनिक पक्षी, गैर-पक्षी डायनासोर के वंशज हैं।
- **वर्गीकरण:**
  - **ऑर्निथिस्किया:** चोंच वाले, जो पौधे खाते थे (जैसे, स्टेगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स)।
  - **सॉरोपोडोमोर्फा:** लंबी गर्दन वाले शाकाहारी (जैसे, डिप्लोडोकस)।
  - **थेरोपोडा:** मांसाहारी (जैसे, टी. रेक्स, वेलोसिरैप्टर), पक्षियों के पूर्वज।
- **आकार:** डायनासोर **अर्जेंटीनोसॉरस (110 टन) जैसे विशाल जीव** के साथ **हमिंगबर्ड** जैसे **छोटे आकार** के थे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- **आहार एवं गतिविधि:**
  - ❖ **मांसाहारी:** दो पैरों वाले, एकल या समूह में शिकार करने वाले।
  - ❖ **वनस्पति-भक्षी:** दो या चार पैरों वाले, पौधे खाने वाले।
- **विशेषता:** डायनासोर को अन्य सरीसृपों से अलग करने वाली प्रमुख विशेषता **कूल्हे के सॉकेट में छेद** होना था जिससे यह **सीधे** चल सकते थे।
- **विलुप्ति: डायनासोर संभवत: क्रिटेशियस काल** में एक **क्षुद्रग्रह के प्रभाव** के कारण विलुप्त हो गए, **जिससे युकाटन प्रायद्वीप (मैक्सिको)** में एक गड्ढा बन गया।

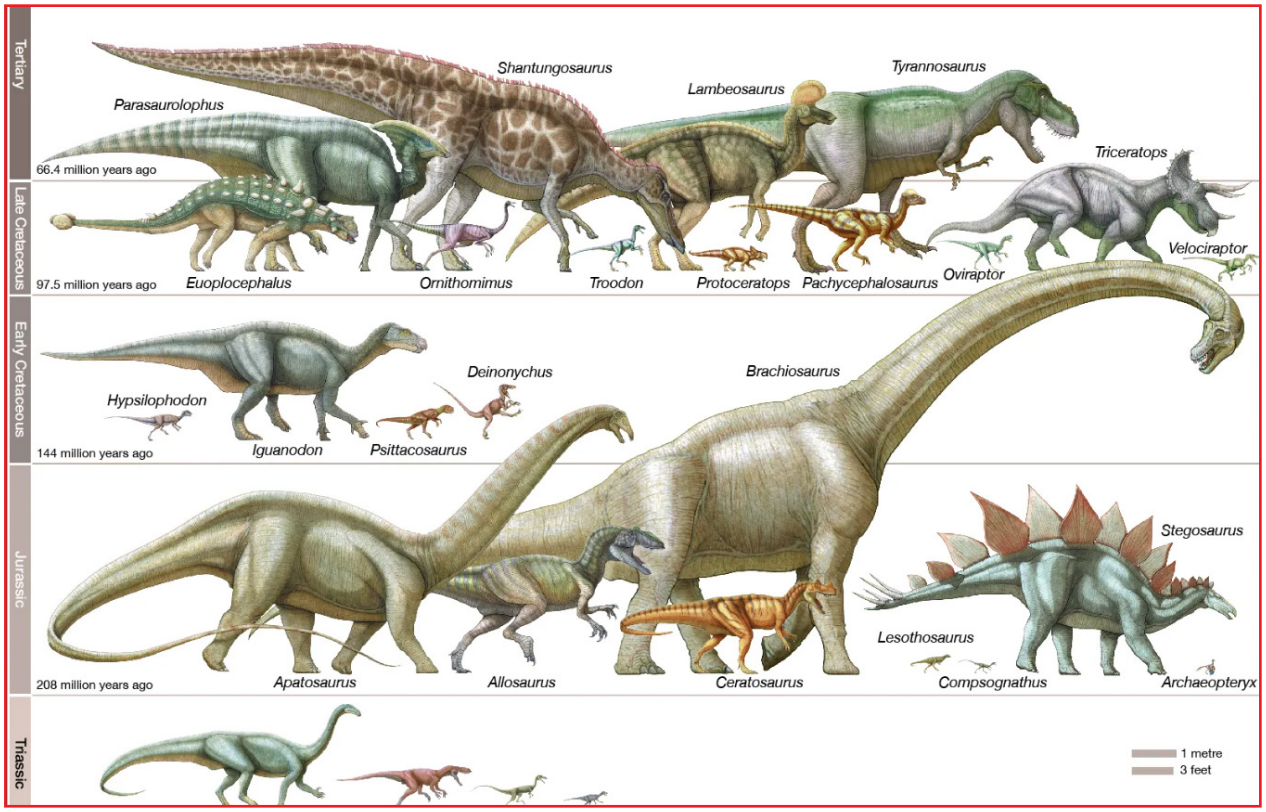

भारतीय मानक ब्यूरो का 78वाँ स्थापना दिवस

हाल ही में **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** ने 6 जनवरी 2025 को अपना 78वाँ स्थापना दिवस मनाया।

- **परिचय:** BIS भारत का **वैधानिक राष्ट्रीय मानक निकाय** है, जिसकी **स्थापना मानक ब्यूरो अधिनियम 2016** के तहत वस्तुओं के **मानकीकरण, अंकन एवं गुणवत्ता प्रमाणन** की गतिविधियों के **सामंजस्यपूर्ण विकास** हेतु की गई।
  - ❖ इसकी स्थापना आरंभ में **भारतीय मानक संस्थान (ISI) के रूप में की गई थी** जो **6 जनवरी 1947** को अस्तित्व में आया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन** कार्यरत है।

- **कार्य:** यह **उत्पाद प्रमाणन (ISI मार्क),** सोने एवं चांदी के आभूषणों की **हॉलमार्किंग, ECO मार्क योजना** (पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के संदर्भ में) जैसे विभिन्न कार्यों हेतु उत्तरदायी है।
- **मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (SNAP) 2022-27:** यह उभरती प्रौद्योगिकियों तथा स्थिरता एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने के क्रम में **मानकीकरण हेतु मज़बूत आधार** के रूप में कार्य करता है।
  - यह राष्ट्र में **"गुणवत्ता संस्कृति"** को समृद्ध एवं मज़बूत बनाने में **प्रमुख भूमिका** निभाता है।
- **उपलब्धियाँ:** 94% भारतीय मानकों को **अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)** और **अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (IEC)** मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
  - अब तक **44.28 करोड़** से अधिक **सोने, आभूषणों/कलाकृतियों** की हॉलमार्किंग की जा चुकी है।

गुरु गोबिंद सिंह जी की 358वीं जयंती

हाल ही में प्रधानमंत्री ने सिखों के 10वें गुरु, **गुरु गोविंद सिंह जी** को उनकी 358वीं जयंती (जिसे **प्रकाश उत्सव** के रूप में मनाया जाता है) पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

- उनकी जयंती **नानकशाही कैलेंडर (सौर वर्ष के अनुसार)** पर आधारित है, जिसके अनुसार **वर्ष 2025 में यह 6 जनवरी** को है।
- **गुरु गोबिंद सिंह जी:**
  - **प्रारंभिक जीवन:** उनका जन्म **22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब, बिहार** में हुआ था। वे अपने पिता (**गुरु तेग बहादुर**, 9 वें सिख गुरु) के उत्तराधिकारी बने।
  - **योगदान:** उन्होंने **वर्ष 1699** में **खालसा पंथ** (जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित एक योद्धा समुदाय था) की स्थापना की।
    - इन्होंने **सिख पहचान के प्रतीक के रूप में पाँच 'क' को** प्रस्तुत किया अर्थात **कंघा** (कंघी), **केश** (बिना कटे बाल), **कड़ा** (स्टील का कंगन), **कृपाण** (तलवार), और **कच्चेरा** (शॉर्ट्स)।
    - उनके बेटों **ज़ोरावर सिंह (उम्र 7 वर्ष) और फतेह सिंह (उम्र 9 वर्ष)** की सरहिंद के गवर्नर **वज़ीर खान** ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने के करण हत्या कर दी।
      - उनके दो बड़े बेटों **अजीत सिंह और जुझार सिंह** ने **चमकौर के युद्ध (1705)** में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसमें एक **छोटी सिख सेना ने मुगलों तथा पहाड़ी राजाओं** से युद्ध किया था।
      - उनकी शहादत को याद करने के लिए **26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।
- **पंज प्यारे:** गुरु गोबिंद सिंह ने **पंज प्यारे नामक संस्था** की स्थापना की, जिसके तहत **उन्होंने बलिदान के लिए पाँच सिर** मांगे और पाँच लोगों ने स्वेच्छा से उनकी मांग पर प्रतिक्रया दी।

भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल

भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगोड़ों का पता लगाने तथा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में **भारतीय अन्वेषण एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने हेतु 'भारतपोल' (BHARATPOL) पोर्टल** लॉन्च किया है।

- **भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** द्वारा विकसित यह पोर्टल केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी साझा करने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है** तथा यह पिछली प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है, जिसमें **केवल CBI को यह पहुँच प्राप्त थी।**
  - भारतपोल **साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी** और **मानव तस्करी** जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- यह पोर्टल रेड नोटिस तथा अन्य इंटरपोल नोटिसों से संबंधित कार्रवाई को तेज़ करेगा, जिससे **क्षेत्रीय स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिये अपराधों से निपटना सरल** हो जाएगा।

- **क्षमता निर्माण:** CBI को भारतपोल के प्रयोग पर राज्यों को प्रशिक्षण देने तथा प्रभावी सुनवाई हेतु तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

इंटरपोल

परिचय

- **आधिकारिक नाम:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization-ICPO: INTERPOL)
- **स्थापना:** वर्ष 1923
- **सदस्य राज्य:** 195
  - भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है।
- **मुख्यालय:** लियॉन, फ्राँस
- यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।

उद्देश्य

- यह विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

संरचना

- **अध्यक्ष** (इंटरपोल का प्रमुख)- 4 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **महासचिव** (दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है) - 5 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **विशेष निदेशालय - साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है।**
- **महासभा:** सर्वोच्च शासी निकाय (वर्ष में एक बार बैठक)।
  - भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की।

इंटरपोल के नोटिस

- इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)

- NCB, इंटरपोल के लिये नामित संपर्क बिंदु होते हैं।
- भारत का इंटरपोल NCB - **केंद्रीय अन्वेषण जाँच ब्यूरो (CBI)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

सिक्किम में भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत सिक्किम के सोरेंग ज़िले में भारत के प्रथम जैविक मत्स्यपालन क्लस्टर की शुरुआत की है।

- **जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर:** इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूक बाज़ारों के लिये एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली का उत्पादन करना है।
  - यह पहल **संधारणीय जलीय कृषि और पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ मछली पालन प्रणाली को प्रोत्साहित करती है** तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले प्रदूषण तथा नुक्सान से बचाती है।
  - **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)** आवश्यक मत्स्य पालन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता निर्माण के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के अलावा, राज्य में मछुआरों की सहकारी समितियों को शामिल करके तथा **मत्स्य पालन आधारित किसान उत्पादक संगठनों (FFPO)** के गठन के माध्यम से जैविक क्लस्टर के विकास में सहायता करेगा।
- **सिक्किम एक जैविक राज्य:** सिक्किम **भारत का पहला पूर्णत: जैविक राज्य बन गया है,** जहाँ 75,000 हेक्टेयर भूमि को **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम** के अंतर्गत प्रमाणित जैविक पद्धतियों में परिवर्तित कर दिया गया है।
- **PMMSY:** इसका उद्देश्य 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करना है।
- यह योजना मछुआरों तथा मछली किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए मछली उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर और विपणन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- यह योजना मत्स्य विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरे भारत में कार्यान्वित की जा रही है।

जम्मू और रायगढ़ रेलवे डिवीज़न

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नए **जम्मू रेलवे डिवीज़न** का उद्घाटन किया, जो भारत का 70वाँ डिवीज़न है तथा इसकी लंबाई 742.1 किमी. है।

- प्रधानमंत्री ने **तेलंगाना में चरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया तथा पूर्वी तटीय रेलवे ज़ोन** के अंतर्गत ओडिशा में **रायगढ़ रेलवे डिवीज़न (69 वें डिवीज़न) भवन** की आधारशिला रखी।
  - भारतीय रेलवे में अब **17 ज़ोन** और **70 डिवीज़न (मंडल) हैं।**
- **जम्मू रेलवे डिवीज़न: जम्मू रेलवे डिवीज़न को फिरोजपुर डिवीज़न** से अलग किया गया है और इसकी लंबाई **742.1 किमी. है।**
  - 26 जनवरी, 2025 से एक नए रेलवे सेक्शन **'कटरा-रियासी रेलवे सेक्शन' तथा श्रीनगर के लिये वंदे भारत ट्रेन सेवा** भी शुरू की जाएँगी।
- प्रधानमंत्री ने **मेट्रो नेटवर्क, समर्पित माल ढुलाई गलियारों के विस्तार के साथ-साथ सौर ऊर्जा संचालित स्टेशनों** तथा **हाई-स्पीड रेल सिस्टम के विकास** जैसी पहलों के लिये चल रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।
- **भारतीय रेल के बारे में:**
  - **इसकी स्थापना वर्ष 1853** में हुई थी और यह **विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है।**
  - **भारत में पहली रेलगाड़ी ने** बम्बई **और थाने को** कनेक्ट करते हुए 21 मील की दूरी तय की थी।
  - **चीन और अमेरिका के बाद** भारत में विश्व का तीसरा **सबसे बड़ा मेट्रो-रेल नेटवर्क है।** अनुमान है कि वर्ष 2050 तक **वैश्विक रेल गतिविधि में भारत की हिस्सेदारी 40% होगी।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

UDISE+ रिपोर्ट 2023-24

शिक्षा के लिये एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE) + रिपोर्ट भारत के स्कूल नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाती है, जो संशोधित डेटा संग्रह विधियों से जुड़ी है।

- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - **नामांकन में गिरावट:** नामांकन **26.36 करोड़** (2018-2022 औसत) से घटकर वर्ष 2022-23 में **25.17 करोड़** और **वर्ष 2023-24 में 24.8 करोड़** हो गया, अर्थात **1.55 करोड़** छात्रों की गिरावट हुई ।
    - **सरकारी** स्कूल में नामांकन में **5.59% की गिरावट आई,** तथा **निजी** स्कूल में नामांकन की दर में **3.67%** की कमी दर्ज की गई।
  - **लैंगिक प्रवृत्ति:** वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के औसत की तुलना में **लड़कों के नामांकन में 6.04%** और **लड़कियों के नामांकन में 5.76%** की कमी दर्ज की गई।
  - **राज्यवार गिरावट:** सबसे ज्यादा गिरावट **बिहार (35.65 लाख), उत्तर प्रदेश (28.26 लाख)** और **महाराष्ट्र (18.55 लाख)** में दर्ज की गई।
  - **स्तरवार रुझान: प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर** पर गिरावट देखी गई।
    - **पूर्व-प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों** में नामांकन वर्ष 2023-24 में पिछले औसत की तुलना में बढ़ गया।
- **डेटा सटीकता में सुधार:** **आधार** से जुड़े छात्र रिकार्डों से डुप्लिकेट रिकार्डों को हटाकर डेटा की सटीकता में सुधार हुआ, जिसमें सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकित छात्र शामिल हैं।
- **UDISE+ के बारे में:** यह **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा **सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों** में से एक है, जिसमें 14.72 लाख स्कूल, 98.08 लाख शिक्षक और 24.8 करोड़ बच्चे शामिल हैं।

इसरो के नए अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन

डॉ. वी. नारायणन 14 जनवरी 2025 को दो साल के कार्यकाल के लिये **इसरो** के अध्यक्ष तथा **अंतरिक्ष विभाग** के सचिव के रूप में एस. सोमनाथ का स्थान लेंगे।

- **इसरो के वर्ष 2025 के मिशनों में नारायणन की भूमिका:** इसरो के अध्यक्ष के रूप में नारायणन भारत की नेविगेशन प्रणाली के लिये **NVS-02** के प्रक्षेपण की देखरेख के साथ **मानवरहित गगनयान मिशन का** नेतृत्व करेंगे तथा मार्च 2025 में **भारत-अमेरिका निसार उपग्रह** का प्रक्षेपण का नेतृत्व करेंगे।
  - **डॉ. एस. सोमनाथ का योगदान:** इन्होंने **चंद्रयान-3, आदित्य-एल1, एक्सपोसैट** और **इनसैट मिशनों का** नेतृत्व किया।
  - इन्होंने **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV), पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV-LEX)** और **गगनयान अबॉर्ट मिशनों** का नेतृत्व किया।
- अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 एवं IN-SPACe की पहल के साथ इसरो और निजी उपक्रमों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया।
- **इसरो: 15 अगस्त 1969** को गठित इसरो द्वारा **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR)** का स्थान लिया गया, जिसकी **स्थापना वर्ष 1962** में **डॉ. विक्रम साराभाई** के नेतृत्व में राष्ट्रीय विकास हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिये की गई थी।
- वर्ष 1972 में भारत ने **अंतरिक्ष आयोग** का गठन किया और **DoS** की स्थापना की, और इसरो को इसके नियंत्रण में लाया गया।
- अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ

1 जनवरी 2025 को **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई।

विश्व व्यापार संगठन (WTO):

- **परिचय:** विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन राष्ट्रों के बीच **वैश्विक व्यापार नियमों** को विनियमित करने हेतु किया गया।
  - इसका गठन **टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT)** के **उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-94)** के बाद 123 देशों द्वारा **15 अप्रैल 1994** को हस्ताक्षरित **मारकेश समझौते** के तहत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप **वर्ष 1995** में **विश्व व्यापार संगठन** का गठन हुआ।
  - **WTO ने GATT** (जो वर्ष 1948 से विश्व व्यापार को विनियमित कर रहा था) का स्थान लिया।
  - **GATT** वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित था जबकि **WTO** के तहत वस्तुओं, सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा संबंधी व्यापार को शामिल किया गया है।
- **मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।**
- **सदस्य: 166 देश** (जिनकी **वैश्विक व्यापार में 98%** हिस्सेदारी है)।
- **प्रमुख निकाय:**
  - **मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC):** सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय।
  - **विवाद निपटान निकाय (DSB): DSB** व्यापार विवादों का समाधान करता है।

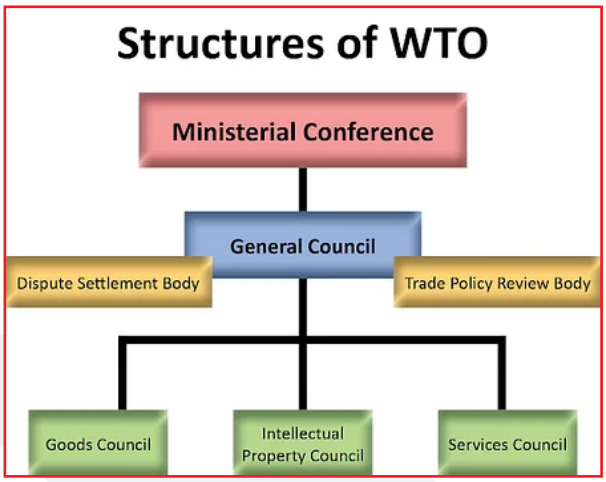

- **प्रमुख WTO समझौते:**
  - **TRIMS (व्यापार-संबंधित निवेश उपाय):** इसके तहत उन उपायों पर रोक लगाई गई है जिससे **विदेशी उत्पादों के विरुद्ध भेदभाव** होता है।
  - **TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू): TRIPS** के तहत **बौद्धिक संपदा अधिकारों** से संबंधित विवादों का समाधान होता है।
  - **AoA (कृषि पर समझौता): AoA, कृषि व्यापार उदारीकरण** को बढ़ावा देने के साथ बाजार पहुँच और घरेलू समर्थन पर केंद्रित है।
- **अन्य समझौते:**
  - **सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय**
  - सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
  - प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता

इंडोनेशिया BRICS में शामिल हुआ

हाल ही में **इंडोनेशिया** आधिकारिक तौर पर **10 वें सदस्य** के रूप में **BRICS** समूह में शामिल हो गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

BRICS:

- **परिचय:**
  - BRICS विश्व की **10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं** का एक **अंतर-सरकारी अनौपचारिक समूह** है।
  - BRICS मूल संस्थापक सदस्यों में **ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन** शामिल हैं, जिनमें **दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में शामिल** हुआ।
  - वर्ष 2024 में **ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मिस्र, इथियोपिया** और **सऊदी अरब** भी इसके सदस्य बन गए।
    - शुरू में अर्जेंटीना के वर्ष 2024 में इस समूह में शामिल होने की उम्मीद थी लेकिन **बाद में उसने ऐसा न करने का निर्णय** लिया।
  - पहला **ब्रिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस** में आयोजित किया गया था।
- **महत्त्व:**
  - **आर्थिक प्रभाव:** इंडोनेशिया की सदस्यता से पहले, BRICS **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 35%** और **विश्व की 46% आबादी का प्रतिनिधित्व** करता था।
  - **G7 का प्रतिसंतुलन:** इसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव को मज़बूत करना और **G7 जैसी पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली के प्रभुत्व का मुकाबला करना है।**
- **BRICS के लिये भावी एजेंडा:**
  - अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में **अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, स्थानीय मुद्राओं को मजबूत करना और गैर-डॉलर लेन-देन को बढ़ावा देना,** जिससे वैश्विक व्यापार और वित्त को संभावित रूप से नया स्वरूप मिल सकेगा।
  - इसका उद्देश्य **IMF** और **संयुक्त राष्ट्र** जैसी **वैश्विक संस्थाओं में अधिक समानता, समावेशिता और सुधार** को बढ़ावा देना है।

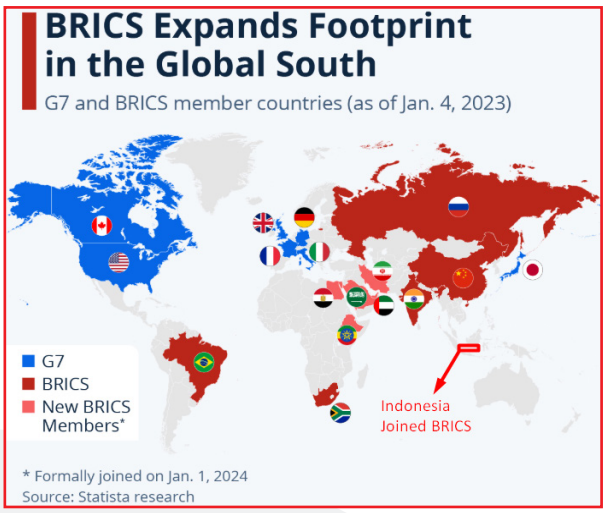

समुद्री कवक

समुद्री **कवक, जो महासागरीय बायोमास का 5%** भाग हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा समुद्री तटों पर पी जाने वाली चट्टानों से लेकर गहरे जल में उगते हैं।

- **समुद्री कवक: समुद्री कवक सूक्ष्म जीव होते** हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, तथा अपघटन, सहजीवन और जैवसक्रिय यौगिकों के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- **प्रकार: अनिवार्य समुद्री कवक** (विशेष रूप से समुद्री), वैकल्पिक समुद्री कवक (स्थलीय वातावरण से विकसित, समुद्री आवासों में जीवित रह सकते हैं)
- **उत्तरजीविता की रणनीतियाँ:** समुद्री कवक बेहतर संसाधन प्रबंधन के लिये कोशिका रूप में परिवर्तित कर **फीस्ट फिमाइन की स्थितियों के अनुकूल बन जाते हैं।**
  - उदाहरण के लिये समुद्री शैवालों पर पाया जाने वाला ***पैराडेंड्रिफिएला सलीना***, अपने पोषक को पचाने के लिये बैक्टीरिया से एँजाइम उत्पन्न करता है।
- **पारिस्थितिक महत्त्व:** समुद्री कवक **पोषक चक्रण, पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।**
  - **लाइकेन,** जो एक सहजीवी संबंध (कवक और शैवाल का एक साथ रहना) दर्शाते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में भी योगदान देते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **कवक:** ये **यूकैरियोटिक जीव परपोषी** (अन्य पौधों या जानवरों का उपभोग करने वाले) होते हैं, जो मृतजीवी (मृत और सड़ते जीवों को खाने वाले) या परजीवी के रूप में कार्य **करते** हैं।
  - ❖ **कवक बीज़ाणुओं** के माध्यम से यौन या अलैंगिक रूप में प्रजनन करते हैं। **RH व्हिटेकर ने** कवक को एक अलग बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जगत के रूप में वर्गीकृत किया है।
- **कवक औषधि (जैसे, एँटीबायोटिक),** भोजन और उद्योग में लाभदायक होते हैं, लेकिन इनसे बीमारियाँ भी उत्पन्न होने की संभावना होती है साथ ही ये **विषाक्त माइकोटॉक्सिन भी उत्पन्न कर सकते हैं।**

अंजी खाद ब्रिज़

भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में रेलवे संपर्क बढ़ाने के लिये अंजी खाद ब्रिज़ पर **ट्रायल रन** सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

- **अंजी खाद ब्रिज़:**
- यह **भारत का पहला केबल के सहारे स्थिर रेलवे ब्रिज़ है,** जो जम्मू एवं कश्मीर के **रियासी ज़िले में स्थित है।** यह **उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (USBRL)** परियोजना का हिस्सा है।
- यह ब्रिज़ **725.5 मीटर लंबा है** तथा इसके स्तंभ **331 मीटर ऊँचे हैं, जो 213 किमी/घंटा की** गति से चलने वाली पवनों के प्रवाह को सहन करने तथा **100 किमी/घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ियों को सहारा देने के लिये बनाया गया है।**
- इसमें पर्वतीय ढालों को स्थिर रखने के लिये अलग-अलग लंबाई (82 से 295 मीटर) के **96 केबलों और एक नवीन हाइब्रिड आधार का उपयोग किया गया है।**
- इसमें दक्षता में सुधार लाने के लिये **डोका जंप फॉर्म शटरिंग, पंप कंक्रीटिंग और टॉवर क्रेन तकनीक का उपयोग किया गया,** जिससे विनिर्माण समय **में 30% की कमी आई।**
  - ❖ डोका जंप फॉर्म शटरिंग तकनीक का उपयोग ऊँची इमारतों, पुलों और टॉवरों जैसी **ऊर्ध्वाधर कंक्रीट संरचनाओं के निर्माण के लिये किया जाता है।**

किलाऊआ ज्वालामुखी में प्रस्फुटन

विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक **हवाई द्वीप स्थित किलाऊआ ज्वालामुखी एक बार पुनः प्रस्फुटित होने लगा है।**

- **किलाऊआ ज्वालामुखी:**
  - ❖ **यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप** स्थित **हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान** में स्थित है।
  - ❖ **यह युवा और सबसे सक्रिय** हवाईयन **शील्ड ज्वालामुखी है, जो निरंतर प्रस्फुटन** के लिये प्रसिद्ध है, इसमें वर्ष **1952 से अब तक 30 से अधिक बार प्रस्फुटन हो चुके हैं।**
  - ❖ किलाऊआ के ढाल इसके पश्चिम और उत्तर में स्थित एक अन्य सक्रिय ज्वालामुखी **मौना लोआ** से मिलते हैं।
- **ज्वालामुखी:**
  - ❖ **ज्वालामुखी सतह पर** एक छिद्र होता है, जो अपने आसपास के वातावरण से अधिक उष्ण पदार्थों को अपने अंदर से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करता है।
  - ❖ **भारत में ज्वालामुखी: बैरन द्वीप (अंडमान द्वीप समूह),** भारत का **एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी।**

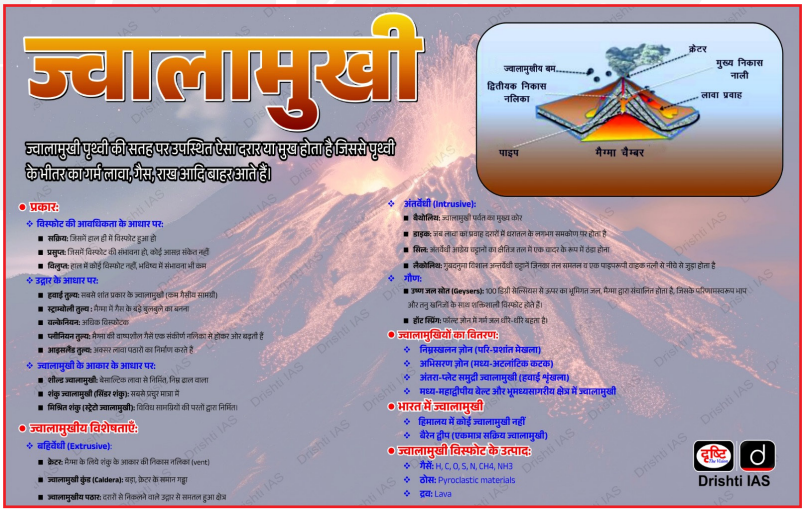

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

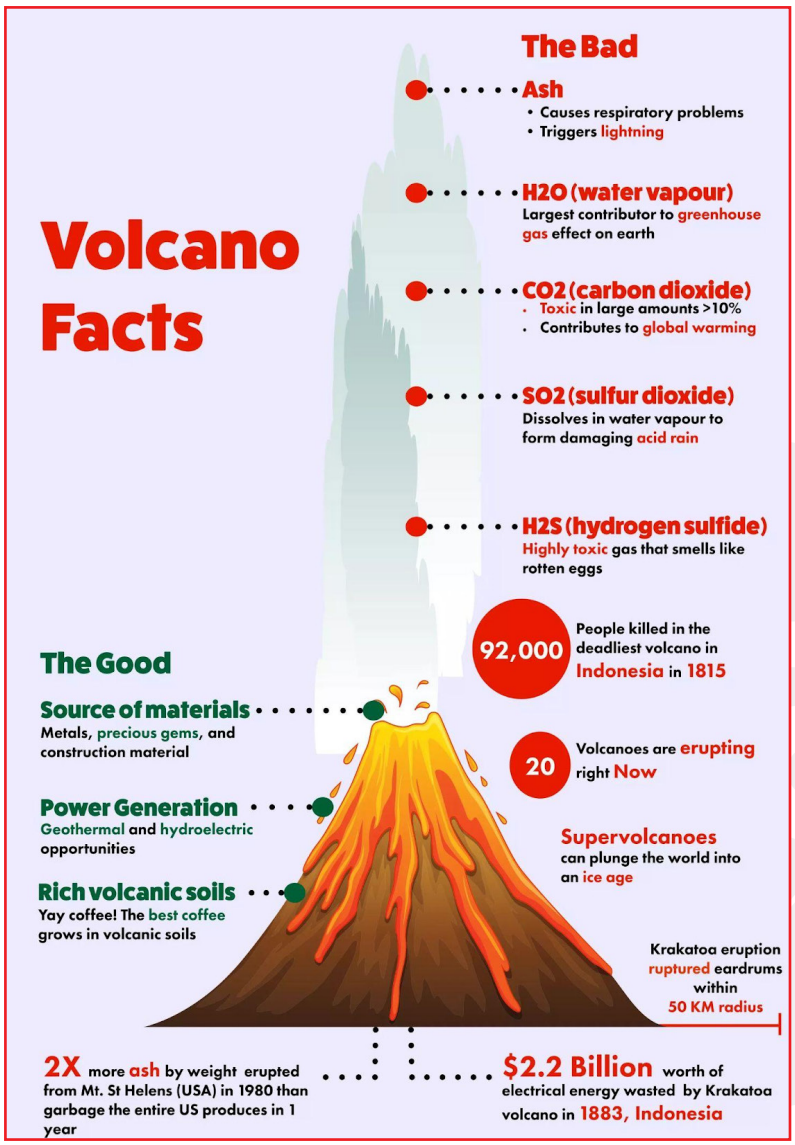

नीति आयोग के 10 वर्ष

1 जनवरी 2025 को, **नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)** अपनी स्थापना के एक दशक पूरे कर लेगा, जो 1 **जनवरी 2015** को स्थापित हुआ था। इसने गतिशील, बाज़ार-संचालित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप **योजना आयोग** का स्थान लिया है।

- **नीति आयोग** केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया एक **सलाहकार निकाय** है **(अर्थात न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय)**।

प्रमुख उपलब्धियाँ और योगदान:

- **वित्तीय आवंटन से हटकर नीति परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया,** जिससे विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा मिला।
- **SDG इंडिया इंडेक्स** और **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक** जैसे डेटा-संचालित सूचकांकों के माध्यम से **प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद को मज़बूत किया गया।**
- शासन और नीति कार्यान्वयन में सुधार के लिये **राज्य परिवर्तन संस्थान (SIT)** की स्थापना में राज्यों की सहायता की।
- **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (2023)** में प्रमुख सरकारी योजनाओं की 100% कवरेज प्राप्त करने के लिये 500 अविकसित ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **अटल नवाचार मिशन (AIM)** ने नवाचार और **उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये अटल टिंकरिंग लैब्स** और **इनक्यूबेशन केंद्रों** जैसी पहलों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को क्षेत्रीय भाषाओं तक विस्तारित किया तथा **जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित किया।
- **ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना** जैसी संकल्पित पहल।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

नीति आयोग

(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

इतिहास- योजना आयोग

वर्ष **1950** में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित

1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

नीति आयोग की संरचना

- **अध्यक्ष**
  - प्रधानमंत्री
- **शासी मंत्रिपरिषद्**
  - CMS (राज्य) और उपराज्यपाल (UTS)
- **क्षेत्रीय परिषदें**
  - आवश्यकतानुसार गठित, जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं
- **सदस्य**
  - पूर्णकालिक
- **अंशकालिक सदस्य**
  - अधिकतम 2, क्रमिक, महत्त्वपूर्ण संस्थानों से
- **पदेन सदस्य**
  - अधिकतम 4 मंत्रिपरिषद् से, प्रधानमंत्री द्वारा नामित
- **विशेष आमंत्रितकर्त्ता**
  - अनुभवी, विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले अभ्यासकर्त्ता
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
  - निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव रैंक)
- **सचिवालय**
  - आवश्यकतानुसार

प्रमुख पहलें

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स
- अटल इनोवेशन मिशन
- ई-अमृत पोर्टल (इलेक्ट्रिक वाहन)
- सुशासन सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम

उद्देश्य

- **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देना
- **विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण** हेतु तंत्र विकसित करना **(ग्रामीण स्तर पर)**
- आर्थिक रणनीति और नीति में **राष्ट्रीय सुरक्षा** संबंधी हितों को बढ़ावा
- **सुभेद्य वर्गों** पर विशेष **ध्यान**
- **प्रमुख हितधारकों, नेशनल-इंटरनेशनल थिंक टैंक, शोध संस्थानों** के बीच साझेदारी के लिये सलाह और प्रोत्साहन प्रदान करना
- **ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली** का निर्माण
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय **मुद्दों के समाधान हेतु मंच** प्रदान करना
- **अत्याधुनिक संसाधन केंद्र** (state-of-the-art Resource Centre) बनाए रखना

नीति आयोग बनाम योजना आयोग

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते है।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

प्रमुख पहलें

- राज्यों को **विवेकाधीन निधि** प्रदान करने का **अधिकार नहीं**
- केवल एक **सलाहकार निकाय**
- **निज़ी या सार्वजनिक** निवेश को **प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं**
- **संगठन का राजनीतिकरण**
- सकारात्मक बदलाव लाने के लिये **अपेक्षित शक्ति (Requisite Power) का अभाव**

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

त्रिनिदाद और टोबैगो में आपातकाल घोषित

हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो ने देश में सामूहिक हिंसा में वृद्धि के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013 के बाद से वार्षिक मृत्यु दर उच्चतम हो गई है।

- त्रिनिदाद और टोबैगो की जनसंख्या **1.5 मिलियन है, यहाँ हत्या की दर सबसे अधिक है।**
- इससे पहले आपातकाल की घोषणा वर्ष **2014 में** सामूहिक हिंसा के लिये तथा वर्ष 2021 में **कोविड-19** प्रतिबंधों के लिये की गई थी।

भारत के साथ संबंध:

- त्रिनिदाद और टोबैगो **भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश है।**
- दोनों देशों ने वर्ष 1997 में एक दूसरे को **सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) का दर्ज़ा दिया।**
  - **यहाँ वित्त वर्ष 2023-24 में** द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 368.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
- देश की कुल जनसंख्या में भारतीय **प्रवासियों की** भागीदारी लगभग **42% है।**

त्रिनिदाद और टोबैगो का परिचय:

- **राजधानी:** पोर्ट ऑफ स्पेन।
  - **स्थान: दक्षिण-पूर्वी वेस्ट इंडीज में वेनेज़ुएला और गुयाना** के पास स्थित द्वीपीय देश।
  - **स्वतंत्रता: 31 अगस्त 1962 को ब्रिटेन** से स्वतंत्रता प्राप्त करने **और वर्ष 1976 में गणतंत्र बनने के बाद, यह देश कैरेबियन समुदाय (CARICOM)** का सदस्य है।
- **भौगोलिक विशेषता:**
  - **सबसे ऊँचा स्थान:** माउंट एरिपो
  - **प्रमुख नदियाँ:** ओर्टोइरे और कारोनी (Ortoire and Caroni)।
  - **प्राकृतिक संसाधन:** पिच लेक, विश्व का सबसे बड़ा डामर/एस्फॉल्ट भंडार।
  - **पर्वत शृंखला: उत्तरी श्रेणी, एंडीज** का भाग।

गोबरधन योजना

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) ने **गोबरधन पोर्टल** पर परिचालनरत **संपीड़ित बायोगैस (CBG) संयंत्र** के आँकड़ों में पारदर्शिता की कमी को उज़ागर किया है।

- **संपीड़ित बायोगैस (CBG):** CBG एक **नवीकरणीय ऊर्जा** स्रोत है जो **कृषि अवशेष,** मवेशियों के गोबर, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट और सीवेज मल सहित जैविक अपशिष्ट से उत्पादित होता है।
  - यह **जीवाश्म ईंधनों** के स्थान पर कृषि एवं पशु अपशिष्टों का प्रबंधन करने तथा खुले में जलाने को कम करने में मदद करता है।
- **गोबरधन योजना: गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBARdhan)** पहल का ध्यान चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये **अपशिष्ट को धन** में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- इसका उद्देश्य सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये **बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस (CBG)/Bio-CNG संयंत्रों** के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
- **जल शक्ति मंत्रालय** का पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) **नोडल विभाग** के रूप में कार्य करता है।

- **महत्त्वपूर्ण मुद्दे:**
  - **धीमी स्वीकृति:** दिसंबर 2024 तक केवल **115 CBG संयंत्र कार्यात्मक** हैं, जबकि वर्ष 2030 तक 5,000 का लक्ष्य है।
  - **सूचना का अभाव: गोबरधन पोर्टल** पर विशिष्ट CBG संयंत्रों द्वारा उपयोग किये जाने वाले फीडस्टॉक्स के विवरण का अभाव है।
  - **परिचालन पारदर्शिता:** पोर्टल में **परिचालन संयंत्रों के लिये** अद्यतन जानकारी वाले अनुभाग का अभाव है, जिससे नीति निर्माताओं के लिये उद्यमियों की चुनौतियों का समाधान करना कठिन हो जाता है।

टाइडल टेल

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के शोधकर्त्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में NGC 3785 से संबंधित अब तक की सबसे लंबी टाइडल टेल के अंत में एक अल्ट्रा-डिफ्यूज़ आकाशगंगा के निर्माण की खोज की गई है।

- टाइडल टेल **तारों एवं गैस** की एक लंबी, संकरी पट्टी है जो **आकाशगंगाओं के आपस में संपर्क या विलय से** बनती है।
  - इन अंत:क्रियाओं के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल आकाशगंगाओं के बाहरी क्षेत्रों से पदार्थों को आकर्षित करते हैं तथा **उन्हें लंबी पट्टियों में प्रसारित** करते हैं, जो अंतरिक्ष में विस्तारित होती हैं।
  - टाइडल टेल **विलय के बाद** भी लंबे समय तक बनी रह सकती है, जो हाल ही में आकाशगंगाओं के बीच हुई अंत:क्रियाओं का संकेत है।
  - इस प्रकार की टेल से इस बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है कि आकाशगंगाएँ किस प्रकार विकसित होती हैं जिससे तारे बनते हैं।
  - उल्लेखनीय रूप से आकाशगंगा के तारकीय निर्माण का एक छोटा सा हिस्सा टाइडल टेल के तहत घटित होता है, जिससे आकाशगंगा की गतिशीलता एवं विकास में इनकी भूमिका पर प्रकाश पड़ता है।
- **आकाशगंगा NGC 3785:** यह एक **लेंटिक्युलर आकाशगंगा** है जो **आकाशीय भूमध्य रेखा** (काल्पनिक वृत्त जो **पृथ्वी की भूमध्य रेखा** से अंतरिक्ष तक विस्तारित है) के उत्तर में लियो तारामंडल में स्थित है, जिससे यह उत्तरी गोलार्द्ध से अधिक स्पष्ट दिखाई देती है।
- आकाशगंगा गैस, धूल, तारों एवं सौर मंडलों का एक विशाल संग्रह है, जो **गुरुत्वाकर्षण** द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। पृथ्वी ऐसी ही एक आकाशगंगा का हिस्सा है।

क्रायो-बॉर्न बेबी कोरल

विश्व के पहले **क्रायो-बॉर्न बेबी कोरल** को **ग्रेट बैरियर रीफ** में सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है, **जो कोरल / प्रवाल पुनरुद्धार** और **उनके संरक्षण** में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

- **ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ** से एकत्रित **क्रायोप्रिज़र्व्ड शुक्राणुओं** से **कोरल एग्स को** निषेचित करने के लिये अत्याधुनिक **क्रायोप्रिज़र्वेशन का उपयोग किया।**
  - वैज्ञानिकों ने कोरल को **राष्ट्रीय समुद्री सिम्युलेटर में उगाया और फिर उन्हें** रीफ / भित्ति पर विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए **'कोरल क्रेडल्स' में हस्तांतरित कर दिया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट:

- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और बढ़ते **समुद्री तापमान से भित्तियों के संरक्षण के लिये ताप-सहिष्णु प्रवाल** विकसित करना है।
- **ऑस्ट्रेलिया** स्थित क्रायोडायवर्सिटी **बैंक के पास 32 प्रजातियों के फ्रोज़ेन कोरल शुक्राणुओं का** विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसे वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष एकत्र किया जाता है।
- **कोरल रीफ / प्रवाल भित्तियाँ:** प्रवाल एन्थोज़ोआ **वर्ग, *निडारिया संघ*** से **संबंधित अकशेरुकी हैं।**
  - ❖ **रीफ का निर्माण पॉलिप्स की कॉलोनियों** द्वारा होता है, जो **चूना पत्थर के कंकालों का स्राव करते हैं** और पोषण हेतु **सहजीवी शैवाल (ज़ूक्सैन्थेला) पर निर्भर रहते हैं।**
- **सॉफ्ट कोरल** ऐसी प्रजातियाँ हैं, जो कोरल रीफ निर्माण के लिये ज़रूरी कैल्शियम **कार्बोनेट कंकाल का उत्पादन नहीं करती हैं**। केवल **कठोर कोरल ही** रीफ का निर्माण करते हैं।

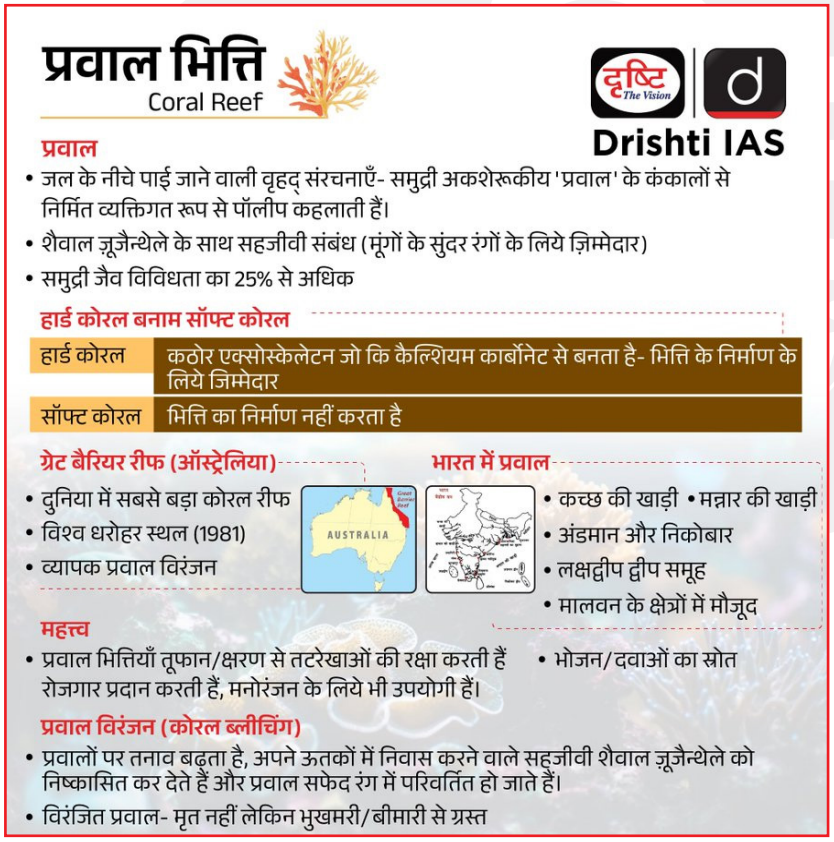

अनाधिकृत रेलवे ई-टिकट अवैध घोषित

मैथ्यू के. चेरियन मामला 2025 में **उच्चतम न्यायालय** ने माना कि **रेलवे ई-टिकटों की खरीद और आपूर्ति का अनधिकृत व्यवसाय** एक **सामाजिक अपराध** है, जिसे रोकने की आवश्यकता है।

- **रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से** रेलवे टिकटों की अनधिकृत बिक्री और खरीद के लिये **दंड का** प्रावधान है।
- इस मामले में ***इंग्लिश केस ऑफ कॉम्डेल कमोडिटीज लिमिटेड बनाम सिपोरेक्स ट्रेड एसए मामला, 1990 का*** संदर्भ दिया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि विधिक प्रावधान **अप्रत्याशित तकनीकी प्रगति** तक **विस्तारित हो सकते हैं।**
  - ❖ केरल **उच्च न्यायालय ने** पूर्व में यह निर्णय दिया गया था कि यह प्रावधान **केवल ऑफलाइन टिकट बिक्री पर लागू होता है,** हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने इसमें सुधार भी किया।
- आरोपी **मैथ्यू ने IRCTC** द्वारा निर्धारित टिकट सीमा (**प्रति माह 12-24 टिकट आरक्षण**) को दरकिनार करने के लिये सैकड़ों **अनधिकृत उपयोगकर्त्ता पहचान प्रमाण पत्र बनाए, जो अधिनियम की धारा 143 का उल्लंघन था।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारतीय रेलवे भारत के **बुनियादी ढाँचे** का एक आधार है जो **वार्षिक रूप से लगभग 673 करोड़ यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करता है।**

महाकुंभ मेला 2025 में मोबाइल कनेक्टिविटी

वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में सरकार **निर्बाध मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।**

- **वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में 44 दिनों में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के** आने की उम्मीद है अर्थात् औसतन **प्रतिदिन** लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु आएँगे। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी **टेली-डेंसिटी** (प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या) होगी।
- **यहाँ 100 किलोमीटर से अधिक** ऑप्टिकल **फाइबर** बिछाया गया है, यहाँ अधिकतम डेटा क्षमता सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक **टावर को उच्च रेडियो क्षमताओं** के साथ कॉन्फिगर किया जाएगा।
- संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिये **भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में 78 परिवहन योग्य टावर और 150 छोटे सेल समाधान** तैनात किये जाएँगे।
- **विशेष केंद्र** स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके **आपातकालीन संचार की** सुविधा प्रदान करेंगे।
- पवित्र तीर्थस्थल महाकुंभ मेला 2025, **प्रयागराज में 13 जनवरी** से **26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा।**
  - यह प्रत्येक **12 वर्ष के अंतराल में** चार स्थानों अर्थात **प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), हरिद्वार (उत्तराखंड), नासिक (महाराष्ट्र) और उज्जैन (मध्यप्रदेश) में आयोजित होता है।**
  - कुंभ शब्द का तात्पर्य एक **बर्तन या पात्र से है**, जिसके बारे में **हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि उसमें अमरता का अमृत** भरा हुआ है।
- उत्तर प्रदेश ने **प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को 4 माह** यानी **1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिये महाकुंभ** मेला **नामक** एक नवीन ज़िले के रूप में घोषित किया है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025

अद्यतन **हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025** में भारत की रैंक **वर्ष 2024 की तुलना में 80**वें स्थान से गिरकर **85वें स्थान** पर आ गई है, जिससे **इसके धारकों को 57 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस** प्राप्त हो गया है।

- भारत की रैंकिंग में विगत कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, वर्ष 2006 में इसे रैंकिंग में **उच्चतम अर्थात् 71वाँ स्थान प्राप्त हुआ और कोविड-19** प्रतिबंधों के कारण वर्ष **2021 में इसे निम्नतम अर्थात् 90 वाँ स्थान प्राप्त हुआ।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025

- **परिचय:**
  - हेनले पासपोर्ट इंडेक्स **199 वैश्विक पासपोर्टों** (227 यात्रा स्थलों को कवर करता है) को **उन स्थलों की संख्या के आधार पर रैंक करता है, जहाँ इनके धारक बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं**, इसके आँकड़े **अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) से प्राप्त होते हैं।**
- इसे वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म **हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है।**
- **मुख्य बातें:**
  - **शीर्ष रैंकिंग: सिंगापुर** (195 गंतव्य) सबसे आगे है, उसके बाद **जापान** (193) का स्थान है। विभिन्न **यूरोपीय संघ के देश और दक्षिण कोरिया** तीसरे स्थान (192 गंतव्य) पर हैं।
  - **गिरती रैंकिंग:** अमेरिका (दूसरे से नौवें), ब्रिटेन (पहले से पाँचवे)।
  - **निचले देश: पाकिस्तान और यमन** (संयुक्त 103वाँ स्थान) उसके बाद **इराक, सीरिया** और **अफगानिस्तान।**
- **UK स्थित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म "कंपेयर द मार्केट"** के वर्ष 2024 के आँकड़ों के अनुसार:
  - **सबसे महंगे पासपोर्ट: मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया** और **अमेरिका**
  - **सबसे सस्ते पासपोर्ट: संयुक्त अरब अमीरात, भारत** और **हंगरी।**
  - **भारत का पासपोर्ट** सर्वोत्तम **"प्रति वर्ष लागत" मूल्य प्रदान करने के लिये जाना जाता है,** जो इसे अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक किफायती बनाता है।

Z-मोड़ टनल

प्रधानमंत्री ने **Z-मोड़ टनल** का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य **सभी मौसम में लद्दाख और कश्मीर की कनेक्टिविटी में सुधार** करना है।

- **अवस्थिति: कश्मीर के गंदेरबल में 8,650 फीट की ऊँचाई पर स्थित 6.5 किलोमीटर लंबी** Z-मोड़ टनल, **श्रीनगर-लेह राजमार्ग (NH-1)** पर हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्र को बायपास करती है।
  - इसे **थजीवास ग्लेशियर** के नीचे बनाया गया है और इस टनल का नाम बदलकर **सोनमर्ग टनल किया गया है।**
- **समयरेखा: 2,400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित** यह परियोजना **वर्ष 2015 में BRO** के तहत शुरू हुई थी लेकिन बाद में इसे **राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा विकसित किया गया।**
- **सामरिक साझेदारी: जोजिला टनल के साथ मिलकर यह परियोजना लद्दाख** तक सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, जिससे **श्रीनगर और लद्दाख** के बीच मार्ग की दूरी **6 किमी. कम हो जाएगी।**
  - **एशिया की सबसे लंबी द्विदिशिक टनल,** जोजिला **टनल (14.15 किमी) श्रीनगर, कारगिल और लेह** के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी।
- **सामरिक महत्त्व:** इस टनल से **सैन्य आवश्यकताओं और नागरिकों** के लिये लद्दाख तक वर्ष भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि

11 जनवरी को भारत के दूसरे **प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री** की **59 वीं पुण्यतिथि** थी।

लाल बहादुर शास्त्री:

- **इनका** जन्म **2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी** के पास **मुगलसराय** में हुआ था।
- **भारत के स्वतंत्रता संग्राम** में एक प्रमुख भूमिका निभाने के साथ यह **महात्मा गांधी** से बहुत प्रभावित थे।
- वह अपनी **ईमानदारी,** विनम्रता और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे तथा **भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस** में उच्च पदों पर आसीन रहे।
- **शास्त्री जी ने गृह मंत्री, रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री** सहित कई प्रमुख मंत्री पद संभाले।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

❖ **रेल मंत्री** के रूप में उन्होंने अपनी **नैतिक जवाबदेही** दर्शाते हुए प्रमुख रेल दुर्घटनाओं के बाद दो बार इस्तीफा दिया।

- **प्रधानमंत्री** (1964-1966) के रूप में शास्त्री जी ने **वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध** के दौरान निर्णायक नेतृत्व का प्रदर्शन किया तथा **कश्मीर की** रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई को अधिकृत किया।
- शास्त्री जी की विरासत से संबंधित प्रसिद्ध नारा **"जय जवान जय किसान"** भारत की प्रगति में **सैनिकों** तथा **किसानों** के महत्व पर केंद्रित है।
- **ताशकंद घोषणापत्र** पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय बाद **11 जनवरी 1966** को शास्त्री जी की **ताशकंद में अचानक मृत्यु** हो गई, उनकी मृत्यु आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है।

ताशकंद घोषणा:

- **जनवरी 1966** में **भारत** और **पाकिस्तान** के बीच ताशकंद **घोषणापत्र पर हस्ताक्षर** किये गये।
- इसका उद्देश्य शांति बहाल करना तथा **वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध से उत्पन्न मुद्दों को हल करना** तथा आपसी समझ को बढ़ावा देना था।

चक्रवात डिकेलेडी से मायोट पर प्रभाव

चक्रवात डिकेलेडी ने मोज़ाम्बिक चैनल (हिंद महासागर) में स्थित फ्राँसीसी **हिंद महासागर क्षेत्र मायोट को प्रभावित किया।**

मायोट का परिचय:

- इसमें **कोमोरोस द्वीपसमूह** के **दो द्वीप शामिल हैं**, जिसमें मुख्य द्वीप को **मायोट (या ग्रांडे टेरे)** और **छोटे द्वीप को पामांडज़ी (पेटिट टेरे) कहा जाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह **फ्राँस** और **यूरोपीय संघ** दोनों का **सबसे गरीब क्षेत्र है।**

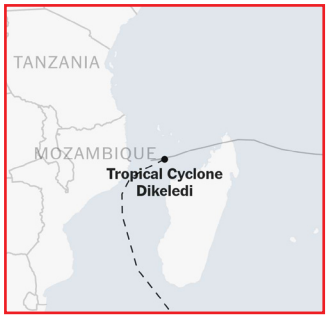

- **फ्राँस ने वर्ष 1843** में मायोट को कॉलोनी बनाया और वर्ष **1904** में कोमोरोस समेत संपूर्ण द्वीपसमूह पर **कब्ज़ा कर लिया।**
  - ❖ **वर्ष 1974 के** जनमत संग्रह में **95% लोगों ने अलगाव का** समर्थन किया, लेकिन मायोट के **63% लोगों ने फ्राँसीसी बने रहने के पक्ष में मतदान किया।**
  - ❖ **ग्रांडे कोमोर, अंजुआन और मोहेली ने वर्ष 1975** में स्वतंत्रता की घोषणा की। मायोट पर अभी भी **पेरिस** से शासन किया जाता है।
- **चक्रवात चिडो**, जो **दिसंबर 2024** में **मायोट में आया था**, **90 वर्षों** में द्वीपसमूह में आने वाला **सबसे भयंकर चक्रवात था।**

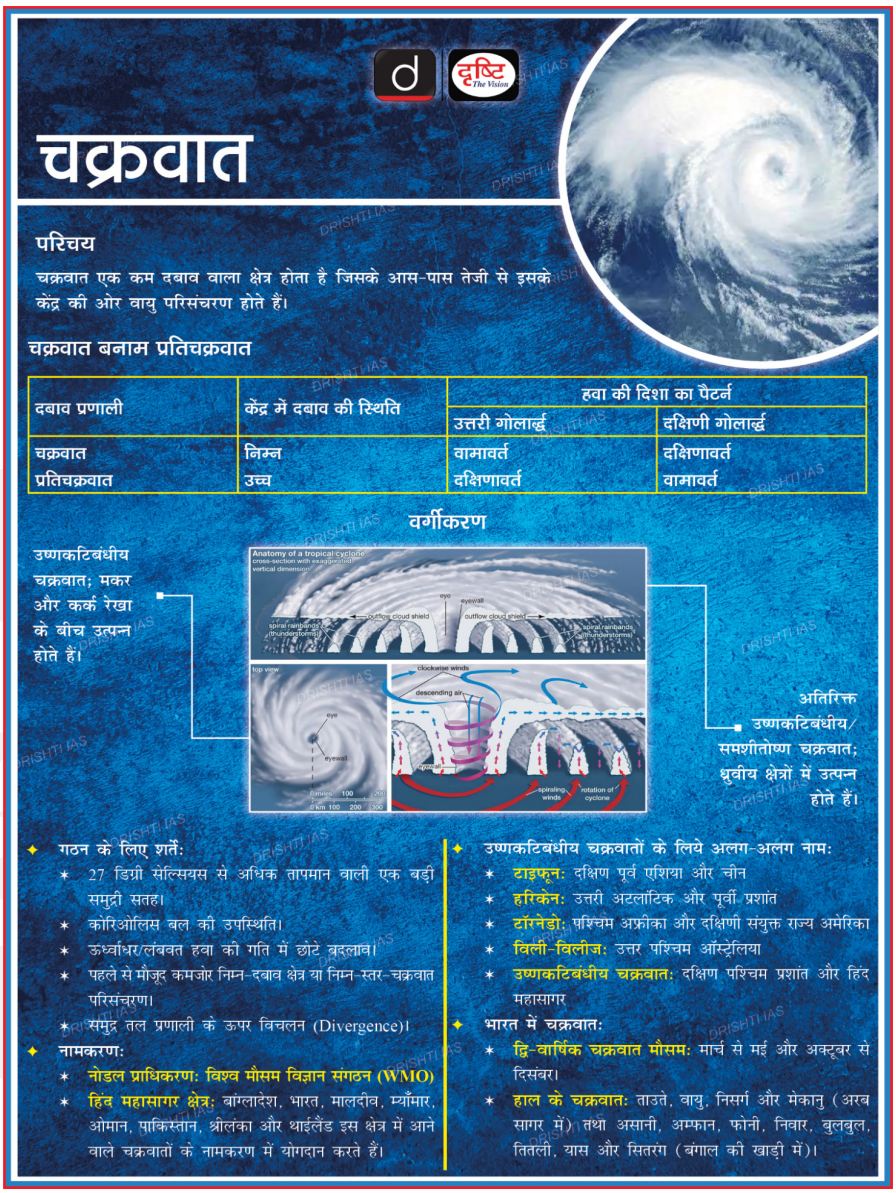

भारत में हिस्टेरेक्टोमी का प्रचलन

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-4 के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में **निम्न आय वाले कृषि श्रमिकों** और **संपन्न महिलाओं में हिस्टेरेक्टॉमी (गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना) की दर** अलग-अलग कारणों से अधिक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

हाई हिस्टेरेक्टॉमी के कारण:

- **कृषि श्रमिकों के लिये हानिकारक कारकों** में खराब स्वच्छता, मासिक धर्म संबंधी निषिद्धता, स्त्री रोग संबंधी देखभाल में विलंब और शारीरिक श्रम शामिल हैं।
  - ❖ **उदाहरण:** महाराष्ट्र के बीड ज़िले में महिला गन्ना श्रमिकों में असामान्य रूप से **उच्च संख्या में गर्भाशय-विच्छेदन की घटनाएँ सामने आई हैं।**
- **धनी महिलाएँ प्राय: बेहतर सामर्थ्य और पहुँच** के कारण इस प्रक्रिया का विकल्प चुनती हैं।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)** जैसी योजनाओं के अंतर्गत **वित्तीय प्रोत्साहन के** कारण कभी-कभी अनावश्यक सर्जरी की नौबत आ जाती है।

हिस्टेरेक्टॉमी:

- **परिचय:**
  - ❖ हिस्टेरेक्टॉमी **(गर्भाशय को हटाना) एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें महिला के गर्भाशय को निकाल दिया जाता है।**
  - ❖ यह प्रक्रिया स्त्री रोग संबंधी स्थितियों जैसे **फाइब्रॉएड, एंडोमेट्रियोसिस, असामान्य रक्तस्राव** और **श्रोणि सूजन संबंधी रोगों के लिये की जाती है,** जब अन्य उपचार विफल हो जाते हैं।
    - ✸ इसका उपयोग **कैंसर के उपचार** और **गंभीर, अनुत्तरदायी पैल्विक दर्द के लिये भी किया जाता है।**
- **भारत में प्रचलन:**
  - ❖ **NFHS-5 राष्ट्रीय रिपोर्ट** के आँकड़ों से पता चलता है कि **भारत में 15-49 वर्ष की आयु की 3% महिलाएँ** हिस्टेरेक्टॉमी करवा चुकी हैं।
    - ✸ **उच्चतम प्रसार:** आंध्रप्रदेश (9%) और तेलंगाना (8%)
    - ✸ **न्यूनतम प्रसार:** सिक्किम (0.8%) और मेघालय (0.7%)।
  - ❖ दक्षिणी क्षेत्र में इसका **प्रचलन सबसे अधिक (4.2%) है,** इसके बाद पूर्वी क्षेत्र (3.8%) है, जबकि पूर्वोत्तर में यह सबसे कम (1.2%) है।

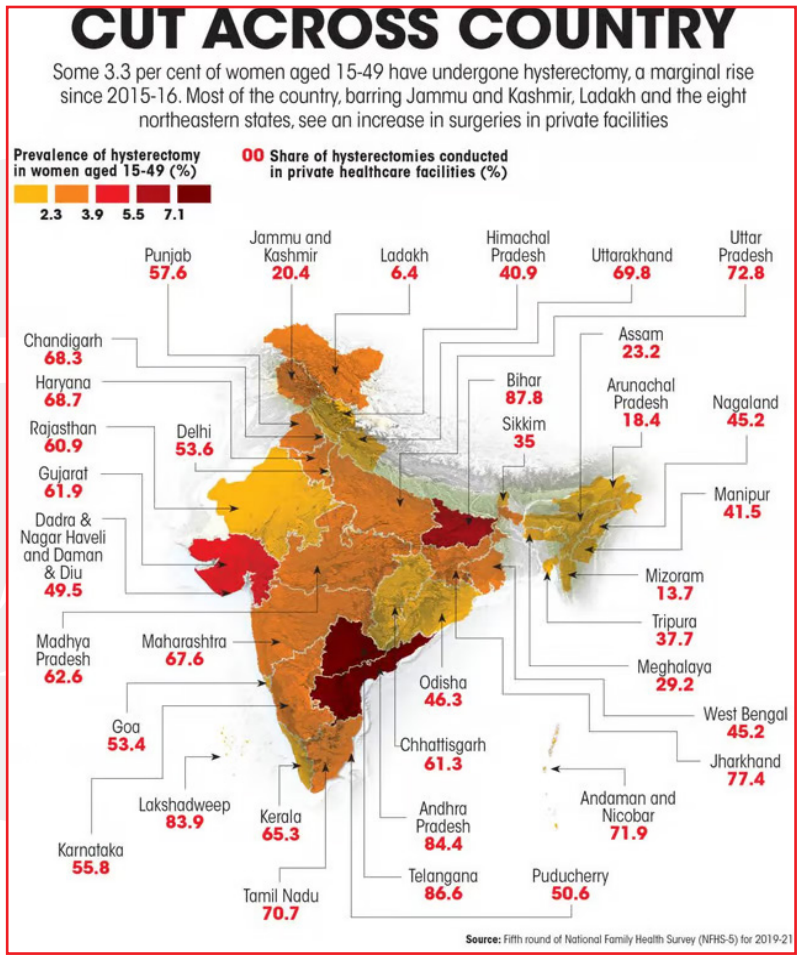

विश्व हिंदी दिवस 2025

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर **हिंदी की उपस्थिति** बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 10 **जनवरी** को **विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **विश्व हिंदी दिवस का परिचय:**
  - यह तिथि वर्ष **1949 के उस ऐतिहासिक पल को याद दिलाती है**, जब **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** में पहली बार हिंदी बोली गई थी।
  - **वर्ष 1975** में प्रथम **विश्व हिंदी सम्मेलन का** उद्घाटन **प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया, जो हिंदी** को वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था ।
  - **10 जनवरी 2006** को मनाया जाने वाला **विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर** को मनाए जाने वाले **हिंदी दिवस** से भिन्न है, क्योंकि हिंदी दिवस वर्ष **1949** में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाए जाने का प्रतीक है।
- **महत्त्व:**
  - **600 मिलियन** से अधिक भाषाओं के साथ **हिंदी** विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, साथ ही **भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।**
  - यह दिवस वैश्विक संचार भाषा के रूप में **हिंदी के महत्त्व** के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।
- **विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम:**
  - **विश्व हिंदी दिवस 2025** की थीम है **"हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़", जो** हिंदी के माध्यम से **भाषाई आदान-प्रदान को बढ़ावा देने** और **सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने** पर केंद्रित है।
- **हिंदी की संवैधानिक स्थिति:**
  - **संविधान के अनुच्छेद 343 के** अंतर्गत हिंदी को आधिकारिक उद्देश्यों के लिये अंग्रेज़ी के साथ **भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।**
  - इसे **8वीं अनुसूची** में भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें आधिकारिक प्रयोग के लिये मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ शामिल हैं।

नीलगिरि, सूरत और वाग्शीर का कमीशन

भारतीय नौसेना ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के **मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)** में निर्मित **नीलगिरि, सूरत** और **वाग्शीर** को अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है।

- **नीलगिरि:** यह **प्रोजेक्ट 17A** का प्रमुख पोत है जो शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेटों की तुलना में बेहतर है, जिसमें नौसेना की रक्षा को मज़बूत करने के लिये उन्नत **स्टील्थ प्रौद्योगिकी** और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ शामिल हैं।
- **सूरत:** यह **प्रोजेक्ट 15B** के तहत चौथा और अंतिम विध्वंसक पोत है जो **कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक पोत** का उन्नत संस्करण है और यह **लंबी दूरी की मिसाइलों** तथा स्वदेशी हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है।
  - **प्रोजेक्ट 15B** भारतीय नौसेना की चार उन्नत निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों के डिज़ाइन और निर्माण की एक पहल है।
- **वाग्शीर: स्कॉर्पीन श्रेणी (प्रोजेक्ट 75)** की छठी पनडुब्बी विश्व स्तर पर सबसे प्रभावी डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है जो **सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध** के साथ निगरानी तथा विशेष अभियानों में सक्षम है।
  - **प्रोजेक्ट-75 (भारत)** का लक्ष्य भारतीय नौसेना के लिये **18 पारंपरिक पनडुब्बियाँ और छह परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियाँ** बनाना है।

आयुष्मान भारत-PMJAY योजना में ओडिशा का शामिल होना

ओडिशा **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPM-JAY)** को अपनाने वाला 27वाँ राज्य बन गया है, हालाँकि 26 राज्य और सभी 18 केंद्रशासित प्रदेश पहले से ही इसमें शामिल हैं (**दिल्ली** और **पश्चिम बंगाल ABPM-JAY में शामिल नहीं हुए** हैं)।

- ABPM-JAY एक **केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें** केंद्र तथा राज्यों के लिये लागत अनुपात **60:40 है जो** पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये **90:10 है। हालाँकि राज्यों के** पास इस योजना से **पृथक रहने का विकल्प है।**
- **अभिसरण: ABPM-JAY ओडिशा की मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना (GJAY)** के साथ संचालित होगी।
  - GJAY ओडिशा में आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को **सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **कवरेज़ विवरण: प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए** तक का कवरेज़ मिलेगा, जिसमें **महिला सदस्यों के लिये अतिरिक्त 5 लाख रुपए शामिल होंगे।** ओडिशा में कुल **1.03 करोड़ परिवार** लाभान्वित होंगे।

ABPM-JAY का परिचय:

- यह भारत में **55 करोड़ व्यक्तियों** को **द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल** के लिये स्वास्थ्य कवरेज़ प्रदान करता है, जिससे **12.3 करोड़ परिवार लाभान्वित होते हैं।**
  - ❖ यह **विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज़ योजना है,** जो भारत की **लगभग 45% आबादी को कवर करती है।**
- इस योजना के अंतर्गत अब **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को** मुफ्त **उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।**
- **ABPM-JAY के अंतर्गत 30,985 पैनलबद्ध अस्पतालों** का नेटवर्क शामिल है, जिसमें **12,881 निज़ी अस्पताल 27 स्पेशलिटीज़ (Specialties)** में 2,000 से अधिक **चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करते हैं।**

ब्रिटिश नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हिरासत

ब्रिटिश नौसेना ने **डिएगो गार्सिया के** निकट **15 भारतीय मछुआरों को समुद्री सीमा पार करने** के आरोप में **हिरासत** में लिया।

- यह एक **व्यापक मुद्दा** है और **अक्सर तमिलनाडु के मछुआरों को** अक्सर **श्रीलंकाई नौसेना** तथा **ब्रिटिश नौसेना** द्वारा हिरासत में लिया जाता है, जिससे उनकी आजीविका एवं सुरक्षा प्रभावित होती है।

डिएगो गार्सिया:

- **डिएगो गार्सिया हिंद महासागर** में स्थित है और यह **चागोस द्वीपसमूह** का **सबसे बड़ा द्वीप** है।
- चागोस **द्वीपसमूह** कभी **मॉरीशस का हिस्सा** था लेकिन **वर्ष 1965 में इसे अलग करके ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र (BIOT)** बना दिया गया।
  - ❖ इसका प्रशासन ब्रिटेन के पास है लेकिन **सैन्य उद्देश्यों के लिये इसे वर्ष 1966** में **अमेरिका** को **पट्टे पर दे दिया** गया था। वर्ष 1986 में यह पूरी तरह से संचालित **सैन्य अड्डा** बन गया।
- **वर्ष 2001 में अमेरिका पर अल-कायदा के 11 सितंबर के हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के विदेशी युद्ध** अभियानों में यह एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा।
- **अक्तूबर 2024** में **ब्रिटेन, चागोस द्वीपसमूह** की संप्रभुता **मॉरीशस** को **सौंपने** पर सहमत हुआ लेकिन इसने **डिएगो गार्सिया** पर **संप्रभु अधिकार** बनाए रखने का प्रस्ताव रखा।

सी. एलिगेंस के अनुप्रयोग द्वारा जीव विज्ञान में खोजें

गोल कृमि, **कैनोरहेबडाइटिस एलिगेंस** की कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोजों में प्रमुख भूमिका रही है जिससे इसकी मौलिक जैविक प्रक्रियाओं पर प्रकाश पड़ा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सी. एलिगेंस से संबंधित नोबेल विजेता प्राप्त शोध:

- **विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन (वर्ष 2024 का फिज़ियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार):** इन्होंने **microRNAs** की खोज करने के साथ **जीन अभिव्यक्ति** नियंत्रण में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका का पता लगाया।
- **ओसामु शिमोमुरा, मार्टिन चाल्फी और रोजर त्सियन (रसायन विज्ञान में 2008 नोबेल पुरस्कार):** इन्होंने **हरित फ्लोरोसेंट प्रोटीन (GFP)** का विकास किया, जिससे जीवित कोशिका इमेजिंग संभव होने के साथ जैविक अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव आया।
  - GFP एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग **आणविक एवं कोशिका जीव विज्ञान में** जैविक प्रक्रियाओं को **देखने तथा उन पर निगरानी रखने** के लिये किया जाता है।
- **एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो (चिकित्सा में वर्ष 2006 नोबेल पुरस्कार):** इन्होंने **RNA इंटरफेरेंस (RNAi) की खोज की**, जिससे जीन-साइलेंसिंग तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव आया।
  - इससे यह खोज हुई कि **डबल-स्ट्रैंडेड आरएनए (dsRNA) विशिष्ट जीन की साइलेंसिंग शांत** कर सकता है, जिससे संभावित **चिकित्सीय अनुप्रयोगों का मार्ग** प्रशस्त होता है।
- **सिडनी ब्रेनर (वर्ष 2002 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार): इनके शोध ने प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु** को समझने में योगदान दिया।
- **सी. एलिगेंस:** इस **छोटे अकशेरुकी** की **लंबाई सिर्फ 1 मिमी** होती है और **यह एक पारदर्शी निमेटोड** है।
  - **निमेटोड (जिन्हें गोलकृमि** भी कहा जाता है) **बेलनाकार एवं अक्सर सूक्ष्म जीव** होते हैं तथा यह **मृदा और तलछट पारिस्थितिकी तंत्र** का एक प्रमुख घटक हैं।
  - ये पशुओं या पौधों पर **परजीवी** होते हैं या **मृदा एवं जल में स्वतंत्र** रूप से मिलते हैं।

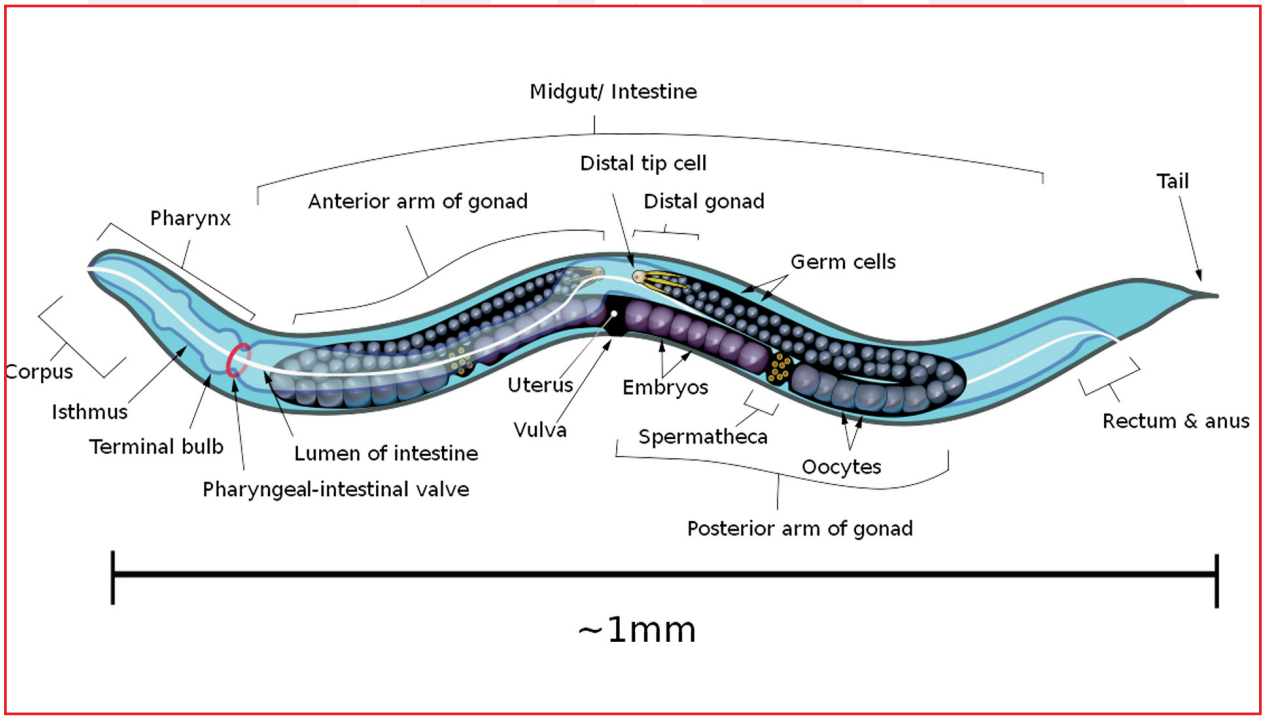

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

चिंपैंज़ी का संरक्षण

कैमरून में एनजीओ पापाये इंटरनेशनल चर्चा में रहा है, जो **डौआला-एडिया राष्ट्रीय उद्यान** में **अनाथ चिम्पांजियों के लिये एक अभयारण्य संचालित करता है।**

- **चिंपैंज़ी:** चिंपैंज़ी ***(Pan troglodytes ssp.)*** वर्तमान में मानव जाति से निकटतम संबंधित जीवों में में से एक हैं तथा इनके और मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे जिनका अस्तित्व लगभग 7 से 8 मिलियन वर्ष पूर्व था।
  - **उप-प्रजातियाँ:** इसकी चार मान्यता प्राप्त उप-प्रजातियाँ हैं: **केंद्रीय चिंपैंज़ी, पश्चिमी चिंपैंज़ी, नाइजीरिया-कैमरून चिंपैंज़ी** और **पूर्वी चिंपैंज़ी।**
- **IUCN के अंतर्गत स्थिति:** चिंपैंज़ी को **संकटापन्न** के रूप में **सूचीबद्ध किया गया है** जिसमें **पश्चिमी चिंपैंज़ी को गंभीर रूप से संकटापन्न** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **सांस्कृतिक विविधता:** चिंपैंज़ी **सांस्कृतिक रूप से सीखे गए व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं,** जिसमें **उपकरण का उपयोग, स्पष्ट स्वर** और **भरण तकनीक** शामिल हैं, जो उप-प्रजातियों के अनुसार भिन्न होती हैं।
  - वे अत्यधिक **संरचित सामाजिक समूहों में रहते हैं,** जिनमें प्राय: 20 से 150 चिंपैंज़ी होते हैं तथा इनकी संचार पद्धति और व्यवहार जटिल होते हैं।
  - चिंपैंज़ियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले साधनों के उदाहरणों में **दीमक पकड़ना, शहद इकट्ठा करना** और **अखरोट तोड़ना शामिल है** तथा इनके **साधनों और तकनीकों में भिन्नताएँ पाई जाती हैं।**
- **आहार पद्धति:** चिंपैंज़ी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का भक्षण करते हैं, जिनमें **मैंग्रोव** के पत्ते भी शामिल हैं और विशेष रूप से **शुष्क जलवायु** में वे गुफाओं में रहते हैं।
  - **आवास के नाश** और **शिकार से इनकी आनुवंशिक** तथा **सांस्कृतिक विविधता को** खतरा है, जिससे **संरक्षण प्रयास** महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।

- **कैमरून:**
  - यह **मध्य अफ्रीका** में स्थित है, जिसकी सीमा **नाइजीरिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, गैबॉन और इक्वेटोरियल गिनी से लगती है।**
    - तटीय मैदान, पर्वत और वर्षावन सहित इसमें भौगोलिक विविधता है।

परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन

सरकार ने हाल ही में **परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) का पुनर्गठन** किया है।

- **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** के सचिव **अजीत कुमार मोहंती, AEC** के **अध्यक्ष** हैं और **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (अजीत डोभाल)** इसके प्रमुख सदस्यों में से एक हैं।
- **परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC): AEC का गठन पहली बार अगस्त 1948** में **वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग** के तहत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की देखरेख हेतु किया गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट:

- **वर्ष 1958** में **परमाणु ऊर्जा विभाग** के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया तथा **वर्ष 1954 में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार** के अधीन इसकी स्थापना की गई।
- **परमाणु ऊर्जा विभाग** के सचिव, इस आयोग के **पदेन अध्यक्ष** के रूप में कार्य करते हैं तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति **प्रधानमंत्री के अनुमोदन** पर प्रतिवर्ष की जाती है।
- AEC **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने, परमाणु प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा** एवं **ऊर्जा स्वतंत्रता** में प्रगति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने के लिये नीतियाँ तैयार करने पर केंद्रित है।

77वाँ भारतीय सेना दिवस

भारतीय सेना दिवस प्रतेक वर्ष **15 जनवरी को जनरल (फील्ड मार्शल) के.एम. करियप्पा की वर्ष 1949** में भारतीय सेना के **प्रथम भारतीय कमांडर-इन-चीफ** के रूप में नियुक्ति की स्मृति में मनाया जाता है।

- उन्होंने **ब्रिटिश जनरल सर एफ.आर.आर बुचर का स्थान लिया**, जो भारत के स्वतंत्रता-पश्चात सैन्य नेतृत्व में एक ऐतिहासिक क्षण था।
- **वर्ष 2025 थीम:** ***'समर्थ भारत, सक्षम सेना'*** (***'Samarth Bharat, Saksham Sena'***) (सक्षम भारत, सशक्त सेना)।
- **मेज़बान:** पहली बार सेना दिवस परेड की मेज़बानी **पुणे** द्वारा की गई है, जो इसके सैन्य महत्त्व पर ज़ोर देता है।
  - **यहाँ दक्षिणी कमान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और DRDO** जैसी प्रमुख प्रतिष्ठान स्थित है।
- **रक्षा सुधारों का वर्ष:** भारत सरकार ने **वर्ष 2025** को **"रक्षा सुधारों का वर्ष" (Year of Defence Reforms) घोषित किया** है, जिसका उद्देश्य **थिएटर कमांडों को एकीकृत करना, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल स्थापित करना तथा सैन्य खरीद को सुव्यवस्थित एवं स्वदेशी क्षमताओं** को बढ़ावा देना है।
- **सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस:** भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान के सम्मान में प्रतिवर्ष **14 जनवरी** को मनाया जाता है।
  - यह दिवस **वर्ष 1953 में के.एम. करियप्पा की सेवानिवृत्ति** का प्रतीक है।

- **भारतीय नौसेना दिवस: 4 दिसंबर।**
- **भारतीय वायु सेना दिवस: 8 अक्तूबर।**

❑❑❑

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट: